ISSN No. 2584-1149

स्मारिका

राष्ट्रीय राजभाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम 2025

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो
पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012
दूरभाष : +91-11-25843697,फैक्स : +91-11-25842495
ई-मेल : director.nbpgr@nic.in, वैबसाइट : www.nbpgr.org.in

समारोह के यादगार पल..........

स्मारिका

राष्ट्रीय राजभाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम 2025

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो
पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012
दूरभाष : +91-11-25843697, फैक्स : +91-11-25842495
ई-मेल : director.nbpgr@nic.in, वैबसाइट : www.nbpgr.org.in

"हिंदी ने विश्व भर में भारत को एक विशिष्ट सम्मान दिलाया है। इसकी सरलता, सहजता और संवेदनशीलता हमेशा आकर्षित करती है। मैं उन सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंनें इसे समृद्ध और सशक्त बनाने में अपना अथक योगदान दिया है।"

- नरेन्द्र मोदी (प्रधानमंत्री)

हमारी भाषाओं के बीच साम्यता है, एक न दिखाई देने वाला संवाद भी है और इसकी अनुभूति करने पर ही इसके बारे में जाना जा सकता है। हर भाषा के ढ़ेर सारे शब्द किसी दूसरी भाषा के साथ जुड़े हैं, व्याकरण का मूल भी एक ही है। हिंदी की स्वीकृति सहमति से होनी चाहिए और तभी राजभाषा को राष्ट्रीय एकता का सूत्र जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बताया था, उसे सफल कर पाएंगे।

- अमित शाह (गृहमंत्री)

संरक्षक एवं प्रकाशक

डॉ ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह

निदेशक, भाकृअनुप-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक
संसाधन ब्यूरो
पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012

सहयोग एवं परामर्श

सुरेश कुमार गजमोती

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, (वरिष्ठ ग्रेड)

संपादक

आशुतोष कुमार

उप निदेशक(राभा)

संपादन समिति

डॉ संध्या गुप्ता, प्रधान वैज्ञानिक - अध्यक्ष
डॉ ललित आर्य, प्रधान वैज्ञानिक
डॉ जमील अख्तर, प्रधान वैज्ञानिक
डॉ ज्योति कुमारी, प्रधान वैज्ञानिक
डॉ प्रज्ञा, प्रधान वैज्ञानिक
डॉ वर्तिका श्रीवास्तव, वरिष्ठ वैज्ञानिक
डॉ कुलदीप त्रिपाठी, वरिष्ठ वैज्ञानिक
डॉ बादल सिंह, वैज्ञानिक

इस स्मारिका में प्रकाशित समस्त लेखों के लिए लेखक ही उत्तरदायी है न कि जारीकर्ता संस्थान, इसके प्रकाशक, संरक्षक या संपादक मंडल। उपयोगकर्ताओं को हिदायत दी जाती है कि पत्रिका में दी गई जानकारियों को उपयोग में लाने से पूर्व लेखक या किसी अन्य विशेषज्ञ से अनिवार्य रूप से विचार –विमर्श / सहयोग लेकर ही प्रौद्योगिकियों तकनीकियों आदि का प्रयोग करें। अनेक प्रयासों के बाद भी टंकण संबंधी त्रुटियां रह सकती हैं।

प्रकाशन एवं संपर्क सूत्र

निदेशक

(भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद)
राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो
पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012
ईमेल- director.nbpgr@nic.in
वैबसाइट-www.nbpgr.org.in

डॉ. एम. एल. जाट
सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक (भाकृअनुप)
DR. M. L. Jat
Secretary (Dare) & Director General (ICAR)

भारत सरकार
कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग एवं
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION
AND
INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
Krishi Bhavan, New Delhi 110 001
Tel: 23382629/23386711 Fax: 91-11-23384773
E-mail: dg.icar@nic.in

संदेश

भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की अस्मिता और पहचान है बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक भी है। बहुत सरल और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यह भाषा हमारे पारम्परिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही ग्यारह राज्यों और तीन संघ शासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा है।

आज भारतवर्ष नव संसाधन संपन्न राष्ट्र के रूप में उभर रहा है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। विकसित भारत की अवधारणा से प्रेरित होकर इस विकास यात्रा में हिंदी ने देश की समृद्ध भाषा बनकर वसुधैव कुटुम्बकम् की धारणा को सुदृढ़ किया है और समस्त विश्व को एक परिवार बनाने में योगदान दिया है। आज के युग में कृत्रिम मेधा व प्रौद्योगिकी की सहायता से विभिन्न भाषाएं भी एक-दूसरे से जुड़ रही हैं।इस दौर में मैं उन मनीषियों के योगदान को स्मरण करना चाहता हूँ जिनकी मातृभाषा हिंदी न होने पर भी वे राष्ट्रहित में हिंदी के पक्ष में खड़े रहे और हिंदी संघ की राजभाषा बनी। राष्ट्रीय एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने में उनकी दूरदर्शिता के लिए राष्ट्र उनका सदैव ऋणी रहेगा।

विश्व बाजार, उदारीकरण सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है और इसके महत्व को स्वीकारा जा रहा है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण को स्वीकृति मिल रही है जिससे सभी क्षेत्रीय भाषाओं को समान रूप से बढ़ावा मिल रहा है। मेरा विश्वास है कि इससे भाषायी समरसता को सुदृढ़ता अवश्य प्राप्त होगी।

भारत विविधताओं से भरा देश है। यहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भाषाएं एक-दूसरे से सीखती भी हैं, और एक दूसरे को समृद्ध भी करती हैं, इसलिए भाषाओं के बीच परस्पर संवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम राजभाषा हिंदी के साथ-साथ देश की अन्य भाषाओं को साथ लेकर चलें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सबके सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत की संकल्पना के भाषाई दृष्टिकोण को एक सफल आकार प्राप्त होगा।

भाषा वही जीवित रहती है जिसका प्रयोग जनता द्वारा किया जाता है। भारत में लोगों के बीच संवाद का सबसे बेहतर माध्यम हिंदी है। इस कारण हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में विद्यमान है। सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाना हमारा दायित्व है और हमें इसे बिना किसी दबाव के करना चाहिए। और मेरा विश्वास है हिंदी भाषा के प्रसार से पूरे देश में एकता की भावना को और मजबूती मिलती है। हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार करने के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एनबीपीजीआर संस्थान में तीन दिवसीय राष्ट्रीय राजभाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन एक विशिष्ट उपलब्धि है। राजभाषा के हीरक जयंती वर्ष के दौरान इस वृहत कार्यक्रम से परिषद के सम्पूर्ण संस्थानों में हिंदी में कार्य करने की दिशा में एक नया अध्याय जुड़ेगा। मैं इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के आयोजन संबंधी 'स्मारिका' प्रकाशन से जुड़े सभी सदस्यों को बधाई एवं शुभकमनाएं देता हूँ। आशा है यह 'स्मारिका' अपने मूलभूत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होगी।

(एम एल जाट)

डॉ. देवेन्द्र कुमार यादव
उप महानिदेशक (फसल विज्ञान)
Dr. Devendra Kumar Yadav
Deputy Director General (Crop Science)

भाकृअनुप
ICAR

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली 110001
Indian Council of Agricultural Research
Department of Agricultural Research & Education
Ministry of Agricultural and Farmers Welfare Govt.of India, Krishi Bhavan, New Delhi 110001

आमुख

भाषा मानव समुदाय के मध्य परस्पर विचार विनिमय का एक सशक्त एवं विश्वसनीय माध्यम है। भाषा मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होने के साथ-साथ उसकी सामाजिक-सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अस्मिता का जीवंत प्रतीक भी है। भाषा के बिना मनुष्य समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। संस्कृत के महान साहित्यकार दंडी ने अपने काव्यादर्श में भाषा के महत्व को स्वीकारते हुए कहा है कि "यह संपूर्ण भुवन अंधकारमय हो जाता, यदि संसार में शब्द-स्वरूप ज्योति अर्थात् भाषा का प्रकाश न होता।" भाषा के माध्यम से ही देश की संस्कृति, परंपरा से प्राप्त अथाह ज्ञान-विज्ञान एवं गौरवमय इतिहास को जाना जा सकता है। भाषा केवल विचारों की ही नहीं अपितु भावों की भी संवाहक होती है। हम यूं कहें तो भाषा में व्यक्ति एवं राष्ट्र की अस्मिता निहित होती है।

भारतीय विचारों और संस्कृति का वाहक होने का श्रेय हिंदी को ही जाता है। आज संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में भी हिंदी की गूंज सुनाई देने लगी है। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में दिए गए अभिभाषण से पूरे भारत का मान बढ़ा है। विश्व हिंदी सचिवालय विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार करने और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए कार्यरत है। उम्मीद है कि हिंदी को शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा भी प्राप्त हो सकेगा।
लिपि भाषा की अमूल्य धरोहर को संचित करने, उसकी समुन्नति और उसके व्यवहार क्षेत्र को प्रदर्शित करने का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है और लिपि देवनागरी है। आज संपर्क भाषा के रूप में हिंदी पूरे देश को जोड़ने का काम कर रही है। हिंदी मात्र संवाद की भाषा नहीं है बल्कि देश के आम जन तक भारत सरकार की नीतियों, जन उपयोगी योजनाओं, वैज्ञानिक तथा तकनीकी जानकारियों को पहुंचाने का सशक्त माध्यम है।

हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुए 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इन 75 वर्षों में हिंदी ने देश के विकास में अहम भूमिका निभाई है और यह भारत की विभिन्न भाषाओं के मध्य संपर्क एवं संवाद की भाषा बनकर उभरी है। इस अवसर पर आईसीएआर-एनबीपीजीआर में राष्ट्रीय राजभाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल आयोजन की मैं सराहना करता हूँ। मुझे विश्वास है इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों से आए सभी प्रतिभागी अत्यधिक लाभान्वित हुए होंगे। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि एनबीपीजीआर की गृह-पत्रिका "आनुवंशिकी प्रवाह" के इस राजभाषा कार्यक्रम संबंधी 'स्मारिका' अंक का प्रकाशन किया जा रहा है। मैं मानता हूँ राजभाषा प्रशिक्षण के सत्रों के विषयों को समाहित करते हुए कार्यक्रम की 'स्मारिका' समस्त हितधारकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

मैं इस अवसर पर पत्रिका के प्रकाशन से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके इस प्रयास के लिए बधाई देता हूँ और पत्रिका के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।

(डी के यादव)

डॉ ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, पी.एच.डी.
निदेशक
Dr Gyanendra Pratap Singh, Ph. D
Director

भा.कृ.अनु.प.-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो
पूसा कैम्पस, नई दिल्ली-110012, भारत
ICAR-National Bureau of Plant Genetic Resources
Pusa Campus, New Delhi - 110012, India
+91-11-25843697, 25802781 (O), 9868841775 (M)
director.nbpgr@nic.in, gp.singh-icar@nic.in,
www.nbpgr.org.in

प्राक्कथन

मुझे 'आनुवंशिकी प्रवाह' के इस अंक को स्मारिका के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। निःसंदेह हिंदी के संवर्धन और प्रचार-प्रसार में हिंदी प्रकाशनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 'आनुवंशिकी प्रवाह' के नियमित प्रकाशन से संस्थान में राजभाषा कार्यान्वयन को बल मिला है और सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।

राजकीय कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए पत्र-पत्रिकाओं का विशेष महत्व होता है। इन पत्रिकाओं में कार्यालय में की जा रही विभिन्न गतिविधियों एवं क्रियाकलापों की स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। मैं आशा करता हूँ कि इस अंक में प्रकाशित लेख, कविताएं और अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री से पाठकों की हिंदी भाषा में रुचि बढ़ेगी। इससे यह उन्हें नियमित रूप से हिंदी भाषा में कार्य करने और पत्रिका में सार्थक योगदान देने हेतु प्रेरित करेगी।

भाषा मनुष्य के भावों-विचारों को व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है और यही कारण है कि सामाजिक-सांस्कृतिक विकास की मूल प्रेरक शक्ति के रूप में भाषा का अपना प्रभाव है। भाषा का उत्तरोतर विकास एवं उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होना मानव सभ्यता का क्रमिक विकास दर्शाता है और यही विकास समाज की संस्कृति के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है। भारत के संदर्भ में हिंदी भाषा ने संस्कृति के विस्तार में अभूतपूर्व भूमिका का निर्वहन किया है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देश आज भारतीय संस्कृति और भाषा के प्रति आदर का भाव रखते हैं। विगत कुछ वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी के द्वारा भारतीय भाषाओं के विकास और विस्तार पर कार्य किया जा रहा है। शिक्षा नीति-2020 द्वारा मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था से अपनी भाषा में चिंतन को बढ़ावा मिला है जो राष्ट्र के विकास में अमूल्य योगदान दे सकेगा।

एनबीपीजीआर द्वारा प्रतिवर्ष हिंदी पत्रिका 'आनुवंशिकी प्रवाह' के प्रकाशन के अतिरिक्त कार्यालयीन कार्यों में हिंदी भाषा के संवर्धन हेतु अनेक गतिविधियां नियमित रूप से सुनिश्चित की जा रही हैं। इस वर्ष भी अपनी गौरवमयी परंपरा को बनाए रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए राष्ट्रीय राजभाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की 'स्मारिका' का प्रकाशन संस्थान की विशिष्ट उपलब्धि है। इससे 'स्मारिका' के पाठकों को विभिन्न विषयों पर आलेख एवं रोचक सामग्रियों के पाठन का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

मेरा सभी से अनुरोध है कि अपनी रचना क्षमताओं से पत्रिका को और समृद्ध बनाया जाए जिससे भविष्य में भी "आनुवंशिकी प्रवाह" के अंक इसी प्रकार उत्कृष्ट रूप में प्रकाशित होते रहें और विज्ञान के क्षेत्र में संस्थान द्वारा अर्जित उपलब्धियों को सरल एवं सुगम रूप में जनसामान्य में लोकप्रिय बनाने की हमारी कोशिश पूरी हो सके। राजभाषा का यह प्रयास निरंतर गतिमान रहे, हमारी यही कामना है। मैं स्मारिका अंक के प्रकाशन से जुड़े सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।

(ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह)

संपादकीय

हमें "आनुवंशिकी प्रवाह" के नए अंक को स्मारिका के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत करने का पुनः अवसर प्राप्त हो रहा है। भाकृअप-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो की "आनुवंशिकी प्रवाह" पत्रिका हमारे कार्यों, प्रयासों और उपलब्धियों सहित यह हिंदी भाषा के प्रति स्नेह और समर्पण को भी प्रदर्शित करता है। हिंदी का महत्व केवल एक भाषा के रूप में नहीं है, बल्कि हम इसे एक ऐसी शक्ति के रूप में देखते हैं, जो हमारे समर्पित अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच संवाद और सहयोग को और भी सशक्त बनाती है। यह पत्रिका इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य हमारे सभी प्रभागों के बीच हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना और इसे एक सशक्त माध्यम के रूप में स्थापित करना है।

हमारा उद्देश्य है कि हम इसे एक ऐसा मंच बनाएं, जहां सभी कार्मिक अपने विचार, अनुभव और रचनात्मकता को हिंदी में अभिव्यक्त कर सकें। इसके माध्यम से हम न केवल अपने कार्यों का विश्लेषण करेंगे, बल्कि हिंदी के प्रचार-प्रसार और हिंदी समृद्धि के लिए भी अनवरत प्रयास करेंगे।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में राष्ट्रीय राजभाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन प्रशासनिक दायित्वों से जुड़े अधिकारियों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन नीति के तहत पहली बार किया गया। इससे संपूर्ण भारतवर्ष के आईसीएआर के संस्थानों में हिंदी में कार्य करने के लिए कार्मिकों को प्रेरणा प्राप्त हो सकेगी ऐसी हमारी कोशिश है। इस कार्यक्रम के विभिन्न सत्रों के दौरान विभिन्न विषयों पर अयोजित व्याख्यान एवं प्रशिक्षणों को इस स्मारिका में शामिल करने की कोशिश की गई है। आशा है कि स्मारिका के पाठकों को इसके तथ्यों, सारगर्भित लेखों एवं समसामयिक चर्चाओं से लाभ प्राप्त होगा।

हम जानते हैं कि यह प्रयास तभी सफल हो सकता है, जब इसमें आप सभी का सहयोग और समर्थन प्राप्त हो। इसलिए हम आपके सुझाव, विचारों और प्रतिक्रियाओं का स्वागत करते हैं ताकि हम पत्रिका को और भी प्रभावशाली बना सकें। आधुनिक युग में हिंदी भाषा का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। यह हमारी राजभाषा होने के साथ-साथ हमारी संस्कृति और पहचान का भी अटूट हिस्सा है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि "आनुवंशिकी प्रवाह" का यह अंक हमारे सभी कार्मिकों के बीच एक सकारात्मक और रचनात्मक माहौल बनाने में सहायक सिद्ध होगा। मैं विशेष रूप से उन सभी कार्मिकों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने इस अंक को साकार करने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। आपकी लेखनी और रचनात्मकता ही इस पत्रिका की आत्मा है। आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप इस पत्रिका से जुड़ें और अन्य को भी जोड़ें तथा इसके प्रकाशन में अपना बहुमूल्य योगदान भी अवश्य दें।

संपादक मंडल

विषय सूची

क्र.सं.	विषय व लेखक		पृष्ठ संख्या
1.	कृत्रिम मेधा के दौर में भारतीय भाषाएं	- प्रो.गिरीश नाथ झा	1
2.	विलुप्त हो रही भाषाएँ एवं भाषाओं का संरक्षण	- राहुल देव	12
3.	आधुनिक कार्यालय कार्यप्रणाली को त्वरित और प्रभावी बनाते कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण	- डॉ निमिष कपूर	22
4.	सरकारी कामकाज में हिंदी प्रयोग की तकनीकियां	- डॉ. श्याम सुंदर कथूरिया	34
5.	सरकारी कार्यालयों में राजभाषा की नीति, योजनाएं एवं वार्षिक कार्यक्रम	- डॉ. रमेश आर आर्य	42
6.	'अनुवादिनी' से आवाज एवं दस्तावेज़ का एआई अनुवाद	- गणेश तुरेराव	53
7.	सकारात्मक सोच और मनोविज्ञान	- आद्या अग्रवाल	59
8.	सरकारी कार्यालयों में टिप्पण एवं प्रारूप लेखन	- डॉ.रमेश आर्य तथा डॉ हरि सिंह पाल	64
9.	संघ की राजभाषा नीति	- आशुतोष कुमार	73
10.	संसदीय राजभाषा समिति	- डॉ. राकेश बी दूबे	78
11.	जीवन मूल्य, नैतिकता एवं लैंगिक मुद्दों का समाधान	- डॉ सुमन अग्रवाल	84
12.	हिंदी का वैश्विक स्वरूप	- प्रो. रवि शर्मा	89
13.	सरकारी कार्यालयों में अनुवाद की प्रक्रियाएं	- प्रो. हरीश शेट्टी	92
13.	कवि सम्मेलन....... झलकियां		101
14.	राष्ट्रीय राजभाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह		102

कृत्रिम मेधा के दौर में भारतीय भाषाएं

प्रो. गिरीश नाथ झा, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

प्रस्तावना

भारतीय भाषाओं में संस्कृत का विशाल ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई महत्व रहा है। संस्कृत भारत और यूरोप की अधिकांश भाषाओं की जननी मानी जाती है। इन भाषाओं पर खास कर भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाओं पर संस्कृत का भाषाई साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रभाव सर्वथा सिद्ध रहा है। यह शोधपत्र संस्कृत और अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं के अंतर्संबंध का उपयोग कर एक ऐसी सर्वसमावेशी भाषा (हिंदी) की परिकल्पना करता है जिसे उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जा सके। ऐसी सर्वसमावेशी भाषा के विकास के लिए जरुरी आधारभूत ढांचे क्या हों उसका भी सुझाव देता है। साथ ही संस्कृत के संरक्षण और पुनरुद्धार पर बल देता है।

संस्कृत का आधार : भाषा परिवार और भाषाई क्षेत्र

भारतीय उपमहाद्वीप लगभग डेढ़ अरब लोगों द्वारा बोली जानेवाली सैकड़ों भाषाओं का निवास स्थान है। भारत में भाषाओं को भाषा परिवार द्वारा समझा जा सकता है। यहाँ अधिकतर भाषाएं चार प्रमुख भाषा परिवार से आती हैं। जो कि इस प्रकार हैं-
भारतीय आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रो-एशियाई, तिब्बती-बर्मी। एमेनो (1980) भारतीय भाषा परिवार को भारतीय आर्य, द्रविड़, मुंडा में वर्गीकृत करते हैं। वहीं अन्विता अब्बी, (2001) भारतीय आर्य, द्रविड़, ऑस्ट्रो-एशियाई, तिब्बती-बर्मी, अंडमानी में भाषा परिवार की रचना करती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ भाषा वियोजक (language isolates) एवं लघु परिवार भी मौजूद हैं (Georg, 2017)। बोरिन (2021) के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप कई असंबंधित भाषा परिवारों का समूह है जो एक लम्बे इतिहास के साथ बहुसमाजवाद और सामाजिक भाषाई रूप से जटिल भाषाई समुदाय बन जाता है। इसी कारण से अनेक विद्वानों के अनुसार इस क्षेत्र की भाषाएं आनुवांशिक रूप से संबंधित बाहरी भाषाओं की तुलना में एक दूसरे के ज्यादा समान प्रतीत होती हैं (Emeneau 1956; Kachru et al. 2008; Borin et al., 20o6: Masica 1976) । ये ही परस्थितियाँ भाषाई क्षेत्र की धारणा को जन्म देती हैं (Trubetzkoy 1930) । सामान्यतः भाषाई क्षेत्र वो संदर्भित करता है जहाँ निकट संपर्क और व्यापक बहुभाषावाद के कारण, भाषाओं ने एक दूसरे को इस हद तक प्रभावित किया है कि आनुवंशिक रूप से संबंधित और असंबंधित भाषाएं हमारी तुलना में अधिक संबंधित प्रतीत होती हैं।

(Borin, 2021) के अनुसार भारत में इंडो आर्यन शाखा एक प्रमुख भाषा परिवार है जिन्हें समूचे भारत में बोला एवं प्रयोग में लाया जाता है। आमतौर पर इंडो आर्यन भाषाएं चार प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं। (1) उत्तर-पश्चिमी (जैसे सिंधी, पंजाबी, लहंडा, विभिन्न पहाड़ी किस्में, डोगरी, कश्मीरी); (2) दक्षिण-पश्चिमी (जैसे गुजराती, मराठी, कोंकणी, धिवेही (मालदीवियन) और सिंहली); (3) मिडलैंड्स (सेंट्रल) (हिंदी-उर्दू और इसकी विभिन्न बोलियाँ जिनमें पूर्वी और पश्चिमी हिंदी भी शामिल हैं और उनकी बोलियाँ), जिसे हिंदी बेल्ट (बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश) के रूप में भी जाना जाता है। और (4) पूर्वी (उदा. बंगाली, असमिया, उड़िया)।

एक ही भाषाई क्षेत्र से होने के कारण संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप की भाषाओं में साम्य देखने को मिलता है। यह साम्य विभिन्न पहलुओं द्वारा समझा जा सकता है। उपमहाद्वीप की समस्त भारतीय भाषाएं निम्नलिखित प्रकार से परस्पर साम्य प्रदर्शित करती हैं:

1. ध्वन्यात्मक रूप से, 2. शाब्दिक, 3. शब्द संरचनात्मक रूप से, 4. वाक्य विन्यासात्मक रूप से,

5. सांस्कृतिक रूप से

उपरोक्त साम्य अनेक प्रकार से लाभप्रद हैं जो इस प्रकार हैं:

1. भारतीय कोश और उसके विकास की संभावनाएं
2. भारतीय टैग-सेट (व्याकरण-अंकन-इकाइयाँ)
3. भारतीय आधारभूत व्याकरण

इस शोधपत्र के माध्यम से भारतीय भाषाओं में परस्पर अंतर्संबंध होने का गुण एवं आवश्यक परिस्थितियां जोकि एक सर्व समावेशी भाषा के विकास की अपार संभावानाओं को मजबूती प्रदान करता है पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही भारतीय शिक्षा प्रणाली को उक्त भाषा में रूपांतरित करने के विभिन्न अवयवों एवं चुनौतियों पर भी चर्चा करता है। विशाल शिक्षा पाठ्यक्रम को एक सर्वसमावेशी भाषा में अनुवाद करना मानवीय स्तर पर बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। साथ ही समय लेने वाली प्रक्रिया है। कृत्रिम मेधा व बिग डेटा के युग में किस तरह से इस चुनौती से निपटा जा सकता है प्रस्तुत शोधपत्र इस पर चर्चा करता है।

कैसी हिंदी चाहिए?

एक ऐसी सर्व समावेशी भाषा जो संस्कृत का आधार लेकर अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द और सम्प्रेषण क्षमता स्वीकार करे। एक ऐसा सशस्त माध्यम जिसे हम संपूर्ण राष्ट्र में उच्च शिक्षा का माध्यम बना सकें। साथ ही ये भाषा वैदिकी और लौकिक रूप प्रयोग व उपयोग करने का भी सामर्थ्य रखती हो। वैदिकी द्वारा यह भाषा प्रशासन, साहित्य, शिक्षा एवं ज्ञान विज्ञान का माध्यम होगी वहीं लोक, संचार माध्यम, फिल्म टी. वी. आदि लौकिकी माध्यम के रूप में प्रयोग में लाई जा सकेगी। इन्टरनेट के विभिन्न रूपों में अपनी बेहतर उपस्थिति और पहचान बनाने में सक्षम हो और जिससे आम जनमानस खुद को उस माध्यम से जोड़ पाए। जैसे कि इन्टरनेट का सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला वीडियो होस्टिंग प्लेटफार्म यूट्यूब जिससे भारत का जन-जन खुद को जोड़ पाता है पर भी भाषा अपना सर्व समावेशी गुण संरक्षित रख पाए। इसके साथ उपरोक्त भाषा के भाषा प्रौद्योगिकी के सारे सामान्य टूल्स सुगमता से उपलब्ध हों जिससे सूचना एवं शैक्षणिक सामग्री निर्माण आसान हो सके। जिसे कृत्रिम मेधा द्वारा हिंदी LLM ("भारती") बहुत ही विशाल डेटा समूह और लक्षणों पर प्रशिक्षित किया जा सके। जिससे इसकी जन-जन तक अभिगम्यता संभव हो सके।

भारत में हिंदी का विस्तार और वैविध्य

भारत के अनेकों राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। 09 राज्य एवं 03 केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित हैं।

- 09 राज्यः उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड
- 03 केंद्र शासित प्रदेश: लद्दाख, एनसीटी दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह

साथ ही जम्मू-कश्मीर (केंद्र शासित प्रदेश), पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बड़ी संख्या में वक्ता हैं। साथ ही भारत के शहरों एवं महानगरों में, केंद्र सरकार, हिंदीतर क्षेत्रों के कार्यालयों, सेना शिविरों, केंद्रीय विद्यालयों में भी हिंदी का प्रतिदिन प्रयोग होता है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का विस्तार

विश्व में मंदारिन, स्पेनिश, अंग्रेजी के बाद हिंदी चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। उर्दू के साथ यह तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। जैसे कि पाकिस्तान में हिंदी को उर्दू के साथ बोला जाता है। त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम में इसे कैरेबियन हिंदुस्तानी के रूप में बोला जाता है। दक्षिणी प्रशांत महासागरीय देश फिजी में भी हिंदी बोली जाती है।

इसके साथ ही मध्य पूर्वी देशों, सयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जहाँ अप्रवासी भारतीय निवास करते हैं एवं स्थानीय लोगों द्वारा भी हिंदी को बड़े स्तर पर बोला व समझा जाता है। उक्त सभी देशों में भारतीय टीवी सिनेमा एवं

बॉलीवुड हिंदी सिनेमा का महत्वपूर्ण प्रभाव होने से हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा के रूप में अपना स्थान रखती है।

इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर भारत सरकार ने हिंदी को बढ़ावा देने को उच्च्व प्राथमिकता दी है और संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसकी मान्यता और इसके उपयोग को बढ़ाने के लिए उपाय करना जारी है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) में हिंदी नौ कामकाजी भाषाओं में से एक है। हाल के दिनों में, भारतीय नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण दिए हैं, जिसमें 2014, 2019, 2020 और 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) सत्र में प्रधानमंत्री का संबोधन भी शामिल है। 2018 में, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार के बीच एक स्वैच्छिक वित्तीय योगदान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के अनुसार, यूएन ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हिंदी सोशल मीडिया अकाउंट के साथ-साथ यूएन न्यूज की एक हिंदी वेबसाइट भी लॉन्च की है। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र अपने कार्यक्रमों को संयुक्त राष्ट्र रेडियो वेबसाइट पर हिंदी में प्रसारित करता है, साउंड क्लाउड पर एक साप्ताहिक हिंदी समाचार बुलेटिन जारी करता है, हिंदी में एक संयुक्त राष्ट्र ब्लॉग प्रकाशित करता है और संयुक्त राष्ट्र समाचार रीड मोबाइल एप्लिकेशन का हिंदी विस्तार प्रदान किया है।

हिंदी	छत्तीसगढ़ी	बज्जिका	भोजपुरी	राजस्थानी (जोधपुरी)	पहाड़ी (कुमाउनी)
सीता एक पका आम खा रही है	सीता एक पका आम खवाथे	सीता एगो पाकल आम खाइछै	सीता एगो पाकल आम खतारी	सीता एक पकोरु आम खावे हैं	सीता एक पाकी आम खाने

तालिका 1: हिंदी की उपभाषाएं एवं उनके अनुप्रयोग

हिंदी भाषाई समुदाय

जनगणना 2011 के अनुसार हिंदी भाषाई समुदाय का प्रतिशत 22% (2011 में) है। उर्दू भाषा को सम्मिलित करने पर यह प्रतिशत 32% पहुँच जाता है। अन्य राज्यों और शहरों को शामिल करने पर यह प्रतिशत 60% प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है। 81% से अधिक व्यक्तियों में हिंदी बोलने के सामान्य संवाद की क्षमता की संभावना है।

हिंदी की उप भाषाएं:

आकृति 1 हिंदी की उपभाषाओं जैसे छत्तीसगढ़ी, बज्जिका, भोजपुरी, राजस्थानी (जोधपुरी) पहाड़ी (कुमाउनी) के और उनके व्यवहारिक प्रयोगों को दर्शाता है और हिंदी को एक सर्वसमावेशी भाषा के रूप में इंगित करता है।

हिंदी और अन्य अनुसूचित भारतीय भाषाएं:

भारत विविध भाषाओं का देश रहा है। एक सर्व समावेशी भाषा के रूप में हिंदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में भाषाओं की विविधता को एकजुट करती है। हिंदी ने विभिन्न भारतीय भाषाओं और बोलियों के साथ-साथ कई वैश्विक भाषाओं को भी सम्मान दिया है और उनकी शब्दावली, वाक्यों और व्याकरण नियमों को अपनाया है। स्वतंत्रता आन्दोलन के कठिन दिनों में भी हिंदी भाषा ने देश को एकजुट करने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई। सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी ने कई भाषाओं और बोलियों में बंटे देश में एकता की भावना पैदा की।

आजादी के बाद हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए ही संविधान निर्माताओं ने 14 सितम्बर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। अतः इसी के चलते गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 'हिंदी शब्द सिन्धु' ऑनलाइन कोश को विकसित किया गया जिसके द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाकर उन्हें सार्वजनिक प्रशासन, शिक्षा और वैज्ञानिक उपयोग की भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास किया गया है। इसी के साथ जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय भाषा कॉरपोरा परियोजना शुरू की गयी जिसका उद्देश्य हिंदी वाक्यों का अन्य अनुसूचित भाषाओं में अनुवाद और व्याकरणिक अंकन किया जाता है, जिससे हिंदी को सर्वसमावेशी भाषा के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसी क्रम में हिंदी निदेशालय का समान्तर कोश और वै.त.श. आयोग का द्वि/त्रि/ बहुभाषिक कोश, अन्य कोश, संस्कृत, हिंदी और भारतीय भाषाओं में साम्य और अखिल भारतीय शब्दावली द्वारा उक्त कार्य करने की असीम संभावनाएं हैं।

सर्वसमावेशी हिंदी की आवश्यकता क्यों है?

भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में सर्वसमावेशी हिंदी ही अंग्रेजी के स्थान पर शिक्षा का सुगम माध्यम बन सकती है। सुगम भाषा से सुगम सम्प्रेषण, शिक्षा को अति सहज बनाने में मदद करता है जिससे विद्यार्थी बिना किसी भाषाई व्यवधान के संबंधित विषय के मूल सिद्धांत को समझेंगे और विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और साथ ही उनकी रचनात्मकता का भी संपूर्ण विकास संभव हो सकेगा।

यद्यपि भारत की भाषाई पृष्ठभूमि बहुभाषिक है पर लिपि के संदर्भ में बहुभाषाएं परस्पर जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। जिसे नीचे दी गयी आकृति संख्या-02 के सूची के डेटा के आधार पर समझा जा सकता है। जैसा कि नीचे आकृति संख्या 02 से स्पष्ट है कि संविधान की 22 अनुसूचित भाषाओं में करीब करीब 50% भाषाओं (10) को देवनागरी लिपि में बोला, लिखा और समझा जा सकता है। करीब 15% भाषाओं बंगाली, असमिया, मणिपुरी को बंगाली लिपि में बोला, लिखा और समझा जा सकता है एवं 10% भाषाओं को उर्दू और कश्मीरी को फारसी-अरबी लिपि में बोला, लिखा और समझा जा सकता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि बहुभाषिक होने पर भी समान लिपियों का गुण भारतीय भाषाओं को एक सर्वसमावेशी भाषा में रूपांतरण की क्षमता रखता है।

क्रं. सं.	भाषा	लिपि
1.	हिंदी	देवनागरी
2.	संस्कृत	देवनागरी
3.	मराठी	देवनागरी
4.	कोंकणि	देवनागरी
5.	नेपाली	देवनागरी
6.	मैथिली	देवनागरी
7.	सिन्धी	देवनागरी
8.	बोडो	देवनागरी
9.	डोगरी	देवनागरी
10.	संथाली	डोगरी , ओआई चिकि
11.	बांग्ला	बंगाली
12.	असमिया	बंगाली
`13.	मणिपुरी	बंगाली, मैतेई
14.	गुजराती	गुजराती
15.	कन्नड़	कन्नड़
16.	मलयालम	मलयालम

17.	उड़िया	उड़िया
18.	पंजाबी	गुरुमुखी
19.	तमिल	तमिल
20.	तेलगू	तेलगू
21.	उर्दू	फारसी अरबी
22.	कश्मीरी	फारसी अरबी

तालिका 2: भारतीय भाषाएं और लिपियां

अधिकतर भारतीय भाषाएँ दो प्रमुख समुदायों से जनित मानी जाती हैं, जो कि इंडो आर्यन एवं द्रविड़ियन में विभाजित हैं। आकृति संख्या-03 भारत में भाषाएं और समुदाय प्रतिशत का विवरण देती है।

आकृति संख्या-01 भारत में भाषाएं और समुदाय प्रतिशत

नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं का हस्तक्षेप

कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति 2020 को बड़े पैमाने पर लाने की मंजूरी दी, जिसके तहत स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों में शिक्षा क्षेत्र में बड़े स्तर पर परिवर्तनकारी सुधार लाने का आहवान किया। नई शिक्षा नीति 34 वर्षों के अंतराल के बाद आई है, इसमें आमूल-चूल परिवर्तन की बात की गयी है। शिक्षा में भाषा को लेकर भी क्रन्तिकारी सुझाव नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पेश करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, जहां भी संभव हो, कम से कम कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 तक शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा में होने का प्रावधान करती है। यह नीति घरेलू भाषा/मातृभाषा में उच्च गुणवत्ता वाली पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने और शिक्षकों को शिक्षण के दौरान द्विभाषी दृष्टिकोण का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान करती है। इसके अलावा, यह अधिक उच्च शैक्षणिक संस्थानों (एचईआई) और उच्च शिक्षा में अधिक कार्यक्रमों के लिए मातृभाषा/स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग करने और/या द्विभाषी रूप से कार्यक्रम पेश करने का प्रावधान करता है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने तकनीकी शिक्षा संस्थानों को स्थानीय भाषाओं में भी अपने पाठ्यक्रम पेश करने की अनुमति देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। अब तक 10 राज्यों के 19 संस्थानों ने ऐसे पाठ्यक्रम पेश करना शुरू कर दिया है। ऐसा करते हुए, एनईपी (2020) ने भी काफी हद तक ध्यान केंद्रित किया है कि सभी भारतीय भाषाओं और मातृभाषाओं को बढ़ावा मिले चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो।

यदि उच्च शिक्षा का माध्यम हिंदी हो तो क्या करना अत्यंत आवश्यक होगा?

उच्च शिक्षा का सर्वसमावेशी हिंदी में रूपांतरण जरुरी है इसके लिए अति आवश्यक है कि समस्त पाठ्यक्रम के वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दों के कोशों का त्वरित निर्माण हो। जिससे संबद्ध विषय संबंधी शैक्षणिक सामग्री निर्माण करने में भौगोलिक तथा भाषाई बाधाओं का निवारण हो सकेगा और पाठ्य सामग्री सभी विद्यार्थियों के लिए समरूप एवं संदर्भ के अनुरूप होगी। उक्त शब्दावली निर्माण के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (CSTT) की स्थापना 21 दिसंबर, 1960 को संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड (4) के प्रावधान के तहत भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों को विकसित करने

और परिभाषित करने के उद्देश्य से की गई थी। आयोग का उद्देश्य हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं में शब्दावलियाँ, पारिभाषिक शब्दकोष, विश्वकोशों का प्रकाशन करना; यह सुनिश्चित करना कि विकसित शब्द और उनकी परिभाषाएँ छात्रों, शिक्षकों, विद्वानों, वैज्ञानिकों, अधिकारियों आदि तक पहुँचें। साथ ही उपयोगी जानकारी प्राप्त करके (कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/अभिविन्यास कार्यक्रमों के माध्यम से) किए गए कार्यों पर उचित उपयोग/आवश्यक अद्यतन/सुधार/सुधार सुनिश्चित करना। आयोग द्वारा विभिन्न कोशों से पाठ्यक्रम में मौजूद हर विषय पर हिंदी में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण संभव हो सकेगा, जिससे उक्त सर्वसमावेशी हिंदी में शिक्षण, पठन-पाठन का कार्य विद्यार्थियों-शिक्षकों के अनुरूप होगा। अतः सारी 270 मातृभाषाओं में (प्रारंभिक शिक्षा हेतु) एवं 22 अनुसूचित भाषाओं में (उच्च शिक्षा हेतु) में कोश निर्माण करने की आवश्यकता है जिससे संबंधित भाषा में पाठ्य सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।

इसी क्रम में AICTE ने अंग्रेजी भाषा के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को ।। भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए AICTE ऑटोमेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल नामक एक टूल विकसित किया है। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए संदर्भ सामग्री का अनुवाद SWAYAM MOOCS पोर्टल पर क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। कक्षा 1-12 के लिए पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण संसाधनों सहित पाठ्यक्रम सामग्री सरकार के दीक्षा पोर्टल पर 33 भारतीय भाषाओं और भारतीय सांकेतिक भाषा में उपलब्ध है जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दवाली के शब्दकोशों के कारण संभव हो पाया।

सामग्री निर्माण में कृत्रिम मेधा का उपयोग

समस्त भाषाओं में सामग्री निर्माण बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य तो है ही साथ ही मानवीय सन्दर्भ में बेहद जटिल, थकाऊ कार्य है। अतः इतने बड़े स्तर पर सामग्री निर्माण के लिए मानवीय प्रयासों के साथ-साथ कृत्रिम मेधा (आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस, AI) की मदद लेना बेहद आवश्यक है। जिसके लिए दो तरह की कृत्रिम मेधा (आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस, AI) आधारित तकनीकों का विकास करना होगा जो निम्नलिखित हैं:

- ·शैक्षणिक प्रौद्योगिकी (Educational Technology)
- ·भाषा प्रौद्योगिकी (Language Technology)

शैक्षणिक प्रौद्योगिकी (Educational Technology) के निम्न अवयव होंगे:

ई-शिक्षण, इंटेलिजेंट ट्यूरिंग, मशीन अनुवाद तकनीकी आधारित सामग्री निर्माण, पाठ सरलीकरण, स्पीच तथा हस्तलेखन तकनीकी आज के युग में जहां समस्त भारत की बहुत बड़ी आबादी डिजिटल साक्षरता की ओर अग्रसर है उस दौर में शैक्षणिक प्रौद्योगिकी सरल, मुफ्त और सर्व सुलभ हो और हर हितधारक तक इसकी पहुंच हो जिससे ई-शिक्षण, इंटेलीजेंट ट्यूटरिंग, मशीन अनुवाद, पाठ सरलीकरण और स्पीच और हस्तलेखन तकनीकी जैसे नवीन तकनीकों द्वारा जन-जन तक दक्षतापूर्वक हिंदी का प्रयोग में सुनिश्चित हो सके। इससे शैक्षणिक प्रौद्योगिकी बहुभाषिकता के आयामों को साकार कर पायेगी और अनेकों भाषाओं में तकनीकी शब्दों का प्रचलन बढ़ेगा।

भाषा प्रौद्योगिकी (Language Technology) के निम्न अवयव होंगे:

- सभी भारतीय भाषाओं के लिए बुनियादी I/O उपकरण (OCR, OLHWR, ASR,TTS, Smart Key Board)
- वास्तविक समय एमटी (Real Time MT)
- भाषा से भाषा (यूनिमॉडल)
- वाक्से वाक् (द्विमोडल)
- संवाद पहचान
- मल्टीमॉडल प्रौद्योगिकियाँ
- भाषा प्रौद्योगिकी बनाने के लिए संसाधन (language resource)

- स्वदेशी एल्गोरिदम
- स्वदेशी डेटा केंद्र
- भारत की अपनी सस्ती, लचीली, बहुभाषी कृमे।

हमारी कृत्रिम बुद्धि (AI) के निदर्श (model) की अपेक्षित अनिवार्य घटक :

हिंदी में "भारती" जैसा LLM (Large Language Model) बनाना होगा जिससे बहुत ही अधिक संख्या में हिंदी भाषाई डेटा का संकलन/निर्माण कर LLM (Large Language Model) को प्रशिक्षित किया जाएगा। उक्त कार्य हेतु इसके लिये एक विशाल उपक्रम की जरुरत पड़ेगी जो उक्त कार्य को तो करेगा ही साथ में LLM से युक्त इंटरफेस और एजेंट का निर्माण जो हिंदी के उपलब्ध टूल्स का प्रयोग कर सकने में सक्षम होंगे जिसे आम जनमानस/विद्यार्थी आसानी से उपयोग में ला पाएंगे। इसी के साथ ही अपने एल्गोरिदम बनाने होंगे या पूर्व निर्मित को पुनः प्रशिक्षित करना होगा। उक्त घटकों को संबलता प्रदान करने हेतु स्वनिर्मित उच्च स्तरीय संगणन डेटा केंद्र चाहिए होंगे। जिससे डिजिटल पटल पर हिंदी की स्थिति को मजबूती मिलेगी और उक्त घटक बेहतर कार्य कर पाने में सक्षम हो पायेंगे।

यद्यपि हिंदी विश्व की चौथी सबसे बड़ी भाषा है लेकिन इंटरनेट पर हिंदी की उपस्थिति सिर्फ 17% ही है। हिंदी ही नहीं सभी 22 अनुसूचित भाषाओं की बहुत कम वेब उपस्थिति है। वीडियो शेर्यारिंग प्लेटफार्म यूट्यूब पर यह स्थिति बेहतर है, जहां पर हिंदी प्रयोग में लाई जाने वाली चौथी सबसे बड़ी भाषा है। यूट्यूब जहां अंग्रेजी को 66%, स्पेनी 15%, पुर्तगाली 7%, उपयोग में लाया जाता है वहीं हिंदी 5% लोगों द्वारा प्रयोग में प्रयोग में लाई जाती है। 500 मिलियन से अधिक भारतीय इंटरनेट का उपयोग करते हैं और लगभग 80% या उससे अधिक लोग भारतीय भाषाओं का उपयोग करते हैं यदि हिंदी LLM से युक्त इंटरफ़ेस और एजेंट का प्रयोग करते हैं तो डिजिटल पटल पर हिंदी को लाने में बड़ा योगदान दे सकते हैं।

विश्व में बहुसंख्या में बोले जानी वाली भाषाओं में से एक होने के बावजूद इन्टरनेट सामग्री व वेब पृष्ठों की संख्या में कम प्रतिनिधित्व होने के कारण हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं का डेटा आधारित AI के युग में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के लिये तकनीकी निर्माण चुनौतीपूर्ण है। अतः मौजूदा उपलब्ध तकनीकों को बेहतर बनाकर इस कार्य को पूर्ण किया जा सकता है। हिंदी के लिए उपलब्ध तकनीकियां इस प्रकार हैं:

- मशीन अनुवाद (गूगल/माइक्रोसॉफ़्ट बिंग)
- स्पीच तकनीकी (गूगल असिस्टेंट, अमेज़न अलेक्सा)
- ·ASR, OCR, हस्तलेख पहचान आदि
- यूनीकोड, फांट आदि
- वेबपटल, एप आदि बनाने की सुविधा व चैट की सुविधा

भारतीय शिक्षण संस्थानों का भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है जो निरंतर उन्नत डिजिटल तकनीकों का विकास करते रहते हैं जिसका उपयोग हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के लिये तकनीकी निर्माण में किया जा सकता है। कुछ अति महत्वपूर्ण व उन्नत विकसित टूल्स एवं संबंधित संस्थान निम्नलिखित हैं:

- आई. आई. टी. चेन्नई ASR/TTS
- आई. आई. टी. दिल्ली OCR
- आई. आई. एससी. बैंगलोर OLHWR
- जे. एन. यू. LT Resources, उपकरण
- CDAC, IIIT हैदराबाद, IIITM Kerala, कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय MT, Resources
- आई. आई. टी. बॉम्बे MT, Wordnet
- जादवपुर विश्वविद्यालय, आई. आई. टी पटना आदि
- तकनीक का उपयोग कर जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय के संस्कृत और प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पोषित परियोजनाओं के माध्यम से निम्न भाषाओं में मशीन अनुवाद का कार्य किया:

-"विद्यापति" हिंदी-मैथिली मशीन अनुवाद (अभी चल रहा है)
-भारतीय भाषा कॉर्पोरा उपक्रम (समाप्त) 100000 हिंदी वाक्यों का 17 भाषाओं में अनुवाद और व्याकरण अंकन
-संस्कृत-हिंदी मशीन अनुवाद (समाप्त)
-भारतीय भाषा शब्द संसाधक (समाप्त) हिंदी समेत 12 भाषाओं में शब्द संसाधन

भारत सरकार के लिए भी हिंदी तथा भारतीय भाषाओं का उत्थान एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है और अपने सांप्रतिक उपक्रमों द्वारा भाषा आधारित डिजिटल तकनीकों के निर्माण से इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। कुछ प्रमुख सांप्रतिक उपक्रम इस प्रकार हैं:

- "अनुवादिनी" MT (AICTE द्वारा CSTT शब्दावली के साथ इंजीनियरिंग पाठ्यपुस्तकों के त्वरितअनुवाद के लिए)
- MEITY "भाषिणी"
- PSA ICMATS (मशीन एडेड अनुवाद अनुवाद के लिए इनोवेशन चैलेंज)
- तकनीकी विकास के लिए कुछ निजी उद्योग जो इस क्षेत्र में कार्यकुशलता एवं सामर्थ्य रखते हैं
- माइक्रोसॉफ्ट खोज इंजन, एमटी और सभी संबंधित उपकरण
- गूगल खोज इंजन, एमटी और सभी संबंधित उपकरण
- Swiftkey इनपुट तंत्र
- अमेजन एआई
- SAMSUNG
- एडोबी दस्तावेज प्रसंस्करण
- Nuance इनपुट तंत्र
- ezDI मेडिकल डेटा प्रोसेसिंग
- ezDI मेडिकल डेटा प्रोसेसिंग
- स्टार्टअप, एसएमई
- उक्त कार्य से भाषाओं को तकनीकी रूप से व्यावहारिक तो बनाएगा ही साथ ही रोजगार के अनेक अवसर पैदा करेगा, जो इस प्रकार हैं।
- हिंदी और उसकी 55 उपभाषाओं में शैक्षणिक सामग्री निर्माण – अनुवाद
- मशीन अनुवाद और LLM का उपक्रम
- प्रौद्योगिकी हेतु कॉर्पोरा निर्माण
- लिखित/वाक/विडियो
- कॉर्पोरा अंकन
- हिंदी शिक्षण, अंतर-सांस्कृतिक-प्रशिक्षण
- मीडिया, फिल्म, संगीत, डबिंग
- टेलीकॉलर
- संपादक
- स्टार्टअप संस्कृति

कृत्रिम बुद्धि (AI) की चुनौतियाँ

जहाँ कृत्रिम बुद्धि (AI) व मशीनी अनुवाद (MT) की प्रक्रिया से बहुत ही आसानी से पाठ को एक भाषा (स्रोत) से दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जा सकता है और बहुत ही कम समय में विविध भाषाई पाठ्यक्रम को व्यावहारिक स्वरुप दिया जा सकता है, वहीं उक्त तकनीक से चुनौतियाँ भी जुड़ी हुई हैं। कृत्रिम बुद्धि (AI, ए.आई.) में लगातार विकसित हो रही डेटा, तकनीक, विधि, समस्या को और जटिल बना सकती हैं। 90 के दशक में ए. आई. , वर्तमान की ए. आई. और भविष्य की ए. आई. में सामंजस्य जटिलता को जन्म दे सकता है जिससे निपटने के लिए सदैव तैयार रहने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोधपत्र में हिंदी की एक सर्वसमावेशी भाषा के रूप में संभावानाओं पर चर्चा की गयी है। भारतीय समुदायों/परिवारों में परस्पर सामंजस्य, निकटता और अंतर्संबंध एक मानक, संस्कृत आधारित व सर्वसमावेशी भाषा को विकसित करने की संभावनाओं को बल देते हैं। उक्त सर्वसमावेशी भाषा को विकसित करने के लिए कृत्रिम बुद्धि (AI) व मशीनी अनुवाद जैसी तकनीकी का उपयोग और उसके अहम घटक जैसे भाषा प्रौद्योगिकी ("सामान्य कोर" विधि), शैक्षिक प्रौद्योगिकी, हिंदी LLM और भारत की अपनी कृत्रिम बुद्धि (AI), भारत के अपने डेटा सेंटर जिनके द्वारा उच्च शिक्षा में उक्त मानक भाषा का प्रयोग सुगमता से हो सके पर भी प्रकाश

डाला गया है। विभिन्न डेटा का उपयोग कर दर्शाया गया है कि कैसे भारत के शिक्षण संस्थान, भारत सरकार के उपक्रम एवं भारत के उद्योगों के डिजिटल टूल्स का उपयोग कर भारतीय भाषाओं का इंटरनेट सामग्री (डिजिटल पटल/वेब पटल) पर जहां उनकी मौजूदगी बेहद अल्प है का बखूबी जीर्णोधार किया जा सकता है। वेब पटल पर भारतीय भाषाओं की बेहतर स्तिथि भारतीय भाषाओं में अकादमिक पठन-पाठन को लाने में मील का पत्थर साबित होगा।

उद्घाटन समारोह

उपमहाद्वीप में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भाषाई आईसीएआर गीत व दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। स्वागत भाषण के आरम्भ में श्री सुरेश कुमार गजमोती ने सबका स्वागत किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हिंदी में कार्य करने के लिए किसी दबाव का अनुभव नहीं किया जाना चाहिए। उद्घाटन समारोह के संचालक श्री आशुतोष कुमार, उपनिदेशक (राजभाषा), आईसीएआर -एनबीपीजीआर ने स त्र का आरंभ मुख्य अतिथि डॉ. डी. के. यादव, सहायक महानिदेशक, अध्यक्ष, डॉ. जी. पी. सिंह, निदेशक,

आईसीएआर -एनबीपीजीआर और सभागार में उपस्थित प्रतिभागियों और श्रोतागणों के अभिनंदन से किया। उन्होंने बताया की नई नीति के अनुसार कैडर – वाइज़ 3 दिन का कार्यक्रम पहली बार से किया। उन्होंने बताया की नई नीति के अनुसार कैडर – वाइज़ 3 दिन का कार्यक्रम पहली बार आईसीएआर -एनबीपीजीआर द्वारा शुरू किया गया। उन्होंने इस कार्यक्रम में आयोजित होने वाले विभिन्न सत्रों के बारे में अवगत किया।

अध्यक्ष का भाषण:

डॉ. जी. पी. सिंह, निदेशक, आईसीएआर -एनबीपीजीआर ने बताया कि इस वर्ष एनबीपीजीआर की पचासिवी वर्षगांठ मनायेगा। उन्होंने कहा कि बढती हुयी आबादी को भोजन प्राप्त करने के लिए एनबीपीजीआर ने मुख्य भूमिका निभायी है। इस वर्ष के बजट में नए सेफ्टी डुप्लीकेट जीन बैंक की घोषणा की गयी है । 500 करोड़ रुपये का वित्तीय एलोकेशन दिया गया है। देखना है कि किस स्थान पर स्थापना होगी। इसमें 10 लाख ऐक्सेशन रखने का प्रावधान होगा। उन्होंने आगे कहा कि आज के इस प्रोग्राम का आयोजन हिंदी के प्रयोग, प्रचार व प्रसार के लिए किया गया है। इस कार्यक्रम में जो भी वक्ता हैं वे आज के उपलब्ध विद्वान हैं। वे 12 सत्रों में व्याख्यान देंगे। ब्यूरो में हिंदी का प्रचार, प्रसार काफी उत्कृष्ट है। महताब साहब, स्मृति बहुगुणा, जो कि संसदीय समिति के सदस्य हैं, ने इस बात को काफी सराहा। उन्होंने आगे कहा भाव हृदय से उठता है, मातृभाषा में ही उठता है। हिंदी मातृभाषा है। दैनिक जीवन में हिंदी का प्रयोग राजकीय कार्यों में भी किया जाए। प्रशिक्षण के बाद इससे नया बल मिलेगा। और उद्देश्य में सफल साबित होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 3 दिन उत्कृष्ट परिणाम के साथ आयेंगे।

पुस्तकों का विमोचन

इसके बाद पुस्तकों का विमोचन किया गया जिसमें विभागीय शब्दावली 2024 संस्करण, छमाही ।

अनुवांशिकी प्रवाह, गतिविधियों का संकलन आदि शामिल हैं

मुख्य अतिथि का भाषण:

डॉ. डी. के. यादव, सहायक महानिदेशक ने कहा आईसीएआर का क्रॉप साइंस विभाग के संस्थानों, कृषि विश्विद्यालयों के प्रयत्नों से आज तिलहन के अलावा सभी में भारत आत्मनिर्भर है। देश की खाद्य सुरक्षा में 113 संस्थान, 8 विभिन्न क्षेत्रों में सब्जेक्ट मेटर डिविजन्स कार्यरत हैं। 731 कृषि विज्ञान केंद्र, 76 कृषि विश्विद्यालय, जिसमें 3 केंद्रीय विश्विद्यालय हैं, देश की खाद्य सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं । एनबीपीजीआर खाद्य फसलों के जनन द्रव्यों को सुरक्षित रखता है। जिससे 2900 किस्मों का विकास किया गया। 2661 किस्में पर्यावरण के अनुसार विकसित की गयी। 800 बागवानी में किस्में विकसित की गयी। क्रॉप साइंस डिवीज़न में इसके अलावा मछली, झींगा मछली के प्रारूप बदल करके ब्रीडिंग में उपयोग करना, पशुओं के लिए टीकों का अविष्कार करना, इनलैंड फिशरीज, पोंड्स, किसानों की आजीविका के लिए कार्य किये गए जैसे किसान सारथी योजना में 2000 किसान एनरोल हैं। शिक्षा के लिए 3 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। खाद्य सुरक्षा 1950 में 50.82 mt से अब 332 mt हो गयी है। खाद्यानों में 6.5 गुना, तिलहन में 8 गुना, दलहन में 3 गुना, कपास में 14 गुना, गन्ने में 11 गुना, हॉर्टिकल्चर में 14 गुना, दूध में 121 गुना वृद्धि अर्जित की गयी। फ़सल विकास में इस संस्थान, एनबीपीजीआर का योगदान महत्वपूर्ण है। जननद्रव्य का 100 प्रतिशत श्रेय एनबीपीजीआर को जाता है। विश्व में इस संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है। सेफ्टी डुप्लीकेट जीन बैंक बनाने का कार्यक्रम, आपदा से बचने के लिए 2 सालों में शुरू कर देंगे।

आज का कार्यक्रम समय पे लिया गया अच्छा कदम है। हिंदी महत्वपूर्ण भाषा है। प्रचार, प्रसार, संवाद हिंदी द्वारा ही किये जाते हैं। हिंदी हो बढ़ावा दिया जाए। विभिन्न परियोजनाओं में हिंदी का योगदान आवश्यक है। प्रशिक्षण का उद्देश्य है कि जो दूसरे क्षेत्रों से आते हैं, वो भी सुगमता से हिंदी समझ सकें अंग्रेजी में सुगमता के साथ-साथ संसदीय राजभाषा समिति का गठन, गृह मंत्री जी जिसके अध्यक्ष हैं, किया गया। इसमें 3 अलग अलग उपसमितियां हैं। प्रत्येक में 25 -30 सांसद रहते हैं। तीन साल में एक बार निरीक्षण होता है। इसके अंतर्गत, संस्थानों का रिव्यु, क्षेत्रों के संस्थानों का निरिक्षण इत्यादि का समन्वय करते हैं। हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बढायें? यह प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए। वो विदेशों में भी हिंदी भाषा में भाषण देते हैं। आपको भी देश के नाम को गौरवान्वित करना चाहिए। आईसीएआर में हिंदी राजभाषा अधिकारी सुनिश्चित करते हैं कि कर्मचारी कैसे अधिक से अधिक हिंदी भाषा में कार्य कर सकें। आप फ़ाइल में अधिक से अधिक टिप्पणी जैसे चर्चा करें, देखें इत्यादि हिंदी में दें। पत्राचार, स्टाम्प बाइलिन्गुअल बनवाएं, नए कर्मचारिओं को ट्रेनिंग दें, नियमित रूप से निश्चित रूप से हिंदी का प्रयोग करें रिसर्च पेपर, पत्रिकाएं हिंदी में लिखें व पढ़ें। क क्षेत्र के संस्थान पूरा कार्य हिंदी में करें। लेखन को हिंदी में देने का प्रयोग करें। आज के कार्यक्रम में प्रवीण, प्रख्यात वक्ता, हिंदी में विषय के ज्ञाता हैं, हिंदी के ज्ञानी हैं। आपको इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बधाई।

धन्यवाद ज्ञापन

डॉ. राकेश सिंह, प्रधान वैज्ञानिक द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम का समापन से राष्ट्रीय गान से किया गया।

सत्र की गतिविधियां

वक्ता के भाषण

प्रो. गिरीश नाथ झा ने विभागीय शब्दावली निर्माण

की प्रक्रियाएँ एवं मानकीकरण विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होने बताया जिस प्रकार हम कि पादप आनुवंशिक संसाधनों को संरक्षित करते है उसी प्रकार हिंदी को भी संरक्षित करने की आवश्यकता है। शब्दावली बनाना व प्रयोग करना दोनों अलग हैं। शब्दावली हिंदी के पढ़ने व पढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि भारत में यदि अंग्रेजी थोपी जाय तो 90% लोगों को असुविधा होगी क्योंकि 10% लोग ही अंग्रेजी बोल पाते हैं। वक्ता ने हिंदी के उपयोग तथा प्रचार एवं प्रसार में कृत्रिम मेधा (एआई) की भूमिका के विषय में विस्तार से बताया तथा हिंदी के उपयोग में आने वाली प्रयोगात्मक कठिनाईयों की विवेचना की।

प्रो. गिरीश नाथ झा

सत्र के दौरान हुई चर्चा

एक प्रशिक्ष ने प्रश्न किया कि शुद्ध हिंदी तथा इसकी व्याकरण को सीखना कठिन है। इसके उत्तर में वक्ता ने बताया कि यदि आपको हिंदी से लगाव है और आप अभ्यास करें तो हिंदी सीखना बड़ा सरल तथा रोचक हो जाता है। एक अन्य प्रश्न था कि हिंदी की वैज्ञानिक शब्दावली के शब्द समझने व लिखने कठिन होते है। इसके प्रत्युत्तर में वक्ता ने बताया कि वैज्ञानिक शब्दों के अंग्रेजी उच्चारण को हिंदी में लिख सकते हैं। वक्ता ने अपनी समापन टिप्पणी में बताया कि जैसे चीन प्रत्येक कार्य में अपनी भाषा का उपयोग करता है और एक विकसित राष्ट्र बन चुका है उसी प्रकार हिंदी का प्रयोग हमारे राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

अध्यक्ष द्वारा उद्बोधन

विभागीय शब्दावली निर्माण की प्रक्रियाएं एवं मानकीकरण सत्र की अध्यक्षता भाकृअनुप - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली में जल तकनीकी केन्द्र के परियोजना निदेशक डा. पी.एस. ब्रहमानन्द जी ने की। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने सर्वप्रथम ब्यूरो के निदेशक डा. ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह को अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद व आभार व्यक्त किया उन्होंने सुझाव दिया कि संस्कृत के आधार पर हिंदी का निर्माण किया जाना चाहिए तथा अंग्रेजी को हिंदी से प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रारम्भ में हिंदी के बोलने तथा लिखने में व्याकरण के विषय में अधिक नहीं सोचना नहीं चाहिए क्योंकि यही कारण है कि हम हिंदी नहीं सीख पाते हैं।

डा. पी.एस. ब्रहमानन्द

सत्र के मुख्य पल ....

विलुप्त हो रही भाषाएँ एवं भाषाओं का संरक्षण

राहुल देव, वरिष्ठ पत्रकार

राहुल देव

वर्तमान में भाषाओं के मरने का मुख्य कारण मनुष्य द्वारा उनकी उपेक्षा है। आधुनिकता की अंधी दौड़ में लगे लोग अपने बच्चों को ही मातृभाषा से दूर ले जा रहे हैं। कई भारतीय स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं की बात छोड़िये, हिंदी बोलने तक पर भी प्रतिबंध है। इस नियम को तोड़ने वाले बच्चों पर फाइन लगाया जाता है या उन्हें कक्षा में पीछे खड़ा कर दिया जाता है। इस संदर्भ में बात करें तो बिहार से दिल्ली आये लोग शायद ही यह चाहते हों कि उनके बच्चे भोजपुरी, मगही या मैथिली में बात करें। एक दो पीढ़ियों बाद ऐसे परिवारों के बच्चे अपनी सरल, निश्चल और मीठी बोली को किसी दूसरे ग्रह की बोली समझने लगते हैं। भारतीय समाज में अब बहुभाषी होना भी गौरव की बात नहीं रही। कुछ वर्ष पहले तक दिल्ली के निवासी पंजाबी, हिंदी और उर्दू जानते थे। हिंदी भाषियों को राजस्थानी, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, बुंदेलखंडी और छत्तीसगढ़ी आना सामान्य सी बात थी परंतु अब सारा कौशल इस बात पर सिमट गया है कि आप अंग्रेजी में बतिया लेते हैं या नहीं। हिंदी फिल्मों के कलाकार बड़ी निर्लज्जतापूर्वक अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि 'यू नो माई हिंदी इज वेरी पुअर'। यह एक छोटा सा उदाहरण है कि आम भारतीय लोकभाषा तो क्या, राष्ट्रभाषा बोलने में भी कितनी हीनभावना महसूस करता है।

भाषा भावों की अभिव्यक्ति है, विचारों का परिधान है। कल्पनाएं अपना रंग भाषा के धरातल पर ही रंगती है। अव्यक्त इसी से प्राणवान हो व्यक्त होता है। धर्म, संस्कृति, इतिहास, साहित्य सभी अपना आकार भाषा के द्वारा लेते हैं। प्रत्येक की अपनी भाषा होती है। जिसका विकास उसकी उपयोगिता के आधार पर होता है। भाषारुपी इस सांस्कृतिक विरासत को नज़रंदाज़ करने से यह निरंतर ह्रास होती जाती है।

भाषा शब्द संस्कृत की 'भाष' धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना या कहना अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। प्लेटो सोफिस्ट में वर्णन करते हुए कहता है- 'विचार आत्मा का मूक या अध्वन्यात्मक संकेत है यही जब ध्वन्यात्मक होकर शब्दों द्वारा प्रकट होता है तो इसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। ' दूसरी ओर कॉलरिज़ के अनुसार- 'भाषा मानव मस्तिष्क की वह शास्त्रशाला है जिसमें अतीत की सफलताओं के जयस्मारक और भावी विकास के लिए अस्त्र-शस्त्र एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह साथ रहते हैं।

हमारी प्राचीनतम भाषा संस्कृत है। मान्यता है कि शेष सारी भाषाओं की उत्पत्ति इसी से हुई है। अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी है। यह विश्व की तीसरे नंबर की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। अपने देश में तक़रीबन पैंसठ करोड़ लोग इसका प्रयोग करते हैं। अपने देश की यह लोकप्रिय भाषा है। अहिंदी क्षेत्र के रूप में माने जाने वाले आंध्र प्रदेश में 1418358 लोग हिंदी बोलते हैं। केरल में इनकी संख्या 164667 है। पश्चिम बंगाल में 3626720 लोग इसका प्रयोग करते हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा हिमाचल की तो यह राजभाषा है। भाषा के दृष्टिकोण से सर्वाधिक विविधता अपने ही देश में है। विविधता ही भाषा की शोभा है। यह

भौगोलिक परिवेश तथा मानव की जनसंख्या के घनत्व पर भी निर्भर करती है। लोकमान्य तिलक ने कहा है- 'भाषा की समृद्धि स्वतंत्रता का बीज है। जब भी भाषा के प्रचलन में आज़ादी मिली, उसका विकास हुआ।'

भाषा की स्थिति का वर्तमान दौर बड़ा ही निराशाजनक है। सूचना तकनीक के वर्चस्व ने आज चंद भाषाओं का ही दबदबा बढ़ाया है जिसके नतीजे में तीसरी दुनिया की क्षेत्रीय भाषाएं मरती जा रही हैं। बड़े पैमाने पर विस्थापन का दर्द झेल रहे हमारे गांवों की मौलिक बोलियां भी खो रहीं हैं। आगे भविष्य में इसी तरह भाषाओं और बोलियों के खोने से मानव जीवन की महत्त्वपूर्ण कड़ियां विलुप्त हों जायेंगी। सुरीले गीत और धुनें, खेती की विधियां, चिड़ियों की बोली समझने की कला, देशज खगोल विज्ञान, पहेलियां और जीवनचर्या की तमाम वैज्ञानिक जानकारियां। अगर हम अपने अतीत में झांककर देखें तो इतिहास में जो भाषाएं नष्ट हुईं, उनके अवशेषों, जहां-तहां पड़े शिलालेखों को अभी तक कोई नहीं पढ़ सका। कोई नहीं जानता कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिले अवशेषों में कौन सी भाषा थी। भविष्य में हिंदी को बचाने/बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम हमें उसकी उपभाषाओं, राज्यों की मातृभाषाओं/बोलियों को बचाना/बढ़ाना होगा। वास्तव में इनकी प्रगति में ही हिंदी की प्रगति सन्निहित है। इसके लिए अब आज अपनी-अपनी ढपली अपना-अपना राग अलापने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं रहा।

यूनेस्को ने 21 फरवरी को'अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस' घोषित किया है। यूनेस्को के विश्वभाषाओं को खतरे में बताने वाले एटलस में यह बताया गया है कि किसी समुदाय की भाषा तब खतरे में होती है, जब समुदाय के 30 प्रतिशत बच्चे उसे नहीं सीखते। यदि हमारे यहां बच्चों की पढ़ाई की बात करें तो कई प्रान्तों में तो पहली कक्षा से अंग्रेजी ज़रूरी है ही और गांवों तक में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की कुकुरमुत्तों-सी फसल लहलहा रही है। घरों में मॉम, डैड और 'गुडमोर्निंग', 'गुडनाईट' की संस्कृति मतृभाषा के घुटने तोड़कर बैठी है। इस चकाचौंध में हम अपने घरों में, भारत में और भारत के बाहर के भारतीय घरों में भी पल रहे, बढ़ रहे देवनागरी हिंदी के इस यथार्थ को देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं।

वर्तमान में भाषाओं के मरने का मुख्य कारण मनुष्य द्वारा उनकी उपेक्षा है। आधुनिकता की अंधी दौड़ में लगे लोग अपने बच्चों को ही मातृभाषा से दूर ले जा रहे हैं। कई भारतीय स्कूलों में क्षेत्रीय भाषाओं की बात छोड़िये, हिंदी बोलने तक पर भी प्रतिबंध है। इस नियम को तोड़ने वाले बच्चों पर फ़ाइन लगाया जाता है या उन्हें कक्षा में पीछे खड़ा कर दिया जाता है। इस संदर्भ में बात करें तो बिहार से दिल्ली आये लोग शायद ही यह चाहते हों कि उनके बच्चे भोजपुरी, मगही या मैथिली में बात करें। एक दो पीढ़ियों बाद ऐसे परिवारों के बच्चे अपनी सरल, निश्चल और मीठी बोली को किसी दूसरे ग्रह की बोली समझने लगते हैं। भारतीय समाज में अब बहुभाषी होना भी गौरव की बात नहीं रही। कुछ वर्ष पहले तक दिल्ली के निवासी पंजाबी, हिंदी और उर्दू जानते थे। हिंदी भाषियों को राजस्थानी, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, बुंदेलखंडी और छत्तीसगढ़ी आना सामान्य सी बात थी परंतु अब सारा कौशल इस बात पर सिमट गया है कि आप अंग्रेजी में बतिया लेते हैं या नहीं। हिंदी फिल्मों के कलाकार बड़ी निर्लज्जतापूर्वक अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि 'यू नो माई हिंदी इज वेरी पुअर'। यह एक छोटा सा उदाहरण है कि आम भारतीय लोकभाषा तो क्या, राष्ट्रभाषा बोलने में भी कितनी हीनभावना महसूस करता है। अपने देश में लगातार ऐसी घटनाएं सुनने को मिलीं, जिसमें कान्वेंट स्कूलों में बच्चों को हिंदी बोलने के कारण बेंतों से पीटा गया। देश में ऐसे स्कूलों की अच्छी-खासी संख्या है जहां हिंदी बोलने पर अनाधिकृत रूप से पाबंदी लगी हुई है। जब यही बच्चे अपने घर से दूर कहीं हॉस्टल में रहते हैं तो बड़े होकर लोकभाषा बोलने वाले अपने ही लोगों को बड़ी भौचक्क नज़रों से देखते हैं। जहां शर्मसार होना चाहिए वहां पर अब तथाकथित आधुनिक लोग यह कहते हुए गर्व करते हैं कि उनकी हिंदी अच्छी

नहीं है। इस स्थिति पर प्रसिद्ध कवि गणपतिचन्द्र भंडारी की एक व्यंग्य कविता द्रष्टव्य है-

"जाहन बुल जब गए देश से छोड़ गए औलाद
जाते जाते नेताओं से कर गए यह फ़रियाद
छोड़े जाता हूँ भारत में निज अंग्रेजी नर्स
मेरे मुन्नों को पालेगी रहने दो कुछ वर्ष,
आज़ादी के मतवालों ने किया उसे स्वीकार
राजघराने में रहने को मिला उसे अधिकार
बड़ी घाघ थी यह बुढ़िया ऐसी माया फैलायी
माँ हमको आया दिखती है, आया दिखती माई
स्नेहमयी माँ हिंदी ने जब बच्चों को पुचकारा
मान पराई उसे लाड़ले लालों ने दुत्कारा
लिपट रहे हैं उसी नर्स से, कहते हैं मत जाओ
तुम्ही हमारी मम्मी हो, बस तुम्हीं हमें दुलराओ!"

नवीनतम सर्वेक्षणों से स्पष्ट होता है कि विश्व में मूलभाषाओं को नयी पीढ़ी उपेक्षित कर देती है। नयी पीढ़ी प्रचलित भाषा का ज्यादा प्रयोग करती है जिससे मूलभाषा क्रमशः पतन की ओर अग्रसर होती जाती है। अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो निकट भविष्य में कुछ सौ की संख्या में ही भाषाएं बची रह पाएंगी। इनके पतन के मुख्य कारणों को खोजने के लिए हमें इनके धरातल का विश्लेषण करना होगा जिससे पता चलता है कि वैचारिक विभिन्नता, अवरोध तथा बड़े पैमाने पर हो रही उपेक्षा इसका मूल कारण हैं।

किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी भाषा, संस्कृति और सभ्यता से होती है। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में भाषा और संस्कृति के प्रति प्रेम जुनून की तरह था। स्वतंत्रता के बाद जब अनंतकाल के लिए अंग्रेजी सहराजभाषा के रूप में मान ली गयी तो हिंदी के प्रति आग्रह भी लगभग समाप्त हो गया। स्वतंत्रता के बाद जन्मी पीढ़ी के लिए तो अपनी भाषा जैसा कुछ है ही नहीं। आज की युवा पीढ़ी तो सभी प्रकार के आग्रहों से मुक्त है। भाषा में मिश्रण, संस्कृति में पाश्चात्य अतिक्रमण सर्वत्र दिखलाई पड़ता है। राष्ट्र के प्रति ममत्व या उसके लिए गौरव की अनुभूति कहीं दिखलायी नहीं पड़ती। भविष्य के लिए इसे कतई अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। हालांकि अंग्रेजी पढ़ने-पढ़ाने और सीखने-सिखाने के प्रति हमारा कोई ठाना हुआ बैर नहीं है परंतु अपनी पहचान और शान हिंदी के मूल्य पर अंग्रेजी को स्थान देना कतई न्यायसंगत नहीं। अंग्रेजी का स्थान अपनी जगह पर है लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी का स्थान हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए।

इस डिजिटल युग में जब औद्योगिक राष्ट्रों और विकासशील देशों के बीच दूरियां बहुत बढ़ गयीं हैं, भाषाओं का संरक्षण अत्यावश्यक है। इस लिहाज से हम चीन से बहुत कुछ सीख सकते हैं जिसने अपनी तमाम ठोस कार्ययोजनाओं के माध्यम से अपनी मातृ/राष्ट्र भाषा चीनी का वर्चस्व निरंतर कायम कर रखा है। आज हिंदी सहित सभी भाषाओं को सरलीकरण के नाम पर तोड़ा-मरोड़ा जा रहा है। पर जैसे-जैसे लोग अपनी सुविधा के अनुसार भाषाओं को तोड़ते-मरोड़ते गये हैं, भाषाओं की असल तासीर खत्म हो गयी है। यह प्रयोग 18वीं सदी के बाद से जबरदस्त तरीके से बढ़ा। इसका सबसे सामान्य उदहारण है- OK शब्द All Correct शब्द के लिए कम पढ़े-लिखों का उपहास उड़ाने के लिए अंग्रेजी भाषाविदों ने यह शब्द प्रयोग में लाना आरम्भ किया। इन्टरनेट चैटिंग ने तो जैसे भाषा के आधार को झकझोर ही डाला है। YOU के U का प्रयोग, Love के लिए दिल की तस्वीर का प्रयोग, Because के लिए Bcoz का प्रयोग, Friends के लिए Frnds का प्रयोग, Good night, good morning या good evening के लिए Gnyt, Gm तथा Gev का प्रयोग आदि कुछ उदहारण हैं जो आम प्रयोग में आ गये हैं। कोई आश्चर्य नहीं जब यह हमारी भाषा को भी प्रभावित कर दे। इसी तरह हिंदी की गिनतियां १, २, ३, ४, ५,........ तथा कुछ विशेष लिपि चिन्हों का प्रयोग भी लुप्तप्राय है। यह भाषा के मूल स्वरुप को

बिगाड़ रहा है। इस संबंध में हिंदी पर कठिन व क्लिष्ट होने के आरोप भी लगते रहे हैं। यह सब आधार के कमज़ोर होने का परिणाम है।

स्वतंत्रता मिलने के पश्चात हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने देश में लागू होने जा रही जनतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप देश में सामाजिक एवं आर्थिक समानता, राष्ट्रीय एकता, गरीबों व मजदूरों, पिछड़े एवं मध्यम वर्ग के लोगों को न्यायसंगत समाज देने की व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए हिंदी को संघ शासन एवं प्रादेशिक भाषाओं को प्रदेशों की राजभाषा बनाने की व्यवस्था की। यह पुण्य कार्य संविधान सभा ने 14 सितम्बर सन् 1949 में किया, इसलिए यह दिन देश की आम जनता के लिए भाषाई स्वतंत्रता प्राप्त करने का संकल्प दिवस है। सन 1961 में देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने एकमत से यह प्रस्ताव पारित किया कि देश की सभी भाषाओं के लिए देवनागरी स्वीकार की जाये जैसे कि यूरोप की सभी भाषाएं रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। उनका तर्क था कि यह राष्ट्रीय एकत्व की दिशा में समुचित कदम होगा। किन्तु जब यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास गया तो उन्होंने इसे ठंडे बस्ते में डालकर ख़त्म कर दिया। इस प्रकार देश ने राष्ट्रीय एकत्व का एक बड़ा अवसर खो दिया।

देश का सामंतवादी, बुर्जुआ वर्ग तभी से इस संवैधानिक व्यवस्था को विफल बनाने हेतु आज तक कुचक्र चलाता आ रहा है और देश की 98% जनता पर जबरदस्ती अंग्रेजी लादकर 2% अभिजात्य वर्ग के हितों को पूरा संरक्षण दे रहा है। कुछ नवधनाढ्य अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों ने भी समाज में स्थान व महत्ता पाने के लिए इस सामंतवादी, बुर्जुआ वर्ग का साथ देना शुरू कर दिया और हिंदी भाषियों तथा अहिंदी भाषियों के बीच एक काल्पनिक भय पैदा कर प्रचार कर कर के भाषाविवाद जैसी समस्या पैदा की और उसकी आड़ लेकर उन लोगों ने नौकरी/शिक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य बनाकर देश के गरीब मजदूरों, पिछड़ों, दलितों व मध्यम वर्ग के प्रतिभाशाली लोगों को नौकरी, पदोन्नति तथा शिक्षा पाने से वंचित किया जा रहा है, ताकि देश की प्रगति से ये लोग दूर रहें। इस अमानवीय एवं अन्यायपूर्ण व्यवस्था पर मानवाधिकारवादी, सामाजिक न्याय के पक्षधर, गरीबों-मजदूरों के अधिकांश नेता, दलितों के मसीहा चुप रहते हैं या अंग्रेजी परस्तों का साथ देते रहते हैं। इस संबंध में संवैधानिक व्यवस्थाओं, संसदीय संकल्पों, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों की लगातार अवहेलना उन लोगों द्वारा की जा रही है जो संविधान की शपथ लेकर संवैधानिक व उच्च पदों पर बैठे हैं। ये लोग देश के आम युवा वर्ग को अंग्रेजी की बैशाखी लगाकर दौड़ने के लिए बाध्य करते हैं, जिसके वे अभ्यस्त नहीं हैं। इस संबंध में सिर्फ हिंदी के भविष्य पर सिर्फ ऊपरी तौर पर चिंताएं व्यक्त कर देने से कुछ नहीं होगा। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के व्यवसाय को पानी पी-पीकर विरोध करने वाले कुछ लोग, उनका मार्ग प्रशस्त करने के लिए देश भर में अंग्रेजी की रेल बिछा रहे हैं। स्वदेशी का ढोंग करने वाले भी स्वभाषा की बात नहीं करते बल्कि देशी कंपनियों द्वारा उत्पादों पर अंग्रेजी में विवरण छापकर देश की जनता को बेवकूफ बनाकर लूटने व ठगने पर चुप करते हैं।

इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जनता के दबाव से हिंदी तथा प्रादेशिक भाषाओं की जो प्रगति हुई है, वह निराशाजनक बिल्कुल नहीं है। इंग्लैंड की राजभाषा इंग्लिश के साथ इससे भी बदतर व्यवहार किया गया था, क्योंकि अंग्रेजी वहां की जनभाषा थी। इस देश में ऊपर के लोगों विशेषकर राजसमाज के धृतराष्ट्रों, भीष्म पितामहों एवं द्रोणाचार्यों से किसी आदर्श एवं न्याय की आशा/अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए; अपवादस्वरूप कुछ लोगों को छोड़कर हिंदी को ओढ़ने, बिछाने और खाने वाले, राजभाषा के भस्मासुरों से भी आशा नहीं की जानी चाहिए; क्योंकि इनमें अनेक लोग अंग्रेजीपरस्तों का साथ दे रहे हैं। जनता को आर्थिक एवं सामजिक न्याय प्राप्त करने के लिए राजभाषा का रथ/ राजभाषा का संघर्ष अपने हाथ में लेना चाहिए, क्योंकि सामाजिक क्रांतियां हमेशा नीचे से होतीं हैं। इस क्षेत्र में शांतिक्रांति चलाने की

आवश्यकता है। हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है लेकिन इसे और बेहतर बनाने के लिए उसके व्यवहारिक पक्ष को मजबूत बनाये जाने का अभियान चलाया जाये और भ्रामक स्थिति को दूर किया जाये तो काफी सफलता मिल सकती है। आज इस दिशा में किसी बड़े एवं सम्मिलित प्रयास की नितांत आवश्यकता है।

एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में पैंसठ करोड़ से अधिक लोगों की संपर्क भाषा हिंदी है। साथ ही हिंदीतर क्षेत्रों में भी ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है जो हिंदी को बहुत अच्छी तरह बोलते और समझते हैं। अब तो सोवियत संघ, यूरोप के अनेक देशों व अमरीका आदि में भी हिंदी सीखने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

मारीशस, सूरीनाम, त्रिनिडाड, फिजी, बर्मा, थाईलैंड आदि देशों में हिंदी भाषियों की बहुत बड़ी संख्या है। इन देशों में हिंदी की पुस्तकों तथा पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन भी बड़ी संख्या में हो रहा है। दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है अतः संयुक्त राष्ट्र संघ की एक भाषा के रूप में भी उसे मान्यता पाने का पूरा अधिकार है।

हिंदी सदियों से राजकाज और भारतीय जन-जन के बीच संपर्क की भाषा रही है। पुराने जमाने में भी देशी रियासतों के राजा-महाराजाओं का राजकाज और अदालती कार्यवाही हिंदी में होती थी। मराठा शासकों के दरबारों में हिंदी का प्रचलन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भी हिंदी का शासकीय कार्यों के लिए व्यवहार होता रहा। अंग्रेजों के शासनकाल में देश के कोने-कोने ने इसे अपनाया तब जाकर हिंदी को राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठा प्रदान की गयी। देश के विभिन्न अभिलेखागारों में उपलब्ध प्रलेखों से यह तथ्य प्रमाणित हैं।

हिंदी को भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा में रूप में प्रतिष्ठापित किये जाने से बहुत-बहुर पहले भारत के समाज सुधारकों, अहिंदी भाषी विद्वानों, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों और दूरदर्शी देशभक्तों ने भारतवासियों में स्वदेशाभिमान जाग्रत करने और राष्ट्रीय एकता अक्षुण्ण रखने का माध्यम के रूप में हिंदी भाषा को ही चुना था। उनके सम्मिलित और दूरदर्शी प्रयासों ने हिंदी का प्रचार-प्रसार किया और उसे राष्ट्रभाषा बनाये जाने का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने माना कि विभिन्न भाषाओं और विश्वासों से परिपूर्ण भारत में हिंदी के द्वारा ही सामाजिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता सुरक्षित रह सकती है। वैसे इसके संकीर्ण मनोवृत्ति के स्वार्थसाधकों ने प्रारंभ से ही हिंदी के प्रगति पंथ में नाना प्रकार के अवरोध आये दिन खड़े करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। किन्तु अपनी विशिष्टताओं के बल पर हिंदी सभी अवरोधों को पार करती हुई अप्रतिहत गति से अपने पथ पर निरंतर अग्रसर ही होती रही। वह दिन दूर नहीं जब वह संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंचकर विश्वभाषा का स्वर प्राप्त करेगी। विश्व के शताधिक विश्वविद्यालयों में तो वह पठन-पाठन और शिक्षण की भाषा है।

भाषा को लेकर नज़रिया दरअसल जनता के प्रति हमारे नज़रिए का हिस्सा है। नवसाक्षरों के लिए तैयार सामग्री और स्कूली पाठ्यपुस्तकें इस दृष्टि के उदाहरण प्रस्तुत करतीं हैं। अक्सर यह देखने को मिलता है कि इस कार्य का नियंत्रण करने वाले भाषा की सरलता का बहुत संकीर्ण अर्थ अपने जेहन में जमाये बैठे हैं, वे उससे एक कदम भी आगे जाने को तैयार नहीं हैं। भाषा की सरलता का सीधा हिस्सा उसकी उपयोगिता से है।

भाषा की इतनी पूंजी हमारे पास हो कि हम हर चीज़-वस्तु खरीद सकें और जीवन के न्यूनतम स्तर पर बने रह सकें? या हमारे अंदर भाषा के जादुई लोक में विचरण करने की इच्छा भी जागे? इन दोनों प्रश्नों का क्या एक उत्तर संभव है? शिक्षाशास्त्री और भाषाविद् भी इसका कोई सर्वमान्य उत्तर नहीं खोज पाए हैं।

हम हिंदी की बात करें, जिसे जानने का हमारा दावा है। उन्नीसवीं सदी से लेकर आज तक स्कूल की

किताबों में ऐसी हिंदी का निर्माण करने की कोशिश की गयी जिसमें तुर्की, अरबी, फ़ारसी आदि के लफ़्ज़/मुहावरें न हों। देशी और विदेशी, मूल और मिश्रित के भेद पर आधारित इस भाषा दृष्टि के चलते हिंदी का वृक्ष तो पल्लवित हुआ पर ज़मीनी दरख़्त कट गए। 'मामूली' की जगह 'साधारण' की प्रतिष्ठा की गयी, 'आसान' की जगह 'सरल' का विकल्प लिया गया। स्नातक और स्नातकोत्तर हिंदी कक्षाओं में ऐसे दिशाहारा छात्र-छात्राओं की बेचैनी, घबराहट और छटपटाहट से किसी पत्थर दिल को ही शायद तकलीफ न हो। स्कूली हिंदी अक्सर दो छोरों पर रही है। एक छोर अतिशय संस्कृतनिष्ठ, तथाकथित शुद्ध भाषा है तो दूसरा छोर सिर्फ सतह पर मिलने वाली भाषा का है, जिसमें अर्थों की पर्ते नहीं हैं, न वे पेचोखम जिनसे भाषा खूबसूरती हासिल करती है।

स्कूली हिंदी के अलावा नवसाक्षर पाठकों के लिए तैयार की जा रही पाठ्यसामग्री और अखबार हिंदी के अन्य स्रोत हैं। इनसे किस प्रकार की भाषा से पाठकों के इस वर्ग का परिचय होगा, इसे तय करने वाले वे लोग हैं जो इन संरचनाओं के शीर्ष पर बैठे हैं। हिंदी के अखबार में जब 'अखबार' शब्द ही अजनबी हो जाए या संपादक को यह बताया जाये कि पाठकों की समझ में 'पाठ्यपुस्तक' शब्द नहीं आएगा तो यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यह स्वाभाविक तौर पर भाषा के स्वरुप में आ रही तब्दीली है। उसी प्रकार 'मधुप', 'कपोल' अथवा 'अनिमेष' जैसे शब्दों को देखकर वे 'अभिजात्य' के आक्रमण की आशंका से भर उठते हैं। इसका परिणाम यह है कि अत्यंत ही सीमित शब्द भण्डार से वे अपना काम चलाते रहते हैं। अपने चयन के पक्ष में वे अपेक्षा यह करते पाए जाते हैं कि जनता इस प्रकार के शब्दों और प्रयोगों को नहीं समझेगी इसलिए हमें उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि क्या भाषा के बारे में निर्णय हमेशा सरलीकरण के सिद्धांत पर होगा? क्या भाषा में कुछ चुनौती के स्थान, कुछ अपरिचय के क्षेत्र बनाना ज़रूरी नहीं। यह प्रश्न अपने परिचय के दायरे को निरंतर विस्तृत करते जाने से भी जुड़ा है। क्या भाषा सिर्फ अक्षरों को जोड़कर पहचान लेने और रोजमर्रा को सहज, सरल बना लेने का ज़रिया भर है। जब जनता के बड़े हिस्से को जीवन के न्यूनतम स्तर पर बने रहने की व्यवस्थाओं से हम संतुष्ट हो जाते हैं तब हम भाषा के प्रति सरलतावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसके आगे जब हम एक भरे-पूरे समृद्ध जीवन की मांग करते हैं तो यह कहते हैं कि हमसे कम की बात न करिए, हमें तो सारा जीवन चाहिए; यह दूसरा पक्ष है। हिंदी के प्रति तीन प्रकार के आग्रहों से संपर्क करके उसे एक लोकतांत्रिक अधिकार की तरह उपलब्ध किया जा सकता है। इनमें पहली संकीर्ण राष्ट्रवादी दृष्टि है, जो स्कूली हिंदी का स्वरुप निर्धारित करती है, दूसरी पूंजी को संकेंद्रित करने और उसकी अभिवृद्धि करने वाली दृष्टि है जो सांस्कृतिक पूंजी पर अधिकार के प्रश्न से जुड़ती है, तीसरे शिक्षित समाज के दिमागी और सांस्कृतिक आलस्य के कारण पैदा होने वाला दुराग्रह है।

देश की आज़ादी के साठ वर्ष बीत जाने के बाद भी हम राष्ट्रभाषा हिंदी को उसका उचित स्थान नहीं दिला पाएं हैं। हम हिंदी को अंग्रेजी के सामने आज भी दूसरे दर्जे पर मानते हैं। राजकाज में तो अंग्रेजी का ही बोलबाला है। इधर हाल ही में गठित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सिफारिश की है कि अंग्रेजी भाषा को पहली कक्षा से ही पढ़ाया जाना चाहिए। इस सिफारिश के संबंध में मेरी मान्यता है कि राष्ट्रीय अस्मिता और भारतीय लोकतंत्रीय व्यवस्था विरोधी जो कार्य गुलामी के दिनों में अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजियत को भारत पर थोपने वाले मैकाले तथा अन्य शासक नहीं कर सके वह दुष्कर्म स्वतंत्र भारत में अंग्रेजों के मानस पुत्र भारतवासी अब स्वयं करने जा रहे हैं।

भारतीय संविधान में अंग्रेजी को पंद्रह वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 26 जनवरी 1965 तक ही हिंदी के साथ देश की सह राजभाषा रखे जाने का प्रावधान तत्कालीन देशभक्त राष्ट्रनायकों ने किया था किन्तु सत्ताकामी राजनेताओं और भ्रष्ट अकर्मण्य

नौकरशाहों की सांठ-गाँठ के फलस्वरूप संविधान में संशोधन कर अंग्रेजी भाषा को अनंतकाल तक शासन-प्रशासन और राजकाज की भाषा बनाये रखा गया। ज्ञान आयोग की इस सिफारिश का भी यही निष्कर्ष निकलता है। यदि संविधान में निर्धारित अवधि में हिंदी को अंग्रेजी के स्थान पर पूरी तरह प्रतिष्ठित कर दिया जाता तो अंग्रेजी लोग आम जनता के साथ वैसी धोखाधड़ी नहीं कर पाते जैसी आज़ादी के छह दशक बीत जाने के बाद भी की जा रही है। भारत की अधिसंख्य जनता की भाषा हिंदी है, हिंदी में शासन-प्रशासन का कार्य चलते रहने की स्थिति में शोषण मुक्त, पारदर्शितापूर्ण समाज की संरचना का मार्ग प्रशस्त होता और जनप्रतिनिधियों व नौकरशाहों के भ्रष्टाचार व उनकी अपराधवृत्ति पर भी काफी हद तक अंकुश लग गया होता। निश्चय ही आज भविष्य में हिंदी की स्थिति सुधारने के लिए हमें उसके अतीत-वर्तमान का भी मंथन करना होगा।

सबसे पहले वर्ष 1968 में केन्द्रीय हिंदी समिति की बैठक में हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की एक आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। उसके बाद विदेश मंत्री की अध्यक्षता में ग्यारह सदस्यों की समिति भी इस प्रस्ताव को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए गठित की गयी। 10 जनवरी 1975 में नागपुर में आयोजित हुए विश्व हिंदी सम्मलेन और उसके पश्चात विभिन्न देशों में संपन्न अब तक के आठों विश्व हिंदी सम्मेलनों में पारित प्रस्तावों में भी हिंदी को विश्वभाषा और संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्य भाषा बनाने का प्रस्ताव लिया गया। 4 जनवरी 2007 को प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में संपन्न केन्द्रीय हिंदी समिति की बैठक में भी हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने का संकल्प दोहराया गया था, किन्तु इस दिशा में राजनयिक पहल, राजनीतिक इच्छाशक्ति और राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रति आंतरिक लगाव का अभाव बहुत बड़ी बाधाएं हैं।

स्वभाव से सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय एकता की पोषक और सद्ज्ञान का साधन हैं। महात्मा गांधी के अनुसार- 'मातृभाषा तो माँ के दूध जैसी मीठी होती है, राष्ट्रभाषा का मनोरथ प्रांतीय भाषाओं को ख़त्म करना नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करना है; उन्हें एक दूसरे के निकट लाना और प्रेम के सूत्र में पिरोना है।' इसलिए मूलतः सभी भारतीय भाषाओं में बहनापा है। देश के किसी भी कोने के संगीत को हम पहचान लेते हैं कि यह अपना है (भले ही हम संगीत का क ख ग न जानते हों) क्योंकि उसके स्वरों में एक भारतीय आत्मतत्व की झंकार सुनाई देती है। यही तत्व हमारी भारतीय भाषाओं में निरंतर प्रवाहमान है। अक्षरों के आकारों से लेकर सभी भारतीय भाषाओं के स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, मात्राएं, संधि के नियम एवं उच्चारण एक ही हैं। इतना ही नहीं अधिकांशतः मूल शब्द भी वही हैं। इस साम्य के कारण कोई भाषा किसी भी भाषा-भाषी के लिए सुगम है। नागरी लिपि की उपादेयता व वैज्ञानिकता स्वयंसिद्ध है।

भारत की राष्ट्रभाषा समस्या के समाधानार्थ एक मात्र विकल्प है - भारतीय भाषाओं का समन्वय करना अथवा यह कहें कि हिंदी को राष्ट्रीय स्वरुप प्रदान करना। हज़ार वर्ष पूर्व हिंदी के प्रादुर्भाव के समय प्रचलित भाषाओं के समन्वय से हिंदी अस्तित्व में आयी। अब तक अनेक भाषाओं के शब्द इसमें आ मिलें हैं। मेज, कुर्सी, फर्श, छत, दीवार, कुर्ता, कमीज़, बनियान जैसे असंख्य शब्दों ने हिंदी को आकार दिया, उसकी सामर्थ्य बढ़ाई है। जब विदेशी शब्दों से हिंदी का हाज़मा नहीं बिगड़ा तब भारतीय भाषाओं के शब्दों से परहेज क्यों? भाषा के विकास की यही प्रक्रिया है। विदेशी भाषा के शब्दों की भरमार से हिंदी का रूप विकृत होगा, भारतीय भाषाओं के शब्दों से हिंदी लावण्यमयी होगी।

वास्तव में हिंदी की स्थिति के प्रति और भाषा सीखने के प्रति दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। भाषा सीखना, सिखाना, भाषा सम्बन्धी कार्य करना अथवा साहित्य रचना करना शब्दब्रह्म की उपासना है। गंगा मइया, भारत माता, गौ माता, दुर्गा माता की भांति हिंदी भाषा हमारी माता है। भाषा ही हमें मनुष्य का रूप प्रदान करती है अन्यथा हम भी पशु हैं। भाषा

प्यार की भूखी है, सम्मान की अधिकारिणी है। यह उपभोक्ता सामग्री नहीं है जो हम बिकाऊ माल की तरह उसकी गुणवत्ता का बखान करने में लगे रहते हैं। माँ किन्हीं गुणों के कारण न श्रेष्ठ है न सम्माननीया वह तो केवल इसलिए पूजनीया है क्योंकि वह माँ है। दृष्टिकोण में दूसरा यह परिवर्तन करना है कि जैसे भारत की धरती पर जन्मा हर व्यक्ति भारतीय है, हिंदुस्तानी है। हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई सभी के साथ मेरा अपनत्व का नाता है, सहोदर का नाता है। उसी तरह इस धरती की हर भाषा हिंदी है, हिंदुस्तानी है अथवा भारती है।

जैसे अवधी, बृजभाषा, मैथिली, कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली, हरियाणवी, राजस्थानी आदि हिंदी के रूप हैं वैसे ही बंग्ला, ओड़िया, मराठी, पंजाबी, गुजराती, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु भी इसी हिंदी के रूप हैं। इनमें ऐसा कोई तत्व नहीं है जो इनको अलग कर सके। लिपि रूपी परदा ही इसे रहस्यमय बनाये है। दृष्टिकोण में तीसरा मौलिक परिवर्तन यह करना है कि कोई किसी से यह न कहे कि हिंदी मेरी है, तेलुगु तुम्हारी है अथवा कन्नड़ मेरी है, बंग्ला तुम्हारी है आदि-आदि। यहां कोई भाषा तुम्हारी नहीं है सभी मेरी हैं। मैं कश्मीरी, बंग्ला, कन्नड़ नहीं जानता तो इससे क्या हुआ, जब तमिलनाडु, गुजरात, केरल, पंजाब और हरियाणा सब मेरे हैं तो तमिल, गुजराती, मलयालम और पंजाबी मेरी क्यों नहीं। जब पूरा भारत मेरा है तो इसकी सब भाषाएं मेरी हैं। यह मामला अंदर का है, दिल का है, रोमांच का है। जिस प्रकार स्त्री को उपभोग की वस्तु बनाया गया, उसी स्तर का व्यवहार भाषा के साथ किया गया। दोनों पाप हैं। राष्ट्र को जिस सूत्र से बांधा जा सकता है, वह भाषा रुपी सूत्र ही है। इसका कोई विकल्प नहीं है। किसी बंगाली को मलयालम बोलते देखकर एक केरलीय के हृदय में आत्मीयता का निर्बाध उद्रेक होता है, वैसा ही अन्य भाषियों में भी होता है। इसलिए राष्ट्रभाषा अनुष्ठान में सरकारों तथा अन्य संस्थाओं को भी अपने हिस्से का दायित्व वहन करना चाहिए। इस बारे में कवि दर्शनसिंह रावत की कुछ पंक्तियां यहां उद्दत करना प्रासंगिक होगा,

"एकता के लिए हिंदी जरूरी, बिना इसके प्रगति अधूरी
हमें संकल्प करना होगा, हिंदी भाषा को अपनाएं,
जय हिंदी-जय हिंदी, यही है हमारी पहचान की बिंदी
जितनी जाति-उतनी भाषा, लेकिन हिंदी सबकी भाषा
हिंदी हो सबकी पहचान, मिलकर बोलो एक जबान !"
जिस दिन हमारे भाव में यह परिवर्तन आ जाएगा उस
दिन पूरा भारत हिंदीमय हो जाएगा।

आचार्य शुक्ल ने भाषा को ही जातीय विचारों का रक्षक माना है। भाषा केवल विचारों के प्रेषण का माध्यम ही नहीं है अपितु यह सभ्यता और संस्कृति की वाहक भी है। भाषा की अस्मिता की चिंता राष्ट्रीयता का ही एक पक्ष है। अपने निबंध 'भाषा और समाज में अज्ञेय ने इस बात को व्यक्त करते हुए लिखा है, 'भाषा अपने आप को पहचानने का साधन है। भाषा के बिना अस्मिता की पहचान नहीं होती और भाषा उसके साथ अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है। आज अगर किसी समाज को उसकी भाषा से काट दिया जाय तो इतना ही नहीं है कि उससे एक भाषा छीनकर हम उसको कोई दूसरी भाषा देते हैं, बल्कि हम उसकी अस्मिता को भी खंडित कर देते हैं। भाषा संस्कृति की बुनियाद होती है, एक समग्र अस्मिता का, एक आत्मभाव का उपकरण या साधन भी होती है। इसी कारण पन्त जी विदेशी भाषा का गुणगान करने वाले लोगों की भर्त्सना करते हुए साहित्यकार का यह कर्तव्य मानते हैं कि वह भाषा के ज्वलंत प्रश्न को राजनीति से ऊपर उठाकर उसे सांस्कृतिक व्यक्तित्व प्रदान करे और शांति, धैर्य एवं आत्मत्याग के साथ भारतीय भाषाओं के प्रेम की प्रतिष्ठा लोक के मन में करे।

आज हमारा मीडिया भी अंग्रेजी शब्दों का बहुत अधिक घालमेल हिंदी में करने लगा है जिसके बीच सुविधा के नाम पर हिंदी-इंग्लिश का मिलाजुला विकृत रूप 'हिंग्लिश' हमारे सामने आ रहा है। इस तरफ से मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी।

वास्तव में भाषा मनुष्य के अस्तित्व का एक जटिल उत्पाद है। हर एक भाषा आपस में एक-दूसरे से

भिन्नता लिए हुए होती है। इसकी ध्वनि संरचना तथा विचारों की अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में भी विविधता होती है। यह मनुष्य के हजारों वर्षों के कठिन शोध के फलस्वरूप प्राप्त होती है। भाषा किसी राष्ट्र या समाज के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा साहित्यिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। भाषा में वह शक्ति व क्षमता निहित है जिससे कि मूर्छित राष्ट्र को जीवंत और जाग्रत किया जा सकता है। वर्तमान समय के अश्लील और विषाक्त वातावरण के परिष्कार के लिए भाषा की पवित्रता तथा विचारों की उत्कृष्टता ही एकमात्र निदान है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के बेहतर कल के लिए तथा उसे सुरक्षित और विकसित करने के संकल्पबद्ध प्रयास होने चाहिए।

भाषाओं के विकास में ही राष्ट्रों और संस्कृतियों का विकास सन्निहित है अतः विविध भाषाओं को समुचित सम्मान देकर विश्व शांति और सद्भावना की ओर कदम बढ़ाये जा सकते हैं। 21वीं सदी में एक विश्वभाषा की कल्पना की जा रही है। यह परिकल्पना सुखद है, पर इसका स्वरुप अवश्य ऐसा होना चाहिए कि भावी विश्वभाषा के आंचल में विश्वभर की सभी भाषाएं अपना सुखमय विकास कर सकें। विश्व के तमाम देशों में रहने वाले सभी भारतीय कहीं न कहीं आपस में अपनी विशिष्ट शैली को बनाये रखते हैं, इस दृष्टिकोण से ताकि वे अपनी संस्कृति और परम्पराओं से विभेद रख सकें। भारत में 'मातृभाषा' शब्द शायद ऐसे ही आया होगा। मातृभाषा का अर्थ है- वह भाषा जो मां बोलती है। हाल के दशक को यदि अपवाद मान लिया जाए तो एक लड़की भले ही कितनी दूर ब्याही गयी हो लेकिन अपने परिवार में वह अपने गांव वाली भाषा जीवित रखती है। इसी भाषा में वह अपने बच्चे को लोरी सुनाती है, दुलारती है और पढ़ाती-लिखाती है। इसलिए तमाम दौरों से गुज़रकर भी भाषाएं अपना वजूद बनाए रखतीं हैं लेकिन यह परंपरा भी लगभग लुप्त हो रही है जिसका सीधा प्रभाव हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी के वर्तमान स्वरुप पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है।

हिंदी के विस्तार को बढ़ावा देने में उसके अपने आकार का भी बहुत बड़ा हाथ है। देश में आधे से ज्यादा लोग हिंदी बोलते-समझते हैं और यही बड़ी संख्या उसे सबसे बढ़िया लिंक लैंग्वेज बना देती है। आज ज्ञान का विस्फोट इतना विस्तृत हो गया है कि इसे प्राप्त करने के लिए पढ़े-लिखे अथवा बिन पढ़े-लिखे सभी को पढ़ते रहना आवश्यक है। समग्र समाज को अध्ययनशील समाज बनना होगा। विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ अपनी माटी की भाषा में अनौपचारिक जीवन-अनुभवों का आदान-प्रदान भी करना होगा। हम अपनी विरासत में तभी अपनी आने वाली पीढ़ियों के जीवन को सही दिशा दे पायेंगें। आज के नेताओं को भी इस तरफ से अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। हमें देश की एकता, सम्मान एवं गौरव की रक्षा के लिए हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं को समदृष्टि से प्रोत्साहित करना चाहिए। हम सबको इस बात की ओर ध्यान देना होगा कि हिंदी की उन्नति असंभव नहीं है। मातृभाषा में पढ़कर ही छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव है। भूमंडलीकरण, बाजारवाद एवं उपभोक्तावादी संस्कृति के इस युग में अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व का सामना करने के लिए हम में दृढसंकल्प की आवश्यकता है। एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी के सीखने एवं सिखाने का विरोध हमें नहीं करना है। हमें तो भारतीय भाषाओं के प्रयोग को बढ़ाना है। बहुभाषी भारत देश में हिंदी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए भी हमें प्रयत्न करना होगा। इसी से हम अपनी अस्मिता की परिरक्षा कर सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की भांति हम सब यह मानें कि निज भाषा की उन्नति ही हमारी सम्पूर्ण उन्नति का आधार है। तभी भविष्य में हिंदी पुनः अपने खोये हुए गौरव को प्राप्त कर राष्ट्रभाषा के सच्चे एवं वास्तविक स्वरुप को प्राप्त करने में सफल हो सकेगी।

विभिन्न प्रांतीय सरकारों का यह कर्तव्य है कि हिंदी के साथ-साथ संविधान में मान्यता प्राप्त अन्य सभी

भारतीय भाषाओं के विकास के लिए प्रयत्न करें। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में काम करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित करें। इसके लिए अपूर्व इच्छाशक्ति, भाषा प्रेम एवं निष्ठा की महती आवश्यकता है, तभी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं का समग्र विकास हो पायेगा। सरकार की दोहरी नीति के कारण आज दोहरी शिक्षा प्रणाली विकसित हो रही है और इसलिए यदि हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना है और अपने नौजवानों को अच्छा भविष्य देना है तो हमें बच्चों से सीखना पड़ेगा कि उन्हें क्या सिखाया जाये लेकिन जब हम उन्हें वही सिखाते हैं जिसे हम सही मानते हैं तो हम बच्चों की सृजनात्मकता की हत्या करते हैं। यह कार्य अंग्रेजी को थोपकर नहीं बल्कि अपनी हिंदी भाषा में ही सबसे अच्छे तरीके से हो सकता है। इसप्रकार हम दूसरों की मौलिकता व पहचान पर निर्भर न रहकर अपनी खुद की मौलिकता व नयी पहचान कायम करते हैं। भविष्य में यदि हिंदुस्तान के अंदर ही मातृभाषा पर प्रहार होने लगेंगे तो अन्य देशों में हम कैसे स्थापित हो सकते हैं।

हिंदी के सुंदर भविष्य एवं भावी विकास के लिए कोरे आश्वासनों की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए जनसमर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसके उत्थान के लिए दृढ़संकल्प और लगन तथा निष्ठा की जरुरत है। ऐसी स्थिति में राष्ट्र, राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रभाषा के प्रेमियों से अपेक्षा है कि वे अविलम्ब जागें और संगठित होकर हिंदी के मार्गविरोधकों को हटाने के सार्थक और सशक्त प्रयास करें। हम हिंदी पढ़ें-पढ़ायें, हिंदी लिखें, हिंदी बोलें तथा हिंदी के प्रति गर्व की भावना रखकर उसका सम्मान करें तो निश्चय ही हिंदी का आने वाला कल सत्यम, शिवं और सुंदरममय होगा और हिंदी जो अपनी अच्छाइयों के आधार पर निरंतर गतिशील है, के प्रति तत्परता कृतकार्य होगी और हम हिंदी के उज्ज्वल भविष्य के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ आशान्वित हो सकेंगें।

आधुनिक कार्यालय कार्यप्रणाली को त्वरित और प्रभावी बनाते कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण

डॉ. निमिष कपूर, वरिष्ठ वैज्ञानिक, विज्ञान संचारक एवं एआई प्रशिक्षक

डॉ. निमिष कपूर

आज के दौर में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence - AI) ने तकनीक की दुनिया में क्रांति ला दी है। आज के डिजिटल युग में, जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता तेजी से कार्यों को अधिक सुगम, त्वरित और प्रभावी बना रही है, तब राजभाषा हिंदी में कार्य करने वालों के लिए भी एआई उपकरणों (AI Tools) का ज्ञान अत्यंत आवश्यक हो गया है।

कृषि वैज्ञानिकों, प्रशासनिक अधिकारियों और शोधकर्ताओं के लिए यह जरूरी है कि वे इन आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर न केवल अपने कार्यालय कार्यों को दक्ष बनाएं, बल्कि हिंदी में उच्च गुणवत्ता की सामग्री तैयार करने में भी इनका लाभ उठाएं। इस अध्याय में, हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता का परिचय देंगे और प्रमुख एआई टूल्स की जानकारी उपलब्ध कराएंगे, जिनका उपयोग कार्यालयों और अनुसंधान कार्यों में सीधे तौर पर किया जा सकता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तकनीकों का ऐसा समूह है, जो कंप्यूटरों को जटिल कार्यों को सम्पन्न करने में सक्षम बनाती है, जैसे: भाषा को देखना, समझना और अनुवाद करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, अनुशंसा देना, निर्णय लेना, छवियों और ध्वनि का विश्लेषण करना आदि। यह कहा जा सकता है कि एआई, नवाचार की रीढ़ बन चुका है, जो व्यापार, प्रशासन और विज्ञान में नए अवसर खोल रहा है।

एआई कैसे कार्य करता है ?

एआई का मुख्य आधार 'डेटा' है। यह विशाल डाटा सेट का विश्लेषण कर उसमें से पैटर्न और संबंधों को पहचानता है, जिन्हें मानव मस्तिष्क आसानी से नहीं देख पाता। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग जैसी तकनीकों के माध्यम से एआई खुद से सीखता है और समय के साथ बेहतर होता जाता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मुख्य अधिगम मॉडल और प्रमुख न्यूरल नेटवर्क प्रकार

AI को सक्षम बनाने के लिए कई प्रकार के अधिगम (Learning) मॉडल और न्यूरल नेटवर्क (Neural Networks) का उपयोग किया जाता है। आइए इन्हें सरल शब्दों में समझते हैं:

मुख्य अधिगम मॉडल

1. निर्देशित अधिगम (Supervised Learning): निर्देशित अधिगम सबसे सामान्य प्रकार का मशीन लर्निंग मॉडल है। इसमें मशीन को पहले से दिए गए सही उत्तरों (labelled data) के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे अगर हमें एक मशीन से सेब और संतरे को पहचानना सिखाना है, तो हम उसे कई सेब और संतरे की तस्वीरें दिखाएंगे, और बताएंगे कि कौन-सा फल कौन-सा है। मशीन इन उदाहरणों से पैटर्न सीखती है और फिर जब उसे कोई नई तस्वीर दिखाई जाती है, तो वह पहचानने में सक्षम हो जाती है। यह तरीका ई-मेल में स्पैम पहचानने, बैंकिंग धोखाधड़ी पकड़ने या चिकित्सा चित्रों में रोग पहचानने जैसे कार्यों में उपयोगी है।

2. अनिर्देशित अधिगम (Unsupervised Learning): अनिर्देशित अधिगम में मशीन को ऐसा डाटा दिया जाता है जिस पर कोई लेबल (सही उत्तर) नहीं होता। मशीन को खुद ही डाटा के बीच छिपे हुए पैटर्न और समूहों को पहचानना होता है। उदाहरण के लिए, अगर हमें हजारों ग्राहकों की खरीदारी की आदतों का विश्लेषण करना है, तो मशीन खुद तय करेगी कि कौन-से ग्राहक समान प्रवृत्तियों के हैं और उन्हें समूहित करेगी। इसका उपयोग ग्राहक वर्गीकरण, मार्केटिंग रणनीति तैयार करने और डाटा विश्लेषण में किया जाता है।

3. सुदृढ़ीकरण अधिगम (Reinforcement Learning): सुदृढ़ीकरण अधिगम का तरीका "ट्रायल एंड एरर" (कोशिश और गलती) पर 1. आधारित है। इसमें एक एजेंट (यानि मशीन) को किसी कार्य को करते हुए पुरस्कार (Reward) या दंड (Penalty) के आधार पर सिखाया जाता है। जैसे एक रोबोट को सिखाया जा सकता है कि उसे गेंद कैसे उठानी है। सही तरीके से गेंद उठाने पर उसे इनाम मिलेगा, गलत करने पर दंड। धीरे-धीरे मशीन सीख जाती है कि किस कार्य से उसे अधिक इनाम मिलेगा। सुदृढ़ीकरण अधिगम का उपयोग गेम खेलना, स्वचालित ड्राइविंग और जटिल निर्णय लेने वाली प्रणालियों में किया जाता है।

प्रमुख न्यूरल नेटवर्क प्रकार

1. फीडफॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क (Feedforward Neural Networks):

फीडफॉरवर्ड नेटवर्क सबसे सरल प्रकार का न्यूरल नेटवर्क होता है। इसमें डाटा एक ही दिशा में आगे बढ़ता है — इनपुट से आउटपुट तक। कोई भी पीछे मुड़कर जानकारी नहीं जाती। यह नेटवर्क मुख्यतः पैटर्न पहचानने और साधारण श्रेणीकरण (classification) कार्यों में उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, किसी दस्तावेज में हाथ से लिखे अंकों को पहचानना फीडफॉरवर्ड नेटवर्क की मदद से संभव है।

2. रेकरेन्ट न्यूरल नेटवर्क (Recurrent Neural Networks - RNN):

रेकरेन्ट न्यूरल नेटवर्क विशेष रूप से सीक्वेंस डेटा (जैसे समय के साथ बदलते डाटा) के लिए बनाए गए हैं। इसमें हर कदम पर नेटवर्क अपने पिछले निर्णयों की जानकारी को याद रखता है और आगे के निर्णयों में उसका उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, यदि 1. हम एक वाक्य का अनुवाद करना चाहते हैं, तो यह जरूरी है कि मशीन को वाक्य के पहले शब्द याद रहें ताकि वह सही अनुवाद कर सके। भाषाओं का अनुवाद, आवाज पहचान और समय श्रृंखला पूर्वानुमान (time-series forecasting) में रेकरेन्ट न्यूरल नेटवर्क का व्यापक उपयोग होता है।

3. कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क (Convolutional Neural Networks -CNN):

कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क विशेष रूप से छवि पहचान (Image Recognition) के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। यह नेटवर्क छवियों में रंग, किनारे और आकृतियों जैसे छोटे-छोटे पैटर्न को पहचानता है, फिर उन्हें मिलाकर जटिल वस्तुओं की पहचान करता है। उदाहरण के लिए, फेसबुक या गूगल फोटोज में जब आपके चेहरे को पहचान कर टैग किया जाता है, तो उसमें कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का ही कमाल होता है। चिकित्सा छवियों में ट्यूमर ढूंढ़ने, सेल्फ ड्राइविंग कारों में सड़क संकेत पहचानने और सुरक्षा प्रणालियों में चेहरा पहचानने के लिए कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का खूब उपयोग होता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इन अधिगम मॉडलों और न्यूरल नेटवर्क प्रकारों ने तकनीक को इतना सक्षम बना दिया है कि अब मशीनें न केवल तेजी से सीख रही हैं बल्कि कई क्षेत्रों में मनुष्यों के काम को आसान और प्रभावी भी बना रही हैं।

यह समझना आवश्यक है कि अलग-अलग समस्याओं के लिए अलग-अलग तरह के अधिगम मॉडल और नेटवर्क का चयन करना होता है। सही तकनीक का चुनाव किसी भी परियोजना की सफलता की कुंजी बन सकता है।

एआई टूल्स (AI Tools) का परिचय और उपयोग

अब हम उन महत्वपूर्ण एआई टूल्स पर चर्चा करेंगे, जिन्हें प्रशासनिक कार्यों, अनुसंधान एवं शोध लेखन आदि अकादमिक कार्यों में प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है:

1. गूगल पिनपॉइंट (Google Pinpoint)

गूगल पिनपॉइंट एक ऐसा निःशुल्क उपकरण है जिसे गूगल की रिसर्च टीम ने खासतौर पर शोधकर्ताओं, लेखकों और डाटा विश्लेषकों के लिए विकसित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य बड़ी मात्रा में दस्तावेज़ों, छवियों और ऑडियो फ़ाइलों में से जल्दी और सटीक जानकारी खोजने में मदद करना है।

गूगल पिनपॉइंट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ताओं को हजारों दस्तावेज़ों के बीच से शब्द, वाक्यांश, नाम और स्थान जैसी जानकारियों को तेज़ी से खोजने की सुविधा देता है। यह न केवल दस्तावेज़ों को संग्रहित करता है, बल्कि उनमें महत्वपूर्ण पैटर्न और जुड़ाव को भी उजागर करने में मदद करता है। इसमें आप 100 जीबी का डेटा या फ़ाइलें संग्रहीत कर सकते हैं एवं एक फ़ोल्डर में 2 लाख फ़ाइलों का विश्लेषण एक सेकंड में कर सकते हैं। किसी भी समयावधि की ऑडियो-वीडियो फ़ाइल टेक्स्ट में तब्दील हो जाएगी। बस आपको सावधानी से सेटिंग्स में जाकर ऑडियो-वीडियो फ़ाइल फ़ाइल की भाषा हिंदी या अंग्रेजी का चयन करना है। हाँ, ऑडियो या ध्वनि की रिकॉर्डिंग ठीक होनी चाहिए।

गूगल पिनपॉइंट क्यों उपयोगी है?

- तेजी से खोज: सैकड़ों-हजारों (2 लाख तक) दस्तावेज़ों में से कुछ ही सेकंड में जरूरी जानकारी ढूंढ सकते हैं।
- संगठन: दस्तावेज़, छवियों और ऑडियो को एक ही स्थान पर सुव्यवस्थित कर सकते हैं।
- स्वचालित टैगिंग: Pinpoint खुद ही दस्तावेज़ों में नाम, स्थान, संगठन आदि को पहचानकर टैग कर देता है, जिससे खोज और विश्लेषण आसान हो जाता है।
- राजभाषा (हिंदी समेत अन्य भारतीय भाषाओं) सामग्री: हिंदी जैसे भाषाओं के दस्तावेजों को भी अपलोड कर विश्लेषण किया जा सकता है।
- रिपोर्टिंग में सहायक: शोध या पत्रकारिता से जुड़ी रिपोर्ट जल्दी और प्रभावी ढंग से तैयार करने में मदद करता है।

गूगल पिनपॉइंट का उपयोग कैसे करें?

खाता बनाएं

- Google Pinpoint की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: https://pinpoint.withgoogle.com/
- अपने Gmail ID से लॉग इन करें।
- पहली बार उपयोग करने पर आपको अपनी पहचान और उपयोग के उद्देश्य (जैसे पत्रकारिता, शोध, आदि) के बारे में कुछ जानकारी भरनी होगी।
- कुछ मिनटों में आपका Pinpoint खाता सक्रिय हो जाएगा।

एक नया संग्रह (Collection) बनाएं

- लॉगिन करने के बाद, 'Create Collection' बटन पर क्लिक करें।
- संग्रह का एक नाम (जैसे – "राजभाषा कार्य", "अनुसंधान") दें।
- अब आप इस संग्रह में किसी भी प्रकार की फ़ाइलें अपलोड कर सकते हैं, जो कि पीडीएफ़ में संग्रहीत होंगी। ध्वनि रिकॉर्डिंग बिना किसी निर्देश के लिखित सामग्री में बदल जाएगी।

दस्तावेज़, छवियाँ और ऑडियो अपलोड करें

- 'Add Files' बटन पर क्लिक करें।
- आप Word फ़ाइल (.docx), PDF फाइलें, छवियाँ (जैसे JPG, PNG) और ऑडियो फ़ाइलें (.mp3 आदि) अपलोड कर सकते हैं।
- Pinpoint स्वतः ही अपलोड की गई फ़ाइलों को पढ़ेगा और उनमें मौजूद टेक्स्ट, नाम, स्थान आदि को पहचान लेगा।

खोज और टैगिंग का उपयोग करें

- फ़ाइल अपलोड होने के बाद, आप टूलबार में दिए गए सर्च बॉक्स में कोई भी शब्द या वाक्यांश डालकर संबंधित दस्तावेजों को जल्दी ढूंढ सकते हैं।
- Pinpoint स्वतः ही दस्तावेज़ों से: व्यक्तियों (Persons); संगठनों (Organizations) और स्थानों (Locations) को पहचान कर टैग कर देता है।
- आप किसी टैग पर क्लिक करके उससे संबंधित सभी दस्तावेज़ देख सकते हैं।

दस्तावेज़ों का विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार करना

Pinpoint प्रत्येक संग्रह के भीतर दस्तावेजों का सांख्यिकीय विश्लेषण भी दिखाता है — जैसे किन शब्दों का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ, कौन-कौन से नाम सबसे ज्यादा आए, आदि। इस विश्लेषण के आधार पर आप जल्दी और तथ्य आधारित रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। आप विशिष्ट दस्तावेज़ों को भी डाउनलोड कर सकते हैं या दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं।

उपयोग के कुछ सुझाव

- यदि आपके पास बहुत बड़ी संख्या में फ़ाइलें हैं (जैसे 500+), तो पहले उन्हें विषय के आधार पर छोटे-छोटे संग्रहों में विभाजित करें।
- Pinpoint का ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन फीचर बहुत उपयोगी है — यह ऑडियो फ़ाइलों को स्वतः टेक्स्ट में बदल देता है।
- किसी विशेष भाषा में सटीकता बढ़ाने के लिए, अपलोड करते समय भाषा का चयन करें।

गूगल पिनपॉइंट एक बेहद शक्तिशाली और मुफ़्त टूल है जो प्रशानिक कार्य, लेखन, पत्रकारिता, शोध और दस्तावेज़ विश्लेषण जैसे कार्यों को अत्यंत आसान बनाता है। यदि आप रोजाना ढेर सारे दस्तावेजों के बीच महत्वपूर्ण जानकारी खोजते हैं, तो Pinpoint आपके लिए समय बचाने और सटीकता बढ़ाने का शानदार तरीका है।

2. जेमिनी (Gemini) – एक शक्तिशाली जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म

जेमिनी (Gemini) गूगल द्वारा विकसित एक नवीनतम और अत्याधुनिक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Generative AI) प्लेटफॉर्म है। इसका मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को तेज़, सटीक और रचनात्मक सामग्री तैयार करने में सहायता प्रदान करना है।

जेमिनी का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जा सकता है जैसे: रचनात्मक लेखन, डेटा विश्लेषण, अनुवाद, संवाद व उत्तर-प्रश्न सेवा। यह प्लेटफॉर्म हिंदी सहित कई भाषाओं में कार्य करने में सक्षम है, जिससे यह भारत के राजभाषा कार्यक्रमों और प्रशासनिक कार्यों के लिए अत्यंत उपयोगी बन जाता है। जेमिनी का उपयोग कई महत्वपूर्ण कारणों से अत्यधिक लाभकारी है, जैसे:

- बहुभाषी समर्थन: जेमिनी हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, तमिल सहित अनेक भारतीय भाषाओं में सहजता से कार्य कर सकता है।
- कार्यालीय कार्यों में सहायक: ड्राफ्ट तैयार करना, रिपोर्ट लिखना, प्रेस नोट्स बनाना, भाषण तैयार करना आदि कार्य बहुत तेजी से किए जा सकते हैं।
- रचनात्मकता बढ़ाना: नए विचारों, परियोजना प्रस्तावों और संवाद स्क्रिप्ट बनाने में मदद करता है।
- समय की बचत: जेमिनी जटिल कार्यों को कुछ सेकंड में पूरा कर सकता है, जो सामान्यतः घंटों लगते।
- डेटा विश्लेषण क्षमता: बड़ी मात्रा में उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण कर सारगर्भित निष्कर्ष प्रस्तुत कर सकता है।

कैसे उपयोग करें?

जेमिनी पोर्टल पर जाएं: अपने ब्राउज़र में Google Gemini खोलें। यदि आपके पास गूगल खाता है तो सीधे लॉग-इन करें। अगर नहीं, तो एक गूगल खाता बनाएं।

लॉग-इन करें: Sign in बटन पर क्लिक करें और अपने गूगल क्रेडेंशियल्स दर्ज करें। अनुमति मांगे जाने पर आवश्यक एक्सेस दें।

चैट विंडो खोलें: लॉग-इन के बाद जेमिनी की चैट विंडो खुल जाएगी, जहाँ आप अपना अनुरोध दर्ज कर सकते हैं।

उपयुक्त प्रॉम्प्ट दें: टेक्स्ट बॉक्स में वह प्रॉम्प्ट लिखें, जो आप चाहते हैं कि जेमिनी समझे और उस पर आधारित उत्तर दे। प्रॉम्प्ट वह निर्देश है जिसे आप एआई को देते हैं ताकि वह आपके अनुरूप उत्तर तैयार कर सके। एक अच्छा प्रॉम्प्ट निम्नलिखित गुणों वाला होता है।

प्रॉम्प्ट के उदाहरण

- "किसी कृषि परियोजना पर 500 शब्दों में हिंदी रिपोर्ट तैयार करें।"
- "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर एक संक्षिप्त प्रेस विज्ञप्ति तैयार करें।"

  परिणाम देखें और उपयोग करें: जेमिनी आपके प्रॉम्प्ट के आधार पर उत्तर देगा, जिसे आप कॉपी करके अपने दस्तावेज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं।

प्रभावी प्रॉम्प्ट बनाने के सुझाव:

- सटीक शब्दों का चयन करें: जैसे "राजभाषा नीति पर 300 शब्दों में हिंदी में निबंध तैयार करें।"
- विवरण दें: यदि कोई विशेष शैली या स्वर (Tone) · चाहिए, तो उसे प्रॉम्प्ट में जोड़ें। जैसे "सरकारी भाषा में औपचारिक प्रेस नोट तैयार करें।"
- परिणाम की स्पष्ट अपेक्षा बताएं: जैसे "पॉइंट्स में उत्तर दें" या "रिपोर्ट के प्रारूप में लिखें।"
- इस प्रकार, जेमिनी (Gemini) न केवल आपके कार्यालीय कार्यों को गति देगा बल्कि हिंदी में कार्य करने को भी सहज और प्रभावशाली बनाएगा। सही प्रॉम्प्ट देने की कला सीखकर आप इस शक्तिशाली एआई टूल का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं।

3. चैट जीपीटी (ChatGPT) – संवाद आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म

चैट जीपीटी (ChatGPT) एक अत्याधुनिक जनरेटिव प्री-ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर मॉडल है, जिसे OpenAI ने विकसित किया है। यह एक ऐसा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित टूल है जो वार्तालाप के माध्यम से मनुष्य-समान उत्तर प्रदान करता है। चैट जीपीटी को पहले से बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के डाटा पर प्रशिक्षित किया गया है, जिससे यह सवालों के जवाब देना, संवाद करना, दस्तावेज़ लिखना और रचनात्मक सुझाव देना जैसे कार्य बहुत प्रभावी ढंग से कर सकता है। चैट जीपीटी कई कारणों से अत्यंत उपयोगी है:

द्विभाषिक संवाद: यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सहज वार्तालाप कर सकता है।

दस्तावेज़ लेखन: प्रेस विज्ञप्तियाँ, रिपोर्ट, निबंध, परियोजना प्रस्ताव आदि तैयार करने में सहायक है।

कृषि एवं प्रशासनिक सलाह: किसानों के लिए सलाह पत्र, प्रशिक्षण मटेरियल या योजनाओं पर नोट्स तैयार कर सकता है।

रचनात्मक लेखन: कहानियाँ, कविताएँ, स्लोगन आदि बनाने में भी उपयोगी है।

शैक्षिक सहायता: अध्ययन सामग्री, प्रश्न-उत्तर, परीक्षा तैयारी में मदद करता है।

कैसे उपयोग करें?

OpenAI के पोर्टल पर जाएं: अपने ब्राउज़र में OpenAI ChatGPT खोलें।

लॉग-इन करें: यदि आपके पास OpenAI खाता है,तो "Log in" पर क्लिक करें और अपना ईमेल और पासवर्ड डालें। यदि खाता नहीं है, तो "Sign up" पर जाकर नया खाता बनाएं।

चैट विंडो खोलें: लॉग-इन के बाद, एक संवाद बॉक्स (चैट विंडो) दिखाई देगा, जहाँ आप अपना प्रॉम्प्ट दर्ज कर सकते हैं।

उपयुक्त प्रॉम्प्ट दें: संवाद बॉक्स में आप जो कार्य करवाना चाहते हैं, उसे स्पष्ट और सटीक तरीके से लिखें। प्रभावी प्रॉम्प्ट बनाने के सुझाव: विषय को स्पष्ट रूप से बताएं; शब्द सीमा या स्वरूप बताएं; यदि शैली चाहिए (जैसे औपचारिक, अनौपचारिक), तो उल्लेख करें।

चैट जीपीटी आज के डिजिटल युग में एक शक्तिशाली साथी है, जो आपके कार्यालीय कार्यों, रचनात्मक लेखन, शैक्षिक सामग्री निर्माण और संवाद क्षमताओं को बेहतर बना सकता है। यदि सही ढंग से उपयोग किया जाए और प्रभावी प्रॉम्प्ट तैयार किए जाएँ, तो यह आपके कार्यों में अद्भुत तेजी और गुणवत्ता ला सकता है।

4. टैबुला सॉफ्टवेयर (Tabula Software) — पीडीएफ़ से टेबल डेटा निकालने का सरल उपकरण

टैबुला (Tabula) एक ओपन-सोर्स (निःशुल्क) सॉफ्टवेयर टूल है, जिसे विशेष रूप से पीडीएफ़ दस्तावेजों से तालिका या टेबल डेटा को निकालने के लिए विकसित किया गया है। यह उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जिन्हें सरकारी रिपोर्टों, अनुसंधान दस्तावेजों या परियोजना रिपोर्टों से तालिका-बद्ध डेटा की आवश्यकता होती है, लेकिन पीडीएफ़ की प्रकृति के कारण उसे सीधे कॉपी करना मुश्किल होता है। टैबुला इस कार्य को कुछ ही क्लिक में आसान बना देता है। टैबुला कई कारणों से एक बेहद उपयोगी और समय बचाने वाला उपकरण है:

- **तेजी से डेटा निकासी:** पीडीएफ़ फ़ाइल में बनी हुई टेबल्स को सीधे Excel या CSV फॉर्मेट में निकाला जा सकता है।
- **पुनः टाइपिंग से बचाव:** टेबल को हाथ से टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है।
- **सरकारी और अनुसंधान रिपोर्टों में सहायक:** कृषि, परियोजना प्रबंधन, शोध आदि क्षेत्रों की रिपोर्टों से डेटा निकालने में मदद करता है।
- **उपयोग में बेहद आसान:** इसे कोई भी सामान्य जानकारी रखने वाला व्यक्ति 2 मिनट में इसे सीख कर उपयोग कर सकता है।
- **पूर्णतः निःशुल्क:** इसका उपयोग करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। यह एक ओपन-सोर्स प्रोजेक्ट है।

कैसे उपयोग करें?

टैबुला डाउनलोड और इंस्टॉल करें: टैबुला का ऑफिशियल वेबसाइट खोलें: https://tabula.technology/ वहां से डाउनलोड Tabula पर क्लिक करें और अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम (Windows, Mac, Linux) के अनुसार सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। डाउनलोड के बाद सामान्य प्रक्रिया से इंस्टॉल करें।

टैबुला चलाएँ: इंस्टॉल होने के बाद, टैबुला को ओपन करें। यह एक लोकल सर्वर पर चलता है और आपके ब्राउज़र में खुलेगा (जैसे कोई वेबसाइट खुलती है)।

पीडीएफ़ फ़ाइल अपलोड करें: टैबुला इंटरफेस में "Browse" या "Upload PDF" बटन पर क्लिक करें। उस पीडीएफ़ फ़ाइल को चुनें जिससे आपको डेटा निकालना है।

तालिका क्षेत्र चुनें: अपलोड के बाद, पीडीएफ़ फ़ाइल टैबुला में खुल जाएगी। आप माउस से उस टेबल क्षेत्र को ड्रैग कर चुन सकते हैं जिसे निकालना है।

डेटा का पूर्वावलोकन करें: चयन करने के बाद टैबुला आपको एक प्रीव्यू दिखाएगा कि कौन-सा डेटा निकलेगा।

डेटा को सेव करें: यदि सब कुछ सही है तो "Export" बटन पर क्लिक करें। आप डेटा को (Comma Separated Values) या Excel (.xlsx) फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। टैबुला सॉफ्टवेयर उन सभी के लिए एक अमूल्य टूल है जो पीडीएफ़ से जल्दी और सटीक तरीके से टेबल डेटा निकालना चाहते हैं। यह न केवल आपका समय बचाता है बल्कि डेटा की सटीकता भी सुनिश्चित करता है।

कोई भी व्यक्ति जिसकी आईटी में सामान्य समझ है, वह इसे 2 मिनट में समझ कर प्रभावी तरीके से उपयोग कर सकता है।

5. ओल्ड वेब आर्काइव्स (Old Web Archives)

ओल्ड वेब आर्काइव्स ऐसी सेवाएं हैं जो इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइटों के पुराने संस्करणों को संग्रहित और संरक्षित करती हैं। सबसे प्रसिद्ध सेवा Wayback Machine है, जिसे Internet Archive नामक गैर-लाभकारी संगठन संचालित करता है। इसका उद्देश्य इंटरनेट पर समय के साथ हुए परिवर्तनों को संजो कर रखना है ताकि लोग भविष्य में किसी वेबसाइट के पुराने स्वरूप, सामग्री या डिज़ाइन को देख सकें। ओल्ड वेब आर्काइव्स के उपयोग के कई व्यावहारिक लाभ हैं:

- **पुराने डेटा तक पहुंच:** यदि कोई वेबसाइट अब अस्तित्व में नहीं है या किसी वेबसाइट से कुछ सामग्री हटा दी गई है, तो उसका पुराना संस्करण देखा जा सकता है।
- **अनुसंधान में सहायक:** पत्रकार, शोधकर्ता, छात्र और परियोजना विश्लेषक किसी वेबसाइट के बदलावों का अध्ययन कर सकते हैं।
- **संदर्भ सामग्री उपलब्धता:** पुराने दस्तावेज़, रिपोर्टें, विज्ञापन, और समाचार लेख जिनका मूल स्रोत हट चुका हो, उन्हें फिर से पाया जा सकता है।
- **कानूनी साक्ष्य:** कानूनी विवादों में किसी वेबसाइट की पूर्व स्थिति को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- **ब्रांड और परियोजना मूल्यांकन:** कंपनियों और परियोजनाओं के समय के साथ विकास का विश्लेषण किया जा सकता है।

कैसे उपयोग करें?

इंटरनेट आर्काइव वेबसाइट पर जाएं:

- **अपने ब्राउज़र में यह लिंक खोलें:** https://archive.org या सीधे Wayback Machine पर जाएं: https://web.archive.org
- **सर्च बॉक्स में URL डालें:** वेबसाइट का वह पता (URL) लिखें जिसका पुराना संस्करण देखना चाहते हैं। उदाहरण: www.example.com
- **परिणाम देखें:** सर्च करने पर उस वेबसाइट के लिए उपलब्ध सभी संग्रहित तारीखों की एक टाइमलाइन दिखाई देगी।
- **तारीख और वर्ष चुनें:** टाइमलाइन या कैलेंडर से उस तारीख पर क्लिक करें जब आप वेबसाइट को देखना चाहते हैं।
- **पुराने स्नैपशॉट का अन्वेषण करें:** चुने गए दिन का वेबसाइट का स्वरूप आपके सामने खुल जाएगा। आप उस वेबसाइट के लिंक पर भी नेविगेट कर सकते हैं जैसे वह उस समय सक्रिय थी। मान लीजिए आपको 2015 में एक सरकारी परियोजना की वेबसाइट कैसी दिखती थी, यह जानना है। आप web.archive.org पर जाकर उस वेबसाइट का URL डालते हैं, और 2015 के उपलब्ध स्नैपशॉट पर क्लिक करते हैं। कुछ ही सेकंड में, आप उस समय का पूरा साइट-व्यू देख सकते हैं — जैसे समय में पीछे चले गए हों।
- ओल्ड वेब आर्काइव्स इंटरनेट की एक तरह की "डिजिटल टाइम मशीन" हैं। यह अनुसंधानकर्ताओं, पत्रकारों, इतिहासकारों और छात्रों के लिए एक अमूल्य संसाधन है, जो अतीत की जानकारी तक आसान पहुँच प्रदान करता है। यह सेवा पूरी तरह से निःशुल्क है और इसका उपयोग करना बेहद आसान है।

6. InVID वीडियो वेरिफिकेशन — वीडियो की सत्यता जांचने का प्रभावी उपकरण

InVID एक शक्तिशाली ओपन-सोर्स टूल है, जिसे वीडियो और सोशल मीडिया कंटेंट की प्रामाणिकता जांचने के लिए विकसित किया गया है। यह मुख्य रूप से पत्रकारों, शोधकर्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को वायरल वीडियो या संदिग्ध वीडियो की सच्चाई जांचने में मदद करता है। InVID खासकर फेक न्यूज, गलत जानकारी और छेड़छाड़

किए गए वीडियो की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है।

क्यों उपयोगी है?

InVID टूल कई दृष्टियों से अत्यंत उपयोगी है:

- **वायरल वीडियो की सच्चाई जानना:** किसी भी वीडियो के महत्वपूर्ण फ्रेम निकालकर उसके स्रोत का पता लगाया जा सकता है।
- **फर्जी और छेड़छाड़ किए गए वीडियो पकड़ना:** वीडियो के विश्लेषण से पता लगाया जा सकता है कि कोई वीडियो एडिटेड, पुराना या झूठा है या नहीं।
- **प्रशासनिक कार्यों में सहायक:** अफवाहों को समय रहते रोकने में पुलिस, प्रशासन और मीडिया एजेंसियां इसका प्रयोग करती हैं।
- सोशल मीडिया मॉनिटरिंग: ट्विटर, फेसबुक आदि पर वायरल हो रहे वीडियो कंटेंट की प्रमाणिकता तुरंत जांची जा सकती है।
- **पत्रकारिता और अनुसंधान में सहायक:** तथ्य-जांच और रिपोर्टिंग में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए यह टूल अत्यंत उपयोगी है। बाद ब्राउज़र में InVID आइकन दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर Plugin को सक्रिय करें।

कैसे उपयोग करें?

InVID टूल या एक्सटेंशन इंस्टॉल करें: InVID मुख्य रूप से एक ब्राउज़र एक्सटेंशन (जैसे Google Chrome के लिए) के रूप में उपलब्ध है। Chrome Web Store या InVID की आधिकारिक वेबसाइट से इसे इंस्टॉल करें।

ब्राउज़र में एक्सटेंशन चालू करें: इंस्टॉल करने के

संदिग्ध वीडियो का URL कॉपी करें: सोशल मीडिया (जैसे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब) पर जिस वीडियो की जांच करनी है, उसका लिंक कॉपी करें। InVID टूल्स का उपयोग वीडियो सत्यापन के लिए प्रभावी तरीके से किया जाता है। इसके तहत सबसे पहले Key Frame Extraction के ज़रिए वीडियो के मुख्य फ्रेम (महत्वपूर्ण स्थिर चित्र) निकाले जाते हैं। इसके बाद Reverse Image Search की मदद से इन फ्रेम्स को गूगल, बिंग, यांडेक्स जैसे सर्च इंजनों पर रिवर्स सर्च किया जाता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये चित्र पहले कहां और कब उपयोग हुए थे। Metadata Extraction तकनीक से वीडियो या इमेज के भीतर छिपे हुए डेटा, जैसे लोकेशन, तारीख और उपकरण की जानकारी (यदि उपलब्ध हो) प्राप्त की जाती है। अंत में Fragmentation & Analysis के माध्यम से वीडियो को छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर प्रत्येक हिस्से का गहराई से विश्लेषण किया जाता है, जिससे वीडियो की प्रामाणिकता की जांच और आसान हो जाती है।

परिणाम का विश्लेषण करें: अगर की-फ्रेम्स का पुराना या अलग संदर्भ मिलता है, तो वीडियो का दावा झूठा हो सकता है। अगर मेटाडेटा से छेड़छाड़ के प्रमाण मिलते हैं, तो वीडियो संदेहास्पद माना जा सकता है।

मान लीजिए व्हाट्सएप पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि किसी शहर में बाढ़ आ गई है। आप वीडियो का लिंक InVID में डालते हैं, की-फ्रेम निकालते हैं और रिवर्स सर्च करते हैं। पता चलता है कि वही वीडियो दो साल पहले किसी दूसरे देश की बाढ़ का था। इस तरह, आप यह साबित कर सकते हैं कि यह वीडियो हालिया नहीं है और फेक न्यूज़ फैलाया जा रहा है।

7. गूगल लेंस (Google Lens) — दृश्य से जानकारी निकालने का स्मार्ट तरीका

गूगल लेंस एक शक्तिशाली विजुअल सर्च टूल है, जिसे गूगल ने विकसित किया है। यह टूल आपके स्मार्टफोन के कैमरे या गैलरी में मौजूद किसी भी तस्वीर का विश्लेषण कर उससे संबंधित जानकारी खोज सकता है। चाहे आपको कोई पौधा पहचानना हो, किसी किताब की जानकारी चाहिए हो, किसी उत्पाद को ऑनलाइन ढूंढना हो या कोई टेक्स्ट कॉपी करना हो — गूगल लेंस सब कुछ बेहद तेजी

और सटीकता से कर सकता है। गूगल लेंस कई तरीकों से हमारे रोजमर्रा के कार्यों को आसान बनाता है:

- **पहचान में सहायक:** किसी अज्ञात पौधे, जानवर, ऐतिहासिक इमारत, उत्पाद या किताब को कैमरे से स्कैन कर तुरंत पहचान सकते हैं।
- **ऑफिस कार्यों में मददगार:** दस्तावेज़ों या प्रिंटेड टेक्स्ट से सीधे टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं — दोबारा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती।
- **भाषा अनुवाद:** किसी भी भाषा में लिखे टेक्स्ट को स्कैन कर तुरंत अनुवाद किया जा सकता है, जो यात्रा या अध्ययन के दौरान बेहद उपयोगी है।
- **खरीदारी को सरल बनाना:** किसी कपड़े, जूते, गैजेट आदि की फोटो लेकर उसे ऑनलाइन खोज सकते हैं और खरीदने के विकल्प प्राप्त कर सकते हैं।
- **शैक्षणिक और अनुसंधान कार्य:** किताबों के अंश, संदर्भ सामग्री या वैज्ञानिक नामों को पहचानकर त्वरित जानकारी एकत्रित की जा सकती है।

कैसे उपयोग करें?

गूगल लेंस एप्लिकेशन इंस्टॉल करें: अधिकांश एंड्रॉइड स्मार्टफोन में गूगल लेंस पहले से इनबिल्ट होता है। यदि नहीं है, तो Google Play Store या Apple App Store से 'Google Lens' एप्लिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं।

गूगल लेंस खोलें: ऐप पर टैप करें या कैमरा ऐप के अंदर मौजूद गूगल लेंस आइकन (आंख के आकार का छोटा चिन्ह) दबाएं।

कैमरा या गैलरी से छवि चुनें:

- कैमरे से क्लिक करें: उस वस्तु की फोटो लें जिसकी जानकारी चाहिए।
- गैलरी से चुनें: पहले से ली गई कोई तस्वीर गैलरी से अपलोड करें।

गूगल लेंस के "उपयोग के विकल्प चुनें" खंड के अंतर्गत कई उपयोगी कार्य किए जा सकते हैं। सर्च विकल्प के माध्यम से किसी भी वस्तु, जगह या पौधे आदि के बारे में जानकारी खोजी जा सकती है। टेक्स्ट कॉपी सुविधा से किसी भी प्रिंटेड या लिखित टेक्स्ट को डिजिटल फॉर्म में बदलकर आसानी से कॉपी किया जा सकता है। अनुवाद विकल्प द्वारा किसी भी भाषा में लिखे शब्दों या वाक्यों का तत्काल अनुवाद संभव है। होमवर्क मदद फीचर के तहत गणितीय सवालों या अन्य शैक्षणिक कार्यों के समाधान खोजे जा सकते हैं। शॉपिंग विकल्प से किसी उत्पाद को पहचानकर उससे जुड़े खरीदारी विकल्प देखे जा सकते हैं। परिणाम का उपयोग करते हुए यदि आपने टेक्स्ट स्कैन किया है तो उसे कॉपी कर किसी अन्य दस्तावेज़ में पेस्ट कर सकते हैं, और यदि किसी वस्तु की पहचान की है तो उसकी विस्तृत जानकारी पढ़ सकते हैं या संबंधित लिंक पर जाकर और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

कल्पना कीजिए, आप किसी पुस्तक मेले में हैं और एक किताब देखकर उसके बारे में जानना चाहते हैं: गूगल लेंस से उसका कवर स्कैन करें → किताब का नाम, लेखक, रेटिंग और खरीदने के विकल्प तुरंत स्क्रीन पर आ जाएंगे। इसी तरह, यदि कोई सड़क पर लगे बोर्ड पर विदेशी भाषा में लिखा हो, तो उसे स्कैन कर आप हिंदी अनुवाद प्राप्त कर सकते हैं।

गूगल लेंस आज के डिजिटल युग में एक अनिवार्य उपकरण बन चुका है, जो हमारी आंखों और इंटरनेट के बीच सेतु का कार्य करता है। चाहे आप विद्यार्थी हों, शोधकर्ता, पत्रकार, या सामान्य उपयोगकर्ता — गूगल लेंस आपके काम को तेज, सटीक और आसान बना सकता है।

8. नोटबुक एलएम (Notebook LM) — गूगल का स्मार्ट व्यक्तिगत सहायक

Notebook LM (LM का मतलब है Language Model) गूगल का एक नया और अभिनव टूल है, जिसे आपके निजी दस्तावेज़ों से जुड़ी जानकारी को पढ़ने, समझने और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बनाया गया है। यह एक तरह का "पर्सनलाइज्ड एआई रिसर्च असिस्टेंट" है जो आपके

अपलोड किए गए नोट्स, रिपोर्ट्स, दस्तावेज़ों, और सामग्री को समझकर उसी से संबंधित सटीक और त्वरित उत्तर प्रदान करता है। यह गूगल के शक्तिशाली जनरेटिव एआई मॉडल पर आधारित है, जो संवादात्मक (Conversational) तरीके से काम करता है। Notebook LM कई कार्यों में अत्यंत उपयोगी है:

- **तेजी से जानकारी खोजें:** किसी बड़े दस्तावेज़ में मैन्युअली खोजने की बजाय सीधे सवाल पूछिए और सही उत्तर पाइए।
- **व्यक्तिगत ज्ञान प्रबंधन**: आपके द्वारा अपलोड किए गए नोट्स, रिपोर्ट्स, प्रेस रिलीज, शैक्षणिक सामग्री आदि से ही उत्तर देता है। इससे गलत या बाहरी जानकारी नहीं मिलती।
- **रिपोर्टिंग और अनुसंधान में मदद**: विशेष रूप से
- पत्रकारों, शोधकर्ताओं, परियोजना प्रबंधकों और छात्रों के लिए यह एक क्रांतिकारी टूल है।
- **राजभाषा में मदद**: हिंदी और अन्य भाषाओं में भी उत्तर प्रदान कर सकता है, जिससे भाषा बाधा कम हो जाती है।

कैसे उपयोग करें?

गूगल खाते के साथ लॉग इन करें: सबसे पहले Notebook LM साइट पर जाएं। अपने **Google Account से साइन इन करें।**

नया Notebook बनाएं: 'Create New Notebook' बटन पर क्लिक करें। आप चाहें तो किसी विशिष्ट विषय पर एक नया नोटबुक बना सकते हैं (जैसे — राजभाषा, प्रशासनिक कार्य, कृषि रिपोर्टिंग, जल संरक्षण परियोजना, आदि)।

दस्तावेज़ अपलोड करें: वर्ड फ़ाइल (.docx), PDF, टेक्स्ट फ़ाइल या गूगल डॉक्यूमेंट से सामग्री अपलोड करें। एक नोटबुक में कई दस्तावेज़ जोड़े जा सकते हैं।

संवाद प्रारंभ करें: अब सीधे सवाल पूछिए! उदाहरण: "इस रिपोर्ट में कौन-कौन सी कृषि योजनाओं का उल्लेख है?" "जल संरक्षण से जुड़े मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?"

Notebook LM अपलोड की गई फ़ाइलों को पढ़कर उसी से संबंधित उत्तर देगा। यह उत्तर संक्षिप्त, सटीक और दस्तावेज़ संदर्भ सहित प्रदान करता है। नोटबुक LM के संदर्भ में "अन्य सुविधाएँ" उपयोगकर्ता के अनुभव को और भी सहज और प्रभावी बनाती हैं। ऑटो समरी सुविधा के माध्यम से बड़े दस्तावेज़ों का त्वरित सारांश तैयार किया जा सकता है, जिससे समय की बचत होती है और मुख्य बिंदु जल्दी समझे जा सकते हैं। प्रश्न सुझाव (Suggested Questions) फीचर तब सहायक होता है जब उपयोगकर्ता स्वयं प्रश्न नहीं बनाना चाहता; ऐसे में सिस्टम खुद उपयुक्त प्रश्नों के सुझाव देता है। उद्धरण के साथ उत्तर (Citation with Answer) विकल्प प्रत्येक उत्तर के साथ स्रोत दस्तावेज़ से प्रामाणिक उद्धरण प्रस्तुत करता है, जिससे जानकारी की विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। इसके अलावा, नोट सेव करना (Save Notes) सुविधा के द्वारा महत्वपूर्ण उत्तरों या जानकारियों को सीधे अपने नोटबुक में सुरक्षित किया जा सकता है, ताकि भविष्य में उन्हें आसानी से पुनः देखा और उपयोग किया जा सके।

मान लीजिए, आपने एक 200 पृष्ठों की कृषि नीति रिपोर्ट अपलोड की है। अब आप सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं: "2020 से 2025 के बीच किन नई नई योजनाओं की शुरुआत हुई?" "कृषि तकनीक नवाचार पर क्या सुझाव दिए गए हैं?" Notebook LM इस लंबी रिपोर्ट को पढ़ेगा और कुछ सेकंड में सटीक उत्तर देगा — और वह भी आपके ही दस्तावेज़ के आधार पर।

Notebook LM एक ऐसा टूल है जो दस्तावेज़ों के भारी ढेर से जानकारी खोजने के झंझट को खत्म कर देता है। चाहे आप रिपोर्ट लिख रहे हों, शोध कर रहे हों या दस्तावेज़ों का विश्लेषण कर रहे हों यह आपकी रफ्तार और गुणवत्ता दोनों बढ़ा सकता है। भविष्य में यह कार्यालयों, पत्रकारिता, शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में अत्यंत उपयोगी बनने जा रहा है।

9. पर्प्लेक्सिटी एआई (Perplexity AI) — एक नए तरीके से जानकारी पाने का माध्यम

Perplexity AI एक एडवांस्ड एआई-संचालित सर्च इंजन और संवादात्मक उत्तर प्लेटफॉर्म है। यह पारंपरिक गूगल सर्च की तरह नहीं है, बल्कि यह आपके सवालों का संक्षिप्त, सीधा और सोर्स-संदर्भ सहित उत्तर प्रदान करता है। यह GPT (Generative Pre-trained Transformer) मॉडल्स और रीयल-टाइम वेब खोज क्षमताओं का मिश्रण है। आसान शब्दों में कहें तो, Perplexity AI एक ऐसा सहायक है जो आपके सवाल का सार कालकर, भरोसेमंद स्रोतों के आधार पर, त्वरित और स्पष्ट उत्तर देता है। Perplexity AI कई मायनों में बेहद उपयोगी है:

- **तेज और भरोसेमंद जानकारी:** लंबी खोज सूची (Search Results) के बजाय सीधा उत्तर देता है।
- **स्रोतों के साथ उत्तर:** हर उत्तर के साथ वेबपेज, रिपोर्ट या समाचार का सीधा संदर्भ मिलता है — जिससे आप सत्यापन कर सकते हैं।
- **विस्तृत शोध में सहायक:** जटिल विषयों पर भी आप विस्तार से और स्टेप-बाय-स्टेप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

हिंदी सहित कई भाषाओं में काम करता है: आप हिंदी में भी प्रश्न पूछ सकते हैं और अनुवादित या मूल स्रोतों से उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।

कैसे उपयोग करें?

वेबसाइट पर जाएं: https://www.perplexity.ai/ पर जाएं। बिना लॉगिन भी सीमित उपयोग संभव है, लेकिन लॉगिन करने से अधिक सुविधाएं मिलती हैं।

प्रश्न टाइप करें या बोलें: सीधे सर्च बॉक्स में अपना सवाल लिखें। उदाहरण: "भारत में जल संरक्षण तकनीक कौन-कौन सी हैं?" या "स्मार्ट खेती (Smart Farming) क्या है?"

उत्तर प्राप्त करें: कुछ ही सेकंड में उत्तर आ जाएगा, जिसमें मुख्य बिंदु, विवरण और नीचे स्रोत लिंक दिखाई देंगे।

स्रोत सत्यापन करें: उत्तर के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके, आप मूल वेबसाइट या लेख पढ़ सकते हैं। इससे जानकारी की विश्वसनीयता बढ़ जाती है।

फॉलो-अप सवाल करें: आप चाहें तो उसी विषय पर और भी गहरे सवाल कर सकते हैं। उदाहरण: "भारत में जल संरक्षण के लिए कौन-सी सरकारी योजनाएँ सक्रिय हैं?"

Perplexity AI एक आधुनिक और शक्तिशाली एआई सर्च और उत्तर प्रणाली है, जो उपयोगकर्ताओं को तेजी से सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसके विशेष सुविधाओं में को-पायलट मोड (Co-Pilot Mode) शामिल है, जो गहन अनुसंधान और लंबे सवाल-जवाब सत्रों में सहायक होता है, जिससे जटिल विषयों पर गहराई से चर्चा संभव होती है। समान प्रश्न सुझाव (Suggested Questions) फीचर के ज़रिए अगर उपयोगकर्ता विषय को और विस्तार से समझना चाहे, तो AI स्वयं अतिरिक्त उपयोगी प्रश्न सुझाता है। साथ ही, सेव और शेयर सुविधा से उपयोगकर्ता महत्वपूर्ण उत्तरों को सेव कर सकते हैं या लिंक के माध्यम से दूसरों के साथ आसानी से साझा कर सकते हैं, जिससे ज्ञान का आदान-प्रदान सरल बनता है।

Perplexity AI की विशेषताएं और लाभ इसे और प्रभावी बनाते हैं। यह निःशुल्क और प्रीमियम दोनों संस्करणों में उपलब्ध है — जहां बुनियादी सेवाएं मुफ्त मिलती हैं, वहीं गहन और विस्तृत शोध के लिए प्रीमियम संस्करण उपलब्ध है। GPT-4 आधारित मॉडल के साथ रीयल-टाइम वेब अपडेट की सुविधा दी गई है, जिससे उपयोगकर्ता नवीनतम जानकारियों तक पहुंच सकते हैं। हर उत्तर के साथ सटीक स्रोत प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है। इसका सहज और सरल इंटरफेस सामान्य उपयोगकर्ताओं से लेकर पेशेवर शोधकर्ताओं तक के लिए इसे बेहद उपयोगी बनाता है।

मान लीजिए, आप पूछते हैं: *"भारत में मिलेट्स (मोटे अनाज) क्यों महत्वपूर्ण हैं?"* Perplexity AI आपको तुरंत एक संक्षिप्त उत्तर देगा: मिलेट्स के पोषण मूल्य, भारत सरकार द्वारा घोषित 'मिलेट्स वर्ष', किसानों और पर्यावरण पर मिलेट्स के प्रभाव, साथ ही स्रोत वेबसाइटों के लिंक जैसे — नीति आयोग, कृषि मंत्रालय आदि।

Perplexity AI आधुनिक खोज और संवादात्मक ज्ञान प्राप्ति का एक शानदार उदाहरण है। यह न केवल आपकी जानकारी तक पहुँचने की गति बढ़ाता है, बल्कि स्रोतों के साथ पारदर्शिता भी सुनिश्चित करता है। भविष्य में शोध, मीडिया, प्रशासन और शिक्षा जगत में इसकी भूमिका और भी अहम होने जा रही है।

भारत सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के विकास और बुद्धिमत्ता मिशन (National AI Mission) है, जिसे नीति आयोग के नेतृत्व में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्मार्ट सिटीज जैसे प्रमुख क्षेत्रों में एआई तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एआई आधारित समाधानों के विकास को प्राथमिकता दी गई है ताकि विभिन्न सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया जा सके।

आम जनता में एआई साक्षरता बढ़ाने के लिए "AI for All" अभियान चलाया गया है, जो व्यापक जागरूकता और बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने पर केंद्रित है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने जिम्मेदार एआई विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से "RAISE" (Responsible AI for Social Empowerment) सम्मेलन का आयोजन भी किया है। विभिन्न मंत्रालय समय-समय पर एआई आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और हैकथॉन का आयोजन कर रहे हैं, जिससे युवाओं और पेशेवरों को एआई के व्यावहारिक अनुप्रयोगों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य भारत को एआई नवाचार और अनुप्रयोग के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाना है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का युग आ चुका है। हिंदी में कार्य करने वाले अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि वे इन एआई टूल्स को अपनाएं और अपने कार्यों को न केवल गति दें, बल्कि गुणवत्ता और दक्षता भी बढ़ाएं। यह केवल तकनीक सीखने का प्रश्न नहीं है, बल्कि अपने राष्ट्र निर्माण में आधुनिक साधनों का उचित उपयोग करने की आवश्यकता भी है।

डॉ. निमिष कपूर भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्तशासी संस्थान बीएसआईपी में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। आपको विज्ञान संचार, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सवों के सफल आयोजनों एवं एआई प्रशिक्षण कार्यशालाओं के सफल नेतृत्व के लिए प्रतिष्ठित पीआरएसआई लीडरशिप अवॉर्ड एवं अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप पांचजन्य, कुरुक्षेत्र, योजना, रोज़गार समाचार, गाँव जंक्शन, अमर उजाला, प्रभात खबर, बाल भारती, आविष्कार, इन्वेन्शन इंटेलिजेंस, विज्ञान प्रगति आदि पत्रिकाओं में नियमित लेखन कर रहे हैं। आकाशवाणी दिल्ली द्वारा 250 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसारणों में बतौर लेखक, चर्चा संचालक या विषय-विशेषज्ञ सहभागिता कर चुके हैं। इंडिया टीवी, ज़ी न्यूज, न्यूज 24, एबीपी न्यूज, इंडिया न्यूज आदि टीवी समाचार चैनल पर विज्ञान संबंधी चर्चाओं में आप एक जाना-पहचाना नाम हैं। संयुक्त राष्ट्र संस्थानों, इंग्लैंड के हेल्थ फिल्म फेस्टिवल, विश्व विद्यालयों, शैक्षिक संस्थाओं एवं प्रसार भारती आदि संस्थानों में निर्णायक समूहों व समितियों के अध्यक्ष व सदस्य के रूप में जुड़े रहे हैं।

ईमेल: nimish2047@gmail.com

सरकारी कामकाज में हिंदी प्रयोग की तकनीकियां

डॉ. श्याम सुंदर कथूरिया, निदेशक (राजभाषा), ई एस आई सी, नई दिल्ली

अभी तक हमने हिंदी के संसार एवं विविध आयामों के बारे में बहुत पढ़ा और जाना होगा, परंतु हमें हिंदी के ई-संसार एवं इसके आयामों के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी। सूचना प्रौद्योगिकी के युग में इस विषय से सुभिज्ञ होना भी आवश्यक है। यह एक ऐसा क्षेत्र है, जिसके बारे में बहुत अधिक चिंतन नहीं हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि इस क्षेत्र में हुए विकास, प्रगति एवं अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाए। यह जाना जाए कि हिंदी के ई-जगत में क्या कुछ हो रहा है।

यहां मैं यह नहीं बताना चाहूंगा कि हिंदी ने देश में क्या ख्याति अर्जित की है, अपितु कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार भारत ने विश्व में अपना गौरव बढ़ाया है, उसी प्रकार आज हिंदी विश्व की सबसे सशक्त उभरती हुई भाषाओं में से एक मानी जा रही है। भारत सरकार भी विदेशों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने तथा हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रस्तुत करने और दुनिया भर में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बहुत अधिक प्रयास कर रही है। परिणामस्वरूप विश्व के अनेक देशों में इस भाषा के प्रयोक्ता मिल जाते हैं और कुछेक देशों की तो यह आधिकारिक भाषा भी है। विदेशों के लगभग 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में इसका किसी-न-किसी रूप में पठन-पाठन होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के प्रयोजन से अपने सभी कामकाज और आवश्यक संदेशों के प्रसार के लिए हिंदी भाषा को भी मान्यता दे दी है। अब हिंदी इस संघ की सातवीं आधिकारिक भाषा बनने के लिए तैयार है। अमरीका में लोग इस भाषा को अंग्रेजी के बाद दूसरी बड़ी भाषा मानते हैं। यहां के विद्यालयों में अब इसे दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाने की स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है। ब्रिटेन के विद्यालयों में भी हिंदी को दूसरी भाषा के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है। फरवरी, 2019 से हिंदी आबूधाबी न्यायालय की तीसरी आधिकारिक भाषा है। भारत को विश्व का एक बड़ा बाजार माना जाता है, इस कारण अमरीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में प्रबंधन की उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को हिंदी भाषा का भी ज्ञान दिया जा रहा है।

वर्ष 1975 से अलग-अलग देशों में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। हिंदी भाषा को संसार के सर्वोत्कृष्ट संपर्क माध्यम के रूप में माना गया है। विदेशों में अनेक समाचार पत्र-पत्रिकाएं लगभग नियमित रूप से हिंदी में प्रकाशित हो रही है। हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में प्रचार तथा हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए मंच तैयार करने के उद्देश्य से 11 फरवरी, 2008 को विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की गई।

सूचना प्रौद्योगिकी की दृष्टि से देखा जाए तो इस समय ई-युग चल रहा है। प्रस्तुत आलेख भी हिंदी के ई-संसार के विविध आयामों से संबंधित है। यहां 'ई' अक्षर एक उपसर्ग या संक्षिप्तीकरण के रूप में

प्रयुक्त हुआ है, जिसका अभिप्राय है- 'इलेक्ट्रॉनिक'। इलेक्ट्रॉनिक का अर्थ है- किसी गतिविधि को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों- कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्ट टीवी आदि या सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग से निष्पादित करना। यह सूचना प्रौद्योगिकी, व्यवसाय और इंटरनेट से जुड़ी या प्रसारित होने वाली लगभग किसी भी चीज को संदर्भित करता है। इसके उपयोग के कुछ उदाहरणों में ई-बिजनेस, ई-कॉमर्स, ई-बुक, ई-मेल आदि शामिल हैं। इसके प्रकार्य में विद्युत ऊर्जा लगती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है और इनके उपकरण इलेक्ट्रॉनिक घटकों से बने होते हैं।

हिंदी की वैश्विक स्थिति तथा इलेक्ट्रॉनिक की परिभाषा को समझने के बाद अब हम जानेंगे कि हिंदी के ई-संसार के विविध आयाम क्या-क्या हैं? प्रारंभ में, जो सूचना प्रौद्योगिकी केवल अंग्रेजी में उपलब्ध थी, आज वह हिंदी में भी सुलभ है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे सर्च इंजनों और इनके वेब ब्राउजरों ने अपने सभी उत्पादों को विश्व की अन्य भाषाओं सहित हिंदी में भी उपलब्ध कराया है, इससे हिंदी के ई-संसार का दायरा दिन-प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के अंतर्गत स्वदेशी सूचना प्रौद्योगिकी के नए-नए आविष्कारों के साथ-साथ इसमें अनेक विकल्प देखने को मिल रहे हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है

1. यदि शुरुआत हिंदी साहित्य से की जाए तो हमें ज्ञात होता है कि हिंदी का नव रचित साहित्य ही नहीं अपितु पूर्व साहित्यकारों की हिंदी कविताएं, निबंध, कहानियां, उपन्यास या अन्य विधाएं भी अब डिजिटल रूप में हमारे पास उपलब्ध हैं। आज हिंदी समाचार पत्र-पत्रिकाएं या पुस्तकें ई-बुक या ई-पब्लिकेशन के रूप में तैयार हो रही हैं। इनकी बिक्री अमेज़ॉन और किंडल पर बहुतायत में हो रही है। कुछ सरकारी और गैर-सरकारी हिंदी संस्थाएं हिंदी साहित्य को अपनी वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध करा रही हैं। ब्लॉग के माध्यम से भी हिंदी रचनाओं को आगे बढ़ने के व्यापक अवसर मिले हैं।

2. आधुनिक मीडिया, विशेषतः सोशल मीडिया, जैसे- व्हाट्सएप, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन आदि संप्रेषण और संचार के त्वरित, सशक्त एवं लोकप्रिय माध्यम हैं। इन सब पर हम अपने संदेश हिंदी में भेजने और पढ़ने में समर्थ हो चुके हैं। विश्व के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में यूनिकोड समर्थन उपलब्ध होने के कारण टंकित पाठ गार्बेज या जंक कैरेक्टर्स में नहीं बदलता। पूरे विश्व में प्रचलित सभी ई-मेल प्लेटफार्म, जैसे-गूगल, याहू, आउटलुक आदि के माध्यम से हम अपनी मेल हिंदी में भेज सकते हैं। इतना ही नहीं, "डाटामेल, भारत" वर्ष 2016 से ई-मेल का पता हिंदी में बनाने की सुविधा दे रहा है, अर्थात अब हमें अंग्रेजी पते पर आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है।

3. हिंदी का प्रचार-प्रसार करने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सैंकड़ों सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं, जैसे- साहित्य अकादमी, राज्य स्तरीय हिंदी अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, राज्य स्तरीय हिंदी ग्रंथ अकादमी, केंद्रीय हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, विश्व हिंदी सचिवालय, वैश्विक हिंदी परिवार, वैश्विक हिंदी संस्थान, साहित्य कुंज आदि के बारे में कोई भी जानकारी संसार के किसी भी कोने में बैठकर संबंधित वेबसाइट पर हिंदी में प्राप्त की जा सकती है। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सहायता से हिंदी के ई-संसार का ऐसा स्वरूप विकसित कर दिया है, जैसा पहले कभी नहीं था।

4. इतना ही नहीं कोविड महामारी के दौरान जब पूरा विश्व शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए सामाजिक रूप से अलग-थलग पड़ा था, ऐसे समय में हिंदी से जुड़ी संस्थाओं ने ही इन्टरनेट और गूगल मीट, जूम, वेबेक्स जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग करके ऑनलाइन आभासी संगोष्ठियों, बैठकों, कार्यशालाओं, कार्यक्रमों आदि के माध्यम से न केवल आपस में एक-दूसरे को जोड़े रखा, अपितु हिंदी के ई-संसार को पहले से

अधिक समृद्ध किया।

5. अभी हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी का एक नवीनतम स्वरूप उभर कर सामने आया है। इसके अंतर्गत ओपन एआइ चैट जीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट बिंग चैट और गूगल बार्ड जैसे चैट बॉट हिंदी में कोई भी जानकारी देने में सक्षम और समर्थ हैं। इनमें, हिंदी में हर वह सुविधा उपलब्ध है, जो किसी दूसरी भाषा में है। इनमें आप संसार के किसी भी विषय पर हिंदी में प्रश्न टंकित कर हिंदी में ही उत्तर प्राप्त कर सकते हैं।

6. हिंदी के ई-संसार को विस्तार देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका टीवी चैनलों ने भी निभाई है। उपग्रहों के माध्यम से हम संसार के हर देश में हिंदी समाचार, मनोरंजन, ज्ञान-विज्ञान, खेल-कूद, अध्यात्म आदि के चैनल आसानी से देख सकते हैं। इन पर प्रसारित कार्यक्रमों के माध्यम से हम विदेश की धरती पर भी स्वयं को हिंदी से जुड़ा हुआ पाते हैं।

7. हम अपने मोबाइल फोन में ई-कॉमर्स के अंतर्गत जितने भी वाणिज्यिक, बैंकिंग, लेनदेन आदि एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर, जैसे- भीम यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे का प्रयोग करते हैं, वे सभी हिंदी इंटरफेस के साथ-साथ हिंदी इनपुट का भी समर्थन करते हैं।

8. आज विश्व में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे- कंप्यूटर, पामटॉप, मोबाइल फोन आदि हैं, उन सभी में यूनिकोड हिंदी टंकण की सुविधा इनबिल्ट या सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुलभ है। इनमें हिंदी टंकण के एकसे बढ़कर एक सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध हैं, जैसे- देवनागरी या रोमन लिपि से फोनेटिक हिंदी टंकण, हिंदी में बोलकर वॉइस टाइपिंग, स्टाइलस या उंगली की नोक से स्क्रीन पर लिखकर टंकण, माउस के माध्यम से लिखकर टंकण, ऑनस्क्रीन कुंजी पटल पर हिंदी अक्षरों को क्लिक करके टंकण करना आदि।

अब विंडोज जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस भी देवनागरी में परिवर्तित किए जा सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस स्युट भी हिंदी विकल्प देता है।

9. विभिन्न सॉफ्टवेयरों और एप्लीकेशनों की आपसी स्पर्धा के चलते हमारे पास हिंदी शब्दकोष एवं मशीन अनुवाद के सैंकड़ों सरकारी और गैर-सरकारी टूल उपलब्ध हैं। इनमें प्रमुख हैं- वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के ई-शब्दकोष, अनुवादिनी, भाषिणी, गूगल ट्रांस्लेट, बिंग ट्रांस्लेटर, हिन्खोज आदि। इनके अतिरिक्त राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित स्मृति आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर 'कंठस्थ' नवीनतम प्रौद्योगिकी से लैस है। अनुवादिनी ने तो सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकाधिक टूल्स को हिंदी में ही एक ही स्थान पर लाने का प्रयास किया है।

10. हिंदी भाषा को विश्व के जन-जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी साहित्य और ज्ञान-विज्ञान के साथ-साथ व्याकरण को भी इंटरनेट पर सुलभ कराया गया है। इसके अंतर्गत हिंदी भाषा सीखने वालों के लिए 'डुओलिंगो' जैसे एप्लिकेशन सहित राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित स्वयं शिक्षण पैकेज पाठ्यक्रम 'लीला', 'लीला हिंदी प्रवाह' सॉफ्टवेयर और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय हिंदी निदेशालय एवं वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के सहयोग से निर्मित 'हिंदी शब्द सिंधु' जैसे शब्दकोष उल्लेखनीय हैं।

11. भारत सरकार की सभी वेबसाइट अनिवार्य रूप से हिंदी में भी होती हैं। इनके अनुसरण में कुछ प्राइवेट वेबसाइट भी हिंदी में देखने को मिल जाती हैं। इतना ही नहीं, अब वेबसाइट के पते या यूआरएल हिंदी में भी बनाए जा रहे हैं, जैसे- 'राजभाषा. सरकार. भारत' आदि। इंटरनेट पर ज्ञान का भंडार हिंदी भाषा में होना ही हिंदी के ई-संसार की वास्तविक उपस्थिति है।

12. विश्व में उपलब्ध प्रमुख वेब ब्राउज़र जैसे- गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, एप्पल सफारी आदि सभी

खोज एवं इंटरफेस की सुविधा हिंदी में भी देते हैं। इनके अतिरिक्त गूगल असिस्टेंट, माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना वर्चुअल असिस्टेंट, एलेक्सा आदि हिंदी संवाद भी करते हैं। इनके द्वारा बनाए गए एप्लीकेशनों में भी हिंदी की सुविधा रहती है।

13. विविध टूल, जैसे- पाठ से वाक्, अकादमिक शिक्षा एवं हिंदी शिक्षण से संबंधित सॉफ्टवेयर, वर्तनी परीक्षक, प्रकाशित संप्रतीक अभिज्ञान (ओसीआर) आदि हिंदी में आधुनिक तकनीक संपन्न हैं। गूगल लेन्स की न केवल हिंदी ओसीआर सुविधा अपितु अन्य विशेषताएं भी अतुलनीय हैं।

अंतर्राष्ट्रीय संगठन 'संयुक्त राष्ट्र संघ' ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हिंदी सोशल मीडिया अकाउंट के साथ-साथ यूएन न्यूज की एक हिंदी वेबसाइट भी लॉन्च की है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र अपने कार्यक्रमों को संयुक्त राष्ट्र रेडियो पर हिंदी में प्रसारित करता है और अगस्त 2018 से साउंड क्लाउड पर एक साप्ताहिक हिंदी समाचार बुलेटिन जारी कर रहा है, हिंदी में एक संयुक्त राष्ट्र ब्लॉग प्रकाशित करता है और इसके द्वारा यूएन न्यूज रीडर मोबाइल एप्लिकेशन का हिंदी प्रारूप भी प्रदान किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने वर्ष 2022 में भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का विवरण अपनी वेबसाइट पर हिंदी में प्रकाशित करने पर सहमति व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र, हिंदी को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों की सराहना करता रहा है और इसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी नियमित रूप से हिंदी में समाचार प्रसारित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के हिंदी सोशल मीडिया अकाउंट हर वर्ष लगभग 1000 पोस्ट प्रकाशित करते हैं। ट्विटर पर इसके लगभग 50,000; इंस्टाग्राम पर 29,000 और फेसबुक पर 15,000 फॉलोअर्स हैं। हिंदी संयुक्त राष्ट्र समाचार वेबसाइट पर लगभग 1.3 मिलियन वार्षिक इंप्रेशन हैं और इसके साथ ही यह इंटरनेट सर्च इंजनों में शीर्ष दस में बनी हुई है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, जापान, चीन जैसे देशों में हिंदी रेडियो चैनल हैं या हिंदी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

ऊपर हमने हिंदी का विशाल ई-संसार जाना। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन सुविधाओं का भरपूर प्रयोग करें। यदि इन सुविधाओं का उपयोग हम नहीं करेंगे तो हिंदी में अन्य नई सुविधाएं हमें कोई नहीं देगा। फलस्वरूप मौजूदा सुविधाएं भी बंद हो जाएंगी।

वर्णित उपलब्धियां के बावजूद अभी भी अनेक ई-क्षेत्र ऐसे हैं, जहां हिंदी को अपनी पताका फहरानी है। हम आज भी हिंदी पीडीएफ़ फ़ाइल आसानी से एडिटेबल फॉर्मेट में प्राप्त नहीं कर पाते। सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश होने और विश्व की पांच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बाद भी कई बार ऐसे विदेशी एप्लीकेशन अथवा सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाते हैं, जहां हिंदी को स्थान नहीं दिया जाता। इसी प्रकार कभी-कभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, जैसे- रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन आदि के प्रयोक्ता मेनुअल हिंदी में नहीं होते। जबकि थाईलैंड, मलेशिया, पुर्तगाल जैसे छोटे-छोटे देशों की भाषाओं के विकल्प वहां उपलब्ध रहते हैं। यह अपमानजनक प्रतीत होता है। इसका उपाय यह है कि हिंदी की सुविधा तथा उपस्थिति पहले हमें अपने देश के स्तर पर सुनिश्चित करानी होगी, उसके पश्चात विदेशी लोग अपने-आप इसे संज्ञान में लेंगे।

उपर्युक्त के आलोक में समग्रतः यह स्पष्ट है कि इस समय विश्व में जितने भी ऐप्लिकेशन, सॉफ्टवेयर, टूल या उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि हैं, उनमें यथासंभव हिंदी की सुविधा अथवा विकल्प भी प्रदान कराया जा रहा है। इसका आशय यह है कि जो सुविधाएं अंग्रेजी में या विश्व की अन्य भाषाओं में हैं, वे हिंदी में भी सुलभ हैं। हिंदी का ई-जगत भारतीय जन-समुदाय के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान है। यह इस संसार में एक सेतु का कार्य कर रहा है। उल्लेखनीय है कि ये सभी सुविधाएं डेस्कटॉप संस्करण के साथ-साथ मोबाइल संस्करण में भी उपलब्ध हैं तथा ये सब केवल भारत तक सीमित नहीं हैं, अपितु 'ई' रूप में होने के कारण पूरे विश्व

के लिए प्राप्य हैं। अच्छी बात यह है कि इन साधनों के सेवा प्रदाता एक नहीं अपितु अनेक हैं और इनमें से अधिकांश निःशुल्क हैं।

आज विश्व की लगभग 62% जनसंख्या इंटरनेट का प्रयोग कर रही है। इसका अर्थ यह है कि लगभग पांच अरब लोग हिंदी के ई-संसार का लाभ उठा सकते हैं। इंटरनेट पर हिंदी सामग्री की आशातीत वृद्धि के कारण लोगों द्वारा इसका प्रयोग भी गुणात्मक रूप से बढ़ रहा है। आने वाले समय में उच्च शिक्षा या शोध आदि के क्षेत्र में ई-ज्ञान की संभावनाएं प्रबल होंगी। कृत्रिम बुद्धि की सहायता से हिंदी का ई-संसार अनंत विस्तार पा सकता है। भविष्य में सूचना प्रौद्योगिकी निश्चित ही हिंदी भाषा को न केवल संरक्षित अपितु संवर्धित भी करेगी।

सत्र की गतिविधियां

सत्र की संचालिका डॉ. मोनिका सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक, आईसीएआर -एनबीपीजीआर ने सत्र का आरंभ अध्यक्ष, प्रो. कुमुद शर्मा, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, वक्ता, डॉ. श्याम सुंदर कथूरिया और सभागार में उपस्थित प्रतिभागियों और श्रोतागणों के अभिनंदन से किया। उसके बाद उन्होंने वक्ता और अध्यक्ष के कार्यकलापों और हिंदी क्षेत्र में उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण देते हुए परिचय दिया।

वक्ता का भाषण:

विषय - सरकारी कामकाज में हिंदी प्रयोग की तकनीकियाँ

डॉ. श्याम सुंदर कथूरिया

सत्र के वक्ता ने प्रौद्योगिकी की सहायता से कार्यालयीन कार्य को सरल और प्रभावी बनाने के विषय पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सरल एवं सुगम भाषा में यह बताया कि कैसे आधुनिक तकनीकी साधनों का उपयोग करके कार्यालय में हिंदी में कार्य करना सहज हो सकता है।

राजभाषा और तकनीकी सुविधाएँ

उन्होंने राजभाषा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट (rajbhasha.gov.in) पर नि:शुल्क अनुवाद सुविधा की उपलब्धता की जानकारी दी। साथ ही यह भी उल्लेख किया कि प्रौद्योगिकी किसी एक भाषा तक सीमित नहीं है, बल्कि अब वेबसाइट के URL राजभाषा हिंदी सहित स्थानीय भाषाओं में भी बनाए जा रहे हैं, जिससे भाषाई विविधता और सुगमता बढ़ रही है।

यूनिकोड और उसके महत्व पर चर्चा

सत्र में पाठ की पठनीयता से जुड़ी समस्याओं पर भी विचार किया गया, विशेष रूप से यूनिकोड नॉन-फॉन्ट के कारण कार्यालीन दस्तावेज़ों को पढ़ने में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा हुई. वक्ता ने समाधान के रूप में यूनिकोड फॉर्मेट में काम करने की आवश्यकता बताई और सुझाव दिया कि Rajbhasha.net पर जाकर अंग्रेजी टेक्स्ट को हिंदी में कन्वर्ट करने से अधिक शुद्ध परिणाम मिलते हैं।

उन्होंने वर्ष 2008 के कार्यालय निर्देशों के पालन और उनके प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसके बाद, वक्ता ने यूनिकोड की अवधारणा को समझाते हुए बताया कि यह दुनिया की 159 लिपियों के 1,44,697 अक्षरों के लिए एक मानकीकृत कूटलेखन प्रणाली है। उन्होंने यूनिकोड कंसोर्टियम और देवनागरी यूनिकोड कैरेक्टर सिस्टम की कार्यप्रणाली और महत्व पर भी चर्चा की।

विंडोज और MS ऑफिस में हिंदी टाइपिंग की विधियाँ

उन्होंने बताया कि किस प्रकार विंडोज और MS ऑफिस में हिंदी में टाइप करने के लिए सेटिंग्स बदली जा सकती हैं। डॉ. कथूरिया जी ने कंप्यूटर

पर हिंदी टाइपिंग के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी, जिनमें शामिल हैं:

1. इनस्क्रिप्शन (Inscript)
2.इनस्क्रिप्ट टाइपिंग ट्यूटर (Inscript Typing Tutor)
3.फोनेटिक (स्वनिक) या लिप्यंतरण (Transliteration)
4. ऑन-स्क्रीन बोर्ड (टास्कबार पर "OSK" टाइप करें)
5. लिखकर हिंदी टंकण
6. हस्तलेखन से टेक्स्ट (Scribble)
7. MS ऑफिस में बोलकर टाइप करना
8. विंडोज 11 में वॉयस टाइपिंग (Windows + H)
9. वाक् से पाठ (स्वतंत्र स्पीच रिकग्निशन सिस्टम - Independent Speech Recognition System)
10. मोबाइल फोन पर गूगल डॉक्स में कार्य
11. गूगल ट्रांसलेट या मैसेंजर में बोलकर टंकित पाठ का प्रयोग
12. वन ड्राइव (OneDrive) का उपयोग

ई-ऑफिस (eOffice) और हिंदी में स्वचालित उत्तर (Automatic Reply)

इसके बाद, उन्होंने ई-ऑफिस (eOffice) में हिंदी में स्वचालित उत्तर (Automatic Reply) टाइप करने की प्रक्रिया को समझाया। इस विषय में प्रतिभागियों की विशेष रुचि रही और उन्होंने इस पर कई प्रश्न पूछे।

ऑडियो/वीडियो फ़ाइल को टेक्स्ट में बदलने के साधन

तत्पश्चात, उन्होंने ऑडियो और वीडियो फ़ाइलों को टेक्स्ट में परिवर्तित करने के तरीकों पर चर्चा की। साथ ही, उन्होंने शब्द शिक्षा पोर्टल (https://shabd.education.gov.in) के प्रशा-सनिक शब्दावली अनुभाग के उपयोग की जानकारी दी, जिससे सरकारी कार्यालयों में शुद्ध हिंदी शब्दावली का उपयोग किया जा सके।

हिंदी में अनुवाद के लिए आधुनिक तकनीकी साधन

डॉ. कथूरिया जी ने अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के विभिन्न तरीकों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने मशीनी अनुवाद (Machine Translation) और MS Word में अनुवाद सुविधाओं के अलावा निम्नलिखित प्रमुख अनुवाद उपकरणों की जानकारी दी:

1. "कंठस्थ" (rajbhasha.gov.in पर उपलब्ध) – हिंदी में सटीक और सुरक्षित अनुवाद के लिए।
2. "अनुवादिनी" (anuvadini.aicte-india.org) – तकनीकी एवं अकादमिक अनुवाद के लिए।
3. "भाषिणी" (bhashini.gov.in) – मल्टी-लैंग्वेज अनुवाद और AI-सक्षम अनुवाद के लिए।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और सचित्र अनुवाद (Visual Translation) का उपयोग

उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित अनुवाद और सचित्र अनुवाद (Visual Translation) को अपनाने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि AI तकनीक के माध्यम से कार्यालयों में बड़े हिंदी कार्यों को अधिक कुशलता और तीव्रता से संपन्न किया जा सकता है।

डॉ. कथूरिया जी ने सत्र को अत्यंत व्यावहारिक एवं ज्ञानवर्धक बनाया। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के प्रश्नों का उत्तर बड़े ही तन्मयता से दिया और सभी को राजभाषा हिंदी के अधिकतम तकनीकी उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि कैसे आधुनिक डिजिटल उपकरणों और AI तकनीक का उपयोग करके कार्यालयीन हिंदी कार्यों को अधिक प्रभावी, सुगम और दक्ष बनाया जा सकता है।

सत्र के दौरान हुई चर्चा

प्रश्न: हम **eOffice** में टेम्पलेट का उपयोग कैसे कर सकते हैं?

उत्तर:

1. ई-ऑफिस लॉगिन करें – अपने आधिकारिक

क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके eOffice में लॉगिन करें।

2. ड्राफ्टिंग सेक्शन खोलें – नया पत्र/नोटशीट बनाने के लिए ड्राफ्टिंग विकल्प पर जाएं।

3. टेम्पलेट चुनें – पहले से बने टेम्पलेट लाइब्रेरी में जाकर आवश्यक टेम्पलेट का चयन करें।

4. अपनी जानकारी जोड़ें – टेम्पलेट में आवश्यक पाठ, नाम, तिथि, विभागीय विवरण आदि जोड़ें।

5. फॉर्मेटिंग करें – यदि आवश्यक हो, तो टेम्पलेट के टेक्स्ट और फॉर्मेट को संपादित करें।

6. अंतिम समीक्षा करें – सबमिट करने से पहले टेम्पलेट के सभी विवरणों को दोबारा जांच लें। भेजें या डाउनलोड करें – दस्तावेज़ को ई-फाइलिंग के लिए सबमिट करें या आवश्यकतानुसार. डाउनलोड करें।

नोट: कुछ संस्थानों में कस्टम टेम्पलेट बनाने और संरक्षित टेम्पलेट का उपयोग करने की भी सुविधा होती है।

अध्यक्ष द्वारा उद्बोधन

डॉ. कुमुद शर्मा

अध्यक्षीय भाषण में डॉ. कुमुद शर्मा ने इस बात पर ज़ोर दिया कि तकनीक के साथ कदमताल बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है अन्यथा आज के इस तकनीकी युग में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। उन्होंने बताया कि आधुनिक युग में तकनीक तेजी से विकसित हो रही है और यदि हम समय के साथ स्वयं को अपडेट नहीं करते हैं, तो इससे न केवल हमारी कार्यक्षमता प्रभावित होगी, बल्कि हमारा पेशेवर और शैक्षणिक विकास भी बाधित हो सकता है।

डॉ. शर्मा ने तकनीकी साक्षरता को समय की मांग बताते हुए कहा कि सरकारी एवं निजी संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए यह आवश्यक है कि वे नई तकनीकों को अपनाने और और सीखने के लिए तत्पर रहें। उन्होंने इस संदर्भ में ई-ऑफिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), मशीन ट्रांसलेशन, वॉइस टाइपिंग और डिजिटल टूल्स जैसे नवाचारों की चर्चा की, जो कार्य को अधिक सुगम, तेज़ और प्रभावी बनाते हैं।

इसके साथ ही, उन्होंने इस बात पर भी विशेष प्रकाश डाला कि किसी भी तकनीक के विस्तार के लिए भाषा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने बताया कि यदि किसी तकनीक को अधिक व्यापक रूप से अपनाना है, तो उसे स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराना

आवश्यक है। भाषा ही वह माध्यम है जो ज्ञान, विचार और सूचना के प्रसार को सुगम बनाती है। यदि तकनीक केवल कुछ गिनी-चुनी भाषाओं तक सीमित रहेगी, तो उसका लाभ संपूर्ण समाज तक नहीं पहुँच पाएगा।

डॉ. शर्मा ने उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे यूनिकोड, मशीन अनुवाद (Machine Translation), ट्रांसलिटरेशन, और AI-आधारित भाषाई टूल्स ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी कार्य को सरल बनाया है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सरकारी और निजी संस्थानों में हिंदी सहित भारतीय भाषाओं को तकनीकी कार्यप्रणाली में अधिकाधिक अपनाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। अंत में, उन्होंने सभी प्रतिभागियों को प्रेरित करते हुए कहा कि भविष्य उन्हीं का है जो तकनीक को अपनाने के लिए तैयार हैं। यदि हम भाषा और तकनीक के समन्वय को समझकर कार्य करेंगे, तो न केवल हमारी कुशलता बढ़ेगी, बल्कि हम एक डिजिटल भारत के निर्माण में भी योगदान दे सकेंगे।

धन्यवाद प्रस्ताव

श्री आशुतोष कुमार उप-निदेशक (राभा), जी ने

श्याम सुंदर कथूरिया जी का प्रौद्योगिकी की सहायता से कार्यालय कार्य को सरल और प्रभावी बनाने के विषय से अवगत कराने के लिए धन्यवाद किया । उन्होने प्रो. कुमुद शर्मा जी का अध्यक्षीय उद्बोधन, तथा डॉ. वर्तिका श्रीवास्तव, और डॉ. कुलदीप त्रिपाठी, का सत्र की रिपोर्ट संकलन के लिए धन्यवाद किया और सत्र के समापन में सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह दे कर सम्मानित करने से किया गया।

संदर्भ

1.https://mea.gov.in/lok-sabha-hi.htm?dtl/36920/QUESTION+NO1390+INCLUSION+OF+HINDI+IN+UN

2.https://hindi.news18.com/news/world/united-nations

3. विश्व में हिंदी का स्थान। हिंदीकुंज, Hindi Website/Literary Web Patrika (hindikunj.com)

सरकारी कार्यालयों में राजभाषा की नीति योजनाएँ एवं वार्षिक कार्यक्रम

डॉ. रमेश आर आर्य, पूर्व निदेशक, भारत सरकार (संस्कृति मंत्रालय)

"अखिल भारतीय स्तर पर विचार-विमर्श के लिए हमें भारतीय भाषाओं में से एक ऐसी भाषा की जरूरत है जिसे देश के सबसे ज्यादा लोग पहले से जानते-समझते हों और जिसे दूसरे लोग आसानी से सीख सकें।"

-महात्मा गांधी

भारत विभिन्न भाषाओं का देश है। जैसी कि एक कहावत है--"हर दो मील पर पानी बदले और हर चार मील पर बानी"। 1961 की जनगणना के अनुसार भारत में 1652 से अधिक बोलियां हैं जो पांच अलग-अलग भाषा परिवारों के अंतर्गत आती हैं। 1991 की जनगणना में लोगों ने मतगणना के कागजात में मोटे तौर पर 10,400 बोलियों को अपनी मातृभाषा बताया था। युक्तिसंगत विश्लेषण के बाद देश में मातृभाषाओं की संख्या 1576 तय की गयी। 2001 की जनगणना में इसका और विश्लेषण करने के बाद से भाषाओं की कुल संख्या 122 और बोलियों की 234 तय की गयी। संविधान की आठवीं अनुसूची के अनुसार देश में 22 अनुसूचित भाषाएं हैं जो इस प्रकार हैं— (1) असमिया, (2) बंगाली, (3) गुजराती, (4) हिंदी, (5) कन्नड, (6) कश्मीरी, (7) कोंकणी, (8) मलयालम, (9) मणिपुरी, (10) मराठी, (11) नेपाली, (12) ओड़िया, (13) पंजाबी, (14) संस्कृत, (15) सिंधी, (16) तमिल, (17) तेलुगू, (18) उर्दू , (19) बोडो, (20) संस्कृत, (21) मैथिली, (22) डोगरी।

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हालांकि हर भाषा ने औपनिवेशिक ताकत के खिलाफ संघर्ष में अपनी भूमिका निभाई, मगर तभी एक राष्ट्रीय भाषा का सवाल उठा और इसकी आवश्यकता महसूस की गयी। भांति-भांति की भाषाओं और बोलियों वाले भारत जैसे देश में लोगों को समग्र राष्ट्र के रूप में एकजुट रखने के लिए एक साझा भाषा की आवश्यकता होती है। लोगों को एकजुट करने और राष्ट्र निर्माण का यह महत्वपूर्ण कार्य कौन सी भाषा कर सकती है? इस सवाल का जवाब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोडक़र भला और किस के पास बेहतर हो सकता है जिन्होंने हमेशा एक राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता पर जोर दिया। 1917 में भरुच में गुजरात शिक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि हिंदी एकमात्र भाषा है जिसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में अंगीकार किया जा सकता है क्योंकि यही एक ऐसी भाषा है जो देश के अधिसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है। इसमें आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक संवाद के लिए संपर्क भाषा बनने की क्षमता है। स्वतंत्रता के बाद हिंदी ने, जो उस वक्त विभिन्न भाषायी समूहों के जबरदस्त दबाव का समाना कर रही थी, राष्ट्र के एकीकरण की भाषा के रूप में अपने को साबित किया। भारत की संविधान सभा ने भी इसे अंग्रेजी के साथ राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर, 1949 को अधिसूचित किया गया और इसी की स्मृति में हर साल इसी तारीख को हिंदी दिवस मनाया जाता है।

आज 40 करोड़ से अधिक भारतीय हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी में हिंदी बोल सकने वालों की संख्या 41 प्रतिशत है। यह बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों की भाषा है। इसके अलावा अमेरिका, मारीशस, दक्षिण अफ्रीका, यमन, न्यूजीलैंड और नेपाल जैसे विश्व के विभिन्न देशों में रहने वाले भारतवंशी भी हिंदी बोलते हैं जिससे यह दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में तीसरे स्थान पर है

हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय

हिंदी को संस्कृत की पुत्री माना जाता है जो देवभाषा मानी गयी है। संस्कृत अविभाजित भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमांत में आकर बसने वाले आर्यों द्वारा बोली जाती थी। यह इंडो-यूरोपियन भाषा परिवार के अंतर्गत आधुनिक इंडो-आर्य समूह की सदस्य है। क्लासिकल संस्कृत से पालि-प्राकृत और अपभ्रंश का रूप धारण करते हुए यह बीते युगों में विकास के विभिन्न चरणों से होकर गुजरी है। हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप को ईसा के बाद की 10वीं सदी में हिंदुवी, हिन्दुस्तानी और खड़ी बोली के रूप में खोजा जा सकता है। लेकिन हिंदी का साहित्यिक इतिहास 12वीं सदी से प्रारंभ होता है और इसका आधुनिक अवतार यानी आज की हिंदी करीब तीन सौ साल पुरानी है।

पृष्ठभूमि : प्राकृत और क्लासिकल संस्कृत का काल (तारीखें अनुमानित हैं)

750 ई. पू. :वेदोत्तिर संस्कृति का क्रमिक उद्भव

500 ई. पू. :बौद्धों और जैनों के प्राकृत ग्रंथों का अभ्युदय (पूर्वी भारत)

400 ई. पू. : पाणिनि द्वारा वैदिक संस्कृति से पाणिनि कालीन संस्कृत में बदलाव का संकेत देने वाले संस्कृत व्याकरण का प्रणयन

322 ई. पू. : मौर्यों के ब्राह्मी लिपि के शिलालेख प्राकृत (पाली में)

250 ई. पू. : क्लासिकल संस्कृत का जन्म (विद्यानाथ राव)

100-100 ई. तक ई. सन् : शिलालेखों में प्राकृत का स्थान धीरे-धीरे संस्कृत ने लिया

320 ई. : गुप्त या सिद्ध-मातृका लिपि का जन्म अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का उद्भव

400 ई. : कालिदास के विक्रमोर्वशीयम् में अपभ्रंश

550 ई : वल्लभी के धारा सेना शिलालेख में अपभ्रंश साहित्य

779 ई. : उद्योतन सूरी ने 'कुवलयमाला' क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया।

769 ई. : सिद्ध सरहपाद द्वारा दोहाकोश का

प्रणयन; उन्हें हिंदी का पहला कवि माना जाता है।

800 ई. : इसके बाद का ज्यादातर संस्कृत साहित्य टीकाओं के रूप में है। (विद्यानाथ राव)

933 ई. : देवसेना की श्रवकाचार, पहली हिंदी पुस्तक

1100 ई. : आधुनिक देवनागरी लिपि का उद्भव

1145-1229 : हेमचंद्र ने अपभ्रंश व्याकरण लिखा अपभ्रंश का पराभव और आधुनिक हिंदी का उद्भव

1283 ई. : खुसरो की पहेलियां और मुकरियां। 'हिंदुवी' शब्द का इस्तेमाल

1398-1518 ई. : कबीर की रचनाओं से 'निर्गुण भक्ति' का जन्म

1370 ई. : असाहत के 'हंसावली' द्वारा प्रेमगाथाओं का काल

1400-1479 ई. : रायघु - अंतिम महान अपभ्रंश कवि

1450 ई. : 'सगुण भक्ति' रामानंद से युग की शुरूआत

1580 ई. : बुरहानुद्दीन जानम की प्रारंभिक दक्खिनी कृति 'कलमितुल-हकायत'

1585 ई. : नाभादास की 'भक्तामाल' - हिंदी भक्त कवियों का वर्णन

1601 ई. : बनारसीदास की पहली हिंदी आत्मकथा 'अर्ध कथानक'

1604 ई. : गुरू अर्जन देव द्वारा 'आदि ग्रंथ' में कई कवियों की रचनाओं का संकलन

1532-1623 ई. : तुलसीदास की 'रामचरित मानस'

1623 ई. : जटमल की ''गोरा-बादल की काथा'' -खड़ी बोली की पहली पुस्तक (अब तक मानक बोली बन चुकी थी।)

1643 ई. : 'रीतिकाल' की काव्य परम्पराओं की शुरूआत--रामचंद्र शुक्लु

1645 ई. : शाहजहां द्वारा दिल्ली के किले का निर्माण -आस-पास की भाषा उर्दू कहलाई

1667-1707 ई. : वली की रचनाएं लोकप्रिय हुईं। दिल्ली के कुलीन घरानों में फारसी को उर्दू ने हटाया। सौदा और मीर आदि ने अक्सर इसे उर्दू कहा है।

1600-1825 ई. : बिहारी से लेकर पद्माकर तक कई कवियों को ओरछा और अन्य शासकों का आश्रय आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास

1796 ई. : सबसे पुराने किस्म के टाइपों से देवनागरी में छपाई (जॉन गिलक्रिस्टो की ग्रामर ऑफ द हिन्दुस्तानी लैंगुएज, कलकत्ता) (डिक प्लकर)

1805 ई. : फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता के लिए लल्लू लाल के 'प्रेमसागर' का प्रकाशन

1813-46 ई : महाराजा स्वाति तिरुमल रामा वर्मा (ट्रावणकोर) हिंदी के साथ-साथ दक्षिण भारतीय भाषाओं में काव्य सृजन

1826 ई. : उदं मार्तंड' हिंदी साप्ताहिक का कोलकाता से प्रकाशन शुरू

1837 ई. : 'ओम जय जगदीश हरे' आरती के कवि फिल्लौरी का जन्म

1839-1847 ई. : गार्सिया द ताशी ने 'हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर' लिखी (डेजी रॉकवैल)

1833-86 ई. : गुजराती कवि नर्मद का हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रस्ताव

1850 ई. : 'हिंदी' शब्द का इस्तेमाल आज उर्दू कही जाने वाली भाषा के लिए कभी नहीं हुआ

1854 ई. : 'समाचार सुधावर्षण' हिंदी दैनिक का कोलकाता से प्रकाशन

1873 ई. : महेन्द्र भट्टाचार्य की 'पदार्थ विज्ञान' हिंदी में छपी।

1877 ई. : श्रद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यांस 'भाग्यवती छपा

1886 ई. : आधुनिक हिंदी साहित्य का भारतेंदु युग प्रारंभ

1893 ई. : बनारस में नागरी प्रचारिणी सभा का गठन (डेजी रॉकवैल)

1900 ई. : राष्ट्रवादी लेखन की 'द्विवेदी युग' से शुरूआत

1900 ई. : सरस्वती पत्रिका में किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी 'इंदुमती' छपी

1913 ई. : 'राजा हरिश्चंद्र' दादासाहेब फालके की पहली हिंदी फिल्म

1918-1938 ई : छायावाद काल

1918 ई. :गांधी जी ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की।

1929 ई. : 'हिंदी साहित्य का इतिहास'- रामचंद्र शुक्ल

1931 ई. : पहली सवाक हिंदी फिल्म 'आलम आरा'

1930 का दशक : हिंदी टाइपराइटर (नागरी लेखन यात्रा) (शैलेंद्र मेहता) हमारा युग

1949 ई. : राजभाषा अधिनियम ने केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का उपयोग अनिवार्य बनाया

1950 ई. : संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को संविधान में स्थान मिला।

स्रोत : www.cs.colostate.edu

संवैधानिक प्रावधान

संविधान सभा में राजभाषा के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई थी और यह फैसला किया गया कि देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अपनाया जाना चाहिए। यही निर्णय संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के तहत संघ की राजभाषा घोषित करने का आधार बना। भारतीय संविधान का भाग-17 राजभाषा के मुद्दे से संबंधित है।

अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा से संबंधित है और इसमें: "संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।"

संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

(2) खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के लागू होने के 15 साल के भीतर संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी एक के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे।

(3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात् विधि द्वारा-(क) अंग्रेजी भाषा का, या (ख) अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किये जाएं।

संविधान बनाते और इसे अंगीकार करते समय यह व्यवस्था की गयी थी कि अंग्रेजी भाषा कार्यपालिका, न्यायपालिका और वैधानिक कार्यों में 15 साल यानी 1965 तक उपयोग में लायी जाती रहेगी। संविधान में यह व्यवस्था की गयी थी कि राष्ट्रपति कुछ खास कार्यों के लिए हिंदी के उपयोग की अनुमति दे सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 344(1) में व्यवस्था की गयी है कि संविधान के लागू होने के पांच साल पूरे हो जाने के बाद और उसके बाद दस साल पूरे होने पर राष्ट्रपति एक आयोग का गठन कर सकते हैं जो संघ के सरकारी कामकाज में हिंदी के उत्तरोत्तर उपयोग के बारे में राष्ट्रपति को अपनी सिफारिशें देगा। आयोग अध्यक्ष और कुछ सदस्यों से मिलकर बना होगा।

संविधान के अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिन्दुतस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात् करते हुए और जहां आवश्यक और वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

भारत सरकार की पहल

संविधान के उपर्युक्त अनुच्छेदों के प्रावधानों के अनुसार राजभाषा अधिनियम, 1963 (1967 में संशोधित) बनाया गया जिसमें 25 जनवरी 1965 के बाद सरकारी काम-काज में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था की गयी। अधिनियम में यह भी व्यवस्था की गयी कि कुछ विशिष्ट उद्देश्यों जैसे संकल्पों, सामान्य आदेशों, नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टों, प्रेस विज्ञप्तियों, संसद के समक्ष रखे जाने वाले सरकारी दस्तावेजों, संविदाओं, करारों, लाइसेंसों, परमिटों, टेंडरों और टेंडर के फार्मों आदि में हिंदी और अंग्रेजी दोनों का उपयोग अनिवार्य होगा। 1976 में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 8(1) के प्रावधानों के अनुसार राजभाषा नियम बनाए गये। इनकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1) ये केन्द्र सरकार के तमाम कार्यालयों पर, जिनमें आयोग, समितियां या केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त न्यायाधिकरण और निगम या उनके स्वामित्व वाली या नियंत्रण वाली कंपनी शामिल हैं, लागू होंगे।

2) केन्द्र सरकार के कार्यालयों से राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों या क्षेत्र 'क' में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ पत्राचार हिंदी में होगा क्षेत्र 'क' के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और केन्द्र शासित प्रदेश अंडमान-निकोबार द्वीप समूह व दिल्ली आदि शामिल हैं।

3) केन्द्र सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ख' के राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ होने वाला पत्राचार आम तौर पर हिंदी में होगा। लेकिन क्षेत्र 'ख' में रहने वाले किसी व्यक्ति से पत्राचार अंग्रेजी या हिंदी में किया जा

सकता है। क्षेत्र 'ख' में पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ शामिल हैं।

4) केन्द्र सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' के राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों और उनमें रहने वाले लोगों (यानी वे सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश जो क्षेत्र 'क' और क्षेत्र 'ख' में शामिल नहीं हैं) के साथ होने वाला पत्राचार आम तौर पर अंग्रेजी में किया जाएगा।

5) केन्द्र सरकार के कार्यालयों के बीच और केन्द्र सरकार के कार्यालयों से राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों तथा व्यक्तियों आदि के साथ पत्राचार उस सीमा तक हिंदी में होगा जितना समय-समय पर तय किया जाएगा।

6) सभी मैनुअलों, संहिताओं और केन्द्र सरकार के कार्यालयों में प्रक्रिया संबंधी साहित्य को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में तैयार किया जाना चाहिए। सभी फॉर्म, रजिस्टरों के शीर्षक, नाम पट्टियां, नोटिस बोर्ड और विभिन्न प्रकार की लेखन सामग्री आदि हिंदी और अंग्रेजी में होना जरूरी है।

7) अधिनियम की धारा 3(3) में निर्दिष्ट किसी दस्तावेज पर दस्तखत करने वाले अधिकारी की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि ये हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में जारी किये जाएं।

8) केन्द्र सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि उप-नियम के अंतर्गत अधिनियम के प्रावधानों, नियमों और निर्देशों पर उचित तरीके से अमल हो और इसके लिए उपयुक्त और प्रभावी जांच बिन्दु तैयार किये जाएं।

राजभाषा विभाग 1968 के राजभाषा संकल्प के अनुपालन में एक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है। इस कार्यक्रम में केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिए हिंदी में किये जाने वाले विभिन्न कार्यों जैसे पत्राचार शुरू करने, टेलीग्राम, टेलेक्स आदि भेजने के लक्ष्य निर्धारित कर दिये जाते हैं। विभाग इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति के बारे में संबंधित कार्यालयों से त्रैमासिक रिपोर्ट भी मंगाता है। इन रिपोर्टों के आधार पर वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट बनायी जाती है जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है। देश भर में आठ क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय स्थापित किये गये हैं जो बंगलुरु, कोच्चि, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, भोपाल, दिल्ली और गाज़ियाबाद में हैं और संघ की राजभाषा नीति को लागू करने की निगरानी करते हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 के अनुसार संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के उपयोग में हुई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करने और इस बारे में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 1976 में पहली बार एक संसदीय समिति गठित की गयी। सलाहकार समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सांसद होते हैं।

1976 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में पहली केन्द्रीय हिंदी समिति गठित की गयी। यह समिति हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए नीतियां और दिशानिर्देश तैयार करने वाली शीर्ष संस्था है। केन्द्रीय हिंदी सलाहकार समिति के निर्देश पर सभी मंत्रालयों/ विभागों में हिंदी सलाहकार समितियां बनाई गयी हैं। इनके प्रमुख संबंधित मंत्रालयों के मंत्री होते हैं। केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का भी गठन किया गया है जो संघ की राजभाषा के तौर पर हिंदी में काम करने के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों पर अमल की स्थिति की समीक्षा करने के लिए कार्य करती है।

जिन शहरों में केन्द्र सरकार के कम-से-कम दस कार्यालय हैं वहां शहर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गयी हैं जो सदस्य कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग में प्रगति की समीक्षा करने के साथ-साथ एक-दूसरे के साथ अपने अनुभवों को भी साझा करते हैं। अब तक इस तरह की 255 शहर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां देश भर में गठित की जा चुकी हैं।

भारत सरकार राजभाषा नीति को कारगर तरीके से लागू करने के लिए मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विभिन्न कार्यालयों को हर साल पुरस्कार प्रदान करती है। वह अपने सेवारत/ सेवानिवृत्त कर्मचारियों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थाओं और स्वायत्त संगठनों को हिंदी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए नकद पुरस्कार देती है। आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी की तमाम शाखाओं तथा समसामयिक विषयों पर लेखन को बढ़ावा देने के लिए विशेष पुरस्कार योजना शुरू की गयी है जिसमें भारत का कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है।

सरकार ने हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत देश भर में 119 पूर्णकालिक और 49 अंशकालिक केन्द्र स्थापित किये हैं। ये कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और गुवाहाटी में स्थित हैं। ये कार्यालय देश के विभिन्न भागों में चलाई जा रही हिंदी शिक्षण योजनाओं को शैक्षणिक और प्रशासनिक सहयोग प्रदान करते हैं। गुवाहाटी में एक नया क्षेत्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया है और इंफाल, आईजोल और अगरतला में हिंदी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये हैं ताकि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हिंदी प्रशिक्षण की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 31 अगस्त, 1985 को की गयी थी। इसका उद्देश्य सघन पाठ्यक्रमों के जरिए हिंदी का प्रशिक्षण प्रदान करना और पत्राचार के जरिए हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि की सैद्धांतिक जानकारी देना है। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन मार्च 1971 में मंत्रालयों/ विभागों, केन्द्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमों, बैंकों आदि के गैर-वैधानिक साहित्य, मैनुअलों/संहिताओं, फार्मों आदि का अनुवाद करवाने के लिए किया गया था। इसके अलावा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो सरकारी कर्मचारियों के लिए अल्पावधि अनुवाद पाठ्यक्रमों का भी संचालन करता है।

नयी टेक्नोलॉजी के आने से उनसे सबंधित एप्लिकेशन टूल्स और साफ्टवेयर का विकास करने के प्रयास भी जारी हैं जिससे राजभाषा के रूप में हिंदी को डिजिटल तरीके से भी प्रयोग में लाया जा सके। राजभाषा विभाग हिंदी में अपना पोर्टल शुरू कर चुका है जबकि लगभग सभी सरकारी मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के वेबसाइट अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी हैं। फेसबुक, ट्विटर, ह्वाट्स अप और इसी तरह के अन्य सोशल मीडिया साइट्स अपने उपयोक्ताओं को हिंदी इस्तेमाल करने का विकल्प उपलब्ध कराते हैं। 'रीजनल मार्केटिंग इन द डिजिटल एज़' नाम की हाल की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि शहरी भारत में करीब 60 प्रतिशत उपभोक्ता ऑनलाइन सामग्री को हिंदी में देखते हैं। इसके बाद तमिल और मराठी का नंबर आता है। भारत सरकार ने भी हिंदी भाषी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे हिंदी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अंग्रेजी के बराबर महत्व दें। उसने सभी मंत्रालयों और विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा बैंकों से भी कहा है कि वे ट्विटर, फेसबुक, गूगल, यू-ट्यूब और ब्लॉग आदि में आधिकारिक खाता खोलते वक्त, हिंदी को प्राथमिकता दें अपना ज्यादातर कार्य हिंदी में करने वाले तीन लोगों को नकद पुरस्कार देने की भी घोषणा की गयी है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल में संकेत दिया है हिंदी बहुत जल्द डिजिटल दुनिया की शीर्षस्थ भाषाओं में से एक हो जाएगी। ऐसे में इस साल का हिंदी दिवस मनाते हुए हिंदी का भविष्य उज्ज्वल लगता है।

वार्षिक कार्यक्रम

1. "यह सभा संकल्प करती है कि हिंदी के प्रसार एवं विकास की गति को बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए गए उपायों एवं की गई प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के पटल यम रखी जाएगी और सभी राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।"

2. उक्त संकल्प के उपबंधों के अनुसरण में राजभाषा विभाग द्वारा प्रति वर्ष केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा कार्यान्वयन के लिए राजभाषा हिंदी

के प्रसार और प्रगामी प्रयोग हेतु वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है। वर्ष 2024-25 का वार्षिक कार्यक्रम इसी क्रम में जारी किया जा रहा है। हिंदी बोले जाने और लिखे जाने के आधार पर देश के राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को तीन क्षेत्रों में चिह्नित किया गया है। इन तीनों क्षेत्रों यथा 'क', ख' और 'ग' का विवरण निम्नानुसार है:-

क्षेत्र	क्षेत्र में शामिल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
'क'	बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य
'ख'	गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।
'ग'	'क' और 'ख' क्षेत्र में शामिल नहीं किए गए अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र।

3. सरकारी कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है किंतु अभी भी काफी काम अंग्रेजी में हो रहा है। राजभाषा नीति का उद्देश्य है कि सरकारी कामकाज में सामान्यतः हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग हो। यही भारतीय संविधान की मूल भावना के अनुरूप होगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि जन साधारण की भाषा में सरकारी कामकाज करने से विकास की गति तेज होगी और प्रशासन में पारदर्शिता आएगी।

4. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के कुशल तथा प्रेरणादायक नेतृत्व में राजभाषा विभाग ने निम्नलिखित ई-लर्निंग कार्यकलापों की शुरुआत की है:-

(क) राजभाषा विभाग के प्रशिक्षण संस्थान- केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान ने आवश्यकतानुसार इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्मों (ई-प्रशिक्षण) के माध्यम से भी हिंदी भाषा/हिंदी टंकण/हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया है।

(ख) राजभाषा विभाग के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों ने आवश्यकतानुसार डिजिटल प्लेटफार्मों (ई-निरीक्षण) के माध्यम से भी वर्चुअल निरीक्षण करना प्रारंभ कर दिया है।

(ग) केंद्र सरकार के विभिन्न संगठनों की गृह पत्रिकाओं के सहज तथा सुलभ पठन के लिए राजभाषा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.Rajbhasha.gov.in पर ई-पत्रिका पुस्तकालय प्लेटफार्म की शुरुआत की गई है।

5. तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन दिनांक 14-15 सितंबर, 2023 को श्री छत्रपति शिवाजी क्रीडा संकुल, बालेवाड़ी, पुणे (महाराष्ट्र) में किया गया। इसका उद्घाटन माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा, राज्य सभा के उप सभापति माननीय श्री हरिवंश, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा, संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष माननीय श्री भर्तृहरि महताब एवं अन्य माननीय सदस्यगणों की उपस्थिति में किया गया।

इस अवसर पर, भारत सरकार के विभिन्न कार्यालयों के सचिव, विभिन्न बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के उच्चाधिकारी और देश भर से आए हिंदी विद्वानों सहित भारत सरकार के नौ हजार से अधिक अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने वीडियो संदेश के माध्यम से सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दीं। इसी अवसर पर मंचासीन अतिथियों द्वारा सरकारी कामकाज में कंठस्थ 2। 0 टूल का प्रयोग बढ़ाने की दिशा में काम करते हुए ई-ऑफिस में कंठस्थ 2। 0 टूल के एकीकरण की शुरूआत की गई. अब ई- ऑफिस में काम करते हुए वहीं पर इस टूल की सहायता से त्वरित अनुवाद (Instant Translation) प्राप्त किया जा सकता है और फ़ाइल में उसका प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही, हिंदी शब्द सिंधु संस्करण-2 हिंदी शब्दकोष (3,51,000 शब्दों के साथ नवीन संस्करण) को भी लोकार्पित किया गया। उपर्युक्त

के अतिरिक्त राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम-पुस्तक के नवीन संस्करण का भी भव्य लोकार्पण किया गया।

6. वर्तमान युग में कोई भी भाषा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से जुड़े बिना नहीं पनप सकती। यह स्पष्ट है कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार के कार्यालयों में कंप्यूटर, ई-मेल, वेबसाइट सहित सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाएं उपलब्ध होने से वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना और भी आसान हो गया है। राजभाषा विभाग निरंतर इस दिशा में काम कर रहा है। इसी क्रम में पुणे (महाराष्ट्र) में 14-15 सितंबर, 2023 को सम्पन्न हुए हिंदी दिवस और तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के अवसर पर माननीय गृह राज्य मंत्री, श्री अजय कुमार मिश्रा तथा मंचासीन अतिथियों द्वारा हिंदी शब्द सिंधु-संस्करण-2 एक बृहत् एवं समावेशी शब्दकोष तथा 'कंठस्थ 2.0 (अनुवाद टूल) के ई-ऑफिस के साथ एकीकृत संस्करण का लोकार्पण किया गया।

हिंदी कार्यशालाओं और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) की बैठकों का आयोजन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधनों (ई-बैठक) के माध्यम से भी किया जा रहा है।

सत्र की गतिविधियां

सत्र के संचालक श्री आशुतोष कुमार, उपनिदेशक, रा. भा., आईसीएआर -एनबीपीजीआर ने सत्र का आरंभ अध्यक्ष, श्री वामपद शर्मा, निदेशक (प्रशासन), आईसीएआर; वक्ता, डॉ. रमेश आर. आर्य, पूर्व निदेशक, भारत सरकार (संस्कृति मंत्रालय); डॉ. राज कुमार गौतम, विभागाध्यक्ष, जर्मप्लाज्म मूल्यांकन विभाग और सभागार में उपस्थित प्रतिभागियों और श्रोतागणों के अभिनंदन से किया। उसके बाद उन्होने वक्ता और अध्यक्ष के कार्यकलापों और हिंदी क्षेत्र में उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण देते हुए परिचय दिया।

अध्यक्ष श्री वामपद शर्मा निदेशक (प्रशासन), आईसीएआर का परिचय विवरण -

श्री वामपद शर्मा वर्तमान में निदेशक (प्रशासन) के रूप में कार्यरत हैं ये अपनी शैक्षिक योग्यता के बाद आईसीएआर प्रशासनिक सेवा के 2006 बैच के अधिकारी हैं। इन्हें आईसीआर कार्मिक सेवा में प्रशासन में अनुभव की विशेष योग्यता प्राप्त है।

श्री वामपद शर्मा

वक्ता का उद्बोधन एवं प्रस्तुति

सत्र के वक्ता डॉ. रमेश आर.आर्य, पूर्व निदेशक, भारत सरकार (संस्कृति मंत्रालय) ने बहुत ही सुगम, सरल व मधुर भाषा में अपना व्याख्यान आरंभ किया। उन्होंने समस्त भारत देश में भाषा और बोलियों में विविधता के बारे में बताते हुए अवगत कराया कि हमारे देश की, संघ की राजभाषा हिंदी ही है जो की एक सरकारी कामकाज की भाषा भी

डॉ. रमेश आर.आर्य

है। उनका कहना था कि भाषा कोई भी हो अगर आपको प्रश्न समझ में आता है तभी उसका उत्तर देना आसान होता है । हमारे देश में विभिन्न संस्कृतियाँ व भाषाएँ हैं। मैं स्वयं तेलंगाना राज्य से हूँ, परंतु मैने दिल्ली आकर हिंदी में काम-काज प्रारम्भ करने का प्रयास किया। अगर हम यह कहें कि उत्तर भारत के लोगों की मातृभाषा हिंदी है तो यह गलत होगा; पंजाबी, हरियाणवी, अवधी, भोजपुरी कितनी

ही मातृभाषा हैं। हिंदी तो देश की, संघ की राजभाषा है तो इस नाते इसे मातृभाषा भी कह सकते हैं। उन्होने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के देश व भाषा के प्रति विचारों का भी व्याख्यान किया। भाषा मात्र कोई शब्द नहीं है। विभिन्न संस्कृतियाँ मिलाकर ही भारत है। हम भारतवासियों को एकत्रित रह कर ही भाषा की प्रगति के लिए कार्य करना है। गोपालस्वामी अयंगर जी का भी जिक्र किया। संविधान में देश की राजभाषा और लिपि क्या होगी, कैसे-कैसे विचार विमर्श हुआ और निर्णय लिया गया, उसकी जानकारी भी दी और संविधान के तहत विभिन्न नियम और अधिनियम भी बताए। 14 सितम्बर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। सरकारी कामकाज के दस्तावेज़ अंग्रेजी व मराठी में थे उनका अनुवाद करना कठिन काम था। प्रशासनिक कार्यविधि का हिंदी में अनुवाद किया गया। प्रशासनिक, कृषि, इंजीन्यरिंग आदि से संबन्धित शब्दावली के निर्माण विषय पर भी चर्चा की।

हिंदी पूरे देश में सबसे ज़्यादा बोले जानी वाली भाषा है और कई राज्यों में ये मातृभाषा भी है। भारत में विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं का मिश्रण है। उन्होंने आजादी के बाद हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने की बात कही और संविधान के तहत विभिन्न नियम और अधिनियम भी बताए। भारतीय संविधान के भाग- 5, 6 और 17 के बारे में बताया जिनके अंतर्गत हिंदी को कार्यालयों में सुनिश्चित करने का प्रावधान दिया गया है परंतु आज भी हिंदी का उपयोग पूर्णतया नहीं किया जा रहा। भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और राष्ट्रीय भाषा में जो मुख्य अंतर है उसे सरल भाषा में उदहारण देते हुए बताया। हमारे देश में राष्ट्रभाषा एक नहीं है बल्कि 22 राष्ट्रभाषाएँ हैं जिनमें हिंदी भी एक है।

हिंदी के व्यापक उपयोग और अपनाने के साथ-साथ, संविधान में अन्य भाषाओं (जो किसी विशेष क्षेत्र में आमतौर पर उपयोग में आती हैं) के उपयोग में लचीलेपन का भी प्रावधान है। अनुच्छेद-120 और अनुच्छेद-348 के अनुसार संसद में कार्य हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जा सकता है। सभापति की अनुमति से सांसद अपनी मातृभाषा में भी बोल सकते हैं, जिसे रिकॉर्ड कर हिंदी व अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है और सबको भेजा जाता है। अनुच्छेद-210 और अनुच्छेद-348 के अनुसार विधान मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या हिंदी अथवा अंग्रेजी में किया जा सकता है।

उन्होंने ये भी बताया कि अनुच्छेद-343 (1) के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। साथ ही भारतीय अंको का अंतर्राष्ट्रीय रूप प्रयुक्त किया गया। हालाँकि देखे तो 0, 1, 2, 3 इत्यादि संख्याएँ जिन्हें हम अंतर्राष्ट्रीय संख्याएँ मानते हैं, वे भी इंडो-अरेबिक संख्याएँ हैं जो हिंदी संख्याओं से ली गई हैं। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये भारतीय नंबर हैं। अनुच्छेद-343 (2) के अनुसार संविधान लागू होने से 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यों में पूर्ववत चलती रह सकती थी। इस के दौरान राष्ट्रपति सरकारी कार्यों में अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी तथा भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के स्थान पर देवनागरी रूप में प्रयोग को आदेश द्वारा प्राधिकृत कर सकते थे।

अनुछेद-344 के अंतर्गत हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया है। साथ ही उन्होने अनुच्छेद-349 से भी अवगत कराया और अनुच्छेद-350 भाषा अल्पसंख्यक आयोग के बारे में जानकारी दी। अनुच्छेद-351 में भारत सरकार को जिम्मेदारी दी गयी कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाये और उसका विकास करे ताकि हिंदी भारत कि सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।

राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत 14 प्रकार के दस्तावेज़ों को हिंदी-अंग्रेजी में ज़ारी करना आवश्यक किया गया। 1960 के दशक में मद्रास राज्य (चेन्नई) में आधिकारिक भाषा अधिनियम 1963 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चिंतन कि बात यह है कि भाषाई आधार पर यह विरोध कहीं न

कहीं किसी रूप में इस राज्य में आज भी जारी है।

फलस्वरूप, राजभाषा नियम - 1976 में समस्त देश को तीन क्षेत्रों में बाँटा गया जिसका उद्देश्य देश का विभाजन नहीं बल्कि कार्यालयों में सहजता से पत्राचार का आदान प्रदान था। इस नियम के अंतर्गत नियम 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 (4), 11, 12 के अनुपालन के बारे में बताया।

वक्तव्य के अंत में, उन्होंने कार्य क्षेत्र में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाएँ भी बताई जिसमें राजभाषा हिंदी में पत्रिकाओं में लेख लिखने के लिए पुरस्कार, पुस्तक-लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार और अन्य नकद पुरस्कार शामिल हैं।

डॉ. आर्य जी के वक्तव्य ने प्रतिभागीगण को हिंदी को कामकाज में लाने के लिए प्रेरित किया और भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को अपनाने के लिए कई ऐसे प्रावधान बताये जिससे साबित होता है हिंदी भाषा को थोपा नहीं गया बल्कि उसके प्रयोग में लचीलापन भी दिया गया है जिससे भारत के राज्यों में कामकाज और पत्राचार आवश्यकता अनुसार हिंदी, अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में किया जा सके।

सत्र के दौरान हुई चर्चा

प्रश्न: धारा 3(3) के अनुसार क्या सभी परिस्थितियों में उत्तर द्विभाषी देना अनिवार्य है ?

उत्तर: अगर आप सिर्फ एक ही व्यक्ति को उत्तर दे रहे हैं तो आप अंग्रेजी में दे सकते हैं। किन्तु एक से ज्यादा व्यक्तियों को उत्तर द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) ही देना होगा।

अध्यक्ष द्वारा उद्बोधन

श्री वामपद शर्मा, निदेशक (प्रशासन), आईसीएआर, अध्यक्ष, सत्र 5 ने अपने उद्बोधन भाषण में सर्वप्रथम श्री आशुतोष कुमार, उपनिदेशक, रा.भा., आईसीएआर-एनबीपीजीआर का धन्यवाद किया, और फिर इस सत्र के वक्ता डॉ. रमेश आर. आर्य, पूर्वनिदेशक, भारत सरकार (संस्कृति मंत्रालय) तथा डॉ. राज कुमार गौतम, विभागाध्यक्ष, जर्मप्लाज्म मूल्यांकन विभाग का धन्यवाद किया। विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागियों को आमंत्रित करने के लिए उन्होने आईसीएआर -एनबीपीजीआर के प्रयासों की सराहना की। उन्होने सत्र के वक्ता की हिंदी के व्यावहारिक ज्ञान की प्रशंसा की और बताया कि उन्होने कितनी सरलता से सरकारी कार्यालयों में राजभाषा की नीति, योजनाएँ एवं वार्षिक कार्यक्रमों का उल्लेख किया।

हिंदी का शत प्रतिशत लागू न हो पाना क्यूँ संभव नहीं था - इसके बारे में संविधान कर्ताओं की सूझ-बूझ की प्रशंसा की और यह भी बताया हमारे संविधान कर्ता ज़मीन से जुड़े हुए थे। उनका मानना था की हिंदी को थोपा नहीं जा सकता और अंग्रेजी को बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। भाषा संस्कृति का हिस्सा है, परम्पराओं को छोड़ा नहीं जा सकता और लचीलापन व सबको साथ ले कर चलना बहुत महत्वपूर्ण है। अनुसूचि (8) की 22 भाषाओं का विकास ज़रूरी है। श्री वामपद शर्मा जी का कहना था कि जब हम डॉ. आर्य जैसे वक्ता को सुनते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबको पूरे तीन दिन सभी वक्ताओं के विचार व उनके अनुभव सुन कर बहुत लाभ होगा और अपने संस्थानों में वापिस जाकर आप सब से अपना अनुभव सांझा करेंगे। अंततः अध्यक्ष जी ने श्रोताओं का और वक्ता रमेश आर.आर्य जी का धन्यवाद किया तथा आशुतोष जी का आभार व्यक्त किया।

धन्यवाद प्रस्ताव

डॉ. राज कुमार गौतम, विभागाध्यक्ष, जर्मप्लाज्म मूल्यांकन विभाग, आईसीएआर-एनबीपीजीआर नें श्री वामपद शर्मा निदेशक (प्रशासन), आईसीएआर; सत्र के वक्ता डॉ. रमेश आर. आर्य, पूर्व निदेशक, भारत सरकार (संस्कृति मंत्रालय); श्री आशुतोष कुमार, उपनिदेशक, रा.भा., आईसीएआर-एनबीपीजीआर और श्रोतागण का अभिनंदन व स्वागत किया। उन्होनें आर्य जी का राजभाषा नीतियों, आयामों और अनुछेदों से अवगत कराने के लिए धन्यवाद किया। राजभाषा, राष्ट्रभाषा व मातृभाषा में अंतर को स्पष्ट किया। गौतम जी नें

अपने अंडमान और निकोबार के कार्यकाल का अनुभव सांझा किया व आर्य जी की बात की पुष्टि की कि अंडमान और निकोबार मिनी भारत है; यहाँ सभी भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते व कार्य करते हैं व 'क' क्षेत्र की श्रेणी में इसके स्थान की पुष्टि होती है। उन्होने फिर से अपने व संस्थान की तरफ से सभी का धन्यवाद किया। उन्होने आशुतोष कुमार जी का सत्र के संयोजन, तथा डॉ. ललित आर्य व डॉ. मोनिका सिंह का सत्र की रिपोर्ट संकलन के लिए धन्यवाद किया और सत्र का समापन अतिथियों को स्मृति चिन्ह दे कर सम्मानित करने से किया गया।

'अनुवादिनी' से आवाज एवं दस्तावेज़ का एआई अनुवाद

गणेश तुरेराव, वरिष्ठ प्रबन्धक, अनुवादिनी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी भाषाओं में हर तरह की पढ़ाई उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा मंत्रालय और इससे जुड़ी हुई संस्थाएं लगातार काम कर रही है। सभी भारतीय भाषाओं में पढ़ाई के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी का विस्तार किया जा रहा है। एक भारतीय भाषा से दूसरी भारतीय भाषा में अनुवाद करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने अनुवादिनी के नाम से एक सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इसका प्रयोग **anuvadini.aicte-india.org** पर जाकर किया जा सकता है। इससे संबंधित किसी भी समस्या के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) जो शिक्षा मंत्रालय का एक निकाय है, के मुख्य समन्वय अधिकारी बुद्ध चंद्रशेखर से संपर्क किया जा सकता है।

अनुवादिनी: वॉइस एंड डॉक्यूमेंट एआई ट्रांसलेशन टूल्स में कई विशेषताएं और कार्यक्षमताएं शामिल है, जिनका लक्ष्य देश और दुनिया में भाषा बाधाओं के कारण उत्पन्न होने वाले अंतर को पाटना है। यह एक साथ 20 पेज की पीडीएफ़ फ़ाइल का कुछ सेकंड में अनुवाद कर सकता है। अगर इससे बड़ी फ़ाइल का अनुवाद करना हो तो मेल करके पेज साइज बढ़या जा सकता है। यह टूल 22 क्षेत्रीय भारतीय और विदेशी भाषाओं का अनुवाद कर सकता है। यह पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सिद्धांतों का पालन करती है। संपूर्ण सॉफ्टवेयर विकास, हार्डवेयर अवसंरचना और होस्टिंग का कार्य शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की पहल के रूप में इन-हाउस किया गया है। अनुवादिनी अनुवाद सेवाओं की वर्तमान विशेषताओं का विवरण इस प्रकार है:

1. बहुभाषी वीडियो अनुवाद
2. चुटकी: रियल टाइम दस्तावेज अनुवाद
3. डीप लर्निंग डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन
4. इमेज 23 इमेज ट्रांसलेशन
5. डिक्टेशन टूल
6. वॉइस ऐप और डिजिटल वीडियो एडिटिंग सूट
7. बहुभाषी वॉयस फॉर्म
8. सरकारी योजनाएँ बुलेटिन बोर्ड
9. भाषा दान
10. स्पीच मैसेंजर
11. डोमेन विशिष्ट शब्दकोष कानूनी
12. बहुभाषी वर्चुअल कीबोर्ड
13. अनुवादिनी डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन

ये उपकरण बहुभाषावाद की क्षमता को उजागर करके उनके सीखने के क्षितिज का विस्तार करके भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली में छात्रों को महत्वपूर्ण मूल्य और लाभ प्रदान कर सकता है। इससे ज्ञान अधिक सुलभ हो जाएगा। इस तरह छात्र अवधारणाओं और उच्च स्तरीय सोच कौशल को अधिक आराम से आत्मसात करने में सक्षम होंगे।

इमेज 23 मॉड्यूल: इमेज 23 मॉड्यूल छात्रों को अपनी पसंदीदा क्षेत्रीय भाषा में इसके अर्थ को बेहतर ढंग से समझने के लिए पाठक के साथ एक छवि का त्वरित अनुवाद करने की अनुमति दे सकता है।

बहुभाषी वीडियो अनुवाद: वंचित क्षेत्रों में छात्रों के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध ऑनलाइन शैक्षिक वीडियो सामग्री को सुलभ बनाएगा, जो अपनी पसंद की भाषा में अनुवादित ऑडियो सुनकर सीखने में सक्षम होंगे। इससे देश में सभी छात्रों के उत्थान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

बहुभाषी वॉयस फॉर्म: बहुभाषी वॉयस फॉर्म का उपयोग छात्रों और शिक्षकों से प्रतिक्रिया जानने के साथ-साथ वायवा परीक्षा आयोजित करने या स्कूलों में भाषा सिखाने में एक सहायक उपकरण के रूप में मदद के लिए किया जा सकता है। इससे छात्रों को औपचारिक व पेशेवर बातचीत आदि में बोलने का अभ्यास करने में मदद मिल सकती है।

बहुभाषी वर्चुअल कीबोर्ड: यह उपयोगकर्ताओं को मानक अंग्रेजी आधारित कीबोर्ड का उपयोग करके अपनी पसंदीदा मूल भाषा में टाइप करने की अनुमति देगा, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

डोमेन विशिष्ट शब्दकोष: यह शब्दकोष उन छात्रों की मदद कर सकते हैं जो कानून, विज्ञान और गणित के क्षेत्र में मुख्य अवधारणाओं को समझने के लिए अंग्रेजी में कुशल नहीं है।

स्पीच मैसेंजर: छात्रों को देश भर से विभिन्न भाषाएं बोलने वाले प्रतिभागियों के साथ अध्ययन के विभिन्न विषयों पर समर्पित संचार चैनल बनाने में मदद कर सकता है। ऐसे शिक्षक संचालित चर्चा मंच राष्ट्रीय एकता, टीम वर्क, सहयोग की सहज भावना और अनुसंधान एवं नवाचार मानसिकता को बढ़ावा देने में मदद करेंगे।

डिक्टेशन टूल: डिक्टेशन टूल उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन टिप्पणी और सुझाव देने की क्षमता के साथ ट्रांसक्राइबर और डिक्टेशन से जुड़ी अनुवाद गतिविधि में वास्तविक समय में सहयोग करने की अनुमति देता है। इस सुविधा का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है। छात्र कक्षाओं के दौरान नोट्स कैप्चर कर विभिन्न बिंदुओं पर प्रश्नों को हल करने में सक्षम हैं।

डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन: डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन स्कूल के शिक्षकों को शिक्षाशास्त्र में नवाचार करने, कक्षा के व्याख्यान रिकॉर्ड करने और बेहतर शिक्षण सीखने के परिणामों के लिए कक्षा शिक्षण प्रथाओं के पूरक के लिए ऑनलाइन शैक्षिक सामग्री तैयार करने में मदद कर सकता है।

बता दें कि अनुवादिनी उपकरण सभी भारतीयों को उनकी पसंद की भाषा की परवाह किए बिना दुनिया से जोड़ने में मदद करेगा। विशेष रूप से भारतीय स्कूली शिक्षा को बदलने में अनुवादिनी का लक्ष्य अंतर-राज्यीय भाषाई मतभेदों को पार करना है। भाषा छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सीखने के अवसरों तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करती है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) हमारे रोजमर्रा के जीवन में तेजी से प्रासंगिक होता जा रहा है। एआई उपकरण अनुवाद सहित मानव भाषाओं में अधिक उपयोगी होते जा रहे हैं। इसकी बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद, एआई अनुवाद तकनीक के बारे में कुछ अस्पष्टता है।

एआई भाषा अनुवाद, जिसे मशीन अनुवाद भी कहा जाता है, स्वचालित अनुवाद प्रदान करने के लिए जटिल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करता है। ये सिस्टम अपने संचालन में प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण, तंत्रिका नेटवर्क और एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं।

यह आलेख इस मशीन अनुवाद तकनीक के बारे में सब कुछ पर चर्चा करता है। तो, अधिक जानने के लिए पढ़ते रहें।

क्या एआई भाषाओं का अनुवाद कर सकता है?

हाँ एआई भाषाओं का अनुवाद कर सकता है; ये उपकरण समय के साथ अधिक कुशल हो गए हैं, अधिक सटीक अनुवाद बना रहे हैं। अतीत में, एआई टूल्स ने अनुवादित सामग्री बनाई जो अविश्वसनीय, भद्दी और अशुद्धियों से भरी थी।

यह ज्यादातर लगातार गलत व्याख्याओं के कारण था जो आम तौर पर कुछ अभिव्यक्तियों और भाषाओं के साथ थे। इन अभिव्यक्तियों, शब्दों और

भाषाओं का सही ढंग से अनुवाद करने में इन उपकरणों की विफलता के परिणामस्वरूप कुछ स्पष्ट त्रुटियां हुईं। उल्लेखनीय रूप से, इन उपकरणों से अनुवाद की गुणवत्ता में नाटकीय रूप से सुधार हुआ है। इस वजह से, एआई ऐसी सामग्री का अनुवाद करता है जो सटीक और व्याकरणिक रूप से सही है।

इन सुधारों के कारण, विभिन्न भाषा पृष्ठभूमि के लोगों के बीच संचार आसान हो गया है। इस विकास ने दुभाषियों और भाषाविदों की मांग को भी प्रभावित किया है।

जबकि अनुवाद के लिए **AI** का उपयोग करना हमेशा उपयुक्त नहीं होता है, यह अक्सर एक सहायक विकल्प होता है। इसकी बढ़ती प्रयोज्यता ने इसे एक आकर्षक विकल्प बना दिया है अगर इसे विभिन्न लोगों तक पहुंचने की आवश्यकता है।

सौभाग्य से, आप **AI** के साथ लिखित और बोली जाने वाली दोनों भाषाओं का अनुवाद कर सकते हैं। भाषाओं के इन दो पहलुओं का अनुवाद करना आसान हो गया है जब बड़ी मात्रा में डेटा की बात आती है। ये अनुवाद उपकरण कई भाषाओं में शामिल होने पर आसानी पैदा करते हैं।

हालाँकि, अधिकांश **AI** तकनीक केवल अंग्रेजी और स्पेनिश जैसी वैश्विक भाषाओं के लिए अनुवाद की सुविधा प्रदान करती है। जबकि इन सेवाओं को कई अन्य भाषाओं में फैलाने की होड़ है, फिर भी वे विकसित हो रहे हैं। यह मानव जीवन के कई पहलुओं में भाषा की बाधाओं से निपटने में मदद करता है।

क्या Google अनुवाद AI है?

क्या **Google** अनुवाद **AI** है? हाँ! यह एआई है जो पाठ और भाषण का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करता है। यह पाठ का विश्लेषण करने और इसे अन्य भाषाओं में अनुवाद करने के लिए मशीन लर्निंग और तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग करता है।

Google अनुवाद का AI फीचर कई बहुभाषी डेटा से पैटर्न और संबंध सीखता है। जैसे-जैसे यह अधिक सीखता है, यह अधिक सटीक अनुवाद बनाते हुए बेहतर होता है। इस उपकरण के तंत्रिका नेटवर्क उपयोगी परिणाम बनाने के लिए अन्य गहरे नेटवर्क का उपयोग करते हैं। स्वचालित अनुवाद के पहले के तरीकों के विपरीत, जो निश्चित मापदंडों का उपयोग करके कार्य करते थे, **Google** अनुवाद के नेटवर्क अनुकूली मॉडल का उपयोग करते हैं। याद रखें कि पहले की अनुवाद तकनीकों ने शाब्दिक अनुवाद बनाए थे जो अक्सर गलत थे। इसके विपरीत, यह एआई एक समय में एक वाक्य का अनुवाद करता है।

Google अनुवाद के सिस्टम बनाने वाले तंत्रिका नेटवर्क विशाल मात्रा में डेटा से सीखते हैं। नतीजतन, उन्होंने अध्ययन किया कि कई भाषाओं में अनुवाद कैसे प्रदान किया जाए। यह तंत्रिका मशीन अनुवाद सुविधा संदर्भ पर विचार करते हुए उपकरण को अनुवाद करने की अनुमति देती है।

चूंकि उपकरण काफी बड़े डेटासेट पर प्रशिक्षित होता है, इसलिए यह न केवल सीधे अनुवाद की पेशकश करना सीखता है। यह विभिन्न भाषाओं के संदर्भ और बारीकियों को समझने में भी सक्षम है। इसलिए, यह भाषा के मुहावरेदार भावों, कठबोली और बोलचाल के कारकों को भी कारक बनाता है। चूंकि उपकरण समय के साथ अधिक जानकारी संसाधित करता है, इसलिए यह लगातार सुधार करता है। सिस्टम में नई तकनीक को जोड़ने से भी इसके सुधार में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, भाषण और ऑप्टिकल वर्ण पहचान ने इस एआई भाषा अनुवादक की प्रभावशीलता और प्रयोज्यता में मदद की है।

एआई ट्रांसलेटर का उपयोग कैसे करें: एआई ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर के साथ प्रभावी ढंग से काम करना कई मशीन अनुवादक हैं जिनका उपयोग आप अपनी परियोजनाओं के लिए कर सकते हैं। चूंकि सभी अनुवादकों के अलग-अलग डिज़ाइन होते हैं, इसलिए **AI** अनुवादक का उपयोग करने का प्रश्न आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे टूल पर निर्भर करता है। हालाँकि, ये अनुवादक मुख्य रूप से समान सुविधाएँ प्रदान करते हैं। आमतौर पर, वे उपयोगकर्ताओं को पाठ, वीडियो, ऑडियो या फोटो

दर्ज करने की अनुमति देते हैं जिसका वे अनुवाद करना चाहते हैं। फिर, वे उपयोगकर्ता को प्रक्रिया चलाने और परिणाम प्राप्त करने में सक्षम करेंगे। ज्यादातर मामलों में, असली सौदा एक को चुन रहा है जो आपकी आवश्यकताओं के साथ संरेखित करता है।

प्रत्येक विकल्प द्वारा प्रस्तुत भाषा युग्मों को खोजना यहाँ एक सहायक कदम है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि अनुवाद सेवा किस प्रकार की सामग्री स्वीकार करती है।

1. वह अनुवाद उपकरण चुनें जिसका आप उपयोग करना चाहते हैं और साइट या एप्लिकेशन खोलें।
2. साइट या ऐप में साइन इन करें यदि यह आपको संकेत देता है।
3. आप जिस प्रकार की सामग्री का अनुवाद कर रहे हैं, उसे चुनें। कई एआई अनुवाद सेवाएं सादे पाठ, दस्तावेज, ऑडियो और छवियों को स्वीकार करती हैं, जबकि अन्य वीडियो स्वीकार करती हैं।
4. स्रोत पाठ या फ़ाइल को इनपुट या अपलोड करने से पहले स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा चुनें।
5. कोमारो दर्ज बटन या अपने परिणाम उत्पन्न करने के लिए टूल की प्रतीक्षा करें।

जबकि ये सामान्य कदम मदद कर सकते हैं, आपको अपने एआई अनुवादक के संकेतों का पालन करने में भी सक्षम होना चाहिए।

याद रखें कि कुछ उपकरणों के लिए सदस्यता योजनाओं की आवश्यकता होती है, लेकिन आप कुछ का निःशुल्क उपयोग कर सकते हैं। Google अनुवाद, DeepL, और Microsoft Bing अनुवादक कुछ सबसे उपयोगी निःशुल्क AI अनुवादक हैं जो आपको मिलेंगे।

1. गूगल ट्रांसलेट

Google अनुवाद बाजार के शुरुआती अनुवाद उपकरणों में से एक है, जिसने इसे अपने साथियों के बीच व्यापक रूप से प्रसिद्ध बना दिया है। यह अपने महत्वपूर्ण कवरेज के लिए भी लोकप्रिय है, क्योंकि यह 100 से अधिक भाषाओं का समर्थन करता है। यह टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, वेबसाइट और ऑडियो को एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकता है।

मुफ़्त होने के अलावा, **Google** अनुवाद सबसे सुलभ अनुवाद सॉफ़्टवेयर प्रोग्रामों में से एक है। इसका सरल और प्रत्यक्ष डिजाइन उपयोगकर्ताओं को जल्दी और निर्बाध रूप से संचालन करने की अनुमति देता है। बेशक, **Google** की सरासर प्रसिद्धि इस उपकरण को ढ़ेर के शीर्ष पर रखने में मदद करती है।

आप आवंटित बॉक्स में टेक्स्ट दर्ज करके या दस्तावेज़ या फ़ाइल अपलोड करके तत्काल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको चलती छवियों और पाठ का अनुवाद करने की भी अनुमति देता है जिसे आपने हाथ से लिखा है। यदि आप मोबाइल डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं, तो Google अनुवाद ऐप एकीकरण और वार्तालाप मोड का समर्थन करता है।

2. डीपएल अनुवाद

डीपएल ट्रांसलेट एक और मुफ्त एआई अनुवाद उपकरण है। यह व्यवसायों और व्यक्तियों के बीच अधिक लोकप्रिय हो रहा है। यह अपने सटीक और सूक्ष्म अनुवादों के लिए प्रसिद्ध है।

डीपएल ट्रांसलेट 32 भाषाओं तक का समर्थन करता है और इसका एक सरल इंटरफ़ेस है। यह उपयोगकर्ताओं को अपने विंडोज और आईओएस उपकरणों के साथ आसानी से एकीकृत करने की भी अनुमति देता है।

अनुवाद के लिए पाठ दर्ज करने के अलावा, आप कई दस्तावेज़ प्रारूप अपलोड कर सकते हैं।

उच्च गुणवत्ता वाले अनुवादों के लिए प्रसिद्ध होने के बावजूद, डीपएल ट्रांसलेशन कभी-कभी गलत अनुवाद बनाता है। खैर, अन्य अनुवाद समाधानों की तरह, इसकी प्रणाली में लगातार सुधार किया जा रहा है।

दुर्भाग्य से, यह अनुवाद तकनीक अनुकूलन विकल्प प्रदान नहीं करती है। हालाँकि, इसकी भरपाई के

लिए एक उपयोगी वेबसाइट अनुवाद विजेट और एन्क्रिप्टेड क्लाउड स्टोरेज है।

3. माइक्रोसॉफ्ट बिंग अनुवादक

Microsoft बिंग अनुवादक एक अन्य मशीन अनुवाद उपकरण है जो AI अनुवाद में सबसे ऊपर बना हुआ है। इसकी लोकप्रियता आंशिक रूप से एआई विकास में माइक्रोसॉफ्ट की प्रारंभिक स्थिति से आती है। याद रखें कि यह अपने खोज इंजन में एआई सहायता को शामिल करने वाली पहली कंपनियों में से एक थी।

कंपनी ने इस विकल्प को Microsoft Bing, Office, Skype, Edge, Sharepoint और Visual Studio में एकीकृत किया है। Microsoft सभी आकार की कंपनियों के लिए अपनी क्लाउड सेवाओं के माध्यम से भाषण और पाठ अनुवाद प्रदान करता है।

अनुवादक 100 से अधिक भाषाओं और 13 भाषण अनुवाद प्रणालियों का समर्थन करता है जो लाइव अनुवाद की अनुमति देते हैं। यह टूल टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो का अनुवाद कर सकता है। Microsoft Bing अनुवादक में अनुवाद स्मृति और अनुप्रयोग एकीकरण सुविधा है।

4. रिवर्सो अनुवाद

रिवर्सो, अनुवाद के लिए एक निःशुल्क AI टूल है, जो 26 अलग-अलग भाषाओं का समर्थन करता है। यह टूल उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट या स्पीच इनपुट करने और अनुवाद के लिए **PDF, Word** या **PowerPoint** फ़ाइलें अपलोड करने की अनुमति देता है।

हालाँकि, Reverso न केवल अनुवाद सेवाएं प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ताओं को मार्ग में व्याकरण संबंधी त्रुटियों की जांच करने या विशिष्ट शब्दों के समानार्थक शब्द खोजने की अनुमति देता है। उपकरण के अनुवाद परिणामों में आमतौर पर उदाहरण और स्पष्टीकरण शामिल होते हैं।

ये स्पष्टीकरण और उदाहरण उपयोगकर्ताओं को उनके भाषा कौशल और शब्दावली को उन्नत करने में मदद करते हैं।

आमतौर पर कुछ शब्दों और सहायक फ्लैशकार्ड के उच्चारण पर एक गाइड भी होता है। रिवर्सो एक प्रीमियम योजना प्रदान करता है जो कई भत्ते प्रदान करता है।

उदाहरण के लिए, प्रीमियम के साथ, आप एक साथ 8,000 वर्णों तक के लंबे पाठ का अनुवाद कर सकते हैं। आप संदर्भ, व्याकरण जांच, समानार्थक शब्द और संयुग्मन सुविधाओं तक पहुँचने के दौरान वार्षिक रूप से 50,000 शब्दों तक का अनुवाद भी कर सकते हैं।

एक अच्छा एआई ऑडियो अनुवादक चुनना

कई एआई ऑडियो अनुवादक हैं, और इन सभी में अलग-अलग कार्यक्षमताएं और विशेषताएं हैं। जबकि इनमें से कुछ अनुवादक केवल कुछ भाषाओं को कवर करते हैं, अन्य अधिक मजबूत हैं। साथ ही, प्रत्येक उपकरण आमतौर पर एक अलग दृष्टिकोण और उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करता है।

नतीजतन, आपको कुछ चीजों के लिए बाहर देखना चाहिए। सबसे पहले, टूल की सटीकता पर विचार करें, विशेष रूप से आपके स्रोत और लक्षित भाषाओं में। ग्राहक समीक्षा और परीक्षण इसमें मदद करते हैं।

यदि आप इसके उपयोग में आसानी, भंडारण विकल्पों और एकीकरण पर भी विचार करते हैं तो यह मददगार होगा। चैट **GPT, Google Bard, Parrot AI** और **Notta** इस श्रेणी में आते हैं।

एआई वीडियो अनुवादक का उपयोग करना वीडियो अनुवाद एक अन्य क्षेत्र है जो एआई के साथ अधिक प्रभावी हो गया है। भाषा विशेषज्ञों और विदेशी अभिनेताओं को काम पर रखने के बजाय, लोग अब एआई वीडियो अनुवादक ऐप का उपयोग करते हैं।

बेशक, वे सस्ते हैं, समय बचाते हैं, और केवल कुछ

संसाधनों की आवश्यकता होती है।

आपको पहले अनुवादक की गुणवत्ता पर विचार करना चाहिए। अनुवादक की ध्वनि की गुणवत्ता एक बड़ी बात है क्योंकि यह सीधे सुनने और देखने के अनुभव को प्रभावित करती है। भाषा विकल्प, मूल्य निर्धारण और अन्य समर्थित सेवाएं भी महत्वपूर्ण हैं।

रास्क एआई, स्पीचिफ़ाई वीडियो ट्रांसलेटर और मेस्ट्रा एआई सबसे लोकप्रिय विकल्प हैं। हालाँकि वे अपने अनुवादों के लिए ज़्यादातर एक ही भाषा मॉडल का उपयोग करते हैं, लेकिन वे अलग-अलग सुविधाएँ प्रदान करते हैं।

हालांकि एआई अनुवाद सहायक है, यह सभी दस्तावेजों या उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। इस कारण से, कभी-कभी मानव अनुवादकों के लिए जाना आवश्यक होता है, विशेष रूप से आधिकारिक दस्तावेज़ अनुवाद के लिए। इन स्थितियों में, रैपिड ट्रांसलेट काम आता है।

गणेश तुरेराव

संजय कुमार पाठक

सकारात्मक सोच और मनोविज्ञान

सुश्री आद्या अग्रवाल, समर्थ इंडिया फाउंडेशन

सकारात्मक सोच केवल एक मानसिकता नहीं है; यह जीवन को देखने और चुनौतियों का सामना करने का एक प्रभावशाली तरीका है। यह कार्यशाला सरकारी कर्मचारियों के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसका उद्देश्य उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने, लचीलापन विकसित करने और अपने दैनिक जीवन में कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना है। इसमें सकारात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांतों को शामिल किया गया है, जो मानव विकास और खुशी पर केंद्रित एक वैज्ञानिक क्षेत्र है।

सकारात्मक मनोविज्ञान क्या है?

सकारात्मक मनोविज्ञान एक ऐसा वैज्ञानिक क्षेत्र है जो मानव की ताकतों, गुणों और उन कारकों का अध्ययन करता है जो खुशी और संतोष में योगदान करते हैं। पारंपरिक मनोविज्ञान जहां मानसिक बीमारियों के निदान और उपचार पर ध्यान केंद्रित करता है, वहीं सकारात्मक मनोविज्ञान लचीलापन बनाने, सकारात्मक भावनाओं को विकसित करने और सार्थक संबंध बनाने पर जोर देता है।

सकारात्मक मनोविज्ञान की मुख्य विशेषताएं:

- यह वैज्ञानिक शोध और दैनिक जीवन के बीच एक सेतु का काम करता है।
- समस्याओं के समाधान से आगे बढ़कर व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करता है।
- इसे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर टाल बेन-शाहर द्वारा लोकप्रिय किया गया था।
- यह खुशी को वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है और इसे प्राप्त करने के व्यावहारिक उपकरण प्रदान करता है।

सकारात्मक मनोविज्ञान केवल चुनौतियों को नजरअंदाज करने या "टॉक्सिक पॉजिटिविटी" को बढ़ावा देने के बारे में नहीं है।

सकारात्मक सोच के मूल सिद्धांत

इस कार्यशाला में प्रतिभागियों को सकारात्मक सोच के मूल सिद्धांतों से परिचित कराया गया। ये सिद्धांत सकारात्मक मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं और एक संपूर्ण जीवन जीने के व्यावहारिक उपकरण प्रदान करते हैं।

छह मूल गुण:

1. ज्ञान और विवेक: रचनात्मकता, जिज्ञासा, सीखने का प्रेम और दृष्टिकोण हमें बेहतर निर्णय लेने और बौद्धिक रूप से विकसित होने में मदद करते हैं।
2. साहस: बहादुरी, दृढ़ता, ईमानदारी और उत्साह हमें चुनौतियों का सामना करने की क्षमता देते हैं।
3. मानवता: प्रेम, दया और सामाजिक समझ हमारे संबंधों को मजबूत बनाती हैं।
4. न्याय: टीम वर्क, निष्पक्षता और नेतृत्व सामंजस्यपूर्ण समुदाय बनाने में योगदान देते हैं।
5. संयम: क्षमा, विनम्रता, विवेक और आत्म-नियंत्रण हमें भावनाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
6. आत्मोत्कर्ष: आभार, आशा, हास्य और सौंदर्य की सराहना हमें कुछ बड़ा महसूस करने से जोड़ती हैं।

ये गुण केवल सैद्धांतिक अवधारणाएं नहीं हैं; ये व्यावहारिक उपकरण हैं जो व्यक्तियों को उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में फलने-फूलने में मदद करते हैं।

व्यावहारिक उपयोग

इस कार्यशाला में दैनिक दिनचर्या में सकारात्मक सोच को शामिल करने के लिए रणनीतियों पर जोर दिया गया। इन रणनीतियों को चार प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया गया:

1. खुशी बढ़ाने की रणनीतियां

- कृतज्ञता अभ्यास: जीवन की अच्छी चीजों को सक्रिय रूप से पहचानना संतोष की भावना विकसित करता है।
- परोपकार : दूसरों की मदद करना एक सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र बनाता है जो दोनों पक्षों की खुशी बढ़ाता है।
- अर्थपूर्ण लक्ष्य: लक्ष्यों को मूल्यों के साथ संरेखित करना दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है।

2. मानसिक जागरूकता तकनीकें

- गहरी सांस: तनाव कम करने के लिए शरीर को शांत करना।
- ध्यान: मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक स्थिरता का निर्माण करना।
- चेतन चलना : शारीरिक गतिविधि के साथ वर्तमान क्षण की जागरूकता को जोड़ना।

3. सकारात्मक संबंध बनाना

- सक्रिय श्रवण: दूसरों को समझने पर ध्यान केंद्रित करना संबंधों को मजबूत करता है।
- विश्वास निर्माण: छोटे निरंतर कार्य समय के साथ विश्वास पैदा करते हैं।
- मनोवैज्ञानिक सुरक्षा: ऐसा वातावरण प्रोत्साहित करना जहां लोग बिना डर के खुद को व्यक्त कर सकें।

4. लचीलापन विकसित करना

- आशावादी सोच: वास्तविकता को स्वीकार करते हुए आशा बनाए रखना चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने में मदद करता है।
- समस्या समाधान पर ध्यान: समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समाधान खोजना सक्रिय व्यवहार को बढ़ावा देता है।
- भावनात्मक जागरूकता: भावनाओं को समझना और प्रबंधित करना बेहतर निर्णय लेने की ओर ले जाता है।

टॉक्सिक पॉजिटिविटी से बचाव

कार्यशाला का एक महत्वपूर्ण पहलू वास्तविक आशावाद और टॉक्सिक पॉजिटिविटी के बीच अंतर करना था। टॉक्सिक पॉजिटिविटी नकारात्मक भावनाओं या कठिन परिस्थितियों को नजरअंदाज करने या हर स्थिति में अत्यधिक आशावादी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देती है। इससे भावनाओं का दमन होता है और प्रामाणिक संबंध बाधित होते हैं।

इसके बजाय, प्रतिभागियों को वास्तविक आशावाद अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया:

- चुनौतियों को स्वीकार करें लेकिन सुधार की आशा बनाए रखें।
- दूसरों का सहानुभूतिपूर्वक समर्थन करें बजाय उनकी समस्याओं को खारिज करने के।
- स्थायी कल्याण के लिए सकारात्मकता और यथार्थवाद का संतुलन बनाए रखें।

सत्र की गतिविधियां

सत्र के संचालक डॉ. मूलचंद सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, आईसीएआर-एनबीपीजीआर ने सत्र का आरंभ अध्यक्ष, डॉ प्रेमचंद पतंजलि, वक्ता, सुश्री आद्या अग्रवाल और डॉ राजेश सिंह रौशन, नियंत्रक प्रशासन, सीएसआईआर, श्री नवीन यादव, उप निदेशक, रा.भा. और सभागार में उपस्थित प्रतिभागियों और श्रोतागणों के अभिनंदन से किया। उसके बाद उन्होने वक्ता और अध्यक्ष के कार्यकलापों और हिंदी क्षेत्र में उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण देते हुए परिचय दिया।

परिचय के बाद श्री नवीन यादव ने पौध व अंग वस्त्र से अध्यक्ष और वक्ताओं को सम्मानित किया और वक्ता को उनके व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया।

वक्ता सुश्री आद्या अग्रवाल का उद्बोधन एवं प्रस्तुति

सत्र की पहली वक्ता सुश्री आद्या अग्रवाल ने "जीवन में सकरात्मक चिंतन का महत्व" विषय पर बहुत ही

सुश्री आद्या अग्रवाल

सत्र की पहली वक्ता सुश्री आद्या अग्रवाल ने "जीवन में सकरात्मक चिंतन का महत्व" विषय पर बहुत ही सुगम, सरल व मधुर भाषा में अपना व्याख्यान आरंभ किया। यह एक प्रभावी एवं संवादात्मक वार्ता थी। उन्होंने दैनिक दिनचर्या के उदाहरण देकर सकारात्मक सोच जीवन में इसके महत्व के बारे में बताया। गौतम बुद्ध ने कहा था, "हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं" । इसका मतलब है कि हमारी सोच हमारी वास्तविकता को आकार देती है। सकारात्मक सोच से सकारात्मक जीवन और नकारात्मक सोच से नकारात्मक जीवन का निर्माण होता है।

उन्होंने आशावादी और निराशावादी के दृष्टिकोण की चर्चा करते हुए बताया कि सकारात्मक सोच एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें हम जीवन के अच्छे पहलुओं को देखने की क्षमता विकसित करते हैं और बुरे पलों से भी सीखने का मौका मिलता है। यह हमें तनाव, चिंता, और निराशावादी सोच के साथ संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करता है। जीवन की यात्रा पर अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है तो वो है हमारी मानसिकता। साथ ही सकारात्मक साइकोलोजी के छः मूल गुण (आत्मोतकर्ष, संयम, न्याय, ज्ञान और विवेक, साहस, और मानवता) पर भी चर्चा की।

उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि विषाक्त सकारात्मकता (टॉक्सिक पॉजिटिविटी) एवं वास्तविक आशावाद (जेन्युइन ऑप्टिमिस्म) के बीच मुख्य अंतर यह है कि, टॉक्सिक पॉजिटिविटी एक विश्वास है जिसमें लोग यह मान बैठते हैं कि कितनी भी बुरी परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए. लेकिन यह सोच कई बार मानसिक स्वास्थ्य (मेंटल हेल्थ) को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। वास्तविक आशावाद के अनुसार, हमें तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आसान और कठिन दोनों स्थितियों में टिके रहने में सक्षम होना चाहिए।

सकारात्मक मनोविज्ञान के बारे में बताते हुए कहा कि यह खुशी और भावनात्मक कल्याण को बढ़ाने में मदद करता है और ज़्यादा सार्थक जीवन जीने में मदद करता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा सकारात्मक मनोविज्ञान पर एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया।

इसके अलावा, उन्होंने योग के उपयोग के बारे में भी जागरूक किया और कार्यस्थल पर किए जा सकने वाले कुछ स्ट्रेच व्यायाम भी दिखाए।

अपने वक्तव्य के अंत में उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि अपने जीवन में सकारात्मकता या नकारात्मकता का चयन करना हमारा अपना चुनाव है, ताकि हम अपने जीवन को उसके अनुरूप बना सकें।

वक्ता डॉ. राजेश सिंह रौशन, नियंत्रक प्रशासन, सीएसआईआर का उदबोधन

डॉ राजेश सिंह रौशन

सत्र के दूसरे वक्ता डॉ राजेश सिंह रौशन ने "विज्ञान और मानविकी में रिश्ते" विषय पर अपने विचार साझा किये। जीवन में संघर्ष है इसलिए विचार और

मन में सकारात्मकता बहुत महत्वपूर्ण है।

विज्ञान और मानविकी के विषय में उन्होंने कुछ ऐतिहासिक घटनाएँ बताई जैसे - "रिचमंड व्याख्यान" में एफ.आर. लेविस ने अपने द्वारा दिए गए एक प्रसिद्ध व्याख्यान का उल्लेख किया, जिसका शीर्षक था "दो संस्कृतियाँ? सी.पी. स्नो का महत्व", जहाँ उन्होंने सी.पी. स्नो के वैज्ञानिक और साहित्यिक संस्कृतियों के बीच विभाजन के विचार की आलोचना की थी। समाज में साहित्यिक समझ के महत्व के लिए दृढ़ता से तर्क देते हुए; यह व्याख्यान डाउनिंग कॉलेज, कैम्ब्रिज में दिया गया था और इसे ब्रिटिश बौद्धिक विमर्श में एक ऐतिहासिक घटना माना जाता है।

डॉ. महेन्द्रलाल सरकार भारत के एक चिकित्सक, समाजसुधारक, तथा वैज्ञानिक चेतना के प्रसारक नेता थे। उन्होने एलोपैथी की शिक्षा ली, परन्तु उन्होने होमियोपैथी को अपनाया और उसी के माध्यम से चिकित्सा की। उन्होंने 'इण्डियन एसोसियेशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साईन्स' (आई.ए.सी.एस.) की स्थापना की। फादर लाफोंट आई.ए.सी.एस. के सह-संस्थापक थे। वह भारत में एक बेल्जियम जेसुइट पादरी और मिशनरी थे। आई.ए.सी.एस. एशिया का सबसे पुराना वैज्ञानिक संस्थान है। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. सी.वी. रमन ने आई.ए.सी.एस. की प्रयोगशाला में काम किया, जहां उन्होंने "रमन इफ़ेक्ट" की खोज की ।

डॉ. पी. सी. रे., एक भारतीय वैज्ञानिक का उदाहरण देते हुए उनके वैज्ञानिक और मानविक योगदान के बारे में भी बताया।

सच तो यह है कि कविता और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने डॉ. रवींद्रनाथ टैगोर और डॉ. जे. सी. बोस (एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक) के बीच मित्रता का उदाहरण देते हुए विज्ञान और मानवता के रिश्ते के बारे में भी बताया। "विश्व परिचय" डॉ. रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा विज्ञान पर लिखे निबंधों का एक संग्रह है। यह पुस्तक प्रोफेसर सत्येन्द्र नाथ बोस को समर्पित की। यह पुस्तक वैज्ञानिक नियमों और गैर-वैज्ञानिक विज्ञान के बारेमें विचारों के प्रति डॉ. टैगोर के सम्मान को व्यक्त करती है।

उन्होंने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के योगदान के बारे में भी बताया, जिनके महान संग्रह धर्म, दर्शन, भाषा विज्ञान, इतिहास और विज्ञान पर आधारित हैं।

अंत में उन्होंने विज्ञानं और मानवता के सजग सम्बन्ध की पूर्ति करते हुए कहा - यह ठीक ही कहा गया है कि "साइंस इस अ क्रिस्टलाइन पोएट्री"।

निष्कर्ष के तौर पर मानवता और विज्ञान के बीच का रिश्ता परस्पर निर्भरता का है, जो आपसी विकास और कभी-कभी तनाव से चिह्नित है। विज्ञान ने मानवता को चुनौतियों पर काबू पाने, क्षितिज का विस्तार करने और अस्तित्व के रहस्यों का पता लगाने के लिए सशक्त बनाया है। जैसे-जैसे मानवता विकसित होती जा रही है, विज्ञान इसकी यात्रा का आधार बना रहेगा, जो न केवल उस दुनिया को आकार देगा जिसमें हम रहते हैं बल्कि यह भी बताता है कि मानव होने का क्या मतलब है। मानवता और विज्ञान मिलकर प्रगति, समझ और सद्भाव से परिभाषित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

सत्र के दौरान हुई चर्चा

प्रश्न: क्या स्थानीय एवं विविध भाषाओं का विज्ञान एवं मानवता के संबंध पर कोई प्रभाव पड़ता है?

उत्तर: हां, लोग स्थानीय भाषा में विज्ञान और मानवता की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं । उदाहरण के लिए चीन, जर्मनी जैसे अन्य देशों में विज्ञान साहित्य उनकी भाषा में उपलब्ध है।

अध्यक्ष द्वारा उद्बोधन

डॉ प्रेमचंद पतंजलि, अध्यक्ष, ने अपने उद्बोधन भाषण में सर्वप्रथम इस सत्र के दोनों वक्ताओं सुश्री आद्या अग्रवाल और डॉ राजेश सिंह रौशन, नियंत्रक प्रशासन, सीएसआईआर तथा श्री नवीन यादव , उपनिदेशक, रा.भा., का धन्यवाद किया।

डॉ प्रेमचंद पतंजलि

उन्होने इस सत्र के विषय पर अपनी राय देते हुए कहा - यदि विज्ञान को हिंदी माध्यम में पढ़ाया जाए तो हमारे देश में परिदृश्य अलग होगा। यह वैज्ञानिक ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक फैलेगा। उन्होंने विज्ञान और मानवता के अंतःविषय दृष्टिकोण के उपयोग को भी प्रोत्साहित किया। अंततः अध्यक्ष जी नें श्रोताओं का और वक्ताओं का पुनः धन्यवाद किया तथा श्री आशुतोष जी का आभार व्यक्त किया।

धन्यवाद प्रस्ताव

श्री नवीन यादव, उप निदेशक, रा.भा., ने इस सत्र के अध्यक्ष दोनों वक्ताओं और श्रोतागण का अभिनंदन व धन्यवाद किया।

उन्होनें सुश्री आद्या अग्रवाल का अपने वक्तव्य के द्वारा सकारात्मक सोच को अपनी दिनचर्या में लाने किए लिए प्रेरित करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी सराहना की। उन्होनें डॉ. राजेश सिंह रौशन का विज्ञान और मानवता के संबंध पर प्रकाश डालने के लिए धन्यवाद किया।

उन्होने डॉ. मूलचंद सिंह का सत्र के संयोजन, तथा डॉ. मोनिका सिंह व डॉ. श्रुति सिन्हा का सत्र की रिपोर्ट संकलन के लिए धन्यवाद किया और सत्र का समापन अतिथियों को स्मृति चिन्ह दे कर सम्मानित करने से किया गया।

सरकारी कार्यालयों में टिप्पण एवं प्रारूप लेखन

डॉ. रमेश आर्य तथा डॉ हरि सिंह पाल

कार्यालयीन पत्राचार

कार्यालयीन पत्राचार एक प्रकार से औपचारिक पत्राचार है, जिसका प्रयोग मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में सरकारी निर्णयों की सूचना देने अथवा प्राप्त करने हेतु किया जाता है। इसका प्रयोग सरकार के आंतरिक प्रशासन, सूचनाओं के आदान-प्रदान, प्रशासनिक मंत्रालय से की जाने वाली कार्रवाई की सहमति प्राप्त करने, सरकार की नीतियों/निर्णयों की जानकारी देने तथा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाने आदि के लिए किया जाता है।

प्रारूप एवं प्रयोगगत विभिन्नता के कारण पत्राचार के विविध रूप होते हैं जैसेः-

1. सरकारी पत्र/स्मरण पत्र/पावती/अंतरिम उत्तर
2. पृष्ठांकन
3. अर्ध सरकारी पत्र
4. कार्यालय ज्ञापन
5. कार्यालय आदेश
6. आदेश
7. अधिसूचना
8. संकल्प
9. अंतरविभागीय टिप्पणी
10. परिपत्र
11. प्रेस विज्ञप्ति एवं प्रेस टिप्पणी
12. विज्ञापन
13. निविदा

सरकारी पत्राचार में मसौदा लेखन महत्वपूर्ण माना जाता है। मसौदा लेखन से पूर्व अनेक औपचारिकताओं से गुजरना पड़ता है; जैसे किसी आवती को निपटाने से पूर्व उस पर टिप्पणी लिखनी होती है जिसमें प्राप्त प्रस्ताव का विश्लेषण, संगत नियमों का उल्लेख, प्रावधान और प्रस्तावित निर्णय पर सुझाव दिया जाता है और इसी के अनुसार सक्षम अधिकारी के समक्ष मसौदा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

ऐसे मामलों के संबंध में जिसमें बार-बार कार्रवाई की जानी अपेक्षित होती है और मानक मसौदे उपलब्ध होते हैं, उन पर मसौदा तैयार नहीं किया जाता। ऐसे मामलों में सक्षम अधिकारी के समक्ष स्वच्छ प्रति हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत कर दी जाती है।

मसौदा तैयार करते समय कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है जो इस प्रकार हैं:-

1. मसौदे की भाषा स्पष्ट, संक्षिप्त और निर्वैयक्तिक होनी चाहिए। इसमें इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए कि प्रत्येक अनुच्छेद में तार्किकता और क्रमबद्धता हो।
2. मसौदा लिखते समय भारत सरकार के अनुदेशों का पालन किया जाना चाहिए।
3. लंबे एवं जटिल मामलों को सरल एवं संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
4. मसौदे में प्रेषिती (पानेवाला) के संगत संदर्भों का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मसौदे में जहाँ-जहाँ आवश्यक संदर्भ देने की भावश्यकता हो, उसका उल्लेख किया जाना चाहिए।

5. मसौदा बनाते समय उपयुक्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए ताकि सक्षम अधिकारी आवश्यकतानुसार उसमें आवश्यक संशोधन कर सके।

उक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मसौदे के अनुमोदन के उपरांत उसकी स्वच्छ प्रति तैयार करवाई जाती है और तत्पश्चात् सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत कर दी जाती है। इसके पश्चात् इसे प्रेषिती को जारी कर दिया जाता है और इसकी कार्यालय प्रति संबंधित मिसिल में लगा दी जाती है।

सरकारी पत्र

उद्देश्य: इस पाठ में हम सरकारी पत्र का प्रयोजन, प्रारूप, विभिन्न स्थितियों में प्रयोग के साथ-साथ विभिन्न वाक्य सांचे, अभिव्यक्ति, शब्दावली का अभ्यास करेंगे। इसमें हम सामान्य पत्रों के अलावा तीन विशेष पत्रों का भी अध्ययन करेंगे।

प्रयोजन: सूचनाओं के आदान-प्रदान यानी सूचना लेने या देने के लिए।

किसके लिए: कार्यालय से इतर व्यक्तियों, कंपनियों, संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों, राज्य सरकारों आदि से सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु ।

किन मामलों में

1. किसी व्यक्ति से सूचना लेने या देने के लिए;
2. विदेशी सरकारों/संयुक्त राष्ट्र संघ से सूचना लेने या देने के लिए;
3. राज्य सरकारों/केंद्र शासित क्षेत्रों से सूचना लेने या देने के लिए;
4. संवैधानिक निकायों (constitutional bodies) तथा सांविधिक निकायों (statutory bod-ies) से सूचना लेने या देने के लिए;
5. आधीनस्थ / संबद्ध कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों से सूचना लेने या देने के लिए
6. उपक्रमों/ उद्यमों/ राष्ट्रीयकृत बैंकों / सहकारी बैंकों / निगमों/ स्वायत्तशासी निकायों/निगमित कंपनियों / स्वैच्छिक संस्थाओं/ विभिन्न प्रकार के संगठनों / संघों आदि से सूचना लेने या देने के लिए।

नोट: मंत्रालय/विभाग परस्पर सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु कभी भी पत्र का प्रयोग नहीं करते बल्कि इसके स्थान पर वे कार्यालय ज्ञापन या अंतरविभागीय टिप्पणी का प्रयोग करते हैं।

प्रारूप: आगे नमूने में देखेंगे।

भाषा: सरकारी पत्र की भाषा में सभी कार्यालयीन विशेषताएँ होती हैं अर्थात् इसकी भाषा सरल और स्पष्ट होती है। इसमें अस्पष्ट, अनिश्चित और दो अर्थ देने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें उत्तम पुरुष (मैं) का प्रयोग कदापि नहीं होता। इसमें प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग अप्रत्यक्ष होता है। केवल I have been directed आदि संदर्भों में मुझे का प्रयोग होता है।

सरकारी पत्र सरकार द्वारा व्यक्त विचारों/निर्णयों आदि की सूचना देते हैं इसलिए इसमें व्यक्त विचार या भाव सरकार के होते हैं न कि किसी अधिकारी विशेष के।

अंतरिम उत्तर (Interim Reply)

जब मंत्रालय/विभाग/कार्यालय को कोई पत्र प्राप्त होता है और उसमें मांगी गई सूचना उनके पास तत्काल उपलब्ध न हो या सूचना अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों से मंगवाने में विलंब हो रहा हो तब मंत्रालय/विभाग/कार्यालय संबंधित कार्यालय को पावती के रूप में अंतरिम उत्तर भेजता है। अंतरिम उत्तर का प्रारूप वही होता है जो सरकारी पत्र का होता है। इसकी भाषा भी सरल एवं स्पष्ट तथा कार्यालयीन भाषा की विशेषताओं के अनुरूप होती है।

पावती (Acknowledgement)

जब कोई मंत्रालय/विभाग/ कार्यालय अन्य कार्यालय से प्राप्त पत्र पर प्राप्ति की सूचना भेजता है तो भेजी जाने वाली प्राप्ति की सूचना को पावती कहा जाता है।

यह औपचारिक पत्र होता है जो पहले से रूपरेखा के रूप में विद्यमान रहता है। इसमें पत्र की संख्या व दिनांक अंकित कर भेज दिया जाता है।

इसकी रूपरेखा व भाषा बिल्कुल पत्र के समान होती है।

सरकारी कार्यालयों द्वारा प्रकाशन से संबंधित

अनुभाग ऐसी पावती का अधिकतम प्रयोग प्राप्त लेखों के लेखकों के लिए करते हैं।

अनुस्मारक (Reminder)

जब किसी मामले में कार्रवाई हेतु मंत्रालय/विभाग/कार्यालय, पत्र किसी अन्य मंत्रालय/विभाग / कार्यालय को भेजता है और उस पत्र पर कार्रवाई की अपेक्षा होती है किंतु निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित उत्तर प्राप्त नहीं होता है तब संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय को याद दिलाने के लिए पत्र भेजा जाता है। ध्यान आकर्षित करने या याद दिलाने वाले इस पत्र को स्मरण पत्र या अनुस्मारक कहा जाता है। अनुस्मारक का प्रारूप सरकारी पत्र के समान होता है। इसकी भाषा भी कार्यालयीन भाषा की विशेषताओं से युक्त सरल और स्पष्ट होती है।

पृष्ठांकन

उद्देश्य: पृष्ठांकन सरकारी पत्राचार का एक रूप है, साथ ही विभिन्न प्रकार के पत्राचार का अंग भी है।

इस पाठ में हम पृष्ठांकन का विभिन्न स्थितियों और संदर्भों में प्रयोग सीखेंगे। पृष्ठांकन में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली और विशिष्ट अभिव्यक्तियों की जानकारी प्राप्त करेंगे और विभिन्न स्थितियों में विभिन्न पृष्ठांकन प्रकारों के लिखने का अभ्यास करेंगे।

प्रकार : पृष्ठांकन दो प्रकार से किया जाता है-

1. मूल पत्र पर नीचे लिख कर।
2. अलग से मसौदा बनाकर।

मूल पत्र पर अधिकारी के हस्ताक्षर और पदनाम के बाद नीचे पृष्ठांकन इस प्रकार किया जाता है-

अर्ध सरकारी पत्र

उद्देश्य: इस पाठ में हम अर्ध सरकारी पत्र के प्रयोजन, प्रारूप एवं विभिन्न स्थितियों में इसका प्रयोग सीखेंगे। प्रशिक्षार्थियों से इसके विभिन्न वाक्य सांचों, अभिव्यक्तियों, शब्दावली का अध्ययन एवं प्रारूप लेखन आदि का अभ्यास करवाया जाएगा।

प्रयोजन: किसी भी मामले पर विशेष ध्यान (व्यक्तिगत ध्यान देकर कार्य के शीघ्र निपटान हेतु)।

किसके लिए: राजपत्रित अधिकारियों के बीच एवं गैर सरकारी संस्थाओं के अधिकारियों के लिए।

किन मामलों में:

1. सामान्यतः समान स्तर के राजपत्रित अधिकारियों के आपसी पत्र-व्यवहार में विचारों या सूचनाओं के आदान-प्रदान या प्रेषण के लिए।
2. जब किसी अधिकारी का ध्यान व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की ओर दिलाना अपेक्षित हो।
3. किसी विषय पर अधिकारी की निजी सम्मति (अभिमत) के लिए।
4. पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी के कार्यालय से कार्रवाई में अनावश्यक विलंब होने पर।
5. स्मरण पत्र भेजने पर भी उत्तर न प्राप्त होने पर।

प्रारूप: आगे नमूने में देखेंगे।

भाषा:

1. अर्ध सरकारी पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होती है।
2. इसमें उत्तम पुरुष, एक वचन का प्रयोग किया जाता है।
3. भाषा वैयक्तिक एवं मित्रवत होती है।
4. आपका सहयोग चाहता हूँ, आभारी हूँगा, कृतार्थ करें आदि क्रिया रूपों का प्रयोग होता है। आज्ञा या अनुरोध रहित वाक्यों में 'किया जा रहा है' या 'किया जा चुका है आदि का प्रयोग किया जा सकता है।

कार्यालय ज्ञापन

उद्देश्य: इस पाठ में हम कार्यालय ज्ञापन के प्रयोजन, प्रारूप एवं विभिन्न स्थितियों के साथ-साथ विभिन्न वाक्य साँचों, अभिव्यक्तियों तथा शब्दावली का अभ्यास करेंगे और प्रारूप लेखन का भी अभ्यास करेंगे।

प्रयोजन: विभागों/ मंत्रालयों एवं कर्मचारियों को सूचना देने अथवा सूचना माँगने के लिए तथा संबद्ध एवं आधीनस्थ कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार करने के लिए।

किसके लिए

मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों एवं कर्मचारियों के लिए।

किन मामलों में।

1. पत्र का प्रयोग दो मंत्रालयों के बीच नहीं किया जाता इसलिए अन्य मंत्रालयों/विभागों से पत्र व्यवहार करने के लिए।
2. विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों से सूचना माँगने या उन्हें सूचना भेजने के लिए।
3. संबद्ध एवं आधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्र-व्यवहार के लिए।

भाषा:

कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष में लिखा जाता है। इसकी भाषा पत्र के समान आदेशात्मक नहीं होती है और न ही अर्ध सरकारी पत्र की तरह मित्रतापूर्ण। इसकी भाषा में अनुरोध आदि शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है।

कार्यालय आदेश

उद्देश्य: इस पाठ में हम कार्यालय आदेश के प्रयोजन, प्रारूप एवं विभिन्न स्थितियों आदि के साथ-साथ विभिन्न वाक्य साँचों, अभिव्यक्तियों तथा शब्दावली का अध्ययन एवं प्रारूप लेखन का अभ्यास करेंगे।

प्रयोजन: आंतरिक प्रशासन संबंधी अनुदेश जारी करने के लिए।

किसके लिए: अधिकारियों/कर्मचारियों दोनों के लिए लिखा जा सकता है।

प्रारूप: आगे नमूने में देखेंगे।

भाषा:

अन्य पुरुष में लिखा जाता है। सूचनापरक भाषा का प्रयोग होता है।

किन मामलों में

1. कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं दो अनुभागों के बीच काम के वितरण के लिए।
2. अधिकारियों/कर्मचारियों का एक कार्यालय या अनुभाग से दूसरे कार्यालय या अनुभाग मेंस्थानांतरण या तैनाती के लिए।
3. आकस्मिक अवकाश व प्रतिबंधित अवकाश को छोड़कर सभी प्रकार की छुट्टियों की मंजूरी के साथ-साथ अन्य नियमित प्रशासनिक कार्यों के लिए।

आदेश

उद्देश्य: इस पाठ में हम आदेश के प्रयोजन, प्रारूप, उसकी विभिन्न स्थितियाँ, विभिन्न वाक्य साँचों, अभिव्यक्तियों, शब्दावली एवं प्रारूप लेखन का अभ्यास करेंगे।

प्रयोजन: आदेश का प्रयोग आम तौर पर कार्यालयों में वित्तीय मंजूरियों एवं अनुशासनिक मामलों में संबंधित कर्मचारियों को सरकारी आदेशों की सूचना देने के लिए किया जाता है।

किसके लिए: मंत्रालय / कार्यालय अपने आधीनस्थ विभागों एवं अधिकारियों/कर्मचारियों दोनों को सूचना देने के लिए लिखा जाता है।

किन मामलों में: नए पदों के सृजन की सूचना देना। कुछ विशिष्ट प्रकार की वित्तीय मंजूरियों की सूचना देना, अनुशासनिक मामलों में संबंधित कर्मचारी को सरकारी आदेश की सूचना देना, शक्तियों के प्रत्यायोजन की सूचना देना।

भाषा:

आदेश की भाषा आदेशात्मक होती है जैसेः- आदेश दिया जाता है, सूचित किया जाता है, की जाए, की जाएगी। इसमें अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है।

अंतरविभागीय टिप्पणी

उद्देश्य: इस पाठ में हम अंतरविभागीय टिप्पणी का प्रयोजन, प्रारूप, उसकी विभिन्न स्थितियों, विभिन्न वाक्य साँचों, अभिव्यक्तियों, शब्दावली एवं प्रारूप लेखन का अभ्यास करेंगे।

प्रयोजन: अंतरविभागीय टिप्पणी पत्राचार का एक माध्यम है। इसका प्रयोग दो मंत्रालयों या संबद्ध तथा आधीनस्थ कार्यालयों के बीच किया जाता है। जब भारत सरकार के वर्तमान नियमों, अनुदेशों आदि के बारे में स्पष्टीकरण या कोई कागज पत्र प्राप्त

करने होते हैं अथवा विशेषज्ञों या सक्षम अधिकारियों से किसी विषय पर सुझाव, सहमति, सम्मति, स्पष्टीकरण, व्याख्या आदि प्राप्त करने होते हैं तब अंतरविभागीय टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है।

प्रकार:

अंतरविभागीय टिप्पणी दो प्रकार से भेजी जा सकती हैः-

1. मिसिल पर ही टिप्पणी लिखकर किसी मंत्रालय/विभाग को भेजना।
2. नोट शीट पर अलग से स्वतः पूर्ण टिप्पणी के रूप में भेजना। यदि किसी विषय पर सहमति / सलाह/स्पष्टीकरण लेना हो तो उस स्थिति में जाँच की आवश्यकता होती है तब टिप्पणी मिसिल पर न लिखकर अलग से स्वतः पूर्ण रूप में लिखी जाती है।

भाषा

1. अंतरविभागीय टिप्पणी कार्यालयीन विशेषताओं के साथ-साथ अन्य पुरुष में लिखी जाती है।
2. इसमें आदेशात्मक/आज्ञात्मक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता।
3. इसमें आपसे अनुरोध है, निवेदन है, स्पष्ट करें, कृपा करें आदि वाक्य संरचना का प्रयोग किया जाता है।

अधिसूचना

उद्देश्य: अधिसूचना पत्राचार का ऐसा रूप है जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। इस पाठ में हम अधिसूचना का विभिन्न स्थितियों और संदर्भों में प्रयोग सीखेंगे। अधिसूचना में प्रयुक्त होने वाली अभिव्यक्तियों को देखेंगे और विभिन्न स्थितियों में अधिसूचना लिखने का अभ्यास करेंगे।

अधिसूचना का प्रयोग

राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति आदि की सूचना राजपत्र में अधिसूचना के रूप में प्रकाशित की जाती है।

सांविधिक नियमों और आदेशों की सूचना भी राजपत्र में अधिसूचना के रूप में दी जाती है।

शक्तियों के सौंपे जाने की घोषणा भी अधिसूचना के रूप में राजपत्र में प्रकाशित की जाती है।

संकल्प

उद्देश्य: इस पाठ का उद्देश्य संकल्प के प्रयोग, उसमें प्रयुक्त विशिष्ट अभिव्यक्तियों को जानना और संकल्प लिखने का अभ्यास करना है। संकल्प का प्रयोग सरकारी निर्णयों, जाँच समितियों या जाँच आयोगों के गठन, उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्तियाँ, विचारणीय विषयों और उनके द्वारा लिए गए निर्णयों की सार्वजनिक घोषणा करने के लिए किया जाता है।

- अधिसूचना की तरह संकल्प का प्रकाशन भी भारत के राजपत्र में किया जाता है। अधिसूचना और संकल्प का प्रारूप एक सा होता है।
- संकल्प के प्रारंभ में ही यह निर्देश दिया जाता है कि इसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में किस भाग और किस खंड में किया जाएगा।
- संकल्प में संबोधन और अधोलेख नहीं होते। इसके कलेवर के अंत में यह आदेश दिया जाता है कि इसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में किया जाए और इसकी एक-एक प्रति संबंधित सदस्यों को दी जाए।
- संकल्प की मूल प्रति प्रबंधक, भारत सरकार प्रेस को भेजी जाती है, जिस पर संयुक्त सचिव या समकक्ष अधिकारी हस्ताक्षर करते हैं।
- अन्य प्रतियों पर संबद्ध व्यक्तियों/कायमों को पृष्ठांकन किया जाता है। इस पर सामान्यतया अवर सचिव हस्ताक्षर करते हैं।
- संकल्प का प्रारूप तैयार करते समय यह सावधानी रखी जाती है कि इसमें कोई भूल या त्रुटि न रह जाए और कहीं काट-छाँट न हो। यहाँ तक कि हस्ताक्षर के साथ भी संशोधन नहीं होना चाहिए।
- कार्बन या साइक्लोस्टाइल्ड प्रति नहीं भेजी जानी चाहिए।
- इस पर सक्षम अधिकारी के ही हस्ताक्षर होने

चाहिए, कृते के रूप में किसी अन्य के नहीं। हस्ताक्षर स्याही से होने चाहिए।

- संकल्प की प्रेस को भेजी जाने वाली प्रति को छोड़कर दूसरी सभी प्रतियों पर पृष्ठांकन टाइप किया जाना चाहिए।

परिपत्र

यदि किसी मंत्रालय या विभागीय कार्यालय को अपने आधीनस्थ कार्यालयों या कर्मचारियों से कोई सूचना माँगनी हो या उन्हें किन्हीं सरकारी आदेशों या अनुदेशों की सूचना देनी हो तो परिपत्र का प्रयोग किया जाता है। यह प्रायः आंतरिक होता है अर्थात इसका प्रयोग उसी मंत्रालय/विभाग/कार्यालय तक सीमित रहता है। एक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय के परिपत्र में दी गई हिदायतों को मानने के लिए अन्य मंत्रालय/कार्यालय बाध्य नहीं होते। यदि जारी परिपत्र के अनुदेशों को दूसरे विभाग/कार्यालय को अपने कर्मचारियों पर लागू करना हो तो दूसरे विभाग/कार्यालय को अलग से परिपत्र जारी करना आवश्यक होता है।

प्रयोजन:

परिपत्र का प्रयोजन सरकारी नियमों या अनुदेशों को आवश्यकतानुसार कार्यालय के आधीनस्थ कर्मचारियों को सामान्य रूप से सूचित करना होता है। इसलिए इसे पत्राचार का रूप नहीं माना जाता, क्योंकि परिपत्र से किसी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा अनिवार्यतः नहीं की जाती। यदि किसी व्यक्ति विशेष को कोई आदेश/अनुदेश देने हों या कोई सूचना प्राप्त करनी हो तो परिपत्र का प्रयोग न करके आदेश का प्रयोग किया जाता है।

विशेषताएँ:

1. परिपत्र को पत्राचार का रूप नहीं माना जाता।
2. परिपत्र में किसी प्रकार के उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती।
3. परिपत्र में संदर्भ, संबोधन तथा अधोलेख नहीं लिखा जाता।

प्रेस विज्ञप्ति एवं प्रेस टिप्पणी

उद्देश्य: सरकार के कार्यकलापों और नीतियों की व्यापक जानकारी जन सामान्य को देने के लिए प्रेस विज्ञप्ति और प्रेस टिप्पणी का प्रयोग किया जाता है।

परिचय:

सरकारी पत्राचार के विविध प्रारूप जैसे सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, परिपत्र आदि का संबंध सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच होता है जबकि कई सरकारी सूचनाओं, कार्यकलापों और नीतियों की व्यापक जानकारी जन सामान्य को सूचित करने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाई जाती है उसके लिए प्रेस विज्ञप्ति व प्रेस टिप्पणी का सहारा लिया जाता है।

प्रेस विज्ञप्ति

अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, परीक्षा परिणामों, पदों को भरने हेतु विज्ञापन आदि का प्रकाशन समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति द्वारा किया जाता है। प्रेस विज्ञप्ति औपचारिक होती है, इसलिए समाचार पत्र के संपादक को इसमें काट-छांट, वाक्य परिवर्तन या कुछ अतिरिक्त जोड़ने या घटाने का अधिकार नहीं होता। इसे ज्यों का त्यों समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। प्रेस विज्ञप्ति में यह भी संकेत होता है कि इसे किस दिनांक को कितने बजे के पूर्व प्रकाशित न किया जाए। इसका जो निर्धारित शुल्क होता है उसका भुगतान भी प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कराने वाले द्वारा देय होता है।

प्रेस टिप्पणी

प्रेस टिप्पणी जन सामान्य की सूचना हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। यह औपचारिक नहीं होती। संपादक अपनी सुविधानुसार इसको संपादित कर सकता है अर्थात इसके आकार को छोटा या बड़ा कर सकता है तथा वाक्य संरचना को बदल सकता है। संपादन करते समय इस बात का पूरा ध्यान रखना होता है कि टिप्पणी का आशय तिरोहित न हो जाए। इसका उद्देश्य केवल सूचना को प्रकाशित कराना होता है। प्रेस टिप्पणी के प्रकाशन की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती।

सत्र की गतिविधियां

श्री अशोक कुमार, नराकास **ने सत्र का आरंभ** अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मी शंकर बाजपेयी, **वक्ता**, डॉ. रमेश

आर. आर्य तथा डॉ. हरि सिंह पाल और सभागार में उपस्थित प्रतिभागियों और श्रोतागणों के अभिनंदन से किया। उसके बाद उन्होने वक्ता और अध्यक्ष के कार्यकलापों और हिंदी क्षेत्र में उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण देते हुए परिचय दिया।

वक्ता का उद्बोधन में

विषय – सरकारी कार्यालयों टिप्पणी एवं प्रारूप लेखन (डॉ. रमेश आर्य)

टिप्पणी लेखन सरकारी कार्यालयों में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह किसी भी विचाराधीन मामले या प्रस्ताव पर अधिकारियों द्वारा दी गई संक्षिप्त, सटीक और तथ्यात्मक राय होती है। टिप्पणी लेखन का उद्देश्य वरिष्ठ अधिकारियों को मामले की स्थिति, संभावित परिणामों और सिफारिशों से अवगत कराना होता है, ताकि वे उचित निर्णय ले सकें।

टिप्पणी लेखन में स्पष्टता और संक्षिप्तता सबसे महत्वपूर्ण है। भाषा सरल और सीधी होनी चाहिए, और अनावश्यक विवरण से बचना चाहिए। टिप्पणी में केवल प्रासंगिक तथ्यों और विश्लेषण को शामिल किया जाना चाहिए। टिप्पणी लिखते समय, अधिकारी को मामले के संदर्भ, नियमों और विनियमों, और विभाग के पूर्व उदाहरणों को ध्यान में रखना चाहिए।

एक अच्छी टिप्पणी में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं

- **विषय:** मामले का स्पष्ट और संक्षिप्त विवरण।
- **संदर्भ:** मामले से संबंधित प्रासंगिक पृष्ठभूमि जानकारी।
- **विश्लेषण:** मामले का तथ्यात्मक मूल्यांकन, जिसमें लाभ, हानि और संभावित परिणाम शामिल हैं।
- **सिफारिशें:** मामले के संबंध में उठाए जाने वाले कदमों का सुझाव।
- **निष्कर्ष:** टिप्पणी का संक्षिप्त सारांश।

टिप्पणी लेखन का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि:

- किसी प्रस्ताव या योजना पर राय देना।
- किसी समस्या या मुद्दे का विश्लेषण करना।
- किसी मामले पर कार्रवाई की सिफारिश करना।
- किसी फ़ाइल पर अपनी राय दर्ज करना।

संक्षेप में, टिप्पणी लेखन एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो सरकारी अधिकारियों को प्रभावी ढंग से संवाद करने और सूचित निर्णय लेने में मदद करता है।

प्रारूप लेखन, सरकारी कार्यालयों में, किसी प्रस्ताव, योजना या नीति के प्रारंभिक मसौदे को तैयार करने की प्रक्रिया है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो अंतिम दस्तावेज़ की नींव रखता है। प्रारूप लेखन का उद्देश्य विचारों को संगठित करना, आवश्यक जानकारी एकत्र करना और एक स्पष्ट और संक्षिप्त संरचना तैयार करना है।

प्रारूप लेखन में, विषय की स्पष्ट समझ, सटीक जानकारी और तार्किक प्रस्तुति महत्वपूर्ण है। एक अच्छा प्रारूप, विषय के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है, प्रासंगिक तथ्यों और आंकड़ों को शामिल करता है, और संभावित चुनौतियों और समाधानों का विश्लेषण करता है। इसमें प्रस्तावित कार्रवाई के लिए एक ठोस आधार प्रदान किया जाता है।

प्रारूप लेखन में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं:

- **परिचय:** विषय का संक्षिप्त विवरण और उद्देश्य।
- **पृष्ठभूमि:** विषय से संबंधित प्रासंगिक जानकारी और संदर्भ।
- **विश्लेषण:** विषय का विस्तृत विश्लेषण, जिसमें लाभ, हानि, और संभावित परिणाम शामिल हैं।
- **सिफारिशें:** प्रस्तावित कार्रवाई के लिए सुझाव और योजना।
- **निष्कर्ष:** प्रारूप का संक्षिप्त सारांश।

प्रारूप लेखन का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि:

- नई नीतियों और योजनाओं का प्रस्ताव।
- परियोजनाओं और कार्यक्रमों का मसौदा तैयार करना।

- रिपोर्ट और दस्तावेजों का प्रारंभिक संस्करण तैयार करना।

एक अच्छी तरह से तैयार किया गया प्रारूप, अंतिम दस्तावेज़ को तैयार करने में समय और प्रयास बचाता है, और यह सुनिश्चित करता है कि सभी प्रासंगिक जानकारी को शामिल किया गया है। यह स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए, ताकि इसे आसानी से समझा जा सके और उस पर कार्यवाही की जा सके।

देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानकीकरण (डॉ हरि सिंह पाल)

सत्र के वक्ता ने हिंदी वर्तनी के मानकीकरण के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि यह प्रक्रिया 1960 में प्रथम मानकीकरण के साथ शुरू हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य भाषा में एकरूपता लाना था। इस प्रयास में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी तैयार की गईं, जो मानकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुईं।वक्ता ने हिंदी वर्तनी के मानकीकरण के निम्नलिखित लाभों को स्पष्ट किया।

डॉ हरि सिंह पाल

- **एकरूपता:** क्षेत्रीय और शैलीगत भिन्नताओं को समाप्त कर, विभिन्न भाषाओं (हिंदी, संस्कृत, मराठी) के बीच संवाद को सुगम बनाता है।
- **तकनीकी अनुकूलता:** डिजिटल उपकरणों में उपयोग को सरल और कुशल बनाता है, मानकीकृत फोंट और कीबोर्ड लेआउट के माध्यम से।
- शिक्षा और प्रकाशन: गुणवत्ता और पठनीयता में वृद्धि करता है, जिससे छात्रों और पाठकों को लाभ होता है।
- **स्पष्टता:** वर्तनी की अशुद्धियों को दूर कर, लिखित सामग्री को स्पष्ट बनाता है।
- **मान्यता:** आधिकारिक उपयोग को सुगम बनाता है, सरकारी और शैक्षणिक कार्यों में।
- **आधुनिकता:** भाषा को आधुनिक तकनीक और संचार के लिए उपयुक्त बनाता है।

डॉ हरि सिंह पाल ने देवनागरी लिपि और रोमन लिपि की तुलना की। देवनागरी में, प्रत्येक वर्ण की एक निश्चित ध्वनि होती है, और शब्दों का उच्चारण उनके लेखन के अनुरूप होता है। रोमन लिपि में, एक ही वर्ण विभिन्न ध्वनियों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जिससे उच्चारण में अस्पष्टता होती है। देवनागरी में, स्वरों और व्यंजनों केलिए अलग-अलग वर्ण हैं, और मात्राओं का उपयोग स्वरों की लंबाई को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह स्पष्टता सुनिश्चित करता है कि शब्दों का उच्चारण उनके लेखन के अनुरूप हो। रोमन लिपि में इस प्रकार की स्पष्टता नहीं है, जिसके कारण उच्चारण में बहुत ज्यादा असमानता दिखाई देती है।

मानकीकरण से देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी में यह सुनिश्चित होता है की भाषा का उपयोग सरल, सुगम और आधुनिक हो। यह भाषा के विकास और व्यापक उपयोग के लिए आवश्यक है।

अध्यक्ष द्वारा उद्बोधन

डॉ. लक्ष्मीशंकर बाजपई

अध्यक्षीय भाषण में डॉ. लक्ष्मीशंकर बाजपई ने हिंदी वर्तनी के मानकीकरण के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि हिंदी में त्रुटियाँ भाषा की स्पष्टता

को बाधित करती हैं, जिससे अर्थ समझने में कठिनाई होती है। मानकीकरण द्वारा इन त्रुटियों को दूर कर, भाषा को एकरूप और सुगम बनाया जा सकता है।

धन्यवाद प्रस्ताव

डॉ. संध्या गुप्ता, प्रधान वज्ञानिक, जननद्रव्य संरक्षण विभाग नें डॉ. रमेश आर्य तथा डॉ हरी सिंह का धन्यवाद किया। उन्होने डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी का अध्यक्षीय उदबोधन , तथा डॉ पूरन चन्द्र वरिष्ठ वैज्ञानिक, जननद्रव्य विनिमय इकाई तथा डॉ. स्मिता लेंका, सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी, का सत्र की रिपोर्ट संकलन के लिए धन्यवाद किया और सत्र का समापन अतिथियों को स्मृति चिन्ह दे कर सम्मानित करने से किया गया।

संघ की राजभाषा नीति

आशुतोष कुमार, उप निदेशक (राजभाषा)

भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के आधीन रहते हुए, संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा। परंतु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृ-भाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा।

जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो "या अंग्रेजी में" शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो।

अनुच्छेद 210: विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा -

भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के आधीन रहते हुए, राज्य के विधान-मंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा परंतु, यथास्थिति, विधान सभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

जब तक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो " या अंग्रेजी में" शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो : परंतु हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में, यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले "पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस वर्ष" शब्द रख दिए गए हों : परंतु यह और कि अरूणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम राज्यों के विधान-मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले "पंद्रह वर्ष " शब्दों के स्थान पर "चालीस वर्ष" शब्द रख दिए गए हों ।

अनुच्छेद 343: संघ की राजभाषा-

संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

परन्तु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद

उक्त पन्द्रह वर्ष की अवधि के पश्चात, विधि द्वाराअंग्रेजी भाषा का, या अंकों के देवनागरी रूप का, ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

अनुच्छेद 344: राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति-

राष्ट्रपति, इस संविधान के प्रारंभ से पांच वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात इसे प्रारंभ से दस वर्ष की समाप्ति पर, आदेश द्वारा, एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी।

आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों, अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप, संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, के बारे में सिफारिश करे।

खंड (2) के आधीन अपनी सिफारिशें करने में, आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

एक समिति गठित की जाएगी जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से बीस लोक सभा के सदस्य होंगे और दस राज्य सभा के सदस्य होंगे जो क्रमशः लोक सभा के सदस्यों और राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।

समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह खंड (1) के आधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन दे। अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति खंड (5) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा।

अध्याय 2- प्रादेशिक भाषाएं

अनुच्छेद 345: राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं-

अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के आधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा।

परंतु जब तक राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

अनुच्छेद 346: एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा-

संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी।

परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 347: किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध-

यदि इस निमित्त मांग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो

वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए, जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए

अध्याय 3 - उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

अनुच्छेद 348: उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा-

1. इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक-

I. उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाईयां अंग्रेजी भाषा में होंगी।

I. A) संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुरःस्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के,

b) संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के, और

c) इस संविधान के आधीन अथवा संसद या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के आधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के, प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे।

2. खंड(1) के उपखंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उस उच्च न्यायालय की कार्यवाईयों में, जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में है, हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा; परंतु इस खंड की कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होगी।

3. खंड (1) के उपखंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी राज्य के विधान-मंडल ने उस विधान-मंडल में पुरःस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों में अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उस उपखंड के पैरा (iv) में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न कोई भाषा विहित की है वहां उस राज्य के राजपत्र में उस राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के आधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

अनुच्छेद 349: भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया-

इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान, अनुच्छेद 348 के खंड (1) में उल्लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को पुरःस्थापित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड (1) के आधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर और उस अनुच्छेद के खंड (4) के आधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही देगा, अन्यथा नहीं।

अध्याय 4 - विशेष निर्देश

अनुच्छेद 350: व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा-

प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को, यथास्थिति, संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा।

अनुच्छेद 350 क: प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएँ-

प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे

सकेगा जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझता है।

अनुच्छेद 350 ख: भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकारी-

भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।

विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस संविधान के आधीन भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करें, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

अनुच्छेद 351. हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश-

संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।

सत्र की गतिविधियां

वक्ता :प्रो. श्री राकेश सिन्हा जी पूर्व सांसद राज्यसभा वरिष्ठ लेखक एंव विचारक

संकलन: डॉ ज्योति कुमारी एवं डॉ रश्मि यादव सत्र की शुरूआत एनबीपीजीआर के निदेशक डॉ. प्रताप सिंह के स्वागत अभिभाषण से हुई जिसमें उन्होनें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राकेश सिन्हा के बारे मे बताते हुए उन्हें एनबीपीजीआर के विषय

प्रो. राकेश सिन्हा

में बताया। निदेशक महोदय ने एनबीपीजीआर के बारे में अवगत कराया और जीन बैंक के महत्व के बारे में भी बताया।

प्रो. राकेश सिन्हा जी ने निदेशक महोदय के सफल नेतृत्व के बारे में बताया। गंभीर बातों में चिंतन की महत्व के बारे में बताया। इस कार्यक्रम को उन्होंन चिंतन के लिए एक प्रयास बताया। श्री राकेश सिन्हा जी ने अपने उदबोधन में बताया कि मनुष्य अपने अवचेतन मन का संवाद अपनी मातृभाषा में ही करते हैं। सिन्हा जी के अनुसार विश्व में भाषा की विभिन्नता के आधार पर अलग अलग देशों का निर्माण हुआ और सभ्यताओं का निर्माण हुआ। दुनिया की पांच बडी भाषाओं में दो भारत की हैं - संस्कृत व तमिल। भारत में 10 ऐसी भाषायें है जो मौलिक भाषा कहलाती हैं।

मौलिक भाषाः- आसामी, बंगाली, प्राकृत, पाली, संस्कृत, तमिल, तेलगू, मलयाली, कन्नड़, मराठी, उडिया।

तमिल भाषा का इतिहास आध्यात्म से जुडा हुआ है। तमिल का उद्गम बेमिसाल है अगस्त मुनि को तमिल भाषा के लिये जनक कहा जाता हैं। अतः मौलिक भाषाओं जैसे संस्कृत व तमिल भाषा का धार्मिक ग्रंथो में महत्वपूर्ण योगदान रहा है जिसे सभी को अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने लेखको और कवियों की कई सारे उदाहरण दिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी , फनीश्वर नाथ रेणु , अमृता प्रीतम आदि। उन्होंने कई सारी रचनाओं का उल्लेख किया जैसे दासबोध, रामचरित मानस, मैला आंचल।

गुरुनानक की लिखी गुरुवाणी, आर के नारायणन की रचना मालगुडी डेज का महत्व आज भी है। जो बतलाती है कि मातृभाषा पढ़ने बोलने से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानान्तरण होती है और जीवित रहती है। भाषा मनुष्य को संवेदनशील व तार्किक बनाती है। नारायण गुरु- मलयालम में समाज सुधार का उपदेश दिया है। जो कि वर्तमान और भविष्य में भी काम आयेगा। भाषा की श्रेष्ठता और महत्वता भौगोलिक सीमा से निर्धारित नहीं होती है। गुरुनानक और पनिकी पाकिस्तान में पैदा हुए थे लेकिन विचार और व्यक्ति का महत्व भौगोलिक सीमा से बढ़कर है।

हिंदी में रामधारी सिंह दिनकर व मैथेलीशरण गुप्त जी को विश्वकवि बताया जिनके साहित्य को वैश्वीकरण में पहूँचाया जो कि विश्व मे हिंदी साहित्य के रुप में पढ़ी जाती है। रामघारी सिंह दिनकर कर्ण को नायक बनाके प्रस्तुत किया। उनकी रचना विश्वस्तर पर पढ़ी जाती है।

लेखक की सादगी समझदारी व संजीदगी उन्हें विख्यात बनाती है उनके सहित्य को महत्वपूर्ण बनाती है। भाषा आदमी को संवेदशील और सहिष्णु बनाती है। हम सारी भाषाओं को पढ़ें। मनुष्यता को जीवित रखने की जरुरत है भाषा के व्याकरण को समृद्व करना हैं।

हमें सारी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। भाषाओं में प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। भाषाओं का संगम बनाना है जो भारतवर्ष को राष्ट्र से वैश्विक बनाएं। भाषा सीखना और बोलना अलग अलग चीज हैं। उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी में भेद को सरल तरीके से बताया। हिंदी भाषा बहुत ही सरल और अच्छे भावों से भरी हुई हैं।

अतः हिंदी भाषी लोगों की जिम्मेदारी है कि हम हिंदी व्याकरण को सुधारें जो समाज सुधार में भी योगदान करती है हमें समानता के लिए संस्कारित करती है।

धन्यवाद ज्ञापन - गजमोती जी ने प्रो. श्री राकेश सिन्हा जी पूर्व सांसद राज्यसभा वरिष्ठ लेखक एंव विचारक को अवचेतन मन को जागृत करने का संदेश देने के लिए सधन्यवाद ज्ञापन दिया।

संसदीय राजभाषा समिति

डॉ राकेश बी दूबे, पूर्व ओएसडी, माननीय राष्ट्रपति सचिवालय

पृष्ठभूमि

संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 के आधीन वर्ष 1976 में किया गया था। यह उच्चाधिकार प्राप्त संसदीय समिति है। इसमें 30 संसद सदस्य हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। माननीय गृह मंत्री जी इस समिति के अध्यक्ष हैं। राजभाषा कार्य की प्रगति के निरीक्षण कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस समिति को तीन उप-समितियों में विभाजित किया गया है। समिति की ये तीनों उप-समितियां अब तक 16,401 से अधिक कार्यालयों का निरीक्षण कर चुकी हैं और लगभग 882 गणमान्य व्यक्तियों का मौखिक साक्ष्य भी ले चुकी हैं, जिनमें उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल शामिल हैं। इसी कार्य के आधार पर समिति अब तक अपने प्रतिवेदन के बारह खण्ड राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर चुकी है। नौ खण्डों में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश हो गये हैं। इस समिति का मुख्य उद्देश्य सरकार के कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा करना है।

अध्यक्ष श्री अमित शाह, केन्द्रीय गृह मंत्री		**उपाध्यक्ष** श्री भर्तृहरि महताब
डॉ. दिनेश शर्मा संयोजक पहली उप-समिति	श्री उज्जवल रमण सिंह संयोजक दूसरी उप-समिति	श्रीयुत श्रीरंग अप्पा चंदू बारणे संयोजक तीसरी उप-समिति

संसदीय राजभाषा समिति

भारत में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा (4) के तहत गठित की गई एक प्रमुख समिति है। इसका गठन वर्ष 1976 में किया गया। राजभाषा के क्षेत्र में यह सर्वोच्च अधिकार प्राप्त समिति है। यह समिति केन्द्र सरकार के आधीन आने वाले (या सरकार द्वारा वित्तपोषित) सभी संस्थानों का समय-समय पर निरीक्षण करती है और राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाते हैं और राज्य सरकारों को भिजवाते हैं। इसमें लोकसभा के 20 तथा राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं जिनका चुनाव एकल संक्रमणीय तरीके से किया जाता है। लोकसभा चुनावों के बाद प्रायः इस समिति का पुनर्गठन होता है। इस समिति में 10-10 सदस्यों वाली 3 उपसमितियाँ बनाईं गई हैं, प्रत्येक उपसमिति का एक समन्वयक होता है।

समिति के कार्यकलाप और गतिविधियाँ मुख्यतः राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 में दी गई हैं।

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4

संसदीय राजभाषा समिति का गठन राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा (4) के तहत वर्ष 1976 में किया गया। सुलभ संदर्भ के लिए इस धारा को नीचे उद्धृत किया गया है:

1. जिस तारीख को धारा 3 प्रवृत्त होती है उससे दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् राजभाषा के सम्बन्ध में एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी।
2. इस समिति में तीस सदस्य होंगे, जिनमें 20 1. लोकसभा के सदस्य होंगे तथा 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, जो क्रमश: लोकसभा के सदस्यों तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे।
3. इस समिति का कर्तव्य होगा कि संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करे और उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद के हर सदन के समक्ष रखने के लिए आदेश जारी करते हैं और उसे सभी राज्य सरकारों को भिजवाया जाता है।
4. राष्ट्रपति उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर और उस पर राज्य सरकारों ने यदि कोई मत अभिव्यक्त किए हों तो उस पर विचार करने के पश्चात् उस समस्त प्रतिवेदन या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश जारी करते हैं। "परन्तु इस प्रकार निकाले गए निर्देश धारा 3 के उपबन्धों से असंगत नहीं होंगे। "
5. समिति के अध्यक्ष का चुनाव समिति के सदस्यों द्वारा किया जाता है। परम्परा के अनुसार केन्द्रीय गृह मंत्री जी को समय समय पर समिति का अध्यक्ष चुना जाता रहा है।
6. अपने प्रेक्षण के आधार पर केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग से संबंधित स्थिति की समीक्षा करते हुए समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन सिफारिशों सहित राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है ताकि केन्द्र सरकार के कार्यालयों को हिंदी का अधिकतम प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके जिससे संवैधानिक उपबंधों के लक्ष्य प्राप्त हो सकें। वस्तुस्थिति का मूल्यांकन करने के लिए समिति ने अन्य तरीकों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यकलापों का निरीक्षण करने का भी निर्णय लिया था। इस प्रायोजन के लिए समिति ने तीन उप समितियां गठित की और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि को तीनों उप समितियों द्वारा निरीक्षण के उद्देश्य से तीन समूहों में बांट दिया गया। अब तक इन तीनों उप समितियों ने केन्द्रीय सरकार के कुल 8649 कार्यालयों का निरीक्षण किया है जिनमें विदेशों में स्थित कुछ कार्यालय भी शामिल है।
7. इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रयोजनों तथा तत्संबंधी अन्य विषयों में राजभाषा के प्रयोग का आकलन करने के उद्देश्य से यह भी निर्णय लिया गया था कि शिक्षा, विधि एवं स्वयंसेवी संगठनों, मंत्रालयों/विभागों के सचिवों आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों से सम्बद्ध गण्यमान्य व्यक्तियों को मौखिक साक्ष्य के लिए आमंत्रित किया जाए। अभी तक विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 826 गण्यमान्य व्यक्ति समिति के सम्मुख साक्ष्य देने के लिए उपस्थित हो चुके हैं।
8. समिति द्वारा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा राजभाषा से सम्बन्धित संवैधानिक उपबन्धों, राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों की पृष्ठभूमि में की जा रही है। सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए तत्सम्बन्धी परिपत्रों/अनुदेशों आदि को तो समिति ध्यान में रखती ही है साथ ही, चूंकि 1. समिति के विचारार्थ विषयों का क्षेत्र बहुत व्यापक है, इसलिए वह विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम, केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में भर्ती की

विधि, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का सेवाकालीन प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षाओं का माध्यम आदि जैसे अन्य संगत पहलुओं की भी जांच करती रही है। राजभाषा नीति की व्यापकता के विभिन्न पहलुओं को देखते हुए तथा वर्तमान परिस्थितियों को सामने रखते हुए समिति ने जून, 1985 और अगस्त, 1986 में हुई अपनी बैठकों में निर्णय लिया था कि राष्ट्रपति को एक प्रतिवेदन देने के बजाए उसे विभिन्न खंडों में प्रस्तुत किया जाए। प्रत्येक खंड राजभाषा नीति के पहलू विशेष के संबंध में हो।

9. समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अपने प्रतिवेदन के पहले खण्ड में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए अनुवाद व्यवस्था और उसके विभिन्न पहलुओं की जांच की जाए और आवश्यक सिफारिशें की जाएं। तदनुसार, समिति ने जनवरी, 87 में राष्ट्रपति जी को अपने प्रतिवेदन का पहला खण्ड प्रस्तुत किया जो केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अनुवाद व्यवस्था से सम्बन्धित है। संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे जाने तथा राज्य सरकारों को भेजे जाने के पश्चात सरकार द्वारा इस खण्ड में की गई सिफारिशों पर आवश्यक कार्यवाही की गई है। इस संबंध में 30 दिसम्बर 1988 राष्ट्रपति जी का आदेश राजभाषा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

10. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में यांत्रिक सुविधाओं में हिंदी तथा अंग्रेजी के प्रयोग से सम्बन्धित प्रतिवेदन का दूसरा खण्ड राष्ट्रपति जी को जुलाई, 1987 में प्रस्तुत कर दिया गया। यह प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जा चुका है और इसमें की गई सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई है। इस सम्बन्ध में भी 29 मार्च 1990 को राष्ट्रपति जी का आदेश राजभाषा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

11. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के हिंदी शिक्षण और उनके हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण आदि से सम्बन्धित व्यवस्थाओं के बारे में समिति के प्रतिवेदन का तीसरा खण्ड फरवरी, 1989 में राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में 04 नवम्बर 1991 को राष्ट्रपति जी का आदेश राजभाषा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

12. समिति की तीनों उप समितियों द्वारा जुलाई, 1989 तक किए गए निरीक्षणों के आधार पर देश के विभिन्न भागों में सरकारी कार्यालयों और उपक्रमों आदि में हिंदी के प्रयोग की स्थिति से सम्बन्धित चौथा खंड राष्ट्रपति जी को नवम्बर, 1989 में प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में 28 जनवरी 1992 को राष्ट्रपति जी का आदेश राजभाषा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

13. समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का पांचवां खंड विधायन की भाषा और विभिन्न न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा से सम्बन्धित है। उक्त खंड राष्ट्रपति जी को मार्च, 1992 में प्रस्तुत किया गया है। इस पर 24 नवम्बर 1998 को महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश जारी हो चुके हैं।

14. संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन का छठा खंड समिति द्वारा 27.11.1997 को राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया है। यह खंड संघ सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच और संघ तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच पत्राचार में हिंदी के प्रयोग और राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के बीच परस्पर पत्र-व्यवहार में उनकी राजभाषाओं के प्रयोग से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, इसमें विदेशों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग के बारे में भी समीक्षा की गई है। इस पर 17 सितम्बर 2004 को राष्ट्रपति जी के आदेश भी जारी हो चुके हैं।

15. संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन का सातवां खण्ड 3 मई 2002 को राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया। इस खण्ड में समिति ने सरकारी काम-काज में मूल रूप से हिंदी में लेखन कार्य, विधि संबंधी कार्यों में राजभाषा हिंदी की स्थिति, सरकारी कामकाज में राजभाषा के प्रयोग हेतु प्रचार-प्रसार,

प्रशासनिक और वित्तीय कार्यों से जुड़े प्रकाशनों की हिंदी में उपलब्धता, राज्यों में राजभाषा हिंदी की स्थिति, वैश्वीकरण और हिंदी, कम्प्यूटरीकरण एक चुनौती इत्यादि विषयों को समाहित कर संघ सरकार में हिंदी के प्रयोग की वर्तमान स्थिति के संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। इस पर 13 जुलाई 2005 को राष्ट्रपति जी के आदेश जारी हो चुके हैं।

16. दिनांक 16 अगस्त 2005 को संसदीय राजभाषा समिति ने महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रतिवेदन का आठवां खण्ड समर्पित किया। समिति द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आठवें खण्ड में चार भाग हैं। पहले भाग में समिति के गठन एवं कार्यकलापों पर प्रकाश डालते हुए पिछले सात खण्डों पर की गई कार्यवाही तथा आठवें खण्ड की रूपरेखा को दर्शाया गया है। प्रतिवेदन के दूसरे भाग में समिति द्वारा 01 जनवरी 2002 से 31 मार्च 2005 तक किए गए निरीक्षणों आदि के आधार पर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण किया गया है। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) राजभाषा अधिनियम 1976 के नियम 5 (हिंदी में पत्राचार, प्रकाशन, कोड-मैनुअल एवं प्रशिक्षण इत्यादि से संबंधित राष्ट्रपति जी के आदेशों के अनुपालन की स्थिति का मंत्रालय एवं क्षेत्रवार मूल्यांकन किया गया है। इसके अलावा विभिन्न नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के साथ विचार-विमर्श का सार भी प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन के तीसरे एवं महत्वपूर्ण भाग में समिति ने केन्द्रीय कार्यालयों (पुस्तकों की खरीद, कम्प्यूटरीकरण, भर्ती नियमों में हिंदी ज्ञान की अनिवार्यता, हिंदी पदों की स्थिति, शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी माध्यम की उपलब्धता, हिंदी विज्ञापनों पर व्यय तथा सार्वजनिक उपक्रमों के वाणिज्यिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग जैसे विषयों पर अपने अनुभवों के आधार पर समीक्षा प्रस्तुत की है। तीनों भागों में शामिल किए गए विभिन्न अध्यायों के निष्कर्षों के आधार पर समिति ने प्रतिवेदन के चौथे भाग में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं।

15. समिति सचिवालय, जो 11 तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है, एक बहुत छोटा कार्यालय है जिसकी प्रधान समिति की सचिव हैं और उनकी सहायता के लिए तीन अवर सचिव एवं अन्य कार्मिक हैं। ये सभी समिति के विभिन्न कार्यकलापों में अपेक्षित सहयोग प्रदान करते हैं। यह सचिवालय प्रशासनिक प्रयोजनों की दृष्टि से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के आधीन आता है।

संसदीय समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का 9वां खंड

संसदीय समिति ने राष्ट्रपति को वर्ष 1959 से अब तक नौ रिपोर्टें दी हैं। आखिरी बार इस तरह की रिपोर्ट (नौवाँ खण्ड) जून 2011 में दी गई थी जिसकी बहुत सी सिफ़ारिशों को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने अप्रैल 2017 में स्वीकार कर लिया। 2011 में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम इस समिति के अध्यक्ष थे।

स्वीकृत संस्तुतियाँ

1. संसदीय समिति की सिफारिशों में राष्ट्रपति समेत मंत्रियों के हिंदी में भाषण देने की बात कही गई थी जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। इस सिफारिश में कहा गया है कि राष्ट्रपति, मंत्री और अधिकारियों को हिंदी में ही भाषण देना चाहिए। हालांकि, इसमें ये जोड़ा गया है कि जो हिंदी बोल या पढ़ सकते हैं, उन्हें ऐसा करना होगा।
2. संसदीय समिति ने सीबीएसई से जुड़े सभी स्कूलों और केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 10 तक हिंदी को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया था। अभी इन स्कूलों में कक्षा 8 तक ही हिंदी पढ़ना अनिवार्य है। वहीं गैर-हिंदी भाषी राज्यों के विश्वविद्यालयों को कहा गया है कि परीक्षाओं और 1. इंटरव्यू में हिंदी में उत्तर देने का विकल्प दें।

एयर इंडिया की टिकटों पर भी हिंदी का उपयोग करने की सिफारिश को भी मान लिया गया है। एयर इंडिया के विमानों में आधी से ज्यादा हिंदी की पत्रिकाएं और अखबार देने और केंद्र सरकार के कार्यालयों में अंग्रेजी की तुलना में हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं और किताबों की ज्यादा खरीदारी करने की बात भी स्वीकार कर ली गयी है।

4. सभी सरकारी और अर्धसरकारी संगठनों को अपने उत्पादों की जानकारी हिंदी में भी देनी होगी।
5. गैर हिंदीभाषी राज्यों के विश्वविद्यालयों से मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहेगा कि वे विद्यार्थियों को परीक्षाओं और साक्षात्कारों में हिंदी में उत्तर देने का विकल्प दें। यह सिफारिश भी स्वीकार की गई है कि सरकार सरकारी संवाद में कठिन हिंदी शब्दों के उपयोग से बचे और हिंदी शब्दों के अंग्रेजी लिप्यांतरण का एक शब्दकोष तैयार करे। सभी मंत्रालय ऐसा शब्दकोष बनाएंगे और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से तैयार किए जाने वाले 15,000 शब्दों के शब्दकोष का भी उपयोग करेंगे। उदाहरण देते हुए बताया गया है कि 'डीमॉनेटाइजेशन' जैसे शब्दों के लिए 'विमुद्रीकरण' या आम बोलचाल में प्रचलित 'नोटबंदी' जैसे शब्द का उपयोग किया जा सकता है।

अस्वीकृत संस्तुतियाँ

1. सरकारी हिस्सेदारी वाली और निजी कंपनियों में बातचीत के लिए हिंदी को अनिवार्य करने की सिफारिश को राष्ट्रपति ने स्वीकार नहीं किया।
2. सरकारी नौकरी के लिए हिंदी के न्यूनतम ज्ञान की अनिवार्यता की सिफारिश को भी अस्वीकार कर दिया गया।

संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली

संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली के ज़रिए, सरकारी कामकाज में हिंदी के इस्तेमाल की प्रगति का आकलन किया जाता है। इस प्रश्नावली के आधार पर समिति, सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपती है। इस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों और राज्य सरकारों को रिपोर्ट भेजते हैं।

प्रश्नावली के बारे में ज़रूरी बातें:

- संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली, राजभाषा विभाग और संसदीय राजभाषा समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- इस प्रश्नावली के आधार पर, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, संस्थाओं, निकायों, बैंकों, और उपक्रमों का निरीक्षण किया जाता है।
- इस प्रश्नावली के ज़रिए, इन संस्थानों में हिंदी के इस्तेमाल की प्रगति का आकलन किया जाता है।
- इस प्रश्नावली के आधार पर, सरकार के कामकाज में हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए सुझाव दिए जाते हैं।

संसदीय राजभाषा समिति के बारे में ज़रूरी बातें:

- यह समिति, राजभाषा अधिनियम, 1963 के तहत गठित की गई थी।
- इस समिति के अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री होते हैं।
- इस समिति में 30 संसद सदस्य होते हैं, जिनमें से 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं।

सत्र की गतिविधियां

सत्र के संचालक श्री नवीन यादव, उपनिदेशक राजभाषा ने सत्र का आरंभ अध्यक्ष, प्रो. डॉ. रमेश आर आर्य (निदेशक) वक्ता, डॉ. राकेश बी दूबे, पूर्व ओएसडी और सभागार में उपस्थित प्रतिभागियों और श्रोतागणों के अभिनंदन से किया। उसके बाद उन्होने वक्ता और अध्यक्ष के कार्यकलापों और

वक्ता का भाषण:

विषय - हिंदी, भारतीय संस्कृति और राजभाषा हिंदी

सत्र के वक्ता ने राजभाषा हिंदी के प्रचार, प्रसार और व्यापक समन्वय के लिए संसदीय राजभाषा समिति के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने सरल एवं सुगम भाषा में यह बताया कि संसदीय

डॉ. राकेश बी दूबे

राजभाषा समिति वरदान भी है और अभिशाप भी। संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण एवं प्रश्नावली भरते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा की।

नई प्रश्नावली के अनुलग्नक एवं जांच बिन्दु के बारे मे चर्चा वक्ता ने नई प्रश्नावली के अनुलग्नक के बारे में विस्तार से बताया। कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनसे संबन्धित जानकारी दी। रिपोर्ट भरते समय हमें कौन कौन सी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए इसके बारे मे विशेष चर्चा की। जांच बिन्दु संबन्धित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला।

कुछ प्रमुख बिन्दु नीचे वर्णित हैं।

1. प्रत्येक कॉलम को सही ढंग से पढ़े फिर जवाब लिखे।
2. जब व्यक्तिगत आदेश जारी करें तो कार्य की सूची जरूर बनाए और उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाना चाहिए।
3. यदि व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जैसे 500-1000, सामान्य सूची पर हस्ताक्षर ले सकते हैं।
4. रजिस्टर , नेम प्लेट, लेटर हैड, रबर स्टम्प आदि द्विभाषी होना चाहिए।
5. क और ख क्षेत्र को भेजे गए पत्रों के लिफाफे पर पता हिंदी मे लिखना चाहिए

अध्यक्ष द्वारा उदबोधन

अध्यक्षीय भाषण में डॉ. रमेश आर आर्य ने तिमाही इसके अतिरिक्त कई व्यावहारिक समस्याओं का निराकरण बड़े सहज तरीके से बताया। डॉ. दुबे ने कहा कि हिंदी का वेब मास्टर बनाना चाहिए ताकि

डॉ. रमेश आर आर्य

समय-समय पर नई जानकारी अपलोड की जा सके। रिपोर्ट के महत्व पर प्रकाश डाला और इस बात पर ज़ोर दिया कि तिमाही रिपोर्ट भरना अत्यंत आवश्यक है। डॉ. आर्य ने कई विशेष बिन्दुओं पर चर्चा की जो अक्सर हम नज़र अंदाज कर देते हैं और जिससे रिपोर्ट भरने मे त्रुटि रह जाती है। रिपोर्ट संकलन के लिए आवश्यक है की सभी आंकड़ो को इकट्ठा कर लिया जाए और फिर उन्हे उचित कॉलम मे भरा जाए ।

धन्यवाद प्रस्ताव

डॉ. वी सीलिया चलम , प्रभारी , पादप संगरोध नें डॉ. राकेश बी दूबे का प्रश्नावली और जांच बिन्दुओं से संबन्धित समस्याओं के समाधान के लिए धन्यवाद किया। उन्होने डॉ. रमेश आर आर्य जी का अध्यक्षीय उदबोधन, तथा डॉ. प्रज्ञा, और डॉ. बादल सिंह, का सत्र कि रिपोर्ट संकलन के लिए धन्यवाद किया और सत्र का समापन अतिथियों को स्मृति चिन्ह दे कर सम्मानित करने से किया गया।

जीवन मूल्य, नैतिकता एवं लैंगिक मुद्दों का समाधान

डॉ सुमन अग्रवाल, संस्थापक, समर्थ इंडिया फाउंडेशन

लैंगिक समानता : एक संवेदनशील समाज की ओर बढ़ते कदम

"हम सब बराबर हैं" – यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच है जो किसी भी समाज की रीढ़ होती है। लेकिन क्या हम वास्तव में समानता को जी रहे हैं, या फिर यह शब्द केवल संविधान और किताबों तक ही सीमित है?भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, जहां महिलाओं ने विज्ञान, राजनीति, सेना और व्यापार में अद्भुत ऊंचाइयों को छुआ है, वहीं दूसरी ओर, वे आज भी यौन उत्पीड़न, भेदभाव, और पितृसत्तात्मक सोच का सामना कर रही हैं।

इस लेख में हम समझने का प्रयास करेंगे कि लैंगिक समानता (Gender Equality) क्यों आवश्यक है, यौन उत्पीड़न क्या है, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, और हम कैसे एक 'सुरक्षित, सम्मानजनक और न्यायपूर्ण' समाज की ओर बढ़ सकते हैं।

लैंगिक समानता: केवल महिला अधिकारों की बात नहीं हैं। लैंगिक समानता का अर्थ है – सभी लिंगों को समान अधिकार, अवसर और गरिमा मिलना। इसमें महिलाएं, पुरुष, ट्रांसजेंडर, और अन्य सभी जेंडर पहचान शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र (UN Women) के अनुसार: लैंगिक समानता का मतलब केवल महिलाओं को अवसर देना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को उसकी योग्यता और इच्छा के अनुसार बढ़ने का अवसर देना है – चाहे वह किसी भी लिंग का हो।

भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार जरूर हुआ है, परंतु आंकड़े बताते हैं कि यह बदलाव अभी अधूरा है:

- NCRB 2023 के अनुसार, हर दिन औसतन 90 से अधिक महिलाएं यौन अपराधों का शिकार होती हैं।
- Global Gender Gap Index 2023 में भारत 146 देशों में 127वें स्थान पर रहा।
- कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी अब भी 25% से नीचे है।

ये आंकड़े बताते हैं कि हम अभी भी समान अवसर और सुरक्षित वातावरण देने में पीछे हैं। यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) किसी भी व्यक्ति के सम्मान, स्वतंत्रता और आत्मसम्मान पर सीधा हमला होता है। यह केवल शारीरिक छेड़छाड़ तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अश्लील टिप्पणियाँ, गंदी नजरें, अनुचित स्पर्श, यौन संकेत, धमकी देना या पेशेवर लाभ के बदले यौन मांग करना जैसी कई बातें शामिल होती हैं।

कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न एक गंभीर सामाजिक और कानूनी मुद्दा है। 2013 में भारत सरकार ने The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act लागू किया, जिसे संक्षेप में POSH कानून कहा जाता है।

यौन उत्पीड़न न केवल एक व्यक्ति के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि इसके गहरे सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी होते हैं:

1.मानसिक तनाव – चिंता, डिप्रेशन, PTSD जैसी

स्थितियां उत्पन्न होती हैं।

2. आत्म-सम्मान में गिरावट – पीड़िता खुद को दोषी मानने लगती है।
3. केरियर पर असर – महिलाएं नौकरी छोड़ देती हैं या केरियर में पीछे रह जाती हैं।
4. सामाजिक बहिष्कार – कई बार परिवार या समाज ही पीड़िता को दोष देता है।
5. कई बार यौन उत्पीड़न के मामलों में सबसे बड़ी गलतफहमी 'सहमति' को लेकर होती है।

UN Women के अनुसार:

"सहमति उत्साही, सूचित, स्वतंत्र रूप से दी गई और वापसी योग्य होनी चाहिए।"

सहमति का अर्थ:

- स्वतंत्र रूप से दी गई स्वीकृति
- डर, दबाव या धोखे के बिना दी गई अनुमति
- हर बार, हर कार्य के लिए अलग सहमति जरूरी होती है।
- कोई भी नशे की हालत में सहमति नहीं दे सकता अगर सहमति नहीं है – तो वह यौन संबंध नहीं, बल्कि यौन अपराध है।

लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने में POSH कानून की अहम भूमिका है। यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि:

- हर संस्था में Internal Committee (IC) बनाई जाए।
- हर कर्मचारी को यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रशिक्षण दिया जाए।
- प्रत्येक शिकायत की गोपनीय और निष्पक्ष जांच की जाए।
- लेकिन कानून केवल कागज़ पर नहीं होना चाहिए – इसे जागरूकता, संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ लागू करना होगा।

कानून के साथ-साथ समाज की सोच में भी बदलाव ज़रूरी है। हमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझना होगा:

1. पीड़िता को दोष न दें
"वो देर रात बाहर क्यों गई?", "वो ऐसे कपड़े क्यों पहनती है?" -इस सोच को बदलना होगा।

2. पुरुष भी पीड़ित हो सकते हैं यौन उत्पीड़न सिर्फ महिलाओं के साथ ही नहीं होता। पुरुषों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी सुरक्षित माहौल की आवश्यकता है।

3. बच्चों को शुरू से शिक्षा दें
Consent, boundaries और respect की शिक्षा स्कूल से ही शुरू करनी चाहिए।

4. संवाद बनाएं
घर, ऑफिस, स्कूल – हर जगह खुलकर इस विषय पर बात होनी चाहिए।

हम क्या कर सकते हैं?

1. जागरूक बनें और दूसरों को जागरूक करें।
2. यदि किसी उत्पीड़न का गवाह बनें, तो चुप न रहें।
3. अपने कार्यस्थल में POSH कानून को समझें और लागू कराएं।
4. लिंग के आधार पर किसी को कमतर न आंकें।
5. पीड़ित की बात सुनें, समझें और समर्थन दें।

लैंगिक समानता और यौन उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई सिर्फ महिलाओं की नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। जब एक महिला बिना डर के बाहर निकल सके, जब एक पुरुष अपने जज्बात को खुलकर साझा कर सके, जब एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को सम्मान मिले – तभी हम एक सच्चे लोकतंत्र की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे।

यौन उत्पीड़न पर चुप्पी अब विकल्प नहीं रह गई है। अब वक़्त है बोलने का, सिखाने का, और बदलाव लाने का।

आइए, हम सब मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जहां हर व्यक्ति को मिले – सम्मान, समानता और सुरक्षा।

सत्र की गतिविधियां

संचालक डॉ. मंजूषा वर्मा, प्रधान वैज्ञानिक, आईसीएआर -एनबीपीजीआर ने सत्र का आरंभ अध्यक्ष, सुश्री सर्जना शर्मा, समाचार संपादक, सन्मार्ग, वक्ता, डॉ. सुमन अग्रवाल, संस्थापक, समर्थ इंडिया फाउंडेशन और सभागार में उपस्थित

प्रतिभागियों और श्रोतागणों के अभिनंदन से किया। उसके बाद उन्होने वक्ता और अध्यक्ष के कार्यकलापों और हिंदी क्षेत्र में उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण देते हुए परिचय दिया।

वक्ता का भाषण:

विषय - जीवन मूल्य, नैतिकता एवं लैंगिक मुद्दों का समाधान

सुमन अग्रवाल

सत्र के वक्ता ने जीवन मूल्य, नैतिकता और लैंगिक मुद्दों के विषय पर विस्तृत चर्चा की और बताया कि ये तीनों ही किसी समाज की संरचना और उसकी प्रगति के लिए महत्वपूर्ण आधार होते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जीवन मूल्य वे नैतिक सिद्धांत होते हैं, जो व्यक्ति को सही और गलत के बीच अंतर करने में सहायता करते हैं। सत्य, अहिंसा, करुणा, ईमानदारी, सहिष्णुता और परोपकार जैसे गुण जीवन मूल्यों का अभिन्न हिस्सा हैं। जब कोई समाज इन मूल्यों को अपनाता है, तो वह अधिक न्यायसंगत और शांतिपूर्ण बनता है। इसके विपरीत, जीवन मूल्यों की उपेक्षा से समाज में भ्रष्टाचार, अविश्वास और असंतोष जैसी समस्याएँ जन्म लेती हैं। इसलिए, बच्चों और युवाओं में नैतिक मूल्यों को विकसित करने के लिए नैतिक शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

नैतिकता के विषय में वक्ता ने बताया कि यह व्यक्ति के आचरण और समाज में उसकी भूमिका को निर्धारित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। नैतिकता केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह कार्यस्थलों, शैक्षिक संस्थानों, चिकित्सा सेवाओं और अन्य पेशों में भी अनिवार्य होती है। कार्यस्थलों पर नैतिकता बनाए रखने के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी जैसे गुण आवश्यक होते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि कार्यालयों और संस्थानों में नैतिकता संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यशालाएँ और सेमिनार आयोजित किए जाने चाहिए। साथ ही, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नैतिक आचरण के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इससे न केवल कार्यक्षेत्र में अनुशासन और पारदर्शिता आएगी, बल्कि भ्रष्टाचार और अनैतिक व्यवहार को भी रोका जा सकेगा।

लैंगिक असमानता पर चर्चा करते हुए वक्ता ने कहा कि यह एक गंभीर सामाजिक समस्या रही है, जो न केवल महिलाओं बल्कि अन्य लैंगिक समूहों के लिए भी चुनौतियाँ उत्पन्न करती है। लैंगिक असमानता के कारण महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, वेतन, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य सामाजिक अवसरों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। घरेलू हिंसा, बाल विवाह, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और लैंगिक भेदभाव जैसी समस्याएँ समाज के समग्र विकास में बाधा डालती हैं। इस असमानता को दूर करने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार, सख्त कानूनों की व्यवस्था और लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है।

वक्ता ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कुछ ठोस उपाय भी सुझाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं और अन्य लिंग समूहों को समान अवसर प्रदान करने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्रों में ठोस नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। कार्यस्थलों पर लैंगिक भेदभाव और यौन उत्पीड़न रोकने के लिए प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र को लागू किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, शिक्षा प्रणाली में लैंगिक संवेदनशीलता को एक आवश्यक घटक के रूप में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि बचपन से ही बच्चों में समानता और सम्मान की भावना विकसित हो सके।

सत्र के दौरान वक्ता ने यह भी बताया कि इन

सामाजिक समस्याओं का समाधान केवल कानून और नीतियों के माध्यम से नहीं हो सकता, बल्कि, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इन मूल्यों को अपने जीवन में आत्मसात करना होगा । नैतिकता समानता और सद्भाव की भावना को बढ़ावा देने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। इसके लिए परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल और समाज सभी स्तरों पर जागरूकता फैलाने की जरूरत है। जब हर व्यक्ति अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाएगा, लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करेगा और सामाजिक न्याय की दिशा में कार्य करेगा, तभी एक समतामूलक, न्यायसंगत और प्रगतिशील समाज का निर्माण संभव होगा अंत में, वक्ता ने सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे इन विषयों पर केवल चर्चा करने तक सीमित न रहें, बल्कि अपने जीवन और कार्यक्षेत्र में इन मूल्यों को अपनाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि यदि हम नैतिकता और जीवन मूल्यों को अपनाएँ और लैंगिक समानता को बढ़ावा दें, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि एक बेहतर समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान दे सकते हैं। इसके लिए शिक्षा, कानूनी प्रावधान, सामाजिक जागरूकता और नैतिकता को व्यवहार में लाना जरूरी है। जब व्यक्ति और समाज इन मूल्यों को अपनाते हैं, तब एक न्यायसंगत, समानतापूर्ण और नैतिक समाज की स्थापना संभव होती है।

सत्र के दौरान हुई चर्चा

सत्र के दौरान इन विषयों पर काफी गहन चर्चा हुई और कई मतभेद भी सामने आए, लेकिन सभी प्रतिभागियों ने इस सत्र का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। सभी ने माना कि यह सत्र अन्य सत्रों से भले ही अलग था, लेकिन इसमें जिस महत्वपूर्ण विषय को संबोधित किया गया, वह समाज और कार्यस्थल के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस सत्र ने प्रतिभागियों को विचारों के आदान-प्रदान का एक मंच प्रदान किया, जिससे वे इन जटिल मुद्दों पर गहराई से सोचने और समाधान तलाशने के लिए प्रेरित हुए।

अध्यक्ष द्वारा उदबोधन

अध्यक्षीय उद्बोधन में सुश्री सर्जना शर्मा ने जीवन मूल्यों और नैतिकता के महत्व को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि सत्य, करुणा, सहिष्णुता, ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता जैसे मूल्य न केवल व्यक्ति के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में आवश्यक हैं, बल्कि सामाजिक ताने-बाने को भी मजबूत करते हैं। जब व्यक्ति अपने कार्यों में नैतिकता और जीवन मूल्यों को प्राथमिकता देता है, तो समाज में आपसी विश्वास, सौहार्द और समरसता बनी रहती है।

सुश्री सर्जना शर्मा

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वर्तमान समय में तकनीकी और सामाजिक परिवर्तनों के बावजूद नैतिकता और मूल्यों की प्रासंगिकता बनी हुई है। यदि हम इन मूल्यों को अपनाते हैं, तो न केवल हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक संबंध सुदृढ़ होंगे, बल्कि कार्यस्थलों और संस्थानों में भी नैतिक आचरण को बढ़ावा मिलेगा।

सुश्री शर्मा ने आगे कहा कि जीवन मूल्य और नैतिकता की अनुपस्थिति से समाज में अराजकता, भ्रष्टाचार और अविश्वास की भावना पनप सकती है, जिससे सामाजिक तंत्र कमजोर हो सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे ऐतिहासिक रूप से नैतिक आदर्शों का पालन करने वाले व्यक्तियों ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। उन्होंने सभी उपस्थित लोगों से आग्रह किया कि वे अपने जीवन और कार्यक्षेत्र में नैतिकता को सर्वोपरि रखें और अपने आसपास के लोगों को

भी इसके लिए प्रेरित करें। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि शिक्षा और परिवार की भूमिका इन मूल्यों को विकसित करने में महत्वपूर्ण होती है, और हमें बचपन से ही इनका संवर्धन करना चाहिए। अंत में, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि जब व्यक्ति और समाज नैतिकता को अपनाते हैं, तो न केवल व्यक्तिगत विकास संभव होता है, बल्कि एक प्रगतिशील, समावेशी और सशक्त राष्ट्र का निर्माण भी संभव होता है।

धन्यवाद प्रस्ताव

श्रीमती नेहा अग्रवाल नें डॉ. सुमन अग्रवाल, संस्थापक, समर्थ इंडिया फाउंडेशन का जीवन मूल्य, नैतिकता एवं लैंगिक मुद्दों का समाधान के विषय से अवगत कराने के लिए धन्यवाद किया । उन्होने सुश्री सर्जना शर्मा, समाचार संपादक, सन्मार्ग का अध्यक्षीय उदबोधन, तथा डॉ. वर्तिका श्रीवास्तव और डॉ. पद्मावती गोरे, का सत्र की रिपोर्ट संकलन के लिए धन्यवाद किया और सत्र का समापन अतिथियों को स्मृति चिन्ह दे कर सम्मानित करने से किया गया।

हिंदी का वैश्विक स्वरूप

प्रो. रवि शर्मा, विभागाध्यक्ष, एसआरसीसी, नई दिल्ली

हिंदी का वैश्विक स्वरूप

हिंदी आज सिर्फ साहित्य की भाषा नहीं, बल्कि बाजार की भी भाषा है। उपभोक्तावादी संस्कृति ने विज्ञापनों को जन्म दिया, जिससे न केवल हिंदी का अनुप्रयोग बढ़ा, बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिले। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और वर्ष 1953 से हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हुई।

हर साल चौदह सितंबर को हिंदी दिवस और फिर हिंदी सप्ताह, पखवाड़ा आदि मनाया जाता है। उस दौरान हिंदी की स्थिति पर खूब चर्चा होती है। कुछ लोग इस बात पर प्रसन्न होते देखे जाते हैं कि हिंदी वैश्विक परिदृश्य में अपनी जगह बना रही है। आज जब भाषाएं खत्म हो रही हैं, हिंदी निरंतर फैल रही है। दुनिया भर में इसका विस्तार हो रहा है। पर इन्हीं सबके बीच एक चिंता यह भी प्रकट की जाती है कि अंग्रेजी का वर्चस्व कायम है। मगर इस पर बात कम हो पाती है कि एक भाषा के रूप में क्या हिंदी अपना वास्तविक स्वरूप ले पाई है, क्या वह तमाम वर्गीय दबावों, बाजार की तिकड़मों से मुक्त होकर अपनी सशक्त पहचान बना पाई है।

आज का समय भूमंडलीकरण का है, जिसका असली चेहरा बाजार के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ है। तेजी से फैलती बाजारु-संस्कृति ने हमारी राष्ट्रीय अस्मिता, खानपान, पहनावा, भाषा, संस्कृति आदि को प्रभावित किया है। बच्चों के सपने में बाजार का प्रवेश हो चुका है। मनुष्य की अस्मिता सुरक्षित रखने के लिए भाषा एक सशक्त माध्यम है। आज दुनिया में लगभग साठ हजार भाषाएं किसी न किसी रूप में बोली और समझी जाती हैं, लेकिन आने वाले समय में नब्बे प्रतिशत से अधिक का अस्तित्व खतरे में है। भाषाओं के इस विलुप्तीकरण के दौर में हिंदी अपने को न केवल बचाने में सफल हो रही है, बल्कि उसका उपयोग अनुप्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह भाषा लगभग डेढ़ हजार वर्ष पुरानी है और इसमें डेढ़ लाख शब्दावली समाहित है। संप्रति हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, क्योंकि यह अनेक विदेशी भाषाओं को न केवल स्वीकार करती, बल्कि विश्व की समस्त भाषाओं को आत्मसात करने की क्षमता रखती है। हिंदी के विकास के लिए विश्व की पैंतीस सौ विदेशी कृतियों का हिंदी में अनुवाद किया जा चुका है। यह संख्या भी कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। विश्व हिंदी का केंद्रीय सचिवालय मॉरीशस में बनना और हिंदी को प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए किए जाने वाले सतत प्रयास इसे संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं में स्थान दिलाने का प्रयास हैं। बाजार के कारण भी हिंदी का प्रचार-प्रसार व्यापक हो रहा है।

आज के वैश्विक फलक पर हिंदी स्वयं को एक संपर्क भाषा, प्रचार भाषा और राजभाषा के साथ-साथ वैश्विक भाषा के रूप में स्थापित करती जा रही है। देखा जाए तो विश्व में चीनी भाषा (मंदारिन) के बाद हिंदी का दूसरा स्थान है। जयंती प्रसाद नौटियाल अपने सर्वेक्षण में तो हिंदी को प्रथम स्थान पर पहुंचने की बात करते हैं। इस क्रम में अंग्रेजी आज तीसरे पायदान पर है। विश्व के लगभग एक सौ चालीस देशों के लगभग पांच सौ केंद्रों में हिंदी का अध्ययन-अध्यापन हो रहा है, जहां न जाने कितने

विद्वान अपना योगदान दे रहे हैं। कंप्यूटर, मोबाइल और आइ-पैड पर हिंदी की पहुंच ने यह बात सिद्ध कर दी है कि आने वाले समय में इंटरनेट की भाषा अंग्रेजी न होकर हिंदी होगी।

अगर हिंदी के वैश्विक परिदृश्य पर बात करें तो जापान में हिंदी की पढ़ाई हिंदुस्तानी के रूप में सन 1908 से प्रारंभ हुई, जिसे ज्यादातर व्यापार करने वाले लोग पढ़ाया करते थे, पर बाद में इसका पठन-पाठन विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा किया जाने लगा। जापान में हिंदी का पठन-पाठन फिल्मी गीतों के माध्यम से किया जा रहा है। आज वहां सात एफएम रेडियो स्टेशन भारतीय संगीत का प्रसारण करते हुए जापान में हिंदी की उपस्थिति को दिखाते हैं। जापान में 1921 में नौ विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती थीं, जबकि आज इनकी संख्या छब्बीस हो चुकी है, जिसमें हिंदी भी शामिल है। अगर संख्या बल पर ध्यान दें तो पूरे यूरोप की आबादी पैंतीस करोड़ है, जबकि भारत की जनसंख्या लगभग एक सौ तीस करोड़ है। इस तरह अगर हमारे यहां पचास प्रतिशत आबादी हिंदी पढ़ती-लिखती है, तो वह पूरे यूरोप से कहीं ज्यादा है।

अमेरिका में हिंदी फिल्मी गीतों के माध्यम से पढ़ाई जाती है और प्रवासी भारतवंशी हिंदी की अलख और संस्कृति को जगाए रखे हैं। अमेरिका में हिंदी के विकास में चार संस्थाएं प्रयासरत हैं, जिनमें अखिल भारतीय हिंदी समिति, हिंदी न्यास, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति प्रमुख हैं। अमेरिका की भाषा नीति में दस नई विदेशी भाषाओं को जोड़ा गया है, जिनमें हिंदी भी शामिल है। हिंदी शिक्षा के लिए डरबन में हिंदी भवन का निर्माण किया गया है और एक कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से हिंदी का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। वे सोलह घंटे सीधा प्रसारण हिंदी में देते हैं। इसके अलावा हिंदी के गाने बजाए जाते हैं। मॉरीशस में हिंदी का वर्चस्व है तथा उनका संकल्प हिंदी को विश्व भाषा बनाने का है। सन 1996 में वहां हिंदी साहित्य अकादमी की स्थापना हुई और उसकी दो पत्रिकाएं बसंत और रिमझिम प्रकाशित हो रही हैं। अब तक हुए ग्यारह विश्व हिंदी सम्मेलनों में से तीन मॉरीशस में आयोजित हुए हैं। हिंदी के प्रयोग को लेकर इसे छोटा भारत भी कहा जाता है। सूरीनाम में भी हिंदी का व्यापक प्रचार-प्रसार है।

दूर देश से निकलने वाली हिंदी पत्रिकाओं ने भी हिंदी को वैश्विक फलक पर ले जाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति (संयुक्त राज्य अमीरात), मॉरीशस हिंदी संस्थान, विश्व हिंदी सचिवालय, हिंदी संगठन (मॉरीशस), हिंदी सोसाइटी (सिंगापुर), हिंदी परिषद (नीदरलैंड) आदि ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हिंदी जो वैश्विक आकार ग्रहण कर रही है उसमें रोजी-रोटी की तलाश में अपना वतन छोड़ कर गए गिरमिटिया मजूदरों के योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। गिरमिटिया मजदूर अपने साथ अपनी भाषा और संस्कृति भी लेकर गए, जो आज हिंदी को वैश्विक स्तर पर फैला रहे हैं। मसलन, एशिया के अधिकतर देशों चीन, श्रीलंका, कंबोडिया, लाओस, थाइलैंड, मलेशिया, जावा आदि में रामलीला के माध्यम से राम के चरित्र पर आधारित कथाओं का मंचन किया जाता है। वहां के स्कूली पाठ्यक्रम में रामलीला को शामिल किया गया है। हिंदी की रामकथाएं भारतीय सभ्यता और संस्कृति का संवाहक बन चुकी हैं। रेडियो सीलोन और श्रीलंकाई सिनेमाघरों में चल रही हिंदी फिल्मों के माध्यम से हिंदी की उपस्थिति समझी जा सकती है।

भाषा हृदय की अभिव्यक्ति के साथ ही संस्कृति और सभ्यता की वाहक भी है। हिंदी अपनी आंतरिक चुनौतियों से जूझते हुए आज राजभाषा ही नहीं, बल्कि विश्वभाषा बनने के निकट है। इसमें अन्य भाषाओं को आत्मसात करने की क्षमता है। यह हिंदी की सबसे बड़ी पहचान है। हिंदी में अनेक भारतीय भाषाओं में लिखे गए विद्वानों के ग्रंथों का अनुवाद कर इसे जन सामान्य के पठन-पाठन के के लिए सरल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ज्ञान के सभी अनुशासन अपनी ही भाषा में सम्मिलित किए

जा सकते हैं। विश्व में हिंदी की उपस्थिति महत्त्वपूर्ण है। संसार में सभी भाषाओं का मूल स्वरूप खतरे में है और वे अपने लिपि संबंधी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। ऐसे में इसे स्वस्थ रखने और पालने-पोसने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। विदेशी साहित्य का हिंदी में अनुवाद और हिंदी साहित्य का विदेशी भाषाओं में अनुवाद आवश्यक है।

प्रो. रवि शर्मा

हिंदी आज सिर्फ साहित्य की भाषा नहीं, बल्कि बाजार की भी भाषा है। उपभोक्तावादी संस्कृति ने विज्ञापनों को जन्म दिया, जिससे न केवल हिंदी का अनुप्रयोग बढ़ा, बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिले। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस बात से भलीभांति अवगत हैं कि भारत उनके उत्पाद का बड़ा बाजार है और यहाँ के अधिकतर उपभोक्ता

हिंदीभाषी हैं। इसलिए उन्हें अपना उत्पाद बेचने के लिए उसका प्रचार-प्रसार हिंदी में करना पड़ेगा। बाजार की भाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृति भले मिल रही है, लेकिन यह बात ध्यान देने योग्य है कि बाजार हमेशा लाभ पर केंद्रित होता है और लाभ केंद्रित व्यवस्था दीर्घजीवी नहीं होती। एक समय के बाद उसका पतन निश्चित है, इसलिए हमें हिंदी को ज्ञान और संचार की भाषा के रूप में विकसित करना होगा। किसी देश के विकास के लिए आवश्यक है कि वहां ज्ञान-विज्ञान की भाषा जनमानस द्वारा ग्राह्य हो और वह उसे आसानी से समझ सके। इसलिए हिंदी के उपभोक्तावादी रूप के विकास की चुनौतियों को समझना होगा और इसे ज्ञान की भाषा के रूप में विकसित करना होगा, तभी इसका भविष्य सुरक्षित हो सकता है।

सरकारी कार्यालयों में अनुवाद की प्रक्रियाएं

प्रो. हरीश शेट्टी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

जब भारत स्वाधीन हुआ तथा प्रशासनिक आदि कार्यों में भारतीय भाषाओं के प्रयोग की बात सोची जाने लगी तब आरंभ में अनुवाद का सहारा लिया जाना अस्वाभाविक नहीं था। भारत के संविधान के

प्रो. हरीश शेट्टी

अनुसार जहाँ अनुच्छेद 345 में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया वहीं अनुच्छेद 345 में राज्यों की राजभाषा के रूप में उन प्रदेशों में प्रयुक्त हो रही भाषाओं को या हिंदी को अपनाए जाने का उपबंध किया गया। इससे पूर्व प्रशासनिक कार्यों में अधिकांशतः अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा था अतः भाषा परिवर्तन के लिए संक्रमण काल में अनुवाद की भूमिका स्पष्ट थी। भारत में यह भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि समस्त प्रशासनिक काम काज अनुवाद के माध्यम से ही सम्पन्न किया जाना अपेक्षित नहीं है। अपेक्षा यह है, और वह अपेक्षा उचित है कि अधिकांश कामकाज मूल रूप से हिंदी में या संबंधित राज्य/क्षेत्र की राजभाषा में किया जाए। फिर भी अनुवाद की आवश्यकता काफी परिमाण में रही है और वह आवश्यकता आगे भी काफी समय तक विद्यमान रहने की संभावना है। इस आवश्यकता के विविध पहलुओं के बारे में विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है।

प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद की आवश्यकता

अनुवाद की आवश्यकता केवल भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी पड़ती रही है। यह आवश्यकता पिछले कुछ वर्षों से ही नहीं, बहुत पहले भी रही है। जिन-जिन देशों में जब-जब शासकों की भाषा जनता की भाषा से भिन्न रही तब-तब अनुवाद की आवश्यकता रही है। भारत में मुसलमानों के शासन काल में और बाद में अंग्रेजों के शासन काल में भी अनुवाद की आवश्यकता रही। अंग्रेजी राज में निचले स्तर का कामकाज कुछ हद तक भारतीय भाषाओं में भी होता था। उस समय कलक्टर, डिप्टी कमिश्नर, जिला मजिस्ट्रेट या उससे उच्च पदों पर आसीन ब्रिटिश अफसरों को महत्वपूर्ण कागजों का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया जाता था। उच्च स्तर का काम अंग्रेजी में होता था परन्तु जो सूचनाएँ सामान्य जनता के लिए होती थीं उन्हें अनुवाद के माध्यम से स्थानीय भाषा में सर्वसाधारण तक पहुँचाया जाता था। इसके लिए निचली कचहरियों में हिंदी और उर्दू के अनुवादक भी नियुक्त होते थे। युद्ध काल में एक पक्ष दूसरे पक्ष की विभिन्न बातें जानने के लिए वहाँ से प्राप्त समाचारों और प्रलेखों का अनुवाद अपनी भाषा में करते रहे हैं। अपने पक्ष की बात दूसरे देश की जनता को पहुँचाने के लिए रेडियो प्रसारण और अन्य प्रचार सामग्री एवं साधनों में भी अनुवाद का उपयोग रहा है। इस प्रकार की आवश्यकता प्रथम विश्व महायुद्ध में रही और दूसरे विश्व युद्ध में भी। युद्ध की समाप्ति के पश्चात यह आवश्यकता घटी नहीं बढ़ती ही गई है। शांतिकाल में सांस्कृतिक आदान-प्रदान, वाणिज्य, व्यापार आदि के सिलसिले में जो संधियाँ या करार होते हैं, प्रतिनिधि मंडलों का आना जाना होता है, एक दूसरे की संस्कृति को समझने के लिए और परस्पर पहुँचाया जाता था। इसके लिए निचली कचहरियों में हिंदी और उर्दू के अनुवादक भी नियुक्त होते थे। युद्ध काल में एक पक्ष दूसरे पक्ष की विभिन्न बातें जानने के लिए वहाँ से प्राप्त समाचारों और प्रलेखों

का अनुवाद अपनी भाषा में करते रहे हैं। अपने पक्ष की बात दूसरे देश की जनता को पहुँचाने के लिए रेडियो प्रसारण और अन्य प्रचार सामग्री एवं साधनों में भी अनुवाद का उपयोग रहा है। इस प्रकार की आवश्यकता प्रथम विश्व महायुद्ध में रही और दूसरे विश्व युद्ध में भी। युद्ध की समाप्ति के पश्चात यह आवश्यकता घटी नहीं बढ़ती ही गई है। शांतिकाल में सांस्कृतिक आदान-प्रदान, वाणिज्य, व्यापार आदि के सिलसिले में जो संधियाँ या करार होते हैं, प्रतिनिधि मंडलों का आना जाना होता है, एक दूसरे की संस्कृति को समझने के लिए और परस्पर सद्भावना की वृद्धि के लिए जो प्रयास होते हैं उन सब में अनुवाद की आवश्यकता रहती है।

कनाडा में अंग्रेजी तथा फ्रेंच दोनों ही राजभाषाएँ हैं। वहाँ समस्त सरकारी रेपोर्टें, विज्ञप्तियाँ आदि दोनों ही भाषाओं में डिगलाट रूप में प्रकाशित होती हैं। स्विट्जरलैंड में चार भाषाएँ वहाँ के काम काज की भाषाएँ हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का भी कामकाज कई भाषाओं में होता है। भारत में भी कई राज्यों में उर्दू, पंजाबी, नेपाली आदि को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। किसी-किसी राज्य में कुछ अन्य भाषाओं को द्वितीय या तृतीय राजभाषा का दर्जा मिला है। जहाँ-जहाँ भी इस प्रकार की द्विभाषिक या बहुभाषिक स्थिति है वहाँ किसी भी प्रलेख का मूल प्रारूप पहले किसी एक भाषा में बनता है, बाद में उसका अनुवाद आवश्यकतानुसार दूसरी भाषा में या भाषाओं में करा लिया जाता है।

हमारे देश में अन्य देशों के विशेष अतिथि तथा प्रतिनिधि मंडल आते हैं। औपचारिक रूप में वे अपने विचार अपनी भाषा में रखते हैं। उस अवस्था में अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है जिससे यहाँ उनकी बात समझी जा सके। भारत सरकार अपने प्रतिनिधि मंडलों से यह अपेक्षा करती है कि वे विदेश में हिंदी का यथेष्ट प्रयोग करें। उस अवस्था में भी अनुवाद की आवश्यकता रहती है जिससे दूसरे देश के लोग हमारी बात समझ सकें।

अन्तर्राष्ट्रीय संधियों तथा करारों में लगभग सभी देशों का आग्रह रहता है कि उसका एक पाठ उनकी भाषा में भी रहे। यदि दोनों देशों के काम-काज की भाषा एक दूसरे से भिन्न है तो संधियों या करारों के पाठ उन दोनों की भाषाओं में तैयार किए जाते हैं और कहीं-कहीं उनके अलावा अंग्रेजी या फ्रेंच या किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय भाषा में भी।

विज्ञान में प्रगति बड़ी तेजी से हो रही है। प्रत्येक देश की इच्छा होती है कि अन्य देशों के अनुसंधान और आविष्कारों आदि की नवीनतम जानकारी प्राप्त करके यथाशीघ्र अपने लोगों को उपलब्ध कराई जाए। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित उच्च स्तर का साहित्य अंग्रेजी में ही नहीं फ्रेंच, जर्मन, रूसी, जापानी आदि भाषाओं में भी प्रकाशित होता है। उसका लाभ उठाने के लिए भी अनुवाद का सहारा लिया जाता है।

प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद की आवश्यकता तब होती है जब विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले पत्र या प्रलेख ऐसी भाषा में हों जिसका ज्ञान सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों को नहीं है या यह ज्ञान अपर्याप्त है। अनुवाद कराने की आवश्यकता तब भी होती हैं जब किसी आदेश, परिपत्र, अधिसूचना आदि को एक से अधिक भाषा में जारी करना अनिवार्य होता है अथवा वांछनीय समझा जाता है।

भारत में केंद्रीय सरकार में अनुवाद की बढ़ती आवश्यकता क्यों

आप पढ़ चुके हैं कि स्वतंत्र भारत में हिंदी को संघ की राजभाषा स्वीकार किया गया जिस समय संघ के सरकारी काम काज के लिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया तब सरकार के सभी फार्म, कोड, मैनुअल, अन्य प्रक्रिया साहित्य, अधिनियम, नियम, विनिमय आदि अंग्रेजी में ही थे। प्रशासनिक कामों में इन सबकी आवश्यकता पड़ती है। इन सबका हिंदी रूपांतर कराना जरूरी था। फिर भी इनके हिंदी अनुवाद का काम स्वाधीनता प्राप्ति के तत्काल बाद नहीं, कई वर्षों के बाद आरंभ किया गया।

अनुवाद कार्य की शुरूआत

अनुवाद कार्य की शुरूआत हुई उन पत्रों से जो

सरकारी कार्यालयों में जनता से यदा-कदा हिंदी में आ जाते थे। उन पर उस समय कार्रवाई हिंदी में होने का प्रश्न ही नहीं था। इनका अनुवाद किसी हिंदी जानंने वाले कर्मचारी से अंग्रेजी में करवा लिया जाता था। कभी-कभी वह पूरा अनुवाद भी नहीं होता था, पत्र का सारांश अंग्रेजी में दे दिया जाना ही पर्याप्त माना जाता था। उससे संबंधित आगे की कार्रवाई अंग्रेजी में होती थी, अर्थात टिप्पणियाँ भी अंग्रेजी में लिखी जाती थीं और हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर अंग्रेजी में ही भेजा जाता था। यह स्थिति दिसम्बर 1955 तक रही। संविधान के अनुच्छेद 343 (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने जो आदेश दिया उसमें जनता के साथ पत्र व्यवहार में अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा के प्रयोग का भी प्रावधान किया गया। उसी आदेश में ऐसा ही प्रावधान निम्नलिखित कार्यों के लिए भी हुआ है -

1. प्रशासनिक रिपोर्ट, राजकीय पत्रिकाएँ और संसद को दी जाने वाली रिपोर्ट।
2. सरकारी संकल्प और विधायी अधिनियम।
3. जिन राज्य सरकारों ने अपनी राजभाषा के रूप में हिंदी को अपना लिया है उनसे पत्र व्यवहार।
4. संधियाँ और करार।
5. अन्य देशों की सरकारों और उनके दूतों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से पत्र व्यवहार।
6. राजनयिक और कौंसलीय पदाधिकारियों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में भारतीय प्रतिनिधियों के नाम जारी किए जाने वाले औपचारिक दस्तावेज़।

उपर्युक्त आदेश की प्रतियाँ विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों को भेजते हुए गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया था कि "जनता से हिंदी में जो भी पत्रादि मिलें उनके उत्तर भरसक हिंदी में ही दिए जाने चाहिए। ये उत्तर सरल हिंदी में दिए जाने चाहिए। अन्य मदों के संबंध में भी यथोचित अनुदेश दिए गए। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग का द्वार खुला। यह सब कार्य उस समय अनुवाद के माध्यम से होना अपेक्षित था इसलिए गृह मंत्रालय के अनुदेशों में कहा गया "इस कार्यक्रम को अमल में लाने के लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और संबद्ध तथा आधीनस्थ कार्यालयों में संभवतः कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और इस तरह उन्हें अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा।"

इन आदेशों के फलस्वरूप केन्द्रीय सचिवालय के मंत्रालयों में हिंदी का सीमित प्रयोग आरंभ हुआ और उसके लिए "हिंदी सहायकों' के पदों का सृजन हुआ। इन पर हिंदी का स्नातक स्तर का ज्ञान रखने वाले अवर/उच्च श्रेणी लिपिक नियुक्त किए गए कुछ इने गिने मंत्रालयों/विभागों में हिंदी अधिकारियों के पद बने।

संसद में अनुवादकों की आवश्यकता

कुछ समय पश्चात संसद में हिंदी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर हिंदी में देने का निश्चय हुआ। ये उत्तर मूलतः अंग्रेजी में तैयार किए जाते थे। मंत्री स्तर पर उनका अनुमोदन हो जाने के पश्चात हिंदी अनुवाद होता था। संसद सदस्यों से प्राप्त होने वाले हिंदी पंत्रों की संख्या भी धीरे-धीरे बढ़ने लगी है। हिंदी अनुभाग/ प्रकोष्ठ द्वारा पहले इनका अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में होता था और उत्तर के अंग्रेजी प्रारूप का अनुमोदन हो जाने पर उनका हिंदी अनुवाद। इस प्रकार अनुवाद कार्य पर लगे कर्मचारियों को हिंदी से अंग्रेजी में अंग्रेजी से हिंदी में, दोनों ही प्रकार का अनुवाद करना होता था। ज्यों ज्यों अनुवाद के काम की मात्रा बढ़ती गई, अनुवाद संबंधी पदों की संख्या भी बढ़ने लगी तया 'हिंदी अधिकारियों' के पदनाम वाले राजपत्रित पदों का भी सृजन होने लगा। फिर भी, अनुवाद की नियमित व्यवस्था मुख्यतः मंत्रालयों तक सीमित थी, संबंद्ध तथा आधीनस्थ कार्यालयों में जब कभी अनुवाद की आवश्यकता पड़ती तो वे हिंदी जानने वाले कर्मचारियों की ही सहायता लेकर काम चलाते थे, इसके लिए अलग से कोई पद नहीं थे।

अनुवाद कार्य का दायित्व वहन करने वाला अभिकरण

राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति का जो आदेश 27

अप्रैल, 1960 को अधिसूचित हुआ उसका पैराग्राफ 4 प्रशासनिक संहिताओं तथा अन्य कार्यविधि साहित्य के अनुवाद की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इस संबंध में राजभाषा आयोग ने सिफ़ारिश की थी कि अनुवाद में प्रयुक्त होने वाली भाषा में किसी हद तक एकरूपता रहना आवश्यक है इसलिए इस प्रकार के अनुवाद का सारा काम एक अभिकरण को सौंप देना उचित होगा। इस सिफ़ारिश को स्वीकार करते हुए उपर्युक्त आदेश में कहा गया कि "शिक्षा मंत्रालय सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों के अलावा बाकी सब संहिताओं और अन्य कार्य विधि-साहित्य का अनुवाद करें, सांविधिक नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद संविधियों के अनुवाद के साथ घनिष्ठ रूप से संबद्ध है, इसलिए यह काम विधि मंत्रालय करे।" शिक्षा मंत्रालय को सौंपा गया वह काम केन्द्रीय हिंदी निदेशालय में होना आरम्भ हुआ, कई वर्ष वहाँ होता रहा, बाद में जब गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अन्तर्गत केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना हुई तब यह उत्तरदायित्व उस ब्यूरो को दे दिया गया। लेकिन सांविधिक नियमों, विनियमों आदि का अनुवाद अभी भी विधि एवं न्याय मंत्रालय के अन्तर्गत होता है।

अनुवाद कार्य का विस्तार

केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर मार्च 1961 में जारी हुए गृह मंत्रालय के आदेश ने अनुवाद के क्षेत्र को बहुत विस्तृत कर दिया। इस आदेश में सभी सरकारी फार्मों के शीर्षक द्विभाषिक रखने तथा राजपत्र के कुछ भागों में छपने वाली अधिसूचनाओं को द्विभाषिक रूप में (हिंदी-अंग्रेजी में) प्रकाशित किए जाने का प्रावधान था। विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा उनके आधीनस्थ कार्यालयों में प्रयुक्त फार्मों की संख्या कुछ हजार नहीं, लाखों में है। इन फार्मों में समय-समय पर संशोधन भी होता रहता है तथा नए नए फार्म भी निर्धारित होते रहते हैं। अतः इनके अनुवाद का कार्य बहुत कुछ हो जाने पर भी काफी कुछ शेष है। संविधान के अनुच्छेद 343 (2) में केन्द्रीय सरकार के कामों में अंग्रेजी के प्रयोग की अपेक्षा सामान्यतः संविधान के प्रारंभ होने से पंद्रह वर्ष की अवधि तक के लिए थी। यदि अनुच्छेद 343 (3) के तहत संसद ने कोई अधिनियम बनाकर कुछ बातों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग इस अवधि के बाद किए जा सकने का कोई प्रावधान न किया होता तो 26 जनवरी 1965 के बाद संघ का कामकाज केवल हिंदी में ही होता। परन्तु संसद ने सन् 1963 में जो राजभाषा अधिनियम पारित किया जिसमें संशोधन 1967 में हुआ, उनके अनुसार संघ के राजकाज में तथा संसद में हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी है तथा संशोधित अधिनियम की धारा 3 (3) के उपबंधों के अनुसार कई कामों में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का साथ-साथ प्रयोग अनिवार्य है। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार में द्विभाषिक स्थिति है तथा यह स्थिति अनिश्चित काल तक रहने वाली है।

द्विभाषिकता के क्षेत्र

आपने देखा कि प्रशासनिक क्षेत्र में किस प्रकार हिंदी से अंग्रेजी में तथा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद की आवश्यकता आरंभ हुई, कैसे-कैसे उस आवश्यकता में वृद्धि हुई तथा अनुवाद का क्षेत्र अब कितना व्यापक हो चुका है। इसके साथ ही पिछले अनेक वर्षों से ये प्रयत्न भी होते रहे हैं कि हिंदी में आए पत्रों का अंग्रेजी में अनुवाद सामान्यतः न कराया जाए तथा जो पत्र हिंदी में जाने अपेक्षित हैं उनके प्रारूप मूलतः हिंदी में ही तैयार किए जाएँ न कि वे प्रारूप पहले अंग्रेजी में बनें और फिर उनका हिंदी में अनुवाद हो। जहाँ-जहाँ तथा जितनी मात्रा में वे प्रयत्न सफल हुए हैं उतनी मात्रा में इस प्रकार के अनुवाद में कमी हुई है। परन्तु दूसरी ओर इतने अधिक अन्य कार्य हैं जिनमें हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है कि अनुवाद की आवश्यकता और उसकी व्यापकता निरंतर बढ़ती ही गई है। इससे संबंधित स्थिति का ज्ञान प्राप्त कर लेना भी आपके लिए उचित होगा।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के प्रावधान

इकाई 21 में आप पढ़ चुके हैं कि राजभाषा

अधिनियम की धारा 3 (3) के अन्तर्गत आने वाले प्रलेखों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग अनिवार्य है ये प्रलेख हैं:

1. संकल्पों, सामान्य आदेशों (general orders), नियमों, अधिसूचनाओं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदनों (reports) या प्रेस विज्ञप्तियों के लिए, जो केंद्रीय सरकार द्वारा या उसके किसी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा या केंद्रीय सरकार के स्वामित्व में के या नियंत्रण में के किसी निगम या कंपनी द्वारा या ऐसे निगम या कंपनी के किसी कार्यालय द्वारा निकाले जाते हैं।
2. उपर्युक्त द्वारा या उनकी ओर से निष्पादित संविदाओं और करारों (contracts and agreements) के लिए तथा लाइसेंसों, परमिटों, सूचनाओं और निविदा (tender) फार्मों के लिए तथा
3. संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखी गई प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टों और राजकीय कागज-पत्रों के लिए।

अतः उपर्युक्त प्रावधान के अंतर्गत आने वाले समस्त कागजात का अनुवाद अपेक्षित होता है।

इसी अधिनियम की धारा 3 (1) में यह उपबंध है कि जब कभी केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की ओर से कोई पत्र हिंदी में किसी ऐसे राज्य को लिखा जाता है जिसने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, तब उसके साथ उसका अंग्रेजी का अनुवाद भी भेजा जाए। हाँ, यदि ऐसे राज्य की पहले से सहमति हो तब हिंदी के पत्र के साथ अंग्रेजी अनुवाद भेजने की जरूरत नहीं होती।

राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (2) के अनुसार, केंद्रीय सरकार के एक विभाग/कार्यालय तथा दूसरे कार्यालय के बीच होने वाले पत्र व्यवहार में हिंदी पत्र का अंग्रेजी अनुवाद और अंग्रेजी पत्र का हिंदी अनुवाद तब तक दिया जाना अपेक्षित रहा। है जब तक कि संबंधित विभाग/कार्यालय का स्टाफ हिंदी का कार्य साधकज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता। इस उपबंध की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। वैसे भी अब अधिकांश विभागों/कार्यालयों के कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर चुकी है। अतः इस धारा का पहला जैसा महत्व नहीं रह गया है।

राजभाषा नियम 1976 के प्रावधान

राजभाषा अधिनियम 1963 के अन्तर्गत जो राजभाषा नियम 1976 में अधिसूचित हुए उनके अनुसार भी अनेक कामों में हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है। इन के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैन्युअल, संहिताएँ (codes), प्रक्रिया संबंधी साहित्य (procedural literature), फार्म, रजिस्टरों के शीर्षक, नाम-पट्ट, सूचना-पट्ट, पत्रशीर्ष तथा लेखन 'इन नियमों में स्पष्ट कर दिया गया है कि 'केंद्रीय सरकार के कार्यालय' की परिभाषा में केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय, विभाग उनके आधीनस्थ कार्यालय, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त आयोग/समिति/अधिकरण के कार्यालय, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के आधीन निगम कंपनियाँ तथा उनके कार्यालय सभी आते हैं। इन कार्यालयों की संख्या हजारों में है और उनमें उपयुक्त प्रकार की सामग्री विपुल मात्रा में है। अतः इसके अनुवाद का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है।

इन मदों के अलावा कई और मदों के अनुवाद की आवश्यकता पड़ती है। यदि किसी हिंदी भाषी राज्य की सरकार की ओर से उस क्षेत्र के किसी व्यक्ति या गैर-सरकारी संस्था आदि को कोई पत्र, किसी विशेष स्थिति में अंग्रेजी में भेजा जा रहा हो, तो उसके साथ उसका हिंदी अनुवाद जाना अपेक्षित है। हिंदी में प्राप्त पत्रों, आवेदनों (application) तथा अभ्यावेदनों (representation) के उत्तर अनिवार्यतः हिंदी में भेजे जाने चाहिए। कुछ कार्यालयों में ये उत्तर मूल रूप से हिंदी में तैयार किए जाते हैं, तब अनुवाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। कई कार्यालयों में इनके प्रारूप पहले अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं, फिर उनका हिंदी अनुवाद करवाया जाता है। यह प्रवृत्ति अभी भी कई कार्यालयों में व्याप्त है। कई प्रकार के अन्तर्राष्ट्रीय

कार्य-व्यवहार में सरकारी निमंत्रणों, विज्ञापनों, उत्पादों के नामों, सम्मेलनों तथा बैठकों की कार्य सूची की टिप्पणियों और कार्यवाहियों आदि में भी हिंदी-अंग्रेजी का प्रयोग अपेक्षित है। जहाँ दोनों भाषाओं के प्रयोग की बात हो, वहाँ अनुवाद की जरूरत रहती है। यह जरूरत इक-तरफ़ा रही है, अर्थात मूल प्रारूप सामान्यतः अंग्रेजी में तैयार होता है, बाद में हिंदी अनुवाद होता है।

राजभाषा संबंधी नियमों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी अपनी टिप्पणी हिंदी अथवा अंग्रेजी में लिख सकता है तथा उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करें। यह भी उपबंध है कि हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाला कर्मचारी, हिंदी के किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की माँग नहीं कर सकता जब तक कि वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का न हो। इस प्रकार हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद की माँग धीरे-धीरे कम होती चली गई है, फिर भी इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है, समाप्त नहीं हुई है।

अनुवाद संबंधी व्यवस्था

पिछले पैराग्राफों में आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जिस-जिस सामग्री का अनुवाद होना है उसका स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार का है। सरकारी विभागों/कार्यालयों की संख्या बहुत बड़ी है। ये सब किसी एक ही नगर में स्थित नहीं है, देश भर में फैले हुए हैं, कुछ कार्यालय भारत से बाहर के देशों में भी हैं। अतः समस्त अनुवाद कार्य किसी एक ही स्थान या संगठन में केंद्रित करना न व्यावहारिक है और न वांछनीय। कई प्रकार के प्रलेखों का अनुवाद तत्काल करना आवश्यक होता है, कुछ कार्य रुटीन प्रकार का होता है, कुछ कार्यों में विशेष प्रकार की दक्षता की आवश्यकता है, विधिक प्रकृति के प्रलेख भिन्न प्रकृति के होते हैं, मैन्युअलों तथा नियम-संहिताओं के अनुवाद में भी शब्दावली की एकरूपता सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। इन सबको ध्यान में रखकर अनुवाद की व्यवस्था इस तरह रखी गई है कि काफी सारा अनुवाद कार्य संबंधित कार्यालय में ही हो जाए, विशिष्ट प्रकार का अनुवाद केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा विधायी विभाग के राज भाषा खंड में होना अपेक्षित है। किस-किस प्रकार का अनुवाद कार्य कहाँ-कहाँ होता है इसकी जानकारी आपको रखनी चाहिए।

हिंदी कक्ष/राजभाषा कक्ष

अब सभी मंत्रालयों तया विभागों में हिंदी कक्ष है जिनके प्रभारी हिंदी अधिकारी अथवा सहायक निदेशक (राजभाषा) है। बड़े मंत्रालयों/विभागों में हिंदी कक्ष के प्रभारी इससे उच्चतर पद के है अर्थात वरिष्ठ हिंदी अधिकारी अथवा उप निदेशक (राज भाषा)। कुछ मंत्रालयों में निदेशक (राज भाषा) जैसे उच्च स्तरीय पद हैं। इनकी सहायता के लिए वरिष्ठ अनुवादक, सहायक अनुवादक भी होते हैं। उनकी संख्या काम की मात्रा पर निर्भर होती है। केंद्रीय सरकार के आधीनस्थ कार्यालयों में भी इस प्रकार के पद हैं।

सरकार के निगमों, कंपनियों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में भी अनुवाद की समुचित व्यवस्था है, वहाँ हिंदी कक्ष/राजभाषा कक्ष में हिंदी संबंधी पदों के प्रभारी-सामान्यतः प्रबंधक (राजभाषा), उप प्रबंधक (राज भाषा), सहायक प्रबंधक (राज भाषा) आदि होते हैं। कहीं-कहीं इससे ऊँचे पद भी बनाए गए हैं। हिंदी कक्ष न केवल अनुवाद कार्य और उसकी देखरेख करते हैं, वे राज भाषा नीति के कार्यान्वयन का काम भी करते हैं।

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा राजभाषा विधायी खंड

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के आधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग का राज भाषा खंड किसी एक ही मंत्रालय का अनुवाद कार्य नहीं करते। यहाँ केंद्रीय सरकार के सभी विभाग/कार्यालयों आदि से विशिष्ट प्रकार का अनुवाद कार्य आता है जिसका उल्लेख आगे किया गया है। इस कार्य के लिए इनमें निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक स्तर से लेकर अनुवाद अधिकारी, वरिष्ठ

अनुवादक तथा तकनीकी सहायकों के पद है।

अनुवाद कार्य का विभाजन

1. विधिक दस्तावेजों के अनुवाद

विधिक कागजात के अंतर्गत संविधियों, सांविधिक नियम, विनियम और आदेश जिनमें उनसे संबंधित फार्म भी शामिल हैं इनका अनुवाद विधि मंत्रालय राजभाषा खंड करता है।

2. अन्य प्रशासनिक कागजात का अनुवाद

असांविधिक मैन्युअलों, संहिताओं और अन्य कार्याविधि साहित्य तथा उनसे संबंधित प्रशासनिक फार्मों का अनुवाद राजभाषा विभाग का केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो कर रहा है। यदि किन्ही मैनुअल आदि में कुछ अंश सांविधिक हैं और कुछ अंश असांविधिक है, तो विधि मंत्रालय के राजभाषा खंड द्वारा इन सांविधिक अंशों का यह अनुवाद पूरा कर लेने पर असांविधिक अंश का अनुवाद केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो करता है। परंतु तीनों रक्षा सेनाएँ, रेल मंत्रालय और डाक तार विभाग अपनी असांविधिक सामग्री का अनुवाद स्वयं करती हैं।

3. हर एक मंत्रालय/विभाग निम्नलिखित प्रकार की सामग्री के लिए अपने ही प्रबंध करता है:

क) संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएँ, विनियम, प्रेस विज्ञप्तियाँ, परिपत्र, विविध प्रकार की योजनाएँ, परियोजनाएँ और कार्यक्रम आदि और इन कागजात से संबंधित सभी फार्म, रिपोर्ट।

ख) संसद प्रश्नोत्तर और संसद के किसी एक सदन या सदनों के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले कागजात।

ग) सविदाएँ, करार, लाइसेंस, परमिट, टेंडरों के नोटिस फार्म आदि।

4. रेल मंत्रालय, डाकतार विभाग, तीनों रक्षा सेवाएँ (वायु सेना, नौसेना, थल सेना) अपने मैनुअलों, संहिताओं तथा अन्य कार्य विधि साहित्य का अनुवाद स्वयं करती हैं।

विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए असांविधिक सामग्री के अनुवाद की जो सुविधाएँ उपलब्ध हैं, वे सुविधाएँ केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में संचालित निगमों, उपक्रमों आदि को भी उपलब्ध हैं। परन्तु अभी इन निगमों/उपक्रमों को सांविधिक सामग्री के अनुवाद के लिए विधायी विभाग के राज भाषा खंड की सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाता।

जिन कार्यालयों में हिंदी अनुवाद कार्य के लिए अपेक्षित कर्मचारी नहीं हैं वहाँ अनुवाद कार्य उस कार्यालय के योग्य कर्मचारियों द्वारा मानदेय के आधार पर कराया जा सकता है। कुछ कार्यालय बाहर के व्यक्तियों तथा गैर सरकारी संगठनों से भी करवाते हैं।

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा केंद्रीय सरकार के विभागों/निकायों के मैनुअलों, संहिताओं, फार्मों आदि के विविध असांविधिक कार्याविधि साहित्य के अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में सामान्य प्रकार की सामग्री के अनुवाद के लिए 40. रु० प्रति हजार शब्द की दर से मानदेय दिया जाता है। ये दरें केवल अनुवाद ब्यूरो द्वारा ही मानदेय के आधार पर करवाए गए अनुवाद के लिए लागू है।

अनुवाद प्रशिक्षण की व्यवस्था

सरकारी कार्यालयों में हिंदी के काम में, विशेष रूप से अनुवाद के क्षेत्र में, लगे कर्मचारियों को अनुवाद की प्रक्रिया और सिद्धान्त से अवगत कराने के लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में तीन-तीन महीने के अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। इनमें मंत्रालयों, विभागों, निगमों, आदि द्वारा नामित कर्मचारियों को लिया जाता है। प्रत्येक सत्र में 30-40 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के लिए बुलाए जाते हैं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अनुवाद का प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो का एक कार्यालय बम्बई में, एक बंगलूर और एक कलकत्ता में खोला गया है।

ब्यूरो का अनुवाद प्रशिक्षण केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों के अनुवाद कार्य से संबंधित सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है। जो कार्यालय अपने कर्मचारियों को तीन महीने के प्रशिक्षण के लिए नहीं भेज पाते उनकी सुविधा के लिए ब्यूरो ने

अनुवाद की तकनीक का प्रशिक्षण देने, के लिए 7 कार्य दिवसों की अवधि का एक संक्षिप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया है। इसमें अनुवाद के सिद्धान्त, उसकी प्रक्रिया, तकनीक, कार्यालयी भाषा, टिप्पण तथा प्रारूपण आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

प्रशासनिक अनुवाद की सामग्री का स्तर एवं स्वरूप

अनुवाद की सामग्री विभिन्न स्तर की होती है। कुछ होते हैं मामूली रुटीन पत्र जिनका भाव तथा अर्थ समझने में किसी को कठिनाई नहीं होती। उनका अनुवाद भी सरलता से हो जाता है और उसे वह व्यक्ति भी कर पाता है जिसे अनुवाद का लंबा अनुभव नहीं है। किन्तु प्रशासनिक क्षेत्र में कई है। यदि अनुवादक में सूझ बूझ है, भाषा पर उसकी पकड़ है तथा उसने परिश्रमपूर्वक अभ्यास किया है तो वह ऐसी योग्यता। विकसित कर पाता है कि जटिल से जटिल विषय का उसके द्वारा किया गया अनुवाद सरल प्रतीत होता है।

ध्यातव्य बातें

हिंदी में अनुवाद करते हिंदी का वाक्य-विन्यास हिंदी की प्रकृति के अनुसार होना चाहिए न कि अंग्रेजी अथवा किसी अन्य भाषा की प्रकृति के जटिल मामले भी होते हैं, कुछ नीति संबंधी गंभीर मसले होते हैं, कुछ में कानूनी पेचीदगियाँ होती हैं जिनके विवेचन में एक-एक शब्द का अपना महत्व होता है। इनमें अनुवाद करते समय, केवल भाषा ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, सामान्य ज्ञान और विवेक भी आवश्यक है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी सामग्री के लिए भी इन गुणों का होना जरूरी है। विधिक प्रकृति की सामग्री के अनुवाद में इससे भी अधिक योग्यता की आवश्यकता है। अनुवाद की सामग्री साधारण हो अथवा विशिष्ट प्रकार की, एक भाषा के शब्दों की जगह दूसरी भाषा के शब्द रख देना, मक्खी के स्थान पर मक्खी बिठा देना, काफी नहीं है। यदि अनुवाद मूल सामग्री के भाव तथा अर्थ को ठीक प्रकार व्यक्त न कर सके तो वह अनुवाद व्यर्थ ही माना जाएगा। अनुवाद वही सार्थक है जो मूल सामग्री के भाव को ठीक रूप में और सही अर्थ वाले शब्दों में प्रकट करे तथा जिसे समझने में मस्तिष्क पर अनावश्यक बोझ न पड़े। अनुवाद की सफलता इसमें है कि अनुवाद न दिखाई पड़े अपितु ऐसे लगे कि वह मूल अनुरूप। अनुवाद में यदि वाक्य छोटे रहेंगे तो अनुवाद अच्छा बन पड़ेगा। शब्दशः अनुवाद करने की बजाय वाक्य या उसके अंश के भाव को हिंदी भाषा की शैली में लिखा जाए। आधुनिक यंत्रों, विभिन्न पुर्जी और नए जमाने की चीजों के जो अंग्रेजी के नाम प्रचलित हैं उनका कृत्रिम अनुवाद न करके उन्हें फिलहाल मूल रूप में ही देवनागरी लिपि में लिखना सभी के हित में है। यदि अनुवाद से अर्थ समझ न आए और उससे यह धारणा बने कि हिंदी कठिन भाषा है तो उससे हिंदी के प्रसार में अवरोध उत्पन्न होगा और अनेक लोग हिंदी से विमुख होते जाएँगे। जितना भी हो सके अनुवाद में सरल तथा सुबोध शब्दों का प्रयोग किया जाए, शब्द कोषों में से ढूंढ कर ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचा जाए तो प्रचलित नहीं हैं। अच्छा हो कि अनुवादक अपने अनुवाद को स्वयं यह मान कर भी पढ़ें कि वह किसी अन्य व्यक्ति के अनुवाद को पढ़ रहा है और तब वह देखे कि वह अनुवाद किसी औसत व्यक्ति की समझ में कितना आएगा तथा इसकी उस पर क्या प्रतिक्रिया होने वाली है।

अपेक्षाएँ

अनुवाद कार्य प्रयोजनहीन नहीं है। उसका निश्चित उद्देश्य होता है। प्रशासनिक क्षेत्र में वह उद्देश्य स्पष्ट

है। यहाँ उद्देश्य है कि किसी एक भाषा में कही जा रही बात अन्य भाषा के जानकार लोगों की समझ में आए तथा सही रूप में आए। अनुवादक से अपेक्षा की जाती है कि वह उस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक

हो। उसे उन अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी क्षमता तथा योग्यता में वृद्धि करनी चाहिए। कुछ व्यक्तियों की धारणा है कि अधिकांश कार्यालयों में अनुवाद एक औपचारिकता की पूर्ति मात्र है, उसे किसी को पढ़ना नहीं है, अतः जैसा चाहे वैसा अनुवाद कर दिया जाए। यह धारणा ठीक नहीं है। अब अनुवाद पढ़ा भी जाता है तथा उसका उपयोग आगे की ओर कार्रवाई के लिए भी होता है। अतः अनुवाद का स्तर ऊँचा रहे तथा वह अर्थ को सही व स्पष्ट रूप मेंव्यक्त करे, यह अपेक्षा अनुवादक से की जाती है।

कवि सम्मेलन....... झलकियां

राष्ट्रीय राजभाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह

"भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में भव्य आयोजन"

दिनांक 8/2/2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय राजभाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह अत्यंत गरिमापूर्ण एवं औपचारिक वातावरण में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम वैज्ञानिक, तकनीकी और प्रशासनिक कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी के प्रयोग में दक्षता प्रदान करने हेतु आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में हिंदी के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करना तथा संवैधानिक प्रावधानों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना था।

इस अवसर पर देश के विभिन्न अनुसंधान संस्थानों से आए प्रतिभागियों ने न केवल हिंदी भाषा में दक्षता प्राप्त की, बल्कि विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। यह कार्यक्रम न केवल भाषा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रहा, बल्कि वैज्ञानिक संस्थानों में हिंदी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित हुआ।

समारोह की अध्यक्षता **डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह,** निदेशक, आईसीएआर-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (NBPGR) ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में **डॉ. श्रीनिवास राव, निदेशक,** आईसीएआर-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI), ने समारोह की गरिमा को बढ़ाया।

इन दोनों वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति से यह स्पष्ट होता है कि ICAR प्रणाली में राजभाषा हिंदी को महत्व दिया जा रहा है और इसे वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों में समाहित करने के लिए संस्थान गंभीर रूप से प्रयत्नशील है।

समारोह की शुरुआत एक प्रभावशाली स्वागत भाषण से हुई, जिसमें सभी गणमान्य अतिथियों, प्रशिक्षकों और प्रतिभागियों का अभिनंदन किया गया। इसके उपरांत प्रशिक्षण कार्यक्रम की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें कार्यक्रम के उद्देश्यों, प्रमुख गतिविधियों, प्रतिभागियों की संख्या और उनकी प्रतिक्रियाओं पर प्रकाश डाला गया। रिपोर्ट के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को हिंदी में सरकारी दस्तावेज़ों का निर्माण, टिप्पणियाँ लिखना, वाद-विवाद करना एवं विविध प्रशासनिक लेखन कार्यों का अभ्यास कराया गया।

मुख्य अतिथि डॉ. श्रीनिवास राव ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में हिंदी भाषा के महत्व को रेखांकित करते हुए वैज्ञानिक संस्थानों में इसके अधिकाधिक प्रयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राजभाषा हिंदी हमारे देश की पहचान है। इसे केवल एक भाषा के रूप में न देखकर, कार्यकुशलता एवं सूचना के आदान-प्रदान के सशक्त माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि देश के गैर-हिंदी क्षेत्र से होने के बावजूद वे जहां भी संभव हो, हिंदी बोलते हैं। उनका मानना है कि हिंदी कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं है और इसका इस्तेमाल भारत के राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से हिंदी में बातचीत करने का आग्रह किया ताकि राष्ट्रीय भावना मजबूत हो सके। उन्होंने प्रतिभागियों से अपेक्षा की कि वे प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने-अपने कार्यस्थलों पर करें और हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करें। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि वैज्ञानिक लेखन में हिंदी की भूमिका को सुदृढ़ बनाने के लिए संस्थागत स्तर पर प्रयास आवश्यक हैं।

अध्यक्षीय उद्बोधन में **डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह** ने आयोजन की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम न केवल भाषा संबंधी ज्ञानवर्धन करता है, बल्कि **प्रशासनिक दक्षता** और **कार्यस्थल पर**

संप्रेषण की प्रभावशीलता को भी बढ़ाता है। उन्होंने यह भी कहा कि:

"राजभाषा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों में कार्य निष्पादन की सरलता आती है तथा भाषा की दीवारें टूटती हैं, जिससे संस्थागत कार्य में गति आती है।" उन्होंने देश और दुनिया में हिंदी के महत्व को बताया। उन्होंने बताया कि उनकी शिक्षा वाराणसी में हुई है और उन्हें हिंदी में सबसे ज्यादा सहजता महसूस होती है। उन्होंने बताया कि एनबीपीजीआर में संचार और प्रलेखन हिंदी में होता है। हिंदी भारत में, खासकर उत्तर और दक्षिण के बीच, एकता को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उत्तर भारत में, यह पहचान और दैनिक जीवन का एक आधारभूत हिस्सा है, जबकि दक्षिण भारत में, यह संचार, राष्ट्रीय एकीकरण और व्यापक अवसरों के लिए एक सेतु का काम करती है। संवेदनशीलता और समावेशिता के साथ हिंदी को बढ़ावा देने से भारत की भाषाई सद्भाव और सांस्कृतिक एकता मजबूत हो सकती है।

उन्होंने आयोजकों को कार्यक्रम की श्रेष्ठ रूपरेखा और निष्पादन के लिए धन्यवाद दिया तथा भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन की आवश्यकता पर बल दिया।

समापन समारोह के अंत में श्री अशुतोष कुमार, उपनिदेशक (राजभाषा), ने सभी गणमान्य अतिथियों, प्रतिभागियों, आयोजकों एवं सहयोगियों का हृदय से आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि:

"इस कार्यक्रम की सफलता सभी के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। हम आशा करते हैं कि प्रतिभागी न केवल हिंदी के प्रचार-प्रसार में योगदान देंगे, बल्कि इसे अपनी कार्यशैली का अभिन्न अंग बनाएंगे।" इसके उपरांत उन्होंने औपचारिक रूप से समापन की घोषणा की। समापन से पूर्व राष्ट्रगान का सामूहिक गायन हुआ, जिससे समारोह का अंत राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ हुआ। इस समापन समारोह ने यह सिद्ध कर दिया कि राजभाषा हिंदी केवल एक भाषा नहीं, बल्कि कार्यसाध्यता, पारदर्शिता और प्रभावी प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन है। ICAR जैसे अग्रणी वैज्ञानिक संस्थानों में इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम हिंदी के प्रयोग को एक नई दिशा प्रदान करते हैं।

भविष्य में यदि ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएँ, तो निश्चित रूप से सरकारी तंत्र में हिंदी का प्रयोग और अधिक सशक्त रूप में उभरकर सामने आएगा।

डॉ. श्रीनिवास राव एवं डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह

समापन समारोह (झलकियाँ)

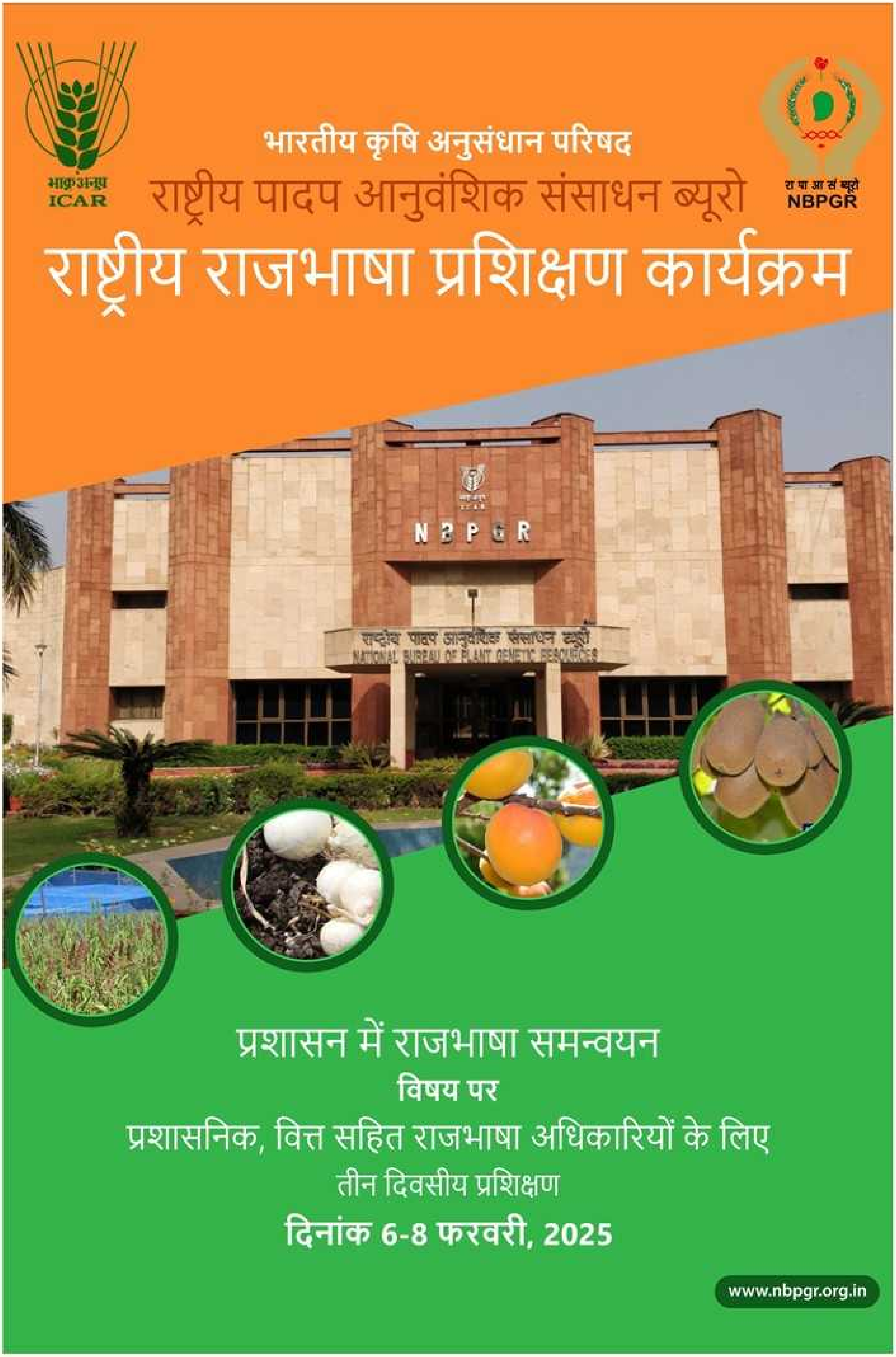
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो
राष्ट्रीय राजभाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम
NBPGR
प्रशासन में राजभाषा समन्वयन
विषय पर
प्रशासनिक, वित्त सहित राजभाषा अधिकारियों के लिए
तीन दिवसीय प्रशिक्षण
दिनांक 6-8 फरवरी, 2025
www.nbpgr.org.in

परिषद मुख्यालय सहित भाकृअप के अधीनस्थ संस्थानों में कार्यरत प्रशासनिक, वित्त एवं राजभाषा अधिकारियों के लिए 'प्रशासन में राजभाषा समन्वयन' विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय राजभाषा प्रशिक्षण कार्यक्रम

06 फरवरी 2025 पहला दिन

क्र.सं.	दिनांक व समय	विषय		रिपोर्ट/ संकलन
1.	06/02/2025 पूर्वाहन 9.00 से 9.30 बजे		पंजीकरण	
2.	06/02/2025 पूर्वाहन 9.30 से 10.45 बजे	उद्घाटन समारोह	मुख्य अतिथि – श्री शिवराज सिंह चौहान माननीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री गरिमामयी उपस्थिति - डॉ हिमांशु पाठक, सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक (भाकृअप) अध्यक्ष - डॉ ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, निदेशक, एनबीपीजीआर धन्यवाद ज्ञापन - डॉ डी के यादव, सहायक महानिदेशक(बीज) संचालन- श्री आशुतोष कुमार, उपनिदेशक(राजभाषा)	रिपोर्ट/ संकलन डॉ संध्या गुप्ता प्रधान वैज्ञानिक एवं डॉ जमील अख्तर प्रधान वैज्ञानिक
3.	06/02/2025 पूर्वाहन 10.45-11.00 बजे		हाई-टी	
			सत्र 1	
4	06/02/2025 पूर्वाहन 11.00-12.15 बजे	विभागीय शब्दावली निर्माण की प्रक्रियाएं एवं मानकीकरण	अध्यक्ष- डॉ ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह, निदेशक, एनबीपीजीआर वक्ता - प्रो. गिरीश नाथ झा, अध्यक्ष, सीएसटीटी धन्यवाद ज्ञापन- डॉ सुनील अर्चक, प्रभारी अधिकारी संचालन- डॉ मंजूषा वर्मा, प्रधान वैज्ञानिक	रिपोर्ट/ संकलन डॉ मूलचंद सिंह प्रधान वैज्ञानिक एवं डॉ पद्मावती गोरे वैज्ञानिक
			सत्र 2	
5.	06/02/2025 पूर्वाहन 12.15-1.30बजे	विलुप्त हो रही भाषाएँ एवं भाषाओं का संरक्षण	अध्यक्ष - डॉ सी विश्वनाथन, संयुक्त निदेशक (अनुसंधान), आईएआरआई वक्ता - श्री राहुल देव, वरिष्ठ पत्रकार, नई दिल्ली धन्यवाद ज्ञापन- डॉ. प्रवीण कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष संचालन- डॉ जमील अख्तर, प्रधान वैज्ञानिक	रिपोर्ट/ संकलन डॉ विष्णु कुमार प्रधान वैज्ञानिक एवं डॉ सुभाष चन्द्र वरिष्ठ वैज्ञानिक
6.	06/02/2025 अपराहन 1.30-2.00 बजे		भोजनावकाश	
			सत्र 3	
7.	06/02/2025 अपराहन 2.15-3.30 बजे	एआई आधारित डाटा सत्यापन व विश्लेषण एवं विशाल डाटा प्रबंधन	अध्यक्ष – डॉ राजेंद्र प्रसाद, निदेशक, आईएएसआरआई वक्ता - डॉ निमिष कपूर, वैज्ञानिक धन्यवाद ज्ञापन- डॉ अंजु महेंद्रु सिंह, विभागाध्यक्ष संचालन- श्री धीरज शर्मा, संयुक्त निदेशक (राजभाषा)	रिपोर्ट/ संकलन डॉ अंजलि काक प्रधान वैज्ञानिक एवं डॉ बादल सिंह वैज्ञानिक
8.	06/02/2025 अपराहन 3.30-3.45 बजे		जलपान	
			सत्र 4	
9.	06/02/2025 अपराहन 3.45-5.00 बजे	सरकारी कामकाज में हिन्दी प्रयोग की तकनीकीयां	अध्यक्ष – प्रो कुमुद शर्मा, विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग, डीयू वक्ता - डॉ श्याम सुंदर कथुरिया, संयुक्त निदेशक धन्यवाद ज्ञापन- डॉ राकेश सिंह, विभागाध्यक्ष संचालन- डॉ मोनिका सिंह, वरिष्ठ वैज्ञानिक	रिपोर्ट/ संकलन डॉ कुलदीप त्रिपाठी वैज्ञानिक एवं डॉ वर्तिका श्रीवास्तव वरिष्ठ वैज्ञानिक
10.	06/02/2025 शाम 5.30-7.30 बजे		दिल्ली का शैक्षिक भ्रमण	

7 फरवरी 2025 दूसरा दिन

क्र.सं.	दिनांक व समय	विषय		रिपोर्ट/ संकलन
		सत्र 5		
1.	07/02/2025 पूर्वाहन 9.15-10.30 बजे	सरकारी कार्यालयों में राजभाषा की नीति, योजनाएं एवं वार्षिक कार्यक्रम	अध्यक्ष - **श्री वामपद शर्मा**, निदेशक (प्रशासन), भाकृअप वक्ता – **डॉ रमेश आर आर्य**, पूर्व निदेशक, भारत सरकार धन्यवाद ज्ञापन - **डॉ. राज कुमार गौतम**, विभागाध्यक्ष संचालन- **श्री आशुतोष कुमार**, उपनिदेशक(राजभाषा)	रिपोर्ट/ संकलन डॉ मोनिका सिंह वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं डॉ ललित आर्य प्रधान वैज्ञानिक
2.	07/02/2025 पूर्वाहन 10.30-10.45 बजे		**जलपान**	
		सत्र 6		
3.	07/02/2025 पूर्वाहन 10.45-12.00 बजे	'अनुवादिनी' से आवाज एवं दस्तावेज़ का एआई अनुवाद: कार्यालयों में उपयोगिता	अध्यक्ष – **श्री संजय कुमार पाठक**, संयुक्त सचिव(वित्त), भाकृअप वक्ता - **डॉ चन्द्रशेखर**, सीईओ, अनुवादिनी, और मुख्य समन्वयन अधिकारी, एआईसीटीई धन्यवाद ज्ञापन - **श्री चमन सिंह**, मुख्य वित्त एवं लेखा अधिकारी संचालन - **श्री राकेश कुमार**, उप-निदेशक(राजभाषा)	रिपोर्ट/ संकलन डॉ सुमन राय वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं डॉ मोनिका झा वैज्ञानिक
		सत्र 7		
4.	07/02/2025 अपराहन 12.00-1.15 बजे	जीवन में सकारात्मक चिंतन का महत्व तथा प्रशासनिक प्रश्नोत्तरी पर चर्चा	अध्यक्ष – **डॉ प्रेमचंद पतंजलि**, पूर्व कुलपति, पूर्वांचल विश्वविद्यालय वक्ता - **सुश्री आदया अग्रवाल** एवं **डॉ राजेश सिंह रौशन** नियंत्रक प्रशासन,सीएसआईआर धन्यवाद ज्ञापन - **श्री आशुतोष कुमार**, उप-निदेशक (राजभाषा) संचालन- **डॉ मूलचंद सिंह**, प्रधान वैज्ञानिक	रिपोर्ट/ संकलन डॉ मोनिका सिंह वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं डॉ श्रुति सिन्हा वैज्ञानिक
5.	07/02/2025 अपराहन 1.15-2.00 बजे		**भोजनावकाश**	
		सत्र 8		
6.	07/02/2025 अपराहन 2.00-3.30 बजे	सरकारी कार्यालयों में टिप्पण एवं प्रारूप लेखन /देवनागरी लिपि तथा हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण	अध्यक्ष – **श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी**, पूर्व उपमहानिदेशक वक्ता - **डॉ हरि सिंह पाल**, नागरी लिपि परिषद एवं **डॉ रमेश आर आर्य**, पूर्व निदेशक, भारत सरकार धन्यवाद ज्ञापन - **डॉ कविता गुप्ता**, प्रभारी अधिकारी संचालन- **श्री अशोक कुमार**, नराकास	रिपोर्ट/ संकलन डॉ पूरन चंद वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं डॉ स्मिता लेंका सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी
7.	07/02/2025 अपराहन 3.30-3.45 बजे		**जलपान**	
		सत्र 9		
8.	07/02/2025 अपराहन 3.45-5.30 बजे	भारतीय भाषाओं का सुदृढ़ीकरण तथा संवैधानिक व्यवस्था	अध्यक्ष – **डॉ ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह**, निदेशक, एनबीपीजीआर वक्ता - **प्रो राकेश सिन्हा**, सांसद,राज्यसभा तथा वरिष्ठ लेखक एवं विचारक धन्यवाद ज्ञापन - **श्री सुरेश कुमार गजमोती**, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (वरिष्ठ ग्रेड) संचालन- **श्री आशुतोष कुमार**, उप-निदेशक(राजभाषा)	रिपोर्ट/ संकलन डॉ ज्योति कुमारी, प्रधान वैज्ञानिक एवं डॉ रश्मि यादव प्रधान वैज्ञानिक
9.	07/02/2025 शाम 6.00-8.00 बजे		**कवि सम्मेलन एवं रात्रि भोज**	

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो
पूसा परिसर, नई दिल्ली- 110012
प्रशासन में राजभाषा समन्वयन
विषय पर
प्रशासनिक, वित्त सहित राजभाषा अधिकारियों के लिए
राष्ट्रीय राजभाषा प्रशिक्षण
दिनांक 6-8 फरवरी, 2025
स्थान : डॉ बी पी पाल सभागार, एनबीपीजीआर, पूसा, नई दिल्ली
भाकृअनुप ICAR
रा पा आ सं ब्यूरो NBPGR
गरिमामयी उपस्थिति
डॉ हिमांशु पाठक
सचिव (डेयर) एवं महानिदेशक (आईसीएआर)
डॉ ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह
निदेशक,एनबीपीजीआर
डॉ डी के यादव
सहायक महानिदेशक(बीज)
मुख्य अतिथि
श्री शिवराज सिंह चौहान
माननीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री
भारत सरकार
कार्यक्रम के विशेषज्ञ वक्ता एवं अध्यक्षगण
प्रो राकेश सिन्हा पूर्व सांसद, राज्यसभा
डॉ. सी. श्रीनिवास राव निदेशक,आईएआरआई
प्रो. गिरीश नाथ झा सीएसटीटी उच्चतर शिक्षा विभाग
श्री राहुल देव वरिष्ठ पत्रकार नई दिल्ली
डॉ प्रेमचंद पतंजलि पूर्व कुलपति पूर्वांचल विश्वविद्यालय
श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी पूर्व उपमहानिदेशक
श्री एस के गजमोती समन्वयक
श्री आशुतोष कुमार संयोजक
प्रो रवि शर्मा विभागाध्यक्ष एसआरसीसी
डॉ बुद्धा चन्द्रशेखर सीईओ, अनुवादिनी
प्रो कुमुद शर्मा विभागाध्यक्ष हिन्दी विभाग डीयू
डॉ सुमन अग्रवाल वक्ता
डॉ हरीश शेट्टी इग्नू
डॉ राजेंद्र प्रसाद निदेशक आईएएसआरआई
डॉ रमेश आर्य संस्कृति मंत्रालय
डॉ एस एस कधुरिया संयुक्त निदेशक
डॉ निमिष कपूर वैज्ञानिक
सुश्री आदया अग्रवाल वक्ता
डॉ राजेश सिंह रौशान नियंत्रक प्रशासन सीएसआईआर
डॉ हरि सिंह पाल नागरी लिपि परिषद
डॉ राकेश बी दूबे पूर्व ओएसडी
डॉ संजय अग्रवाल वक्ता
श्री संजय कुमार पाठक संयुक्त सचिव (वित्त) आईसीएआर
सुश्री सर्जना शर्मा न्यूज एडिटर सन्मार्ग
श्री वामपद शर्मा निदेशक प्रशासन आईसीएआर
डॉ विचार दास पूर्व निदेशक केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो
डॉ सी विश्वनाथन संयुक्त निदेशक

यादगार पल........

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो

पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012

दूरभाष : +91-11-25843697,फैक्स : +91-11-25842495

ई-मेल : director.nbpgr@nic.in, वैबसाइट : www.nbpgr.org.in